FOR REFERNCE ONLY.

दश माला, खंड 32, अंक 20

सोमवार, 7 अप्रैल, 2003

17 चैत्र, 1925 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

(खंड 32 में अंक 11 से 20 तक हैं)

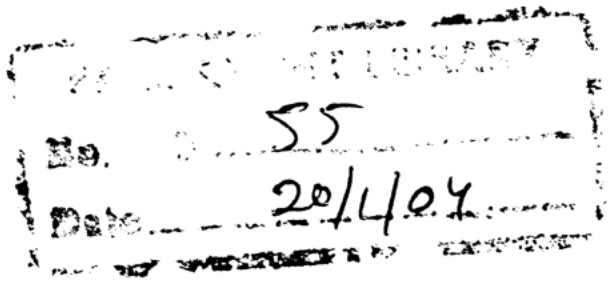

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्यासागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 32, बारहवां सत्र, 2003/1925 (शक)]

अंक 20, सोमवार, 7 अप्रैल, 2003/17 चैत्र, 1925 (शक)

विषय	कॉलम
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1–2
सदस्यों द्वारा निवेदन	
इराक में स्थिति के बारे में	2–33, 433–435
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 341 से 360	33–65
अतारांकित प्रश्न संख्या 3491 से 3720	65–433
सभा पटल पर रखे गए पत्र	435–437
राष्ट्रपति का संदेश	437
विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति	
ग्यारहवां प्रतिवेदन	437–438
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति	
छियालीसवां, सैंतालीसवां और अड़तालीसवां प्रतिवेदन	438
विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद (संशोधन) विधेयक—*पुर:स्थापित*	438
नियम 377 के अधीन मामले	439–447
(एक) अहमदाबाद और आबू रोड के बीच लोकल रेलगाड़ी चलाए जाने तथा अरावली एक्सप्रेस को मुम्बई सेन्ट्रल तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
श्री हरिभाई चौधरी	439–440
(दो) राजस्थान में पावरलूम उद्योग पर वैट के अंतर्गत लगाए गए उत्पाद शुल्क और बिक्री कर वापस लिए जाने की आवश्यकता	
प्रो. रासा सिंह रावत	440
(तीन) वन भूमि विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में वन भूमि के विकास के लिए निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री महेश्वर सिंह	440–441

(चार) गुजरात में बलसाड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के धर्मपुर क्षेत्र में विल्सन हिल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी 441-442

(पांच) उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री रामपाल सिंह 442

(छह) बिहार में भारत-नेपाल सीमा और रक्सौल के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28 का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

डा. मदन प्रसाद जायसवाल 442

(सात) पुराना कानपुर रेलवे स्टेशन का दर्जा बढ़ाकर उसे प्रमुख रेल स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल 442-443

(आठ) उड़ीसा में अंगुल-तीकरपारा मार्ग का दर्जा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री के.पी. सिंहदेव 443

(नौ) राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में बेहतर टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी 443-444

(दस) केरल में डाक बचत खातों के जमाकर्ताओं के समक्ष आ रही समस्याओं के समाधान के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री रमेश चेन्नितला 444-445

(ग्यारह) पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले के उत्तरी भाग से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के पूर्व-पश्चिम गलियारे के निर्माण के लिए राज्य सरकार के वैकल्पिक प्रस्ताव पर विचार किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती मिनाती सेन 445

(बारह) आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जनजातियों के कल्याण के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

डा. डी.वी.जी. शंकरराव 445-446

(तेरह) विनिवेश के बारे में पारदर्शी नीति की आवश्यकता

श्री रामजीलाल सुमन 446

(चौदह) उड़ीसा में पारादीप में तेलशोधक परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री त्रिलोचन कानूनगो 446-447

(पन्द्रह) केरल में पोन्नानी और सम्पूर्ण मालापुरम जिले में और अधिक डाकघर खोले जाने की आवश्यकता

श्री जी.एम. बनातवाला 447

लोक सभा

सोमवार, 7 अप्रैल, 2003/17 चैत्र, 1925 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मुझे सभा को अपने भूतपूर्व सहयोगी श्री गोपाल दत्त मेंगी के निधन की दुखद सूचना देनी है। श्री गोपाल दत्त मेंगी 1962 से 1967 तक तीसरी लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने जम्मू कश्मीर राज्य का प्रतिनिधित्व किया।

इसके पूर्व श्री मेंगी 1946 में जम्मू और कश्मीर विधान सभा के सदस्य थे।

श्री मेंगी धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे। वह जम्मू और कश्मीर राज्य हिन्दू सभा के अध्यक्ष थे तथा श्री सनातन धर्म सभा, जम्मू और डोगरी संस्था, जम्मू के सदस्य थे।

श्री मेंगी एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे तथा उन्होंने श्रमिक और सहकारिता आन्दोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

श्री गोपाल दत्त मेंगी का निधन 89 वर्ष की आयु में जम्मू में 11 फरवरी, 2003 को हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं विश्वास करता हूं कि सभा शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं प्रेषित करने में मेरे साथ है।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं 24 मार्च, 2003 को जम्मू कश्मीर राज्य के पुलवामा जिले में नदीमर्ग गांव में आतंकवादियों ने 24 व्यक्तियों की हत्या कर दी थी।

हम इन मासूम लोगों की हत्या पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और हिंसा की इस अमानवीय और कायरतापूर्ण कार्रवाई की निंदा करते हैं।

सभा इस त्रासदी पर गहरा शोक व्यक्त करती है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे)

पूर्वाह्न 11.03 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

इराक में स्थिति के बारे में

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, हमने इराक में चल रहे संकट पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे स्थगन प्रस्ताव की अनेकों सूचनाएं और साथ ही प्रश्न-काल के निलंबन के बाबत एक सूचना प्राप्त हुई है। 'इराक पर अमरीका और यू.के. गठबंधन सेना द्वारा हमला' पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है। निम्नलिखित सदस्यों से सूचनाएं प्राप्त हुई हैं: वे हैं, श्री रामविलास पासवान, श्री रामजीलाल सुमन, श्री सुबोध राय, श्री बसुदेव आचार्य, कुंवर अखिलेश सिंह, श्री जी.एम. बनातवाला, श्री प्रियरंजन दासमुंशी, श्री जयपाल रेड्डी, श्री रूपचंद पाल, श्री सोमनाथ चटर्जी और श्री सुनील खां।

श्री बसुदेव आचार्य, श्री अजय चक्रवर्ती और श्री वी. राधाकृष्णन की ओर से भी 17 मार्च, 2003 को केरल के विभिन्न भागों में प्रदर्शन के दौरान संसद सदस्यों पर पुलिस द्वारा किए गये कथित हमले से संबंधित सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

श्री रामदास आठवले ने भी महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में एक दलित को हत्या से संबंधित एक सूचना दी है।

श्री जे.एस. बराड ने गुजरात के भूतपूर्व गृह मंत्री की राजनैतिक हत्या के संबंध में एक सूचना दी है। ये सूचनाएं हैं जो मुझे प्राप्त हुई हैं।

मुझे 'ईराक पर अमरीका और यू.के. की गठबंधन सेना द्वारा किए गये हमले' के बाबत प्रश्न काल के निलंबन से संबंधित

अनेकों सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। ये सूचनाएं श्री बसुदेव आचार्य, श्री प्रियरंजन दासमुंशी, श्री जी.एम. बनातवाला, कुंवर अखिलेश सिंह, श्री एम.ओ.एच. फारूक श्री रूपचंद पाल, श्री के.एच. मुनियप्पा, श्री ई.एम.एस. नाच्चीयपन और श्री राम विलास पासवान द्वारा दी गई हैं।

मुझे माननीय विदेश मंत्री से भी एक सूचना प्राप्त हुई है। वे इसी विषय पर सभा में वक्तव्य देना चाहते हैं।

इसलिए जब इन मुद्दों पर यहां चर्चा होगी...

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के बयान से पहले इस विषय पर बहस होनी चाहिए और पहले हमारा पक्ष सुना जाए।...*(व्यवधान)* हम इस मामले में आपका संरक्षण चाहते हैं।...*(व्यवधान)* हमने इस सवाल पर कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है, इसलिए पहले हमारी बात सुनी जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न-काल के निलम्बन हेतु कई सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। हमारे सम्मुख यह प्रश्न है कि प्रश्न-काल क्यों निलम्बित किया जाए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य ने प्रश्न-काल के निलंबन के लिए सूचना दी है। क्या वे मुझे यह बताने की कृपा करेंगे कि वे ऐसा क्यों चाहते हैं कि प्रश्न-काल निलंबित किया जाना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): हमने अमरीका द्वारा इराक पर किए गये हमले के विरुद्ध स्थगन की सूचनाएं दी हैं। हमारी मांग के बावजूद भारत सरकार ने इराक पर अमरीकी हमले की निंदा नहीं की है। आज हमले का 19वां दिन हैं। विश्व जनमत और यू एन ओ को भी टुकरा कर अमरीका ने अकेले ही इराक पर हमला किया। वे हजारों लोगों को तबाह कर रहे हैं और मार रहे हैं। हमारे समक्ष यह आज सबसे महत्वपूर्ण मामला है।

लोग सर्वत्र प्रदर्शन और आन्दोलन कर रहे हैं। भारत में भी अनेक स्थानों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है क्यों कि 2.5 करोड़ की जनसंख्या वाले छोटे से देश पर हमला किया जा रहा है। प्रतिदिन बम बरसाए जा रहे हैं जिसमें लोग, बच्चे मर रहे हैं और सम्पत्ति तबाह हो रही है। अस्पतालों पर बम गिराए जा रहे हैं बच्चों को मारा जा रहा है।

यह अति महत्वपूर्ण मामला है। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रश्न-काल निलम्बित हो और इराक पर बेवजह किया गया हमला और भारत सरकार का इस मामले पर कोई भी स्पष्ट मत प्रकट करने की असफलता पर तत्काल स्थगन प्रस्तान लाया जाए।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, मेरा कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस सबसे पहले नम्बर पर है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं केवल प्रश्न-काल के निलम्बन पर ही चर्चा कर रहा हूं। सूची पर अगला नाम श्री प्रियरंजन दासमुंशी का है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: कांग्रेस पार्टी की ओर से आज हमने प्रश्न-काल के निलम्बन हेतु सूचना दी थी हम सभा की कार्यवाही में बिल्कुल भी व्यवधान डालना नहीं चाहते। परंतु मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हम महसूस करते हैं कि संसद क सत्र के पुन: आरंभ होने के पहले दिन सबसे बड़ा प्रश्न मध्यपूर्व में विशेषकर इराक में शांति की बहाली है और युद्ध समाप्ति को सुनिश्चित करने के लिए सम्पूर्ण मामला पुन: संयुक्त राष्ट्र को वापस भेजा जाना चाहिए।

हमें इस पर बहुत निराशा है कि संसद के सत्र के मध्यावकाश के दिन के बाद से आज तक पिछले कुछ दिनों से भारत सरकार के विभिन्न केबिनेट मंत्री विभिन्न वक्तव्य दे रहे हैं। वे इस मामले को उचित महत्व नहीं दे रहे हैं और वे देश की जनता की भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं जो प्रत्येक देश की स्वतंत्रता और सम्प्रभुता का समर्थन करती है। गुट निरपेक्ष आन्दोलन का मूल सिद्धान्त जैसा कि इस लोकतंत्र की प्रथम सरकार का स्पष्ट सिद्धान्त था कि किसी के भी राजनैतिक शासन में दखलअंदाजी नहीं करना और उसे संबंधित देश के लोगों पर ही छोड़ देना है।

इसलिए हमारा कांग्रेस दल, पुन: स्पष्ट करना चाहता है कि इराक इराक के विरुद्ध युद्ध सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है और इसलिए इसकी निंदा करना अनिवार्य है।

इस घड़ी में भी कांग्रेस पार्टी यह अपील करती है कि इराक के विरुद्ध युद्ध पर विराम तत्काल विराम लगाया जाए और इस

संपूर्ण मामले को पुनः संयुक्त राष्ट्र में शांति और सभी संबंधित पक्षों को मान्य सम्माननीय हल के लिए वापस भेजा जाना चाहिए। सत्र के प्रथम दिन चाहे वह पंडित जवाहर लाल नेहरू हों या चाहे वह श्रीमती इंदिरा गांधी हों वे इस सभा में आते और प्रधान मंत्री को देश को विश्वास में लेने के लिए दबाव डालते। आज हम यही आशा करते हैं। परंतु हमें खेद हो रहा है कि उस प्रकार की प्रथा, परम्परा जिसका परिपालन अनेकों बार भारत सरकार ने शांति बहाली विशेषकर विश्व में शांति की बहाली के लिए किया था। अब नहीं किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि इराक के विरुद्ध से कुछ भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए हमने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि प्रश्न-काल को निलम्बित किया जाना चाहिए और इराक मामले को स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से लिया जाना चाहिए। विदेश मंत्री को वक्तव्य नहीं देना चाहिए। प्रधान मंत्री ही इस देश के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह हैं उन्हें वक्तव्य देना चाहिए और इस सभा को विश्वास में लेना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि यदि युद्ध होता है तो वे वापस आएंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः श्री जी.एम. बनातवाला।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः हाउस ठीक तरीके से चल रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि विपक्षी सदस्य प्रश्न-काल को निलम्बित क्यों करना चाहते हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इराक की स्थिति पर चर्चा करने के लिए प्रश्न-काल निलम्बन की सूचना दी है।

महोदय, इराक पर अमरीका और उसके सहयोगियों द्वारा किया गया हमला खतरनाक स्थिति पर पहुंच गया है। यह खेदजनक आक्रमण सभी अंतर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों, सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, संपूर्ण विश्व जनमत और संपूर्ण मानवता के सम्मान की अवहेलना है।

महोदय, पूरे सदन को इसकी तत्कालिकता को समझते हुए तुरंत युद्ध बंद करने और संयुक्त राज्य अमरीका व उसकी गंठबंधन सेना की इराक से तुरंत वापसी की मांग के समर्थन में खड़ा होना चाहिए।

महोदय, हमारी सरकार की कमजोर, अपर्याप्त और अस्पष्ट नीति से भारत गंभीर और दूरगामी अन्तर्राष्ट्रीय परिवर्तनों के संदर्भ में अप्रासंगिक हो गया है।

महोदय, यह आवश्यक है कि पूरा सदन युद्ध समाप्त करने की मांग पर खड़ा हो। पर आवश्यक है कि पूरा सदन इस मांग के समर्थन में खड़ा हो कि यह आक्रमण रोका जाना चाहिए और संयुक्त राज्य अमरीका और उसकी गठबंधन सेना को वापस लौट जाना चाहिए। राष्ट्रपति बुश पर युद्ध अपराधी का अभियोग लगना चाहिए। यह अत्यन्त आवश्यक है। संयुक्त राज्य अमरीका को इराक को क्षतिपूर्ति देनी चाहिए। इराक के विरुद्ध लगे सारे प्रतिबंद्ध हटा लिए जाने चाहिए। यह स्थित बहुत विकट है। मैंने कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है और मैं आपसे ऐसी ज्वलंत समस्या के मामले में प्रश्न-काल स्थगित करने और इस कार्य स्थगन प्रस्ताव का उपयोग चर्चा करने के लिए करने का अनुरोध करूंगा।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): अध्यक्ष जी, अमरीका द्वारा इराक पर जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से आक्रमण किया जा रहा है, उससे पूरी मानवता दहल उठी है। इराक ने भारत के सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सदैव भारत का खुलकर साथ दिया है। पूरी दुनिया में इंसानियतपसंद लोग हैं, वे आज अमरीका और ब्रिटेन की इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की आलोचना ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज दुनिया के अधिकांश देशों ने अमरीका के इस कृत्य के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किये हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पिछली बार भी सदन में सम्पूर्ण विपक्ष ने इस सरकार से बार-बार मांग की थी कि आप अमरीका के इस कृत्य के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करें, परंतु प्रधान मंत्री जी ने अपनी वाकपटुता के बार-बार विपक्ष के इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। इसके बाद इन्होंने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई।...* उससे अमेरिका जैसे राष्ट्रों का मनोबल बढ़ा है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया): उन्होंने ऐसा नहीं कहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मैं उन शब्दों को कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दूंगा।

...(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंहः मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी दुनिया अमेरिका के इस कृत्य को देख रही है।...*(व्यवधान)*

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदयः अखिलेश जी, हमारे सामने जो प्रश्न है, वह इतना ही है कि प्रश्न काल क्यों स्थगित करें - आप इस विषय पर बोलिये। रामदास जी, आप बैठिये।

...(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हम सच कह रहे हैं तो इनको तिलमिलाहट हो रही है। सच को स्वीकार करने का इनमें साहस होना चाहिए।

आज इराक में हजारों निर्दोष नागरिकों को अमेरिका और ब्रिटेन की फौजों ने मौत के घाट उतार दिया है। अमेरिका और ब्रिटेन की यह कार्रवाई अपराध की तरह है। अमेरिका और ब्रिटेन को हमें युद्ध अपराधी घोषित करना चाहिए और आज सदन को सर्वसम्मति से अमेरिका के इस कृत्य के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव पारित करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है जिसमें हमने आपसे आग्रह किया है कि प्रश्न काल समेत सदन की संपूर्ण कार्यवाही स्थगित करके इस विषय पर चर्चा करवाई जाए। यह अत्यंत अविलंबनीय लोक महत्व का विषय है और इससे ज्वलंत कोई प्रकरण नहीं है। पूरी दुनिया में इस युद्ध के माध्यम से अमेरिका तानाशाही का साम्राज्य कायम करना चाहता है इसलिए सदन की संपूर्ण कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की अनुमति प्रदान करें।

[अनुवाद]

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार): महोदय, इराक के विरुद्ध युद्ध संसार के सभी देशों के मानवों के विरुद्ध युद्ध है। भारत, पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय से आज तक, एक शांतिप्रिय देश रहा है और कांग्रेस कार्य समिति ने कहा है कि इराक के विरुद्ध युद्ध ने सभी स्वीकार्य अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। अतः इसकी निंदा की जानी चाहिए। कांग्रेस दल यह अपील करता है कि इराक के विरुद्ध युद्ध को तुरंत रोका जाना चाहिए और इस पूरे मामले को सभी संबंधित पक्षों को स्वीकार्य एक शांतिपूर्ण और सम्मानजनक हल निकालने हेतु पुनः संयुक्त राष्ट्र को भेजा जाना चाहिए। यह एक गंभीर मामला है। अतः मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से इसी समय प्रश्न-काल स्थगित करने का अनुरोध करता हूं।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): पूरा विश्व गठबंधन सेनाओं के नाम पर संयुक्त राज्य अमरीका और ब्रिटेन की गतिविधियों से चिंतित है। वे निहत्थे लोगों की हत्या कर रहे हैं। लाखों बच्चे मारे गए हैं। माताएं प्रतिदिन आंसू बहा रही हैं। वृद्धजन रो रहे हैं और अमरीकी हमले में उनकी पूरी पीढ़ी समाप्त हो रही है। हम सुरक्षा परिषद का सदस्य बनना चाहते हैं लेकिन इसी के साथ हम, भारत सरकार, इसके बारे में कतई चिंतित नहीं हैं। वे स्पष्ट वक्तव्य देने हेतु आगे नहीं आ रहे हैं। उन्होंने गुट निरपेक्ष आन्दोलन '(एन.ए.एम.)' की बैठक भी नहीं बुलाई है जिससे कि 'नेम' के नाम पर हम अमरीकी सेनाओं को दूसरे देश की जमीन से बाहर होने को कह सकें। हम यह नहीं कर रहे हैं।

इसी के साथ हम इसे दर्शकों की भांति देख रहे हैं। हमारे माननीय प्रधान मंत्री यह स्पष्ट वक्तव्य देने हेतु आगे नहीं आ रहे हैं कि भारत शांति का पक्षधर है, भारत किसी भी संप्रभु राष्ट्र पर आक्रमण के विरुद्ध है और संसार के लोगों को शांतिपूर्ण उपायों का पालन करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का सम्मान करना होगा। तथाकथित महाशक्ति द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में दिए गए कानूनी उपायों का कतई पालन नहीं किया जा रहा है। हमें संयुक्त राज्य अमरीका से क्यों भयभीत होना चाहिए जबकि पाकिस्तान का एक मिलियन डॉलर का ऋण माफ कर दिया जाता है और जब हमारे शत्रु को सभी सहायता दी जाती है? हमारे लोग, अर्थात भारतीय लोग कश्मीर में मारे जाते हैं। हमारे लोग तथाकथित आई.एस.आई. द्वारा महाराष्ट्र में मारे जाते हैं।

लेकिन संयुक्त राज्य को यह नहीं कह पाते कि 'देखो, तुम हमारी धरती पर सारी समस्या पैदा कर रहे हो और तुम सब जगह सारी समस्याएं पैदा कर रहे हो'। कल श्री, वाजपेयी को अमरीका द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से बदला जा सकता है और वे यह कह सकते हैं कि वे श्री वाजपेयी के प्रति चिंतित हैं। कांग्रेस दल ने अपनी कार्य-समिति में एक संकल्प पारित किया है। मुझे उसका एक भाग पढ़ने दें। इसमें कहा गया है कि:

> "कांग्रेस संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था को इराक द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक संकल्पों का पूर्णतया पालन करने हेतु एक अवसर दिए जाने के पक्ष में है। इराक ने स्वयं भी बार-बार इसकी पेशकश की है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रासंगिक संकल्प में इराक में नेतृत्व परिवर्तन की बात नहीं कही गई है अपितु उसमें इराक में शेष बचे व्यापक जनसंहार के हथियारों, यदि अभी भी कोई हैं तो, से इराक को निशस्त्र करने की बात कही गई है। इस लक्ष्य को उस निरीक्षण प्रक्रिया को पुनः बहाल कर हासिल किया जा सकता है जो एकतरफा सैनिक कार्यवाही, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुरूप नहीं है व जिसे संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद से भी मान्यता प्राप्त नहीं है, से पूर्व संतोषजनक तरीके से चल रही थी।"

अब मानवता केवल एक शक्ति की ओर ही क्यों देख रही है? अब प्रश्नकाल को स्थगित करना ही पड़ेगा क्योंकि अमरीकी सेना

द्वारा प्रत्येक मिनट के दौरान लोगों का जीवन बर्बाद किया जा रहा है। इसे रोका जाना चाहिए। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि प्रश्न काल को स्थगित किया जाना चाहिए और इस सदन को सुना जाना चाहिए। यह सदन सबसे बड़े लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है और इसकी बात पूरे विश्व और सारी मानवता द्वारा सुनी जानी चाहिए।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): महोदय, इराक और इराक के लोगों पर बर्बर सैनिक आक्रमण, जो कि सभी सभ्य मानदण्डों, अन्तर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का उल्लंघन करके किया गया है, की निंदा करने में भारत सरकार की असफलता से हम विश्व समुदाय में अलग-थलग पड़ गए हैं। निंदा करने में इस असफलता से हम न केवल अपने मित्रों से अपितु उभरती आम राय से भी अलग-थलग पड़ गए हैं। इराक हमेशा से हमारा मित्र रहा है और जब ऐसे देश पर आक्रमण हो रहा है और गत उन्नीस दिनों से जिस प्रकार से निर्दयतापूर्ण प्रतिदिन उस पर बमबारी हो रही है, हम इस सरकार से केवल इतनी मांग करते हैं कि वह इराक पर इस सैनिक आक्रमण, इस बर्बरतापूर्ण आक्रमण की निंदा तो करे। यह महान राष्ट्र, जिसकी साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष की एक महान और गौरवशाली विरासत रही है, जिसने साम्राज्यवाद-विरोध के मामले में विजय हासिल की थी, वह अपने पथ से हट रहा है। यह सरकार उस पथ से भारी भटकाव की परंपरा बना रही है। यह सर्वाधिक खेद की बात है। यह सरकार विश्व समुदाय में अधिकाधिक अप्रासंगिक होती जा रही है।

ऐसी परिस्थिति में हमने कार्य-स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिससे कि इस मामले पर तत्काल विचार किया जा सके। हमें मिलकर इस राय पर अपनी आवाज उठानी चाहिए और यह एक ऐसे संकल्प के माध्यम से प्रतिध्वनित होनी चाहिए जिसमें न केवल इस सैनिक आक्रमण की निंदा हो अपितु उनसे इस युद्ध या आक्रमण की कार्यवाही को रोकने के लिए भी कहा जाए और यह कि हर मुद्दे का निपटारा केवल संयुक्त राष्ट्र में ही होना चाहिए।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: हम एक पूर्ण बहस चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री रामविलास पासवान एक तर्क रखना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं वह तर्क सुन रहा हूं कि प्रश्न-काल क्यों स्थगित किया जाना चाहिए। श्री रामविलास पासवान अपना तर्क रख सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...*(व्यवधान)* वे क्या करना चाहते हैं? उन्होंने एक अनुपूरक कार्यसूची वितरित की है कि मंत्री जी एक वक्तव्य देने जा रहे हैं।

महोदय, अभी आपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर भी निर्णय नहीं लिया है। अत: जब पूरा सदन इस मुद्दे पर पूर्ण बहस करने की इच्छा रखता है तो फिर वे वक्तव्य देने हेतु एक अनुपूरक कार्यसूची कैसे वितरित कर सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय: इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने का मौका दीजिए। एक ही बात तो तीन-तीन, चार-चार बार कहा जा रहा है। आप हमें अपनी बात कहने का मौका नहीं दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: डा. विजय कुमार मल्होत्रा, यहां आठ संसद सदस्यों ने प्रश्न-काल स्थगित किए जाने हेतु सूचनाएं दी हैं। उन सब संसद सदस्यों को अनुमति देने के बाद मैं आपको अनुमति देने जा रहा हूं।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: हम अपोज तो कर सकते हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर): अध्यक्ष महोदय, पहली बात यह है कि जिस इश्यू पर आप चर्चा करवा रहे हैं कि क्वैश्चन आवर सस्पेंड किया जाए या नहीं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हमारे सामने यही प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान: उस इश्यू के ऊपर मंत्री जी द्वारा स्टेटमैंट देने संबंधी एक पेपर आपके सचिवालय द्वारा जारी किया गया है। मैं समझता हूं कि जब यह सदन का मामला है, तो सदन

को फैसला करना चाहिए कि इसे एडर्जमैंट मोशन के रूप में लिया जाये या पहले मंत्री जी वक्तव्य दें और उसके स्टेटमैंट के बाद चर्चा हो—यह उचित नहीं है।...*(व्यवधान)* मैंने क्वैश्चन आवर के सप्लेंशन का नोटिस दिया है। यह मामला सिर्फ इराक और अमेरिका तक सीमित नहीं है। अभी चार दिन पहले, जिन लोगों ने टी.वी. देखा है, उन्हें मालूम होगा कि राष्ट्रपति बुश ने कहा था कि हमको पहले इराक से निपटने दीजिए, उसके बाद हम हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का मामला सार्ट आउट करवायेंगे। विदेश मंत्री यशवंत सिंहा जी, इसका मतलब यह है कि हिन्दुस्तान-पाकिस्तान का मामला आप सार्ट आउट नहीं करेंगे, भारत का प्रधान मंत्री और पाकिस्तान का राष्ट्रपति यह मामला सार्ट आउट नहीं करेगा, जब अमेरिका वहां जीतेगा तब राष्ट्रपति बुश अपने टर्म्स पर हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का मामला या कश्मीर का मामला साल्व करने वाले हैं। उस समय आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं रहेगा कि संसार के सामने जाकर आप इसकी निंदा कर सकें। इसलिए यह मामला सिर्फ इराक का नहीं है। इराक हमारा दोस्त रहा है। वह मुस्लिम राष्ट्र है लेकिन हिन्दुस्तान-पाकिस्तान का मामला जब भी उठा, उसे रिलिजन को नहीं देखा और हमेशा हमारा साथ दिया। आज हमको सस्ते दर पर तेल मिल रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण इराक ही है। आज हमारे उस मित्र राष्ट्र के ऊपर हमला हो रहा है और हम यहां प्रवचन दे रहे हैं। आज वहां यू.एन.ओ. की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज यू.एन.ओ. की सिक्योरिटी काउंसिल बिल्कुल डिफेक्ट हो गयी है। ऐसी परिस्थिति में हम कहां खड़े हैं, यह देश और सदन को सोचने की आवश्यकता है।

मैं राष्ट्रपति बुश की निंदा करता हूं। हमने हिटलर को नहीं देखा, मुसोलिनी को नहीं देखा लेकिन हिटलर से भी विभत्स रूप आज राष्ट्रपति बुश में दिखाई पड़ रहा है।...*(व्यवधान)* जहां मैं राष्ट्रपति बुश की निंदा करता हूं वहीं मैं अमेरिकी जनता को सैल्यूट भी करता हूं क्योंकि अमेरिकी जनता बिना अपनी सरकार की परवाह किये रोड पर निकली है। आस्ट्रेलिया की जनता रोड पर निकली है। वहां की जनता प्रधान मंत्री का घेराव कर रही है, सरकार को घेर रही है। यू.के. की पार्लियामैंट का टी.वी. पर हमने सीन देखा है। वह सीन हमारे संसद के सीन से भी बदतर है, जिस तरीके से उन्होंने इराक के सवाल पर गुस्सा जाहिर करने का काम किया है। लेकिन हमें प्रधान मंत्री के वक्तव्य को देखकर अफसोस है। 12 मार्च को प्रधान मंत्री जी ने वक्तव्य दिया था, जब आपने स्पेशल केस में प्रधान मंत्री जी के वक्तव्य पर स्पष्टीकरण देने के लिए आपने उन्हें एलाऊ किया था। जब उसने स्पष्टीकरण मांगा गया तो प्रधान मंत्री जी ने लास्ट में यही कहा था—मैं आशा करता हूं कि युद्ध नहीं होगा इसलिए इस सवाल पर जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब माननीय सदस्यों ने हल्ला किया कि युद्ध होगा तब आप क्या करेंगे, मेरे बगल में श्री बसुदेव आचार्य जी बैठे हैं, उस समय उन्होंने कहा था कि आप इसकी निंदा क्यों नहीं करते। प्रधान मंत्री जी ने कहा - अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि एकतरफा कार्रवाई नहीं होगी। जब कुछ होगा तब निंदा करेंगे। यह 12 मार्च की बात है, जो रिकार्ड में है। प्रधान मंत्री जी ने तब कहा था कि हम निंदा करेंगे। उसके बाद प्रधान मंत्री जी ने आपोजिशन लीडर्स की एक बैठक बुलाई। उसमें भी आप निंदा प्रस्ताव पास नहीं करते हैं। आप कितनी दूरी तक जाना चाहते हैं? आपने स्वयं कहा था कि कुछ होगा तब हम निंदा करेंगे। आज वहां मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, मासूम नागरिक मारे जा रहे हैं। वहां कोई भी रासायनिक हथियार, वैपेन्स का पता नहीं चल पाया है। उसके बावजूद भी भारत सरकार की ढुलमुल नीति है।

मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। कवि दिनकर ने कहा था कि-

"समर शेष है, नहीं पाप का,
भागी केवल व्याध,
जो तटस्थ है समय लिखेगा,
उसका भी अपराध।"

इसलिए एन.डी.ए. की जो सरकार है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री हैं, मैं कहना चाहता हूं कि इतिहास भविष्य में आपको माफ नहीं करेगा। इतिहास में आपकी सरकार का नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, तमाम लोगों की नजर हम पर लगी हुई है।...*(व्यवधान)* इसलिए क्वैश्चन आवर सस्पेंड किया जाए और इराक पर अमरीका द्वारा हमला करके युद्ध करने के खिलाफ अमरीका की निंदा की जाए। ...*(व्यवधान)* महोदय, सदन में क्वैश्चन आवर सस्पेंड करके इस पर बहस कराई जाए और अमरीका की निंदा हो, ऐसा प्रस्ताव पारित होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इतने मैम्बर्स को भाषण करने का मौका देता हूं तो आप मुझे बोलने का मौका देंगे या नहीं देंगे। कृपया आप लोग बैठिए।

[अनुवाद]

मैंने माननीय सदस्यों की बातें सुनीं जिन्होंने इराक के मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त की। मैं इस विषय के महत्व को समझता हूं। मैं यह बात भी समझता हूं कि आमतौर पर हम प्रश्न काल को

स्थगित करने की अनुमति नहीं देते हैं। मेरे विचार से, चूंकि यह मुद्दा अत्यधिक गंभीर है, इसलिए इसे प्राथमिकता आधार पर लिया जा सकता है। मैं निर्णय लूं, इसके पहले डा. विजय कुमार मल्होत्रा ने कुछ बोलने की इच्छा व्यक्त की है, इसलिए समस्या की गंभीरता को देखते हुए मैं इन्हें प्रश्न काल स्थगित किये जाने के बारे में बोलने की अनुमति देता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, हम लोगों का कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जायें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, क्वैश्चन आवर मस्पेंड किया जाये।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मल्होत्रा जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जायें। मैं प्रश्नकाल को निलंबित करने का निर्णय लेने जा रहा हूं। लेकिन इस पर निर्णय लेने के पहले मैं श्री मुलायम सिंह और श्री सोमनाथ चटर्जी को भी बोलने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष जी, हम उनको बोलने से रोकना नहीं चाहते।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, मैं आपको भी इजाजत दूंगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब बहुत हो गया।

[हिन्दी]

यह आप लोग क्या कह रहे हैं? आप लोग क्या हाउस नहीं चलने देना चाहते। आप बैठिये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, आप सभापति तालिका के सदस्य हैं। आपको समझना चाहिए।

[हिन्दी]

आप समझते नहीं हैं। आप इतने पुराने मैम्बर हैं। आप बैठिए। मल्होत्रा जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: केवल मल्होत्रा जी की बात रिकार्ड पर जाएगी। बाकी और किसी का रिकार्ड पर नहीं जाएगा। नारे भी रिकार्ड पर नहीं जाएंगे।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: रघुवंश जी, ऐसा मत सोचिए कि आपकी आवाज ज्यादा है, इसलिए आप कभी भी बोल सकते हैं। यह बात अच्छी नहीं है। दो बार मैंने आपको सुना है, बार-बार नहीं सुनूंगा। मल्होत्रा जी, मैं आपको इजाजत देता हूं आप बोलिए।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, इराक पर अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा जिस प्रकार बर्बर कारवाई की गई है, उसकी जिन शब्दों में यहां पर आलोचना और निंदा की गई, मैं उससे कहीं ज्यादा कठोर शब्दों में अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा इराक पर किए गए आक्रमण की निंदा करता हूं। इस विषय पर सारा देश एकमत है। अमेरिका और ब्रिटेन ने न केवल इराक पर आक्रमण किया...*(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, अमेरिका और ब्रिटेन को किसी ने यह अधिकार नहीं दिया कि वह यू.एन.ओ. को इर्रेलेवेंट करें।

श्री कांति लाल भूरिया (झाबुआ): यह बात प्रधान मंत्री जी को कहनी चाहिए।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं अपनी पार्टी का व्यू रख रहा हूं। सरकार को जो कहना है वह कहेगी।

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न काल सस्पेंड हो या न हो, इस बारे में कहें।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं वही कह रहा हूं कि अमेरिका और ब्रिटेन दुनिया के कोई दरोगा नहीं हैं, वे दुनिया के मालिक नहीं बन बैठे हैं। यू.एन.ओ. को एक तरफ करके बिना उसकी अनुमति के दूसरे देश पर हमला करना यह यू.एन.ओ. की भी हत्या के समान है, मानवता की हत्या है तथा सभ्यता के खिलाफ है। जब सारा देश इस विषय पर एक है तो हम इस बात पर क्यों आपस में मतभेद पैदा कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से प्रस्ताव आना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वह इस सभा के सदस्य हैं। उन्हें बोलने का पूरा हक है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: डा. विजय कुमार मल्होत्रा, आप जो भी कह रहे हैं वह रिकार्ड हो रहा है। आप अपनी बात कहते रहें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: उनको अधिकार है बोलने का। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको ही अधिकार हो, उनको न हो। आप बैठिए और मल्होत्रा जी आप अपनी बात खत्म करें।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: जब ये सब लोग बोल रहे थे, तो हमने किसी को बीच में नहीं टोका था। यह नहीं चल सकता कि इनकी बात हम सुनें और ये हमारी बात न सुनें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप जो कहेंगे, वही रिकार्ड पर जाएगा। आप बोलते रहें।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: चाहे सद्दाम हो, चाहे बिन लादेन हो या अल कायदा हो, इन सबको पैदा करने वाला अमेरिका ही है। अमेरिका ने ही पहले तालिबान और बिन लादेन को पैदा किया और उनको हथियार दिए। अमेरिका ने ही ये भस्मासुर पैदा किए। पहले वह भस्मासुर पैदा करता है और बाद में हमला करता है। इराक में इन्नोसैंट लोग और बच्चे मर रहे हैं इसलिए युद्ध बंद होना चाहिए। मुझे आश्चर्य होता है कि जब इस तरह की कहानियां प्रकाश में आ रही हैं कि वहां छोटे-छोटे बच्चे युद्ध में मारे जा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, तो उनके ऊपर हम क्यों राजनीति कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: यह घोर आपत्तिजनक है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मुझे इस पर पूरी तरह ऐतराज है...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): अध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: डा. विजय कुमार मल्होत्रा, प्रश्न-काल का निलंबन करने के बारे में आपकी क्या राय है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: हमारी पार्टी सत्ता में है। *...(व्यवधान)* कभी ये लोग कहते हैं कि प्रधान मंत्री जी को निंदा करनी चाहिए। हमारी पार्टी ने इन्दौर में एक प्रस्ताव पास किया है। हम चाहते हैं कि लड़ाई बंद हो, लेकिन क्या एक घंटे में प्रश्न काल के चले बिना, यहां प्रस्ताव पास करने से ही अमेरिका युद्ध बंद कर देगा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा ने जो कहा है उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: किसी भी नारे को कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित न किया जाये।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अमेरिका ने पाकिस्तान का पहले एक करोड़ डालर का कर्जा माफ किया और अब पांच हजार करोड़ रुपए का कर्ज भी पाकिस्तान का माफ कर दिया - यह किस खुशी में किया है।...*(व्यवधान)*

इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस पर हम कोई राजनीति न करें। सारा देश एक है और सभी को अपनी बात कहने की इजाजत दी जाए।...*(व्यवधान)* क्वैश्चन आवर अगर सस्पैंड हो जाएगा तो क्या लड़ाई बंद हो जाएगी, युद्ध बंद हो जाएगा? *...(व्यवधान)* आप यहां राजनीति क्यों कर रहे हैं। आपको इराक में मरने वाले छोटे-छोटे बच्चों से भी हमदर्दी नहीं है। आप बच्चों की हत्या के ऊपर यहां राजनीति कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, आप बोलिये।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: मुलायम सिंह जी, हम आपकी बात आराम से सुनते हैं लेकिन आपके आदमी जब हम बोलते हैं तो खड़े हो जाते हैं।

---

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये। श्री मुलायम सिंह यादव को बोलने दीजिये।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष जी, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल आज सदन के सामने कोई नहीं हो सकता है। आज यह सवाल केवल इराक का नहीं रह गया है बल्कि पूरी दुनिया को इससे खतरा पैदा हो गया है। यूएनओ की अवहेलना करके अमरीका ने इराक पर हमला किया है। यूएनओ के निरीक्षकों द्वारा प्रथम रिपोर्ट 27 जनवरी को, दूसरी रिपोर्ट 25 फरवरी को और तीसरी रिपोर्ट 7 मार्च को सुरक्षा परिषद को भेजी गयी कि इराक हथियार निरीक्षकों को सहयोग कर रहा है तथा निरीक्षकों ने यह भी साफ कह दिया कि वहां कहीं भी घातक हथियार नहीं मिले, फिर भी हमला किया गया। इसमें किसी भी दल की तरफ से राजनीति नहीं की जानी चाहिए। यह किसी दल विशेष या पक्ष विशेष का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि यह हमला इराक तक सीमित नहीं है। कल हमारे देश का सबसे बड़ा अपमान तब हुआ जब अमरीका ने धमकी दी कि आतंकवाद के नाम पर भारत पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकता। यह अमरीका की पूरी तानाशाही है। वह इराक तक सीमित नहीं रहेगा। मैं रामदास जी से सहमत हूं कि वह पाकिस्तान के बहाने हिन्दुस्तान पर हमला करेगा और पाकिस्तान की मदद करेगा। इसलिए मल्होत्रा साहब, हम राजनीतिक रोटियां नहीं सेक रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि आज इससे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल सदन के सामने दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए प्रश्नकाल स्थगित करना चाहिए और सदन को अमरीका की कार्यवाही के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करना चाहिए। निंदा प्रस्ताव ही नहीं, बल्कि अमरीका को युद्ध अपराधी भी घोषित करना चाहिए। आज हिन्दुस्तान को मौका मिल रहा है कि हिंदुस्तान गुटनिरपेक्ष देशों का नेतृत्व करें। उन्हें एक मंच पर एकत्रित करें। इससे अमरीका द्वारा की गयी कार्यवाही के खिलाफ दुनिया के जितने भी पिछड़े और गरीब देश हैं, गुटनिरपेक्ष देश हैं, उनमें हिम्मत बंधेगी। जब भी कोई महत्वपूर्ण मामला आया है तो इराक ने हमेशा भारत का साथ दिया है जबकि अमरीका ने महत्वपूर्ण मामलों पर हमेशा ही भारत को उलझाया है। इसलिए यहां आजादी का सवाल नहीं है बल्कि सारे गुटनिरपेक्ष देशों को इकट्ठा करके भारत को उनका नेतृत्व करना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करना चाहती तो हम विपक्ष से कहेंगे कि उन्हें एकजुट होकर, गुट निरपेक्ष देशों को दिल्ली या किसी स्थान पर आमंत्रित करके, अमरीका के खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए। आज हिंदुस्तान को मौका है, वह नेतृत्व कर सकता है लेकिन यह सरकार पता नहीं क्यों पीछे हट रही है। हां, ठीक है, आपकी पार्टी कुछ प्रस्ताव पास कर रही है लेकिन पूरी दुनिया की जनता अमरीका के इस कृत्य और अपराध के खिलाफ है, वह अमरीका को अपराधी मानती है, उसने अपराध किया है और हम भी अमरीका को अपराधी मानते हैं।

उसने अपराध किया है। दो महीने, छः महीने के बच्चे, गर्भवती औरतें, बूढ़े और नौजवान—न जाने कितने हजारों की संख्या में वह निर्दोषों हत्या कर रहा है। अमरीका की जनता, इंग्लैंड की जनता और सारी दुनिया की जनता आज सड़कों पर है और विरोध कर रही है, इसलिए इस सरकार को इस अवसर को नहीं गवाना चाहिए। निन्दा के प्रस्ताव तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हम तो कहेंगे कि कम से कम यह सरकार फैसला करे कि देश मे जितना भी अमरीका द्वारा निर्मित सामान है, उसको लेना बंद करे। कम से कम यही काम करें, तो अमरीका अपने आप ठीक हो जाएगा। हम तो कहेंगे कि अगर सरकार ऐसा नहीं है, तो विपक्ष के लोग जहां कहीं भी अमरीका का सामान है, वहां आग लगाना शुरू कर दें। उस सामान का बहिष्कार करना चाहिए। अमरीका दादागिरी कर रहा है। भारतवर्ष किसी से कमजोर नहीं है, लेकिन हिंसा की भावना जनता में पैदा की जा रही है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण, इससे ज्यादा गम्भीर और इससे ज्यादा खतरनाक अन्य कोई मामला नहीं हो सकता है। हिन्दुस्तान को इस घटना से सबसे ज्यादा खतरा है। लड़ाई से सबसे ज्यादा नुकसान हिन्दुस्तान को है।

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आप कृपा करके इस महत्वपूर्ण सवाल को गम्भीरता से लेते हुए प्रश्न-काल को स्थगित कर इस विषय पर तुरन्त चर्चा करनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, यह बात सच कही गयी है कि हम विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं। मैं आर सबसे बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि क्या आज विश्व के सामने इससे अधिक कोई महत्वपूर्ण मुद्दा विचार के लिए है सिवाय इस आक्रमण के जो इराक पर किया गया है और जिसका आज 19वां दिन है। हम इस मुद्दे पर तुरंत चर्चा कराये जाने की मांग क्यों कर रहे हैं? इस आक्रमण पर हमारी क्या प्रतिक्रिया रही है।

पहले, यह निर्णय लिया गया था कि हम बीच का रास्ता अपनाना चाहते हैं। यह बीच का रास्ता क्या होगा। यदि युद्ध हो रहा है, तो आपको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। माननीय प्रधानमंत्री ने इस पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया। उसके बाद जब इसकी निंदा के लिए कहा गया, उन्होंने कहा 'जब युद्ध शुरू होगा तब हम इसकी निंदा करेंगे।' इस तरह इसकी निंदा नहीं की गयी।

मुझे अच्छी तरह याद है, जब इस मुद्दे पर विचार के लिए सर्वदलीय बैठक बुलायी गयी तो राजग के घटक दलों—

श्री चन्द्रकांत खैरे और कई अन्य सदस्यों ने सर्वसम्मति से कहा, ''हमें इसकी निंदा करनी चाहिए और एक संकल्प पारित करना चाहिए''। मुझे पक्का विश्वास है कि मेरे मित्र जो वहां उपस्थित थे, मेरी बात का समर्थन करेंगे। लेकिन तब भी उन्होंने केवल 'डिप्लोर' शब्द पर सहमति व्यक्ति की। हमने कहा कि हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। हम कैसे मान सकते हैं कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है।

महोदय, आज हमें समस्याएं दूसरे के नजरिये से देखनी पड़ती है। मुझे स्वयं को भारतीय कहते हुए शर्म आती है क्योंकि अमरीकी सरकार, अमरीकी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या कोई और व्यक्ति हमारे माननीय विदेश मंत्री को धमका रहे हैं, उनके वक्तव्य को चुनौती दे रहे हैं, 'नहीं, आप वह नहीं कह सकते आप वह नहीं कर सकते'। यह उनकी दादागिरी है। वे तो किसी को अपना दुश्मन करार दे सकते हैं और उस पर आक्रमण कर दे सकते हैं। इराक जैसे मित्र राष्ट्र को बरबाद किया जा रहा है। बच्चे और निरपराध लोग मारे जा रहे हैं।

महोदय, हमारे इस महान देश में क्या हो रहा है। हम चुप बैठे हैं। इस मुद्दे पर मतैक्य न होने के बावजूद मुझे लगता है कुछ हो रहा है। इन्दौर में क्या हुआ। तथापि, वह भारत सरकार की प्रतिक्रिया नहीं कही जा सकती...*(व्यवधान)* क्या यह देश चुपचाप बैठा रहेगा। क्या देश के इस सबसे बड़े मंच पर हम चुप बैठे रहें और प्रश्न-काल में उलझे रहे? यह केवल प्रश्न-काल को स्थगित करने का सवाल नहीं है अपितु इस महान देश के दृढ़ संकल्प की बात है। पिछली अन्तर-सत्रावधि के दौरान हमने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक में सरकार से बार-बार अनुरोध किया था और आज भी अनुरोध कर रहे हैं। लेकिन सरकार इस पर पूरी तरह से गुमसुम है। इराक पर इस आक्रमण और इराक की वर्तमान स्थिति पर सरकार यदि कोई प्रारूप निंदा प्रस्ताव लाती तब तो बात समझ में आती। यदि सरकार के पास अमेरिका के विरुद्ध खड़े होने का साहस होता, तो वह इस खुल्लम-खुल्ला आक्रमण की निंदा का प्रस्ताव लाती। इतना ही नहीं, कम से कम हमारे देश को इराक में कुछ न कुछ मानवीय सहायता तो भेजनी ही चाहिए थी। क्या सरकार ने ऐसा किया? हमने सोचा था कि सरकार इस युद्ध पर सैद्धान्तिक आपत्ति दिखाने के लिए और लोगों की रक्षा के लिए अपनी सेनाएं भेजेगी। लेकिन यह सरकार एकदम चुप बैठी है और आज हमें डा. विजय कुमार मल्होत्रा के भाषण सुनने पड़ रहे हैं, वह जो भी कह रहे हैं...*(व्यवधान)*

आपको सुनना ही होगा, क्योंकि आपको कुछ न कुछ तो समझदारी दिखानी ही होगी। यह बहुत हो चुका।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: आपको भी सुनना होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी: हां आज मैं यह बात जान जाता लेकिन सरकार चुप बैठी है। वह भाजपा के प्रवक्ता होंगे, लेकिन सरकार के प्रवक्ता नहीं हैं। ये मंत्री क्या कर रहे हैं? यदि कोई विरोध करेगा तो मंत्री पद से हाथ धो बैठेगा। मैं श्री राम नाईक, जो मेरे अच्छे मित्र हैं, और जिन्होंने संसद में 25 वर्ष पूरे किये हैं, उन्हें बधाई देता हूं, लेकिन उन्हें इराक के निरपराध लोगों की रक्षा के लिए लड़ना चाहिए।

महोदय, यह पूरी तरह से दादागिरी हैं, यह नीति, यह सिद्धान्त की किसी देश का शासन इसलिए बदलना है क्योंकि अमरीका उसे नहीं चाहता है। क्या यह अंतर्राष्ट्रीय नियम बनने जा रहा है। श्री दिग्विजय सिंह उन बैठकों में जाते हैं लेकिन चुप्पी साधे हुए हैं। वह कुछ भी नहीं कहते...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया): मैं वामपंथी दलों से यह पूछना चाहता हूं कि...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: इसलिए हमारी मांग है कि इस पर तुरन्त चर्चा करवाई जाये। हमारी मांग है कि यह सभा इस बारे में एक संकल्प पारित करे ताकि भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट हो सके...*(व्यवधान)* हम इसका विरोध करते हैं, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। हम अमरीकी सेना की वापसी की मांग करते हैं। इराक पर आक्रमण करने वाली सेना की वापसी होनी चाहिए। हमारी यही मांग है।

अध्यक्ष महोदय: प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु।

...(व्यवधान)

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे): महोदय, ये कम्युनिस्ट चीन का खुलेआम समर्थन कर रहे थे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जायें।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, इनका रवैया यह है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): भारतीय जनता पार्टी ने अमेरिका को कन्डेम किया।...*(व्यवधान)* लेकिन आपने 1962 में क्या किया था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु।

...(व्यवधान)

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली): अध्यक्ष महोदय, अमरीका और गठबंधन सेनाओं द्वारा इराक पर आक्रमण की प्रत्येक लोकतांत्रिक देश द्वारा निंदा की जानी चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

...(व्यवधान)

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलुः महोदय, मैं विशेषरूप से सोचता हूं...*(व्यवधान)* महोदय, तेलुगु देशम पार्टी सोचती है कि भारत के गुणों की अभिव्यक्ति तो पहले ही हो चुकी है और इसे किये जाने की आवश्यकता है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया बैठ जायें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैंने श्री वेंकटेस्वरलु को बोलने की अनुमति दी है। आपका व्यवस्था का प्रश्न है परंतु आपकी पार्टी के सदस्य हो आपको व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः वह व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाइंः महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न नियम 58 के अंतर्गत है...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः वह प्रश्न-काल के दौरान व्यवस्था प्रश्न कैसे उठा सकते हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न-काल अभी शुरू नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदयः हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि प्रश्न-काल निलम्बित किया जाए या नहीं।

...(व्यवधान)

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलुः महोदय, टीडीपी ने अपनी पोलित ब्यूरो की बैठक और साथ ही राज्य की कार्यकारी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः प्रो. वेंकटेस्वरलु की बात समाप्त होने के बाद मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलुः माननीय अध्यक्ष महोदय, इराक पर अमरीकी और ब्रिटेन की गठबंधन सेना के अकारण आक्रमण की निंदा जितनी जल्दी हो सके की जानी चाहिए। महोदय, यह ऐसा प्रश्न नहीं है कि...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमनः अध्यक्ष महोदय, आप हाउस को व्यवस्थित कीजिए। ये लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। जब इंदौर में इनकी सरकार ने प्रस्ताव पारित कर दिया और इसकी निंदा की है तो फिर सरकार को क्या दिक्कत है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कृपया सभा में व्यवस्था बने रहने दीजिए। सभी को बैठ जाने दीजिए। श्री वेंकटेस्वरलु, मैंने आपको बोलने की अनुमति दी है। आप अपनी बात जारी रखिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैंने श्री वेंकटेस्वरलु को बोलने की अनुमति दी है। उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः इस विषय में जब बहस होगी, तब आप बोलिये।

[अनुवाद]

मैं आपको चर्चा आरंभ होने पर बोलने की अनुमति दूंगा, अभी नहीं।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलुः महोदय, हाल ही में तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) की पोलित ब्यूरो की बैठ और साथ ही राज्य कार्यकारिणी की बैठक में ब्रिटेन और अमरीका के रवैये और उनके इराक पर जानबूझ कर किए गए हमले की संक्षेप में निंदा की गई। यहां यह आक्रमण केवल इराक के सैन्य बलों पर नहीं है अपितु यह हमला और आक्रमण समस्त विश्व के मानवीय पक्ष

पर भी है। यह आक्रमण किसी सर्वोच्च शक्ति का आधिपत्य स्थापित करने के लिए किया गया है। महोदय, यह आक्रमण संयुक्त राष्ट्र के मानदंडों के उल्लंघन का परिणाम है। यह आक्रमण सभी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। महोदय, संपूर्ण विश्व को 'अमरीकी मानदंडों' से तो निर्देशित नहीं किया जा सकता। इसलिए जितना शीघ्र हो सके हमें इसकी निंदा करनी चाहिए। महोदय, यदि सरकार ने हमले के दूसरे ही दिन इस मामले पर निंदा करने हेतु विशेष सत्र बुलाया होता तो टीडीपी को बहुत प्रसन्नता हुई होती। यह निंदा विशेष अवसर पर देश की एकजुटता की भावना को प्रदर्शित करती है। यह प्रश्न केवल प्रश्न-काल के स्थगन का ही नहीं है अपितु हमें इसे स्थगित करना ही होगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। इस सत्र के पुन: समवेत होने पर भी यदि हम इस बर्बरतापूर्ण रवैये की तत्काल निंदा नहीं करते हैं और अपना समय कार्य-प्रक्रियाओं में नष्ट करते हैं कि प्रश्न-काल निलम्बित किया जाए या नहीं तो फिर विश्व समुदाय हमें माफ नहीं करेगा। इसलिए टीडीपी की ओर से मैं यह कहना चाहता हूं कि कार्य-प्रक्रिया के मामले पर अड़े रहे बिना स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए और इस मुद्दे पर चर्चा की जानी चाहिए। हमें इस मामले पर अपनी एकजुटता व्यक्त करनी चाहिए। यह प्रश्न केवल विपक्षी दलों द्वारा स्थगन मामलों को उठाने का ही नहीं परंतु यह और भी अच्छा होता यदि सत्तारूढ़ दल स्वयं स्थगन प्रस्ताव लाकर एक बहुत अच्छी परम्परा स्थापित करता।

श्री खारबेल स्वाइं: महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न-काल है। मैंने पहले ही कहा है कि प्रश्न-काल को आरंभ होने दीजिए। इसलिए यहां व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते क्योंकि प्रश्न-काल के दौरान हम व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं देते।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाइं: महोदय, मैंने व्यवस्था का प्रश्न, प्रश्न-काल आरंभ होने से पूर्व ही उठाया था। आपने मुझसे कहा था कि मुझे बाद में अनुमति दी जाएगी। आपने स्वयं कहा था कि प्रश्न-काल आरंभ नहीं हुआ है और आप सिर्फ माननीय सदस्यों से राय मांग रहे हैं कि प्रश्न-काल स्थगित किया जाए या नहीं। आपने यही कहा था, महोदय।

मध्याह्न 12.00 बजे

आपने कहा था कि आप मुझे प्रो. वेंकटेस्वरलु के विचारों को सुनने के बाद अनुमति देंगे। महोदय, 'व्यवस्था का प्रश्न' को अन्य प्रक्रियाओं पर वरीयता मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: यदि आप स्थगन प्रस्ताव से संबंधित व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं तो इसकी अनुमति दी जा सकती है।

श्री खारबेल स्वाइं: महोदय, यही तो बात मैं उठा रहा हूं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न नियम 58 से संबंधित है, और मैं नियम पढ़ रहा हूं।

> "अविलम्बनीय लोक-महत्व के किसी निश्चित विषय पर चर्चा करने के प्रयोजन से सभा को स्थगित करने के प्रस्ताव का अधिकार निम्नलिखित निर्बन्धन के अधीन होगा, अर्थात्:-"

...(व्यवधान)

श्री अनिल बसु (आरामबाग): महोदय, क्या आपने उनको बोलने की अनुमति दी है?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आप जो कुछ भी नियम यहां उद्धृत कर रहे हैं वह सूचना की स्वीकृति से संबंधित है, न कि स्थगन से। इसलिए यह अप्रासंगिक है। हम प्रश्न-काल के निलम्बन की चर्चा कर रहे हैं न कि स्थगन प्रस्ताव की सूचना की स्वीकृति की चर्चा हो रही है। इसलिए यह अप्रासंगिक है...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं: फिर महोदय, पैरा पांच पर आते हैं जहां पर नियम कहता है:

> "प्रस्ताव द्वारा ऐसे विषय पर फिर चर्चा नहीं की जायेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा की जा चुकी हो"

हमने इराक से संबंधित इस मामले पर 17 फरवरी को इसी बजट सत्र जो अभी चल रहा है, में चर्चा की थी। सत्र के प्रथम भाग में हमने इस मामले पर पहले ही चर्चा की थी। इसलिए, उसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव नहीं हो सकता जिस पर बजट सत्र के प्रारंभ होने के प्रथम दिन अर्थात् 17 फरवरी को इस विषय पर पहले ही चर्चा हुई थी। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि एक ही विषय पर पुन: स्थगन प्रस्ताव कैसे हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

श्री खारबेल स्वाइं: स्थगन प्रस्ताव के नाम पर एक दिन पहले ही व्यर्थ जा चुका है और इस मुद्दे पर सभी बोल चुके हैं। फिर एक ही बात को पुन: दोहराने की आवश्यकता क्या है? जो सदस्य इस मामले पर बोलना चाहते हैं पहले ही बोल चुके हैं। चूंकि एक ही विषय पर पहले चर्चा हो चुकी है इसलिए अब इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने का कोई अर्थ नहीं है। यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और मैं आपका इस पर विनिर्णय चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपके व्यवस्था के प्रश्न में कोई तथ्य नहीं है। कृपया बैठ जाइए। मैं श्री राशिद आलवी को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाइं: इस मामले पर पहले ही चर्चा हो चुकी है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने स्थगन प्रस्ताव और साथ ही नियम 58 को भी पढ़ा है, और यह उसी नियम के अंतर्गत आता है। मैंने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है और यह स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं है। सभा से समक्ष जो प्रश्न है वह पूर्णत: भिन्न है। इसलिए इस समय मैं आपका व्यवस्था का प्रश्न ठीक नहीं मानता हूं।

श्री खारबेल स्वाइं: फिर कृपया मुझे यह मुद्दा पुन: उठाने की अनुमति दीजिए...*(व्यवधान)*

सरदार सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर): कृपया मुझे भी बोलने का मौका दीजिए।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): सर, यह इंतिहाई सीरियस मामला है और इसे सिर्फ हमारा मुल्क हिन्दुस्तान ही अकेला मुतास्सिर नहीं हो रहा है, इस वाकये से पूरी दुनिया मुतास्सिर हो रही है। आज पूरी दुनिया परेशान है जो कुछ अमेरिका इराक पर कर रहा है। हमारी पोजीशन और ज्यादा सीरियस हो जाती है। पूरी दुनिया के नक्शे पर इराक की एक अलहदा हस्ती है। हिन्दुस्तान पर जब-जब परेशानी आई है, इराक ने हमारा साथ दिया है। जब 1965 की जंग हुई तो इराक हमारे साथ खड़ा हुआ। 1971 की लड़ाई हुई तो इराक हमारे साथ खड़ा था। यू.एन. में जब कश्मीर का मुद्दा आया तो इराक ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, हिन्दुस्तान का साथ दिया। आज ऐसे मौके पर जब इराक की एक्जिस्टैन्स खत्म हो रही है,...*(व्यवधान)*

डा. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा): ट्रांसलेशन नहीं आ रहा है। उर्दू के शब्द मुतास्सिर का मतलब समझाइए।

श्री राशिद अलवी: आज ऐसे मौके पर जब इराक में हजारों इंसान मारे जा रहे हैं, बेगुनाह औरतें और बच्चे मारे जा रहे हैं और अमेरिका बार-बार कह रहा है कि अगर पूरी दुनिया भी मेरी मुखालफ़त करेगी तो में इराक को छोड़ने वाला नहीं हूं।

महोदय, आज अमरीका कह रहा है कि मैं यूनाइटेड नेशन्स की परवाह भी नहीं करने वाला हूं। यह इतना संजीदगी का मामला है कि अगर युनाइटेड नेशन्स की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई, तो इस दुनिया के अंदर अमन और शांति कौन रखेगा? आज अमरीका ने पूरी दुनिया से चीथड़े बिखेर दिए हैं। उसने यूनाइटेड नेशन्स के चीथड़े बिखेर दिए हैं। मैं बहुत संजीदगी के साथ यह बात कहना चाहता हूं कि अमरीका की फेहरिस्त में अफगानिस्तान के बाद इराक है। इराक के बाद भी, ऐसा नहीं है कि अमरीका खामोश हो जाएगा। अमरीका की फेहरिस्त में इराक के बाद सीरिया है, फिर ईरान है। अमरीका की फेहरिस्त में हिन्दुस्तान भी है। पाकिस्तान का वह हर तरह से साथ देता आया है। आज भी एक बिलियन डालर की सहायता पाकिस्तान को देने के लिए तैयार है। अफगानिस्तान पर जब अमेरिका ने हमला किया था, तो हमने कहा था कि हमारी जमीन भी ले लो, आसमान भी ले लो और हमारे हवाई अड्डे भी इस्तेमाल कर लो, लेकिन अमरीका ने हमें जलील करने का काम किया। उसने हमारी मदद नहीं ली।

अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी हुई जब विजय कुमार मल्होत्रा साहब ने अभी-अभी कहा कि तालिबान भी उसी ने पैदा किया, बिल लादेन भी उसी ने पैदा किया और उनका नाम लेकर अफगानिस्तान को लेकर तबाह किया। मुझे लगता है कि अब इधर थोड़ी-थोड़ी तब्दीली आ रही है। इराक के मामले में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अमरीका और इराक की लड़ाई में बहुत सारे राजनीतिक दल यह सोच रहे हैं कि यदि हम इसका साथ देंगे तो हमें वोटों का फायदा मिलेगा और अगर हम उसका साथ देंगे, तो नुकसान होगा। राजनीति, इराक जैसे सैंसिटिव मामले पर नहीं होनी चाहिए। इराक के बेगुनाह लोगों का साथ हमें देना चाहिए। इस जंग को हमें पूर अलफाज में कंडैम करना चाहिए और सरकार को इसका विरोध करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो अलवी जी सरकार का साथ दे रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार से इराक युद्ध को कंडैम करने की बात कह रहे हैं। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, अलवी जी, दोहरा आचरण अपना रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): अध्यक्ष महोदय, जीरो आवर शुरू हो चुका है। प्रश्न-काल समाप्त हो चुका है। मेरा आग्रह है कि इस बस को चलाने से पहले जीरो आवर को सस्पेंड कर दीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: देखिए हम लोग बहुत इम्पौर्टेंट विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस विषय पर एक यूनैनिमस रिजोल्यूशन पास करने की आवश्यकता है। सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि क्या एक सर्वसम्मत संकल्प स्वीकार

किया जा सकता है इस पर विचार किया जाए। मैं हर माननीय सदस्य के सुझाव सुन रहा हूं। राशिद अलवी जी आप अपनी बात पूरी कीजिए।

श्री राशिद अलवी: सर, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): अध्यक्ष महोदय, बुनियादी तौर पर आप इस बारे में विचार सुनना चाहते थे कि क्वैश्चन आवर को सस्पेंड किया जाए या नहीं। अब तो क्वैश्चन आवर पूरा हो गया है। इसलिए अब प्रश्न यह नहीं रह गया है कि क्वैश्चन आवर को सस्पेंड किया जाए या नहीं, बल्कि अब तो आपकी ओर से यह निर्णय आना बाकी है कि इस मामले पर आप डिसकशन अलाऊ कर रहे हैं या नहीं और यदि कर रहे हैं, तो कब, और वह डिसकशन किस रूप में होगा, इस पर आपका निर्णय आना चाहिए। क्वैश्चन आवर का समय समाप्त हो चुका है।...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): अध्यक्ष महोदय, क्वैश्चन-आवर आप सिद्धान्त रूप में सस्पेंड होना स्वीकार करें।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, प्रश्न-काल निलंबित करने की सूचना का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि प्रश्न काल का समय समाप्त हो चुका है। अब आपके सामने केवल यही मुद्दा शेष है कि कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को स्वीकार किया जाए या नहीं। हम इसके औचित्य पर विवाद नहीं कर रहे हैं...*(व्यवधान)* देखते हैं कि सरकार की इस क्या प्रतिक्रिया है। फिर इस मुद्दे को निपटाया जा सकता है...*(व्यवधान)* अब कार्य स्थगन प्रस्ताव पर निर्णय दिया जा सकता है...*(व्यवधान)*

श्री आदि शंकर (कुड्डालोर): महोदय, इस मुद्दे पर हमारी भी कुछ भावनाएं हैं। कृपया हमें भी बोलने की अनुमति दें...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, हमारा कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस है। प्रश्न का समाप्त हो गया है। हमारी आपसे प्रार्थना है कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: मैं अपनी पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि इराक पर अमेरिका की जो जंग चल रही है, उसे यहां पर यूनेनीमसली कंडम करना चाहिए और हमें कहना चाहिए कि अमेरिका आज इराक के साथ जो कर रहा है, वह यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के खिलाफ है। वह दुनिया में अमन और शांति के लिए एक बड़ा खतरा है। उसकी जितने सख्त अल्फाज के साथ हम मज़म्मत कर सकें, वह मज़म्मत हमें करनी चाहिए।

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): अध्यक्ष महोदय, अमेरिका ने इराक पर जो हमला किया, उसकी सारे विश्व में निंदा हो रही है। यह बहुत चिंता का विषय है। आल पार्टीज की जब मीटिंग हुई थी। ...*(व्यवधान)* आप बैठिये, मैं अभी बोल रहा हूं। ...*(व्यवधान)* आल पार्टीज की मीटिंग के समय हमने अपनी पार्टी शिव सेना की भूमिका रखी थी। माननीय बाला साहेब ठाकरे जी ने जो कहा था, वह भी मैंने वहां कहा था। मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार इस विषय को बहुत गंभीरता से ले। सारे हिन्दुस्तान में यह चिंता का विषय बना हुआ है। इराक पर हमला हुए आज 19 दिन हो गये हैं। अगर 19 दिनों तक हम यह चर्चा न करें कि उसमें हिन्दुस्तान की भूमिका क्या है तो यह ठीक नहीं होगा। यह मामला बढ़ता जा रहा है। अमेरिका अपनी मस्सल पावर, मनी पावर के कारण इराक पर युद्ध कर रहा है इससे सारे विश्व में चिंता पैदा हुई है। हम अमेरिका की निंदा करते हैं। इस पर सदन में पूरी गंभीरता के साथ चर्चा होनी चाहिए। उस चर्चा के समय हम अपने मुद्दे रखेंगे।...*(व्यवधान)* प्रश्न-काल तो खत्म हुआ, सभी जीरो आवर भी खत्म होगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह विनती करूंगा कि इस विषय पर त्वरित चर्चा शुरू की जाये।...*(व्यवधान)* हम समर्थन क्यों वापिस लें? इस पर त्वरित चर्चा शुरू की जाये क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): इसके बारे में शिव सेना प्रमुख श्री बाला साहेब ठाकरे ने सबसे पहले कंडम किया था। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे: आपसे पहले उन्होंने कंडम किया था। मैं कहन चाहता हूं कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए और जल्द से जल्द चर्चा शुरू होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री आदि शंकर: महोदय, भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी के दो लोग बोले हैं। मैं और कितने लोगों को बोलने की परमीशन दे सकता हूं?

...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट लूंगा। *...(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय, सरकार एक निंदा प्रस्ताव लाये और उस पर यहां बहस हो।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया यह स्मरण रखें कि सरकार भी यह सोच रही है कि क्या इस मुद्दे पर एक सर्वसम्मत संकल्प स्वीकार किया जा सकता है। शायद वे अन्य लोगों से भी परामर्श कर रहे हैं और उसके लिए कुछ समय की आवश्यकता है। इसलिए, मैं संसद सदस्यों को बोलने की अनुमति दे रहा हूं जिससे कि मैं सदन के प्रत्येक पक्ष की राय जान सकूं। कृपया मेरे साथ सहयोग करें। जैसे ही हम इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि हम एक सर्वसम्मत संकल्प पारित कर सकते हैं, इस मामले का निर्णय हो जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान: महोदय, संकल्प पारित करने से पूर्व आप कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा क्यों नहीं कराते?

अध्यक्ष महोदय: मैं यही कह रहा हूं। हो सकता है कि कार्य स्थगन प्रस्ताव की आवश्यकता न पड़े।

श्री रामविलास पासवान: वह अलग चीज है*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, हमारा कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस है। आपने हमारा पक्ष तो सुना नहीं। आपको हमारी बात भी सुननी चाहिए।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री आदि शंकर को बोलने की अनुमति दी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): अध्यक्ष महोदय, आप चाहे जिस फार्म में लीजिए, लेकिन एडजर्नमैंट मोशन के ऊपर डिसकशन होना चाहिए।

यह कोई मामूली चीज नहीं है। इसलिए एडजर्नमैंट मोशन पर आप बहस कराइए।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मामूली चीज नहीं है, इसलिए तो में एडजर्नमेंट मोशन डिस-अलाउ कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप आदि शंकर जी को सुनिए।

[अनुवाद]

श्री आदि शंकर: महोदय, भारत सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है। हमारे दल डी.एम.के. ने सर्वदलीय बैठक में संयुक्त राज्य अमेरिका की गतिविधियों की निंदा की है। हमारे नेता कलायगनर करुणानिधि ने अमरीका और ब्रिटेन दोनों की गतिविधियों की निंदा की है। यह युद्ध केवल इराक के विरुद्ध नहीं, अपितु निर्दोष लोगों के विरुद्ध आक्रमण है। यह मानवता के विरुद्ध आक्रमण है। यह दूसरे देशों की सम्प्रभुता के विरुद्ध आक्रमण है। हमारे नेता कलायगनर करुणानिधि ने एक प्रैस वक्तव्य जारी कर कहा है कि अमरीकी सरकार को तुरंत अपनी फौजे वापस बुलानी चाहिए जिससे कि इराक के निर्दोष लोगों की रक्षा हो सके। मैं अपने दल डी.एम.के. की ओर से भारत सरकार से एक संकल्प पारित करने का अनुरोध करता हूं जिसमें संयुक्त राज्य अमरीका से इराक से अपनी फौजें वापस बुलाने के लिए कहा जाए*...(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): महोदय, हमने इस पर चर्चा की थी कि प्रश्न-काल को क्यों निलंबित किया जाना चाहिए। तथापि, अभी भी हमें स्वयं कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर ही चर्चा करनी है, उस मुद्दे पर एक सारभूत चर्चा किए जाने की आवश्यकता है। अत: आप कृपया हमें वह चर्चा करने की अनुमति दें*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष जी, इससे ज्यादा एडजर्नमेंट मोशन के लिए कोई विषय उपयुक्त नहीं हो सकता है।*...(व्यवधान)*

श्री रामजी लाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, हमारा कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस है।*...(व्यवधान)* आप हमें बोलने की अनुमति दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: डा. वी. सरोजा, अपने दल की नई नेता बनी हैं, कृपया उन्हें बोलने दें।

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने हेतु मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: सर, आप हाउस में एडजर्नमेंट मोशन पर डिसकशन कराइए। यह बहुत ही गंभीर मामला है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा: महोदय, मैं अपने दल, ए.आई.ए.डी.एम.के. और अपनी नेता डा. पुरात्ची थैलेवी और मुख्य मंत्री की ओर से तमिलनाडु के लोगों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं को यहां व्यक्त करती हूं। इसके बारे में राज्य विधान सभा में संकल्प भी पारित किया गया है जिसे मैं यहां उद्धृत करना चाहूंगी।

महोदय, मुझे अपनी मातृभाषा तमिल में बोलने की अनुमति दी जाए जिससे कि तमिलनाडु लोगों की भावना को यहां समुचित रूप से अभिव्यक्ति मिल सके।

*महोदय, मैं 26 मार्च, 2003 को तमिलनाडु की विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किए गए संकल्प को पढ़कर सुनाती हूं। ''तमिलनाडु की यह विधानसभा अमरीका द्वारा विश्व के अधिकांश देशों के विरोध की उपेक्षा करते हुए इराक के विरुद्ध अनुचित रूप से युद्ध घोषित करने के प्रति गहन वेदना और दुख प्रकट करती है। यहां तक कि संयुक्त राज्य अमरीका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दिए गए सुझावों की भी अनदेखी कर दी। यह विधानसभा युद्ध में मारे गए हजारों निर्दोष इराकियों की दुर्दशा को देखते हुए दुखी है। यहां तक कि बिना किसी ठोस आधार के संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रों के मंडल के विचारों को भी एक ओर रखते हुए एकतरफा रूप से युद्ध की घोषणा कर दी। तमिलनाडु की विधानसभा राज्य के लोगों की ओर से ब्रिटेन और कुछ अन्य देशों की सहायता से इराक को युद्ध में घसीटने की अमरीकी कार्यवाही की घोर भर्त्सना करती है?

इस अन्यायपूर्ण युद्ध को तुरन्त रोका जाना चाहिए; विश्व शांति और न्याय की स्थापना होनी चाहिए। संयुक्त राज्य अमरीका और उसके सहयोगियों पर दबाव डाला जाना चाहिए। इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समुचित उपाय किए जाने चाहिए और यह सदन तमिलनाडु सरकार के माध्यम से केन्द्र से शीघ्रातिशीघ्र इस संबंध में समुचित कार्यवाही करने का अनुरोध करता है। यह सदन भारतीय संघ से समान विचारों वाले राष्ट्रों और समयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से संयुक्त राज्य अमरीका और उसके सहयोगियों द्वारा शुरू किए गए इस अन्यायपूर्ण युद्ध को समाप्त करने का आवाहन करता है। इराक से गठबंधन सेना को तुरंत वापस भेजने हेतु शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाए जाएं। यह विधानसभा भारत सरकार से इस संबंध में तत्काल उपाय किए जाने का अनुरोध करती है।''*

*मूलत: तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

मैं ए.आई.ए.डी.एम.के. और हमारे दल की नेता डा. पुरात्ची थैलेवी तथा तमिलनाडु के लोगों की ओर से तमिलनाडु विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया संकल्प इस प्रतिष्ठित सदन के सम्मुख प्रस्तुत करती हूं।

इराक के विरुद्ध यह अन्यायपूर्ण युद्ध तुरंत बंद होना चाहिए और संयुक्त राज्य अमरीका और गठबंधन सेनाओं की तुरंत वापसी होनी चाहिए। हमारी संघ सरकार को इस मुद्दे पर अविलंब रूप से कार्यवाही करनी चाहिए।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, आज पूरे देश और दुनिया की नजर हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट पर लगी हुई है और आप सर्वोच्च आसन पर बैठे हैं हुए हैं। दुनियाभर के हर एक मुल्क में आम जनता इराक पर जो हमला किया गया और जो युद्ध किया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठा रही है। यूएनओ की अवमानना हुई है। मानवता पर हमला हुआ है। इराक हिन्दुस्तान का मित्र रहा है। ऐसे समय में सरकार बताए कि हिन्दुस्तान कहां पर खड़ा है?

सरकार क्यों हिन्दुस्तान को कायरता की श्रेणी में रखने का काम कर रही है। सरकार क्यों नहीं युद्ध बंद करने के बारे में प्रस्ताव लाती और क्यों नहीं युद्ध की निंदा का प्रस्ताव लाती। प्रधान मंत्री जी ने राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई थी। उसमें तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने कहा था कि अमेरिका की इस कार्रवाई की निंदा की जाए। यह मानवता पर हमला है। लेकिन सरकार क्यों इस तरह से हिन्दुस्तान को नीचा दिखाने का काम कर रही है। इससे भविष्य खतरे में पड़ सकता है। हमारे पुरखों ने भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने और महात्मा गांधी ने विश्व शांति का संदेश दुनिया को दिया था। पंडित नेहरू के समय में हमारे देश ने गुट निरपेक्षता का सिद्धान्त अपनाकर दुनिया की अगुवाई की थी। आज अमेरिका सुपर पावर हो गया है। हिन्दुस्तान को झुकना नहीं चाहिए और बाकी देशों को एकजुट करके विश्व शांति के लिए तथा एक-दूसरे देशों के सहअस्तित्व के लिए खड़ा होना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सरकार की तरफ से पहल नहीं हो रही है। अमेरिका की निंदा हो। युद्ध बंद करने का प्रस्ताव पारित हो और अमेरिका की घोर भर्त्सना की जाए।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: ये शब्द असंसदीय हैं, अत: इनको कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने सदन के विभिन्न पक्षों से संबंधित संसद सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों को सुना। बहुत हो चुका। मैं

कार्य-स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि सरकार भी यह कह चुकी है कि वह सदन के समक्ष कोई प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है और इस घटनाक्रम में सरकार की कोई सीधे जिम्मेदारी नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

सकल घरेलू उत्पाद में बाल श्रमिकों का योगदान

***341. श्री ए. वेंकटेश नायक:**
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बाल श्रमिक सकल घरेलू उत्पाद में 15 प्रतिशत से अधिक योगदान करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बाल श्रमिकों द्वारा सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत योगदान किया गया;

(घ) सरकार द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बाल श्रमिकों के योगदान को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बाल श्रम को समाप्त करने में कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): (क) से (ग) 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिषिद्धि है। तथापि, देश के कई हिस्सों में बाल श्रम अभी भी विद्यमान है। सकल घरेलू उत्पाद में बाल श्रम के योगदान का आकलन नहीं किया गया है।

(घ) सरकार का प्रस्ताव है कि बाल श्रम को समाप्त करने के लिए 9वीं योजना में 100 जिलों में चलाई जा रही राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं का विस्तार करके 10वीं योजना में 50 अतिरिक्त जिलों को इसके दायरे में शामिल किया जाए।

(ङ) सरकार ने 9वीं योजना में 100 जिलों में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं चलाई थीं। 9वीं योजना के अंत तक 2.11 लाख बच्चों को शामिल करते हुए 4002 ब्रिजिंग स्कूल स्थापित किए गए हैं। अभी तक कुल 1.70 लाख बच्चों को औपचारिक स्कूल प्रणाली की मुख्य धारा में लाया गया है।

[हिन्दी]

यमुना को प्रदूषित करने वाले उद्योग

***342. श्री सुन्दर लाल तिवारी:**
श्री वीरेन्द्र कुमार:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने हाल ही में बताया है कि निकटवर्ती राज्यों, विशेषकर हरियाणा, में स्थित प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों से नियमित रूप से जहरीले अपशिष्ट निकलने से दिल्ली में यमुना नदी का जल प्रदूषित हो गया है जिससे मानव उपभोग हेतु पानी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप हैदरपुर और नांगलोई स्थित दिल्ली जल बोर्ड के जल शोधन संयंत्रों को बंद करना पड़ा;

(ग) यदि हां, तो क्या देश में प्रदूषक उद्योगों की 17 श्रेणियों के अंतर्गत हजारों औद्योगिक इकाइयों की पहचान की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे प्रदूषण के खतरे को रोकने हेतु दोषी राज्यों तथा प्रदूषणकारी उद्योगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी पी सी बी) ने जनवरी 2003 में पश्चिमी यमुना नहर और यमुना नदी का सर्वेक्षण किया है। यह देखा गया है कि यमुना नदी और पश्चिमी यमुना नहर में विभिन्न स्रोतों से शोधित और गैर-शोधित बहिस्राव का निरन्तर प्रवाह हो रहा है। यह पाया गया है कि पश्चिमी यमुना नहर में प्रविष्ट हो रहे अमोनिकल-नाइट्रोजन लोड दिल्ली के जल शोधन संयंत्रों में वांछित कच्चे पानी की गुणवत्ता पर कुप्रभाव डाल रहे हैं तथा कुछ दिनों के लिए संयंत्रों को बंद करना पड़ा था।

(ग) और (घ) प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की 17 श्रेणियों की राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण में प्रस्तुत है।

(ङ) प्रदूषण निवारण और इसके उपशमन के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को यह निर्देश दिए गए हैं कि दोषी उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई करें। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी पी सी बी) ने भी इस संबंध में कुछ उद्योगों को निर्देश जारी किए हैं।

विवरण

प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की 17 श्रेणियों के तहत राज्य-वार संघ शासित प्रदेशों की सूची

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	यूनिटों की कुल संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	173
2.	अरुणाचल प्रदेश	00
3.	असम	15
4.	बिहार	44
5.	चंडीगढ़	17
6.	गोवा	06
7.	गुजरात	177
8.	हरियाणा	43
9.	हिमाचल प्रदेश	09
10.	जम्मू और कश्मीर	08
11.	झारखंड	18
12.	कर्नाटक	85
13.	केरल	28
14.	मध्य प्रदेश	61
15.	महाराष्ट्र	335
16.	मणिपुर	00
17.	मेघालय	01
18.	मिजोरम	00
19.	नागालैंड	00
20.	उड़ीसा	23
21.	पंजाब	45
22.	राजस्थान	49
23.	सिक्किम	01
24.	तमिलनाडु	119
25.	त्रिपुरा	00
26.	संघ शासित प्रदेश अंदमान और निकोबार	00
27.	संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़	01
28.	संघ शासित प्रदेश दमन और दीव, दादर और नगर हवेली	00
29.	संघ शासित प्रदेश दिल्ली	05
30.	संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप	00
31.	संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी	06
32.	उत्तरांचल	17
33.	उत्तर प्रदेश	207
34.	पश्चिम बंगाल	58
	कुल	1551

[अनुवाद]

किराए में वृद्धि

***343. श्री कैलाश मेघवाल:**
श्री वी. वेत्रिसेलवन:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि घरेलू विमान कंपनियां किराए में वृद्धि करने पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या "एविएशन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ)" पर लगने वाले कर की उच्च दर, इन सेवाओं को विदेशी विमान सेवाओं से कई गुणा मंहगी बनाती है;

(घ) यदि हां, तो क्या नागर विमानन मंत्रालय ने इस मुद्दे को वित्त मंत्रालय और राज्य सरकारों के साथ उठाया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(च) एविएशन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) के मूल्यों में कमी लाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) इंडियन एयरलाइंस, जेट एयरवेज और एअर सहारा ने दिनांक 26.3.2003 से घरेलू सेक्टर पर अपने-अपने किराए 15 प्रतिशत तक बढ़ा दिए हैं।

(ख) घरेलू सेक्टर पर एयरलाइंस किराए नियमित नहीं हैं। एयरलाइंस आपरेटर प्रतिस्पर्धा बाजार परिदृश्य और अपनी-अपनी लागत निवेशों के आधार पर किराया चार्ज करने के लिए स्वतंत्र हैं। विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) के मूल्य में वृद्धि, सुरक्षा व्यय और विमानन प्रीमियम आदि की वजह से किराए में वृद्धि करना जरूरी हो गया था।

(ग) भारत में एटीएफ मूल्य दूसरे देशों के एटीएफ मूल्य की तुलना में काफी अधिक है। मार्च, 2003 में, घरेलू उड़ानों का औसतन एटीएफ मूल्य 25,200 रु. प्रति किलोलीटर है जबकि मध्य पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में औसतन मूल्य 13,100 रु. किलोलीटर है।

(घ) भारत में उच्च एटीएफ मूल्य का प्रमुख कारण उत्पाद शुल्क और बिक्री कर के रूप में अधिक कर लगाना है। औसतन आधार पर, इस उत्पाद शुल्क और बिक्री कर की वजह से एटीएफ का बेंसिक मूल्य 45 प्रतिशत बैठता है। यह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के साथ एटीएफ पर उत्पाद शुल्क कम करने के मुद्दे को उठाता रहा है। राज्य सरकार से भी एटीएफ पर बिक्री कर को कम करने का अनुरोध किया गया।

(ङ) उत्पाद शुल्क कम नहीं किया गया है। राज्यों में से, आंध्र प्रदेश सरकार ने एटीएफ पर बिक्री कर को घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया है।

(च) एटीएफ मूल्य सरकार द्वारा नियमित नहीं किए जाते।

चारे की कमी

***344. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में चारे की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) चारे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) देश में स्थित चारा फार्मों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित कारक चारा उत्पादन को प्रभावित कर रहे हैं-

(i) तीव्र शहरीकरण और औद्योगिकीकरण

(ii) बढ़ती मानव और पशु संख्या

(iii) अनाज फसलों की उच्च उत्पादक किस्मों का बढ़ता उपयोग जिसके परिणामस्वरूप कम चारा पैदा होता है।

(iv) प्राकृतिक आपदाएं अर्थात् सूखा, बाढ़, चक्रवात, आदि।

(ग) चारा उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने देश के विभिन्न स्थानों पर 8 चारा विकास संगठन स्थापित किए हैं। (ब्यौरे नीचे भाग (घ) में दिया गया है) ये संगठन चारा बीज मिनिकिटों के उत्पादन, प्रदर्शन, कृषक मेले और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के काम में लगे हुए हैं।

किसानों को चारा मिनिकिट मुफ्त सप्लाई की जाती है। इसके अलावा ''आहार और चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता'' नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत, चारा बैंकों की स्थापना तथा भूसा/सेल्यूलोसिक अपशिष्टों के संवर्धन के लिए क्रमश: 75 प्रतिशत और 100 प्रतिशत का केन्द्रीय सरकार का अनुदान दिया जाता है।

(घ) हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), गांधीनगर (गुजरात), हिसार (हरियाणा), सूरतगढ़ (राजस्थान), सहेमा (जम्मू एवं कश्मीर), आलामादी (तमिलनाडु), तथा कल्याणी (पश्चिम बंगाल), 7 क्षेत्रीय चारा उत्पादन और प्रदर्शन केन्द्र और हैस्सरघट्टा, बंगलौर में एक केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म है।

डेयरी उद्योग का विकास

***345. श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के पिछड़े/जनजातीय क्षेत्रों में डेयरी-उद्योग के विकास और उसकी स्थपना हेतु कोई विशेष योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उक्त क्षेत्रों में इस उद्योग की स्थापना हेतु कोई सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) इस समय कृषि मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग डेरी विकास के लिए दसवीं योजनावधि के दौरान निम्नलिखित दो योजनागत स्कीमें क्रियान्वित कर रहा है:-

(1) गैर-आपरेशन फ्लड, पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास परियोजना—यह एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसमें गैर-आपरेशन फ्लड, पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में डेयरी विकास के लिए 100 प्रतिशत अनुदान आधार पर विशिष्ट स्वीकृत परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत राज्य सरकारों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर दुग्ध प्रशीतन और डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना का प्रावधान है।

(2) सहकारिताओं को सहायता: यह भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के बीच 50:50 हिस्सेदारी आधार पर जिला सहकारिता दुग्ध संघों/राज्य दुग्ध फैडरेशनों के पुनर्वास के लिए एक केन्द्रीय योजनागत स्कीम है।

(ग) और (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान डेयरी उद्योग के विकास के लिए विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्रमश: विवरण-I और II में दिया गया है।

विवरण-I

गैर-आपरेशन फ्लड, पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास परियोजना के तहत विगत तीन वर्षों के दौरान दी गई वित्तीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	जारी धनराशि 2000-01	जारी धनराशि 2001-02	जारी धनराशि 2002-03
1	2	3	4	5
1.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	45.90	45.00	25.00
	संघ शासित प्रदेश द्वारा वास्तविक उपयोग	19.19	(23.80)	–
2.	आंध्र प्रेदश-1	–	–	–
	आंध्र प्रदेश-2	191.49	–	–
3.	अरुणाचल	–	–	–
4.	असम	–	149.34	–
5.	बिहार-1	–	–	–
	बिहार-2	–	–	–
	बिहार-3 (कैमूर)	–	–	–
	बिहार-4 (मधुबनी)	–	–	–
	बिहार-5 (नालंदा)	82.89	–	56.79
	बिहार-6	–	64.47	–
6.	झारखंड	–	–	160.00
7.	गुजरात	–	–	–
8.	हरियाणा	–	38.75	–
9.	हिमाचल प्रदेश	100.00	200.00	100.00

1	2	3	4	5
10.	जम्मू एवं कश्मीर	–	–	25.00
	जम्मू एवं कश्मीर	–	–	15.00
11.	म.प्र. I & II	200.00	–	98.79
	म.प्र. IV	–	–	–
	(म.प्र. I, II & IV)	–	–	–
12.	छत्तीसगढ़-I	–	100.00	29.00
	छत्तीसगढ़-II	–	169.20	–
	छत्तीसगढ़-III	–	210.00	–
13.	महाराष्ट्र-I	–	–	–
	महाराष्ट्र-II	645.49	500.00	200.00
14.	मणिपुर	–	–	–
15.	मेघालय-I	–	–	–
	मेघालय-II	143.92	–	–
16.	मिजोरम-I	–	–	–
	मिजोरम-II	–	–	
	मिजोरम-III	–	59.17	72.41
17.	नागालैंड-I	–	–	–
	नागालैंड-II	62.27	132.07	–
18.	उड़ीसा-I	–	–	–
	उड़ीसा-II	–	–	–
	उड़ीसा-III	143.83	–	200.00
	उड़ीसा-IV	94.60	–	88.21
19.	सिक्किम-I और II	–	84.98	–
	सिक्किम-III	134.79	–	90.82
20.	तमिलनाडु	–	–	–
21.	त्रिपुरा-I	–	–	–
	त्रिपुरा-II	–	56.51	–
22.	उ.प्र.-I, II और III	–	–	–
	उ.प्र.-IV	186.30	–	–
	उ.प्र.-V	–	217.58	–
	उत्तरांचल	–	–	476.59
23.	पश्चिम बंगाल-I	–	–	–
	पश्चिम बंगाल-II	–	–	–
		2031.48	**2027.07**	**1638.13**

विवरण-II

सहकारिता योजना की सहायता के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान प्रदत्त वित्तीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	संघों का नाम	जारी निधियां		
		2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5
मध्य प्रदेश				
1.	ग्वालियर	250.00		150.00
2.	उज्जैन	235.00	105.00	53.41
3.	जबलपुर	290.00	220.00	145.00
छत्तीसगढ़				
4.	रायपुर	75.00		20.00
कर्नाटक				
5.	धरवाड	250.54		
6.	तुमकुर	250.00		
7.	बीजापुर		85.00	40.00
8.	गुलबर्गा		115.00	50.00
उत्तर प्रदेश				
9.	इलाहाबाद		260.04	
10.	मुरादाबाद	173.96		351.04
केरल				
11.	इरनाकुलम	175.50	–	31.10
महाराष्ट्र				
12.	पुणे	–	125.00	125.00
13.	वर्धा	–	30.00	34.45
पश्चिम बंगाल		–	–	–
14.	हिमुल	–	150.00	75.00
असम				
15.	पश्चिम असम	–	15.00	210.00
नागालैंड				
16.	कोहिमा	–	5.00	5.24
पंजाब				
17.	होशियारपुर	–	75.00	–
18.	अमृतसर	–	25.96	–
19.	जालंधर	–	210.00	–
तमिलनाडु				
20.	विल्लुपुरम	–	–	150.00
21.	इरोड	–	–	225.00
	कुल	1700.00	1420.00	1665.24

टिप्पणी:-उक्त जारी निधियां मात्र भारत सरकार का हिस्सा हैं जो 50 प्रतिशत है।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र में अनुसंधान

***346. श्री रामपाल सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि कृषि क्षेत्र में किए जा रहे अनुसंधान कार्यों का लाभ किसानों तक पहुंच रहा है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं कि कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे अनुसंधान के लाभ किसानों तक पहुंचे:

* किसानों और विस्तार कार्मिकों को प्रशिक्षण देने तथा खेत परीक्षणों और अग्रपंक्ति के प्रदर्शन करने के लिए 291 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना करना। इसके अतिरिक्त 53 क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों को कृषि विज्ञान केन्द्रों के अतिरिक्त कार्यों को शुरू करने के लिए सुदृढ़ किया गया है।

* विभिन्न कृषि प्रणालियों में प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और परिशुद्धता के लिए 70 केन्द्रों में संस्थान-ग्राम-सम्पर्क कार्यक्रम आरम्भ करना।

* किसानों को प्रौद्योगिकी उत्पादों, नैदानिक सेवाएं और प्रौद्योगिकी सूचना मुहैया कराने के लिए एक ही स्थान

पर सभी सुविधाएं उपलब्ध करने हेतु 44 कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्रों की स्थापना करना।

* कार्यनीति नियोजन, सहभागिता दृषिकोण, समेकित विस्तार वितरण और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर ध्यान केन्द्रित करते हुए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेन्सी की नई संस्थागत व्यवस्थाओं का प्रायोगिक परीक्षण करना।

* राष्ट्रीय और राज्य स्तर के अंतरापृष्ठों के माध्यम से अनुसंधान विस्तार संपर्कों में सुधार लाना।

* प्रिंट, दृश्य-श्रव्य और इलैक्ट्रोनिक मीडिया का प्रयोग करना।

* कृषि को परीक्षण समर्थन देने के माध्यम से मानव संसाधन विकास।

* खेतिहर महिलाओं के लिए विकास कार्यक्रम।

* कृषि विपणन विस्तार को सुदृढ़ करना।

* कृषि स्नातक द्वारा कृषि-क्लीनिक की स्थापना करना।

[अनुवाद]

पुनर्गठन पैकेज

***347. श्री किरीट सोमैया:**

श्री वाई.वी. राव:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2002-2003 के दौरान इस्पात उद्योग में वृद्धि के कारण निर्यात में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा वर्तमान सकारात्मक प्रवृत्ति के समर्थन में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) हेतु किसी पुनर्गठन पैकेज की घोषणा की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पैकेज में कितनी धनराशि जारी की गई है;

(च) इस पैकेज के कार्यान्वयन के पश्चात् कंपनियों का कार्यनिष्पादन कैसा रहा; और

(छ) इस कार्यनिष्पादन में और सुधार करने हेतु क्या नई कार्यनीति बनाई गई है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) अप्रैल, 2002 से फरवरी, 2003 तक 38.50 लाख टन इस्पात का निर्यात किए जाने का अनुमान है जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 27.35 लाख टन इस्पात का निर्यात किया गया था। यह 41% की वृद्धि है।

(ग) विनियमित और नियंत्रणमुक्त परिवेश में निर्यात सहित बाजार नीति का निर्णय मुख्य रूप से संबंधित उत्पादकों द्वारा तय किया जाता है। भारतीय इस्पात उत्पादक अन्य बातों के साथ-साथ प्रौद्योगिकी उन्नयन, उत्पादकता में सुधार, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की उपेक्षाओं के अनुरूप उपयुक्त उत्पाद-मिश्र अपनाकर कई कदम उठा रहे हैं। उत्पादक नए और गैर-परंपरागत बाजारों का पता लगाने/समन्वित करने का बराबर कार्य कर रहे हैं।

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान सेल के लिए कोई पुनर्संरचना पैकेज घोषित नहीं किया गया है।

(ङ) से (छ) उपरोक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अप्रयुक्त वर्षा जल के उपयोग संबंधी अनुसंधान

***348. श्री बसुदेव आचार्य:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के अनेक भागों में जल संकट की समस्या का हल करने के लिए अप्रयुक्त वर्षा जल के उपयोग संबंधी अनुसंधान को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ धनराशि आबंटित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुनचरण सेठी): (क) से (घ) भूजल के प्रबंधन और अधिशेष मानसून अपवाह के पूर्ण उपयोग के लिए केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान करता है। देश के विभिन्न भागों में शुरू किए गए वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर योजना" नामक एक रिपोर्ट तैयार

की है। यह रिपोर्ट देश में पुनर्भरण संरचनाओं की व्यवहार्यता के संबंध में एक विस्तृत फ्रेमवर्क की रूपरेखा का निर्धारण करती है। इसमें 39.25 लाख कृत्रिम पुनर्भरण और छत के वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के माध्यम से 36453 मिलियन क्यूबिक मीटर अधिशेष मानसून अपवाह के पुनर्भरण की योजना है। उपरोक्त रिपोर्ट में बताये गये अनुसार कृत्रिम पुनर्भरण के लिए पहचान किए क्षेत्र तथा सतही जल की पुनर्भरित की जाने वाली मात्रा का राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वित्तपोषण प्रणाली, कार्यान्वयन अभिकरणों, इत्यादि पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

विवरण

मास्टर योजना में उल्लिखित योजना के अनुसार कृत्रिम पुनर्भरण के लिए पहचान किए गए क्षेत्रों और सतही जल की पुनर्भरित की जाने वाली मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	कृत्रिम पुनर्भरण के लिए पहचान किए गए क्षेत्र (वर्ग किमी)	पुनर्भरित किए जाने वाले सतही जल की मात्रा मिलियन क्यूबिक मीटर में
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	65333	1095
2.	बिहार एवं झारखंड	4082	1120
3.	छत्तीसगढ़	11706	258
4.	दिल्ली	693	444
5.	गोवा	3701	529
6.	गुजरात	64264	1408
7.	हरियाणा	16120	685
8.	हिमाचल प्रदेश	–	149
9.	जम्मू और कश्मीर	–	161
10.	कर्नाटक	-36710	2065
11.	केरल	4650	1078
12.	मध्य प्रदेश	36335	2320
13.	महाराष्ट्र	65267	2318
14.	उड़ीसा	8095	406
15.	पंजाब	22750	1200
16.	राजस्थान	39120	861
17.	सिक्किम	–	44
18.	तमिलनाडु	17292	3597
19.	उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल	45180	14022
20.	पश्चिम बंगाल	7500	2664
21.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	–	3
22.	चंडीगढ़	33	26
	कुल	448831	36453

बाह्य सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजनाएं

***349. श्री परशुराम माझी:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों में कार्यान्वयनाधीन बाह्य सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तारीख के अनुसार प्रत्येक परियोजना के संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ परियोजनाओं को दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुनचरण सेठी): (क) और (ख) वर्तमान में विश्व बैंक, यूरोपीय आर्थिक आयोग, जापान बैंक फार इन्टरनेशनल कोआपरेशन (जे बी आई सी) और जर्मनी से प्राप्त विदेशी सहायता से 15 सिंचाई परियोजनाओं का निष्पादन किया जा रहा है। सहायता संबंधी उपयोग की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) उपरोक्त विदेशी सहायता प्राप्त 15 निर्माणाधीन परियोजनाओं में से 13 परियोजनाओं को उक्त संदर्भित विवरण के अनुसार दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

विवरण

निर्माणाधीन विदेशी सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	परियोजनाओं का नाम	वित्तपोषण अभिकरण	समझौता/पूरा करने की तारीख	मिलियन डोनर करेंसी में सहायता राशि	28.2.2003 तक उपयोग/वितरण मिलियन डोनर करेंसी
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना-III सी आर-2952-आई एन एल एन-4166-आई एन	विश्व बैंक	03.06.1997 31.07.2004	क्रेडिट 108,100 एसडीआर ऋण 130.00 यू.एस डालर	108,100 एसडीआर ऋण 5.929 यू.एस. डालर
		आन्ध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्गठन परियोजना (सिंचाई घटक) एल एन-4360-आई एन	विश्व बैंक	30.01.1999 31.03.2004	170 यू.एस. डालर	78.5 यू.एस. डालर
		कुर्नूल-कुडप्पा नहर प्ररियोजना का आधुनिकीकरण	जे बी आई सी जापान	25.01.1996 26.5.2005	16049.00 येन	8367.677 येन
2.	कर्नाटक	कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना	विश्व बैंक	06.06.2002 31.1.2009	80 एस डी आर	1.674 एस डी आर
3.	मध्य प्रदेश	राजघाट नहर परियोजना	जेबीआईसी जापान	25.02.1997 29.5.2006	13222.00 येन	6263.862 येन
4.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र लघु सिंचाई परियोजना	केएफडब्ल्यू जर्मनी	21.12.1998 31.12.2006	23.00 ईयूआर	1.37 ईयूआर

1	2	3	4	5	6	7
		लवणीय भूमि सुधार परियोजना चरण-II	ईईसी	11.7.1995 31.12.2005	15.50 ईयूआर	1.229 ईयूआर
5.	उड़ीसा	उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना सीआर 2801-आईएन	विश्व बैंक	05.01.1996 31.3.2004	194.800 एस डीआर	150.748 एसडीआर
		उड़ीसा लघु सिंचाई परियोजना	ईईसी	3.7.1995 31.12.2004	10.70 ईयूआर	1.108 ईयूआर
		रेंगाली सिंचाई परियोजना	जेबीआईसी, जापान	12.12.1997 31.12.2004	7760.00 येन	4830.608 येन
		लिफ्ट सिंचाई परियोजना	केएफडब्ल्यू, जर्मनी	19.02.1993 30.6.2003	28.12 ईयूआर	21.79 ईयूआर
6.	पाण्डिचेरी	टैंक सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण	ईईसी	21.2.1997 21.2.2003	6.65 ईयूआर	1.742 ईयूआर
7.	राजस्थान	राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना सीआर-3603 आई एन	विश्व बैंक	15.3.2002 31.3.2008	110 एसडीआर	4.116 एसडीआर
8.	तमिलनाडु	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना सीआर-2745-आई एन	विश्व बैंक	22.9.1995 31.3.2004	161.900 एस डीआर	132.713 एसडीआर
9.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना सीआर-3602-आईएन	विश्व बैंक	08.3.2002 31.10.2007	117 एसडीआर	4.007 एसडीआर

वैश्विक जल संसाधनों का मूल्यांकन

***350. श्री राम विलास पासवान:**
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक जल संसाधनों के मूल्यांकन संबंधी हाल ही की रिपोर्ट में नागरिकों को उपलब्ध जल की गुणवत्ता के संदर्भ में भारत को विश्व के 122 देशों में से 120वें स्थान पर रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) सरकार ने देश में जल की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु किस प्रकार की नीति बनाने पर विचार किया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुनचरण सेठी): (क) जी, हां।

(ख) ''संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट—वाटर फार पीपुल, वाटर फार लाइफ'' के अनुसार जल की गुणवत्ता के संबंध में भारत को विश्व के 122 देशों में 120वां स्थान दिया गया है। बेल्जियम 122वें स्थान पर है। श्रेणियों में किए गए इस मूल्यांकन की व्याख्या नहीं की गई है।

(ग) राष्ट्रीय जन नीति (2002) में जल की गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर दिया गया है। इस नीति में यह व्यवस्था की गई है कि सतही जल और भूजल दोनों की गुणवत्ता की नियमित रूप से निगरानी की जानी चाहिए और निस्सरणों को प्राकृतिक जल प्रवाहों में छोड़े जाने से पूर्व स्वीकृत स्तरों और मानकों के अनुसार उपचारित किया जाना चाहिए। नीति में इस बात की भी व्यवस्था है कि प्रदूषित जल के प्रबंधन के संबंध में 'प्रदूषक पर अर्थदण्ड' के सिद्धान्त का अनुसरण किया जाना चाहिए।

देश में जल निकायों की गुणवत्ता में सुधार/बहाली के लिए अनेक उपाय किये गए हैं इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:-

(i) नदियों और झीलों के किनारों पर स्थित उद्योगों द्वारा अपेक्षित प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं की स्थापना सुनिश्चित करना।

(ii) जल निकायों में अनुपचारित गंदा जल छोड़े जाने की रोकथाम के लिए दोषी उद्योगों को निर्देश जारी करना।

(iii) नदियों और झीलों की जल गुणवत्ता की बहाली के लिए राष्ट्रीय नदी और झील संरक्षण योजना तैयार करना और उसे कार्यान्वित करना।

पांडुलिपियों का प्रलेखन

***351. श्री टी.एम. सेल्वागनपति:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्वभर में फैली हुई भारतीय पांडुलिपियों का प्रलेखन करने हेतु कोई योजना शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार एक राष्ट्रीय पांडुलिपि ग्रंथालय स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) पांडुलिपियों तक पहुंच में वृद्धि करने तथा भावी पीढ़ियों के लिए उन्हें संरक्षित करने के विचार से भारत तथा विदेशों में भारतीय पांडुलिपियों का पता लगाने, उनकी गणना करने, उन्हें संरक्षित करने तथा उनकी सूची बनाने के लिए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन शूरू किया गया है।

(ग) और (घ) मिशन के कार्यकलापों के भाग के रूप में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली में राष्ट्रीय पांडुलिपि पुस्तकालय की जानी है। यह पुस्तकालय सभी भारतीय पांडुलिपियों की मूल तथा माइक्रोफिल्म/प्रतियों का केन्द्रीय भंडार होगा।

[हिन्दी]

तिलहन उत्पादन कार्यक्रम का कार्यान्वयन

***352. श्री नवल किशोर राय:**
डा. सुशील कुमार इंदौरा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में तिलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए तिलहन उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या सरकार तिलहन की औसत उत्पादन का कोई आकलन करती है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1998-99 से 2002-2003 तक तिलहन की औसत उत्पादन दर में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है; और

(ङ) देश में तिलहन के उत्पादन की न्यूनतम और अधिकतम दर क्या रही है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, हां।

(ख) गत 3 वर्षों के दौरान तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय की गई राशि निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	(करोड़ रुपए में) व्यय की गई राशि
2000-01	93.62
2001-02	91.22
2002-03	76.00

(ग) जी, हां।

(घ) खराब मानसूनों के कारण वर्ष 1998-99 से 2002-2003 तक तिलहनों का उत्पादन और उत्पादकता घटती-बढ़ती रही है। वास्तव में, देश में तिलहन उत्पादक प्रमुख राज्यों में चल रही सूखे की परिस्थितियों के कारण गत तीन वर्षों के दौरान तिलहनों के उत्पादन में गिरावट आई। उपरोक्त अवधि के दौरान तिलहनों के उत्पादन और उत्पादकता का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	उत्पादन (लाख मीटरी टन)	उत्पादकता (कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर)
1998-99	247.5	944
1999-2000	207.1	853
2000-2001	184.4	810
2001-2002	204.6	897
2002-2003	154.4*	717*

*अनुमानित

(ङ) तिलहनों संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 में की गई थी। वर्ष 1985-86 में तिलहनों का उत्पादन 108.3 लाख मीटरी टन और उत्पादकता 569 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर थी। तिलहनों का अधिकतम उत्पादन 247.5 लाख मीटरी टन और उत्पादकता 944 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर वर्ष 1998-99 के दौरान थी।

[अनुवाद]

पर्यटन नीति

***353. श्री सवशीभाई मकवाना:**
श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में पर्यटक स्थलों का विकास करने और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कोई नई पर्यटन नीति केन्द्र सरकार को भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त नीति को स्वीकृत दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य सरकारों को इस प्रयोजनार्थ कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) पर्यटन विभाग, भारत सरकार को किसी भी राज्य से अनुमोदनार्थ कोई नई पर्यटन नीति प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पर्यावरणीय कानूनों को लागू करना

***354. डा. मदन प्रसाद जायसवाल:**
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **पर्यटन और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों द्वारा संसद द्वारा पारित पर्यावरण संबंधी विभिन्न कानूनों को कड़ाई से लागू नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले पर अपनी गम्भीर चिंता व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने कानूनों को कड़ाई से लागू करने हेतु कोई रणनीति बनाई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा वाहनों के प्रदूषण सहित विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को रोकने हेतु और वाहन निर्माताओं को प्रदूषण नियंत्रण मानदंड अपनाने हेतु नियम बनाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) पर्यावरण कानून राज्यों द्वारा उचित ढंग से लागू किया जा रहे हैं। पर्यावरणीय कानून जैसे जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974; वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाए गए कानूनों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तथा पर्यावरण विभाग और राज्य सरकारों की अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा लागू किया जाता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) मंत्रालय राज्य एजेंसियों के साथ पर्यावरण अधिनियमों और नियमावली के क्रियान्वयन का नियमित तौर पर पुनरावलोकन करता रहा है। केन्द्र सरकार ने प्रर्वतन और उसके अनुपालन के संबंध में राज्य सरकारों, केन्द्रीय एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को भी शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं। सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने और मानकों तथा मानदंडों को लागू करने के लिए विषय-विशिष्ट कार्यनितियां भी तैयार की गई हैं।

(छ) वाहन जनित प्रदूषण सहित विभिन्न प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:-

(i) अत्यधिक प्रदूषक उद्योगों की 17 श्रेणियों में प्रदूषण नियंत्रण।

(ii) अपशिष्ट जल को नदियों और झीलों में बहाने वाले उद्योगों में प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण।

(iii) साझा बहिस्त्राव शोधन संयंत्रों की स्थपना।

(iv) अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में पर्यावरणीय गुणवत्ता की बहाली।

(v) राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम।

(vi) सड़क पर चल रहे वाहनों के लिए उत्सर्जन मानकों तथा नए वाहनों के लिए ठोस उत्सर्जन मानकों का निर्धारण।

(vii) पूरे देश में 1.2.2000 से सीसा रहित पैट्रोल तथा 1.1.2000 से सल्फर की 0.25% अधिकतम मात्रा वाले डीजल की आपूर्ति।

(viii) सी एन जी वाहनों की ईंधन पूर्ति के लिए दिल्ली और मुंबई में की खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से आटोमोबाइल्स हेतु संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) की आपूर्ति।

(ix) पेट्रोल में बैंजीन सांद्रण की मात्रा में कमी।

(x) 1.6.1999 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन सी आर) तथा 1.4.2000 से पूरे देश में चार पहिए वाले निजी (गैर-वाणिज्यिक) वाहनों के पंजीकरण के लिए यूरो-1 मानदंडों के समान इंडिया-2000 मानदंड प्रभावी बनाए गए हैं।

(xi) 1.4.2002 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 1.1.2001 से मुंबई (ग्रेटर मुंबई सहित) में तथा 1 जुलाई, 2001 से कोलकाता और चेन्नई में चार पहिए वाले (गैर-वाणिज्यिक) वाहनों के पंजीकरण के लिए यूरो-2 मानदंडों के समान भारत स्टेज-2 मानदंड प्रभावी किए गए हैं।

(xii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली तथा मुंबई (ग्रेटर मुंबई सहित) के संबंध में 24.10.2001 से तथा कोलकाता और चेन्नई के संबंध में 31.10.2001 से भारी वाहनों के लिए यूरो-2 मानदंडों के समान भारत स्टेज-2 उत्सर्जन मानदंड प्रभावी बनाए गए हैं।

[अनुवाद]

सूखाग्रस्त राज्य

***355. डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:**
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने क और ख श्रेणियों के अंतर्गत सूखाग्रस्त राज्यों को वर्गीकृत करते हुए खाद्यान्न की आवश्यकता का आकलन करने के लिए कतिपय मानदण्ड परिचालित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार से सूखा राहत के अंतर्गत रोजगार के क्रियान्वयन के लिए खाद्यान्न के आबंटन हेतु कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) स्कीम के घटक के तहत, 2002-03 के सूखे के लिए राहत रोजगार हेतु सूखा प्रभावित

राज्यों को खाद्यान्न के आबंटन के लिए, राज्यों को श्रेणी ''क'' (साधारण प्रभावित) तथा श्रेणी ''ख'' (गंभीर रूप से प्रभावित) के अतर्गत रखा गया है। राजस्थान, जो कि सर्वाधिक गंभीर रूप से सूखा प्रभावित राज्य है, को विशेष श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है।

(ग) से (ङ) आंध्र प्रदेश सरकार ने एक माह में 15 दिनों के लिए प्रत्येक बी.पी.एल. परिवार के दो व्यक्यिों हेतु प्रतिदिन व्यक्ति 10 कि.ग्रा. की दर से खाद्यान्नों के आबंटन के लिए अनुरोध किया है। सूखा प्रबंधन पर गठित कृतक बल ने यद्यपि 50% बी.पी.एल. ग्रामीण परिवारों में से एक व्यक्ति को कवर करने हेतु एक माह में 10 दिनों के लिए 5 कि.ग्रा. प्रतिदिन व्यक्ति राज्य को आबंटन अनुमोदित किया है। कृतंक बल ने वर्तमान सूखे के लिए, जून 2003 तक राज्य को आबंटन हेतु 16.15 लाख मीटरी टन की कुल मात्रा अनुमोदित की है।

सिले-सिलाए वस्त्र निर्यात क्षेत्र में कामगारों का शोषण

***356. श्री सुनील खां:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में सिले-सिलाए वस्त्र निर्यात करने वाली अधिकांश फैक्ट्रियों में कामगारों का अत्यधिक शोषण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या सरकार ने इन फैक्ट्रियों के मजदूरी ढांचा/कार्य संबधी मानदंड एवं कार्य करने की स्थित के संबंध में कोई मार्गनिर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इन फैक्ट्रियों में कार्य करने के वातावरण पर निगरानी रखने एवं कामगारों के कल्याण के लिए कोई तंत्र बनाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): (क) से (च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सिले-सिलाए वस्त्रों के उद्योगों के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार समुचित सरकार है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि यह कहना उचित नहीं है कि राजधानी में सिले-सिलाए वस्त्र निर्यात क्षेत्र में अधिकांश कारखानों में कामगारों का बहुत अधिक शोषण किया जा रहा है। तथापि, शिकायतें प्राप्त होने पर अनियमितताओं को दूर करने के लिए निरीक्षण किए जाते हैं।

मजदूरी ढांचे/कार्य संबंधी मानदंडों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा प्रवर्तित विभिन्न श्रम कानूनों के तहत शासित किया जाता है। सिले-सिलाए वस्त्रों से संबंधित अनुसूचित नियोजन में दिनांक 1.8.2002 से लागू न्यूनतम मजदूरी की दरें निम्नवत् हैं:

श्रेणी	दर प्रतिमाह (रुपए)	दर प्रतिदिन (रुपए)
अकुशल	2679.70	103.10
अर्ध-कुशल	2845.70	109.45
कुशल	3103.70	119.40

कारखाना अधिनियम, 1948 में कामकाजी वातावरण के मानीटरन तथा कामगारों के कल्याण का प्रावधान है। यह एक केन्द्रीय अधिनियम है तथा इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। इसके तहत कारखानों में नियोजित कामगारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, कार्य-दशाओं तथा कल्याण से संबंधित उपबंधों का भी निर्धारण किया गया है, तथा इन मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के लिए कारखाना निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण किए जाते हैं।

कारखाना निरीक्षक समय-समय पर कारखानों का निरीक्षण करते हैं तथा उल्लंघन एवं अनुपालन न किए जाने के संबंध में नियोजक के विरुद्ध अधिनियम के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार समुचित कार्रवाई करते हैं।

[हिन्दी]

विभिन्न कृषि उत्पादकों का लक्ष्य

***357. श्री अजय सिंह चौटाला:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान विभिन्न कृषि उत्पादों का कितना लक्ष्य रखा गया था और इनका वास्तविक उत्पादन कितना हुआ;

(ख) लक्ष्य से कम उत्पादन के क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 2003-04 के दौरान विभिन्न खाद्यन्नों के उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी करने हेतु क्या रूपरेखा तैयार की गयी है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान विभिन्न कृषि जिसों के लक्ष्य और अनुमानित उत्पादन को निम्न सारणी में दर्शाया गया है:

(मिलियन टन में)

फसल	2001-02		2002-03*	
	लक्ष्य	उत्पादन	लक्ष्य	उत्पादन
चावल	92.00	93.08	93.00	77.72
गेहूं	78.00	71.81	78.00	68.89
मोटे अनाज	33.00	33.94	33.00	25.10
दलहन	15.00	13.19	16.00	11.46
कुल खाद्यान्न	218.00	212.03	220.00	183.17
तिलहन	28.00	20.46	27.00	15.44

* 10.2.2003 तक द्वितीय अग्रिम अनुमान।

(ख) लक्ष्य की प्राप्ति कई कारकों पर निर्भर करती है जैसे मानसून की स्थिति, प्रौद्योगिकीय विकास, फार्म प्रबंधन में कुशलता, आदानों का समय पर प्रयोग, कृषि उत्पादों की मांग आदि। विशेष तौर से, देश में कृषि का उत्पादन बहुत हद तक वर्षा की मात्रा और उसके विस्तार पर निर्भर करता है क्योंकि बोये जाने वाले कुल क्षेत्र का 60% भाग वर्षा पर निर्भर करता है। वर्षा कम होने से सिंचाई की क्षमता पर भी बुरा असर पड़ता है। वर्ष 2002-03 के दौरान उत्पादन के लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सके जिनका मुख्य कारण यह रहा कि इस वर्ष देश के कई राज्यों में भीषण सूखा पड़ा था।

(ग) वर्ष 2003-04 में लक्ष्य अभी निर्धारित किए जाने हैं।

(घ) कृषि में उच्च वृद्धि दर हासिल करने के लिए, ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों को चलाये जाने की जरूरत है जिनका उद्देश्य कृषि उत्पादन और उत्पादकता में सुधार लाना है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 10वीं पंचवर्षीय योजना में, चावल, गेहूं और मोटे अनाज से संबंधित समेकित अनाज विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम, प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम तथा बीज मिनीकिट स्कीम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। बड़े-बड़े स्रवण क्षेत्रों में जल के अपवाह को कम करने, भूमि की उर्वरता में सुधार करने तथा नमी को बनाये रखने के लिए सरकार नदी घाटी परियोजनाओं/बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में अपरदित भूमि की उत्पादकता में वृद्धि हेतु मृदा संरक्षण तथा झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना'' स्कीमों का क्रियान्वयन कर रही है। इसके अलावा, नौवी पंचवर्षीय योजना में अपनायी गयी क्षेत्रीय विचलन रणनीति को 10वीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रखा जायेगा। नई पहल के रूप में वर्ष 2001-02 तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए मार्च, 2002 से पूर्वी भारत में फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए फार्म जल प्रबंधन संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की गई है। इससे स्कीम का उद्देश्य पूर्वी भारत में भू-जल/सतह जल का भरपूर उपयोग करना, जल के कुशल प्रयोग को बढ़ावा देना तथा फसल उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रबंधन करना है। इनके अलावा, सरकार ने कई अन्य कदम भी उठाए हैं जैसे कि नई प्रौद्योगिकी के विकास और संवर्धन पर बल देना, कृषि ऋण की उपलब्धता को बढ़ाने हेतु उपाय करना, मंडी आसूचना नेटवर्क, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आदि। सरकार मूल्य नीति के माध्यम से भी किसानों को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रियान्वयन तथा सार्वजनिक एजेन्सियों के माध्यम से की जाने वाली खरीद आदि शामिल हैं। इसके अलावा, दसवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में मक्के को अत्यधिक बल देने पर, विशेषकर उच्च उत्पादक बीजों के बड़े पैमाने पर बहुलीकरण और उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने पर अधिक महत्व नहीं दिया गया है। इसके अलावा, संकर चावल का बड़े पैमाने पर वाणिज्यिीकरण करने और गेहूं के मामले में उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने से खाद्यान्न उत्पादन और भी बढ़या जा सकता है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में फसलों का उच्च मूल्य वाली/अधिक लाभकारी फसलों के रूप में विविधीकरण करने पर भी बल दिया गया है।

[अनुवाद]

विस्थापित परिवारों का पुनर्वास

***358. श्री विलास मुत्तेमवार:**
श्री के. मुरलीधरन:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को उनके वन क्षेत्रों से सभी प्रकार के अतिक्रमणों को हटाने के आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई क्षतिपूर्ति पैकेज की घोषणा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या पश्चिम बंगाल तथा केरल सहित कुछ राज्यों ने आदिवासियों आदि के बीच वन भूमि के वितरण और उनके पुनर्वास हेतु वैकल्पिक भूमि के आबंटन संबंधी सुझाव के प्रस्ताव दिये हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस प्रकार के प्रत्येक प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है तथा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने सितम्बर 1990 में वनभूमियों पर अतक्रिमणों को बेदखल करने के साथ-साथ इन्हें विनियमित किए जाने के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों को 3.5.2002 और 30.10.2002 को पुन: परिचालित किया गया था जिसमें भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेशों को देखते हुए राज्य सरकारों और संघशासित राज्यों को वनभूमियों से अवैध अतिक्रमणकर्ताओं को समयबद्ध तरीके से बेदखल करने के अनुरोध किए गए थे।

(ग) और (घ) बेदखल करने की प्रक्रिया के परिचालनात्मक पहलुओं और प्रभावित परिवारों का पुनर्वास, यदि कोई है, राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकार की जिम्मेदारी है।

(ङ) से (छ) भारत सरकार की नीति के अनुसार विशेष मामलों जैसे कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों एवं अन्यों, जिन्हें राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य के महत्वपूर्ण क्षेत्र से हटाया जाना है, को छोड़कर, लोगों के पुनर्वास हेतु वनभूमि के वनेतर उपयोग की अनुमति नहीं दी जाती।

पिछले तीन वर्षों के दौरान वनभूमि पर लोगों के पुनर्वास हेतु केवल केरल सरकार ने प्रस्ताव भेजा है। पश्चिम बंगाल राज्य ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। केरल के मामले में छ: जिलों में आदिवासियों के पुनर्वास हेतु 12196.1829 हैक्टेयर वनभूमि के वनेतर उपयोग का एक प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2002 में भेजा गया था। अत: इस प्रस्ताव को 26.2.2002 को वापिस लौटा दिया गया था क्योंकि प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं था।

विमानपत्तनों का उन्नयन

***359. श्री भास्कर राव पाटील:**
श्री कमलनाथ:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के उन्नयन में आने वाली लागत में भारी वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) पिछले कुछ वर्षों में हवाई अड्डों की निर्माण लागत में विशेष रूप से भारी वृद्धि नहीं हुई है।

भूकम्प संभावित क्षेत्रों में बांध

***360. श्री श्रीनिवास पाटिल:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में भूकम्प संभावित क्षेत्रों में बांधों के स्थायित्व की जांच करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) भूकम्प संभावित क्षेत्रों के तहत आने वाले बांधों की संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में 'अलार्म सिस्टम' स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुनचरण सेठी): (क) से (घ) बांधों का निर्माण, रख-रखाव तथा उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व बांधों के स्वामियों अर्थात् संबंधित राज्य सरकारों आदि का होता है। केन्द्र सरकार देश के विभिन्न भागों के भूकंपीय क्षेत्रों में स्थित बांधों की स्थिरता संबंधी कोई बांध-वार अध्ययन आयोजित नहीं कर रही है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) कोड आई एस: 1893 जिसे वर्ष 2002 में संशोधित किया गया था, के अनुसार 4 भूकंपीय क्षेत्र हैं। इस कोड में विभिन्न भूकंपीय क्षेत्रों के लिए बांधों सहित संरचनाओं के भूकंपीय डिजाइन के वास्ते प्रक्रिया एवं मानदंड का उल्लेख किया गया है। अलग-अलग भूकंपीय क्षेत्रों के लिए भूकंपीय डिजाइन मानक अलग-अलग होते हैं जो कि तीव्रता के आधार पर क्षेत्र-2 के लिए न्यूनतम और क्षेत्र-4 के लिए अधिकतम होते हैं। उपर्युक्त मानक में आम प्रावधानों के अलावा, नदी घाटी परियोजनाओं के लिए भूकंपीय डिजाइन पैरामीटरों संबंधी एक राष्ट्रीय समिति (एनसीएसडीपी) भी है जिसके अध्यक्ष, सदस्य (डिजाईन एवं अनुसंधान) केन्द्रीय जल आयोग हैं तथा इसमें विख्यात भूकंप विशेषज्ञ और अन्य संबंधित संगठनों के विभिन्न विशेषज्ञ शामिल हैं। यह समिति सावधानीपूर्वक जांच तथा विचार-विमर्श करने के बाद देश में विशिष्ट बांध के लिए अपनाए जाने

वाले भूकंपीय डिजाइन पैरामीटरों को अंतिम रूप देती है। भूकंपीय डिजाइन पैरामीटरों संबंधी राष्ट्रीय समिति (एनसीएसडीपी) द्वारा सिफारिश किए गए इन भूकंपीय मानकों का उपयोग करते हुए बांधों की डिजाइन की जाती है तथा उचित डिजाइन एवं निर्माण के परिणामस्वरूप उनकी भूकंपीय सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। भूकंपीय स्थिरता की जांच करके बांध के संपूर्ण डिजाइन के एक भाग को तैयार किया जाता है। इस प्रकार तैयार किए गए बांध देश के संबंधित भूकंपीय क्षेत्रों में प्रभावित कर सकने वाले अत्यधिक तीव्रता के भूकंप सह सकते हैं।

विद्यमान बांधों के संबंध में भूकम्पीय सुरक्षा, बांधों की संपूर्ण सुरक्षा पहलू का एक भाग है तथा अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में बांध सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय समिति द्वारा समन्वित राष्ट्रीय बाढ़ सुरक्षा कार्यक्रम के तहत इसकी देखरेख की जाती है। बांध सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय समिति में सभी राज्यों के महत्वपूर्ण बांध होते हैं और संबंधित राज्य के विभाग विशेषज्ञों के स्वतंत्र पैनल द्वारा 10 वर्षों में एक बार 15 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाले बड़े बांधों की भूकम्पीय समीक्षाओं सहित सुरक्षा की समीक्षा करती है। इस प्रकार देश में बांधों की भूकम्पीय सुरक्षा उपयुक्त भूकम्पीय पैरामीटरों पर विचार करते हुए उपयुक्त डिजाइन को अपनाकर तथा बाद में उनकी सुरक्षा की समीक्षा करते हुए सुनिश्चित की जाती है।

समग्र रूप से भारत को 4 भूकम्पीय क्षेत्रों में बांटा गया है और देश के सभी 4525 बड़े बांध (जिसमें 475 बांध निर्माणाधीन हैं) इन्हीं चार क्षेत्रों में से किसी न किसी क्षेत्र में आते हैं। संबंधित राज्यों के द्वारा नवनिर्मित बांध के आस-पास भूकम्पीयता की मानीटरी उपयुक्त तंत्र, प्रेक्षण तथा विश्लेषण के द्वारा की जाती है। संबंधित नदियों के किनारों पर चेतावनी प्रणाली लगाने का दायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है।

बांधों की मरम्मत के लिए सहायता

3491. श्री टी. गोविन्दन: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राहत/सहायता के लिए केरल में कुट्टानाड और कोले लैंड्स में बांधों की मरम्मत को भी शामिल करने हेतु केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्वीकृति कब तक दे दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुनचरण सेठी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मवेशी संबंधी राष्ट्रीय आयोग

3492. श्री सुरेश चन्देल: क्या **कृषि मंत्री** 3 मार्च, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1665 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मवेशी संबंधी राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों की जांच हेतु विशेषज्ञ दल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त दल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसे कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (घ) जी, हां। राष्ट्रीय गोवंश की सिफारिशों की जांच पड़ताल करने के लिए इस विभाग में एक विशेषज्ञ दल गठित किया गया है। विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट अप्रैल, 2003 के मध्य तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

'काम के अधिकार' को मूल अधिकार के रूप में शामिल किया जाना

3493. श्री मोहन रावले: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संविधान में काम के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में शामिल किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

एयर इंडिया के प्रबंध निदेशक के विरुद्ध मामले

3494. श्रीमती मिनाती सेन:
श्री मोइनुल हसन:
श्री सुबोध राय:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.बी.आई. ने एयर इंडिया के कार्यकारी प्रबंध निदेशक के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया है जैसाकि दिनांक 5 फरवरी, 2003 के 'एशियन एज' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो किसी ऐसे आरोपी व्यक्ति को संगठन के प्रमुख के रूप में दो बिलियन डालर के विमान खरीद हेतु निर्णय लेने की अनुमति देने के क्या तर्क हैं;

(ग) ऐसे मामले में कार्मिक विभाग के मार्गनिर्देश क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन मार्गनिर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) कार्मिक विभाग के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि सी.बी.आई. द्वारा संबंधित अधिकारी के विरुद्ध एक नियमित मामला दर्ज करने से ही ऐसा नहीं माना जा सकता। उसके बारे में की जांच चल रही है जब तक कि पहली बार में ही उनका दोष सिद्ध न हो जाए तब तक जब तक सक्षम प्राधिकारी इस प्रकार के निष्कर्ष पर न पहुंच जाए, तब तक अधिकारी को सभी प्रशासनिक मामलों में अन्यों के समान ही माना जा सकता है। इस मामले में सी.बी.आई. ने सरकार को अभी अपनी रिपोर्ट देनी है।

[हिन्दी]

पोत भंजन यार्ड में आग

3495. श्री चन्द्रेश पटेल: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 22 फरवरी, 2003 को गुजरात के भावनगर जिले में पोत भंजन यार्ड में एक पोत में आग लगने का समाचार प्रकाश में आया था;

(ख) यदि हां, तो आग के क्या कारण हैं और जान-माल की क्षति का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन मारे गए और घायलों के परिवार के सदस्यों को कितने मुआवजे का भुगतान किया गया और कौन-सी सुविधाएं प्रदान की गई;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) जी, हां।

(ख) आग लगने का संभावित कारण जो जहाज तोड़ने के लिए समुद्र के किनारे खड़ा किया गया था, के इंजन रूप में ज्वलनशील गैस का विस्फोट होना था। आग के कारण पूरा इंजन रूम और आवास जल गया। सात व्यक्तियों की मृत्यु हई और तीन लोग घायल हुए थे।

(ग) जहाज तोड़ने वाले ने प्रत्येक मृतक के कानूनी वारिस को एक लाख रुपए का भुगतान किया है। बीमा कंपनी और न्यायालय के निर्णय के अनुसार मृतक के कानूनी वारिस और घायलों को अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा।

(घ) और (ङ) जी, हां। गुजरात मैरिटाइम बोर्ड, न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, फैक्ट्री निरीक्षक और पुलिस विभाग द्वारा विस्तृत जांच की जा रही है। अग्निशमन अधिकारी तथा पत्तन अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के अनुसार 22 फरवरी, 2003 को लगभग 14.15 बजे जहाज के इंजन रूप में आग लगी थी। स्थानीय दमकल वाहिनी द्वारा तत्काल आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए गए थे। चूंकि आग काफी अधिक थी। इसलिए लगभग 15.30 बजे भावनगर अग्निशमन केन्द्र से सहायता मांगी गई। अलंग अग्निशमन केंद्र और भावनगर अग्निशमन केन्द्र द्वारा संयुक्त प्रयास 16.30 बजे से 23 फरवरी, 2003 को 7.30 बजे तक, तब तक किए जाते रहे, जब तक कि आग पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर लिया गया।

[अनुवाद]

मैसूर में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के कारण प्रभावित आदिवासियों का पुनर्वास

3496. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को आश्वस्त किया है कि मैसूर में कबीनी जलाशय के निर्माण और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के कारण विस्थापित 154 आदिवासी परिवारों के पुनर्वास के लिए किसी वैकल्पिक स्थान का चयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने उनके शीघ्र पुनर्वास का निर्णय लिया है और आश्वासन दिया है कि राज्य से नए प्रस्ताव प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर कार्रवाई की जाएगी;

(ग) यदि हां, तो क्या कर्नाटक ने यह तर्क देते हुए वर्ष 2001 में प्रस्ताव पर विचार करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था कि प्रस्तावित पुनर्वास क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान के अधिसूचित क्षेत्र से बाहर है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने परियोजना को किस हद तक क्रियान्वित किया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) से (घ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों पर कर्नाटक सरकार ने बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बनने और कर्नाटक के मैसूर जिले में काबिनी जलाशय के निर्माण के कारण विस्थापित हुए 154 आदिवासी परिवारों के पुनर्वास के लिए राजस्व विभाग के पक्ष में 200 हैक्टेयर वनभूमि के वनेतर उपयोग का एक नया प्रस्ताव 27.01.2003 को प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 4.03.2003 को अनुमोदन दे दिया गया है।

उक्त को देखते हुए पूर्व प्रस्ताव पर पुनर्विचार का प्रश्न ही नहीं उठता।

कीट लगने की पहचान

3497. श्री सुबोध मोहिते: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान ने गत वर्ष की भांति सूखे की दीर्घकालिक स्थिति के कारण कीट लगने की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कीट संकट को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय शुरू किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर ने लम्बे सूखे के कारण जुलाई और अगस्त माह के दौरान जैसिड्स और थ्रिप्स के बढ़ते आयतन को रिकार्ड किया है। अब तक कपास पर रिकार्ड न किए गए दूसरे कीट-व्याधि की सेस्बानिया नामत: अजाईगोहल्पस स्केलेरिस की तना बेधक के रूप में पहचान की गई है, जो सूखे की अवधि के दौरान संक्रमण करता है।

(ग) मध्य क्षेत्र में चूषक नाशीजीव नामत: जैसिड्स, मांहू, थ्रिप्स और सफेद मक्खी का इमाइडेक्लोप्रिड के 8 ग्राम/कि.ग्रा. बीज की दर से बीजोपचार द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। इसके बाद इण्डोस्लफान, मिथाइल, डेमेटान और थाइमेथोजम जैसे रसायनों की सिफारिश की जाती है।

[हिन्दी]

कार्यालयी व्यय

3498. श्री रामदास आठवले: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों और उपक्रमों द्वारा प्रचार, विज्ञापन, स्वागत, खान-पान, उद्घाटन समारोहों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, देशी-विदेशी दौरों, एस.टी.डी. और आई.एस.डी. टेलीफोन बिलों, बिजली बिलों (विशेषकर एयरकंडीशनर्स और कूलरों) और अन्य कार्यालयीय व्ययों पर शीर्ष-वार कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त शीर्षों पर होने वाले व्यय को कम करने हेतु कोई अभियान शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुनचरण सेठी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है एवं सभापटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास

3499. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चल रहे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) निर्यातोन्मुख खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या कितनी है और स्थानीय बाजार मांगों को पूरा करने वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या दसवीं योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु कोई विशिष्ट कार्यक्रम बनाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश के पूर्वी राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकसित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में कार्य करता है। अधिकतर प्रसंस्कृत खाद्य मदें उद्योग (विकसित एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत लाइसेंसिंग के दायरे से मुक्त हैं। इस स्थिति में यूनिटों (चाहे स्थानीय बाजार यूनिटें या निर्यातोन्मुख यूनिटें) की संख्या केन्द्रीय तौर पर नहीं रखी जाती। वैसे उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण, वर्ष 1999-2000 के अनुसार खाद्य एवं पेय क्षेत्र में फैक्टरियों की कुल संख्या 23,942 थी।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/आधुनिकीकरण/विस्तार हेतु सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% तक जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रु. है और दुर्गम क्षेत्रों जिसमें सिक्किम, एर्काकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र आदि समेत पूर्वोत्तर क्षेत्र शामिल हैं, में संयंत्र एवं मशीनरी तथा सिविल कार्यों की लागत के 33.33% तक जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रु. है अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है। पूर्व अनुबंधित किसानों से कतिपय शर्तों के अध्यधीन कच्चे माल की खरीद हेतु भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ये स्कीमें परियोजना विशेष हैं न कि राज्य विशेष, इसलिए खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना हेतु राज्य-वार कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं बनाए गए हैं।

अभिसमयों को अंगीकार किया जाना

3500. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय संख्या 97, 98, 138 और 182 को अंगीकार करने का है क्योंकि इन अभिसमयों की पहचान अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मानवाधिकार के प्रमुख अभिसमयों के रूप में की गई है;

(ख) यदि हां, तो इन्हें कब तक अंगीकार किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) जी, नहीं।

(ख) इन अभिसमयों के अनुसमर्थन के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं है। जैसा कि विगत में होता रहा है, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय का अनुसमर्थन केवल तभी किया जाता है जब तक कि राष्ट्रीय कानूनों तथा पद्धतियों को पूरी तरह विचाराधीन अभिसमय के उपबन्धों के अनुरूप नहीं बना लिया जाता है।

(ग) हम अभी तक इन अभिसमयों का अनुसमर्थन इसलिए नहीं कर सके हैं क्योंकि हम अपने राष्ट्रीय नियम और पद्धतियों अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप नहीं बना पाए हैं।

महाराष्ट्र में खुरपका और मुंहपका रोग मुक्त क्षेत्र का निर्माण

3501. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार से खुरपका और मुंहपका रोग मुक्त क्षेत्र के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) भारत सरकार ने 10वीं योजना के दौरान महाराष्ट्र सहित देश के चुनिंदा क्षेत्रों में व्यापक खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम क्रियान्वित करने का फैसला किया है। यह कार्यक्रम वर्ष 2003-04 से शुरू होगा।

चारा के लिए वृक्षों के पत्तों का उपयोग

3502. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा चारा के लिए राजस्थान में खेजरी जैसे वृक्षों के पत्तों का उपयोग करने हेतु कोई योजना बनाई गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) इस समय चारा के लिए वृक्षों की पत्तियों का उपयोग करने के संबंध में कोई योजना नहीं है। तथापि, 10वीं योजना के दौरान राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम योजना के तहत सिल्वीपाश्चर विकास घटक के अंतर्गत ईंधन की लकड़ी तथा चारा वृक्ष संबंधी प्रजातियां वृक्षारोपण परियोजना का एक भाग हो सकती है। इस योजना का कार्यान्वयन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के तहत वन विकास एजेंसियों के विकेन्द्रित ढांचे के माध्यम से किया जा रहा है। खेजरी जैसी प्रजातियों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। राजस्थान के किसान चारा के एक शानदार स्रोत के रूप में खेजरी का उपयोग कर रहे हैं।

[हिन्दी]

चम्बल नदी जल के बंटवारे पर विवाद

3503. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच चम्बल नदी जल के बंटवारे पर हुए विवाद का समाधान कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने गांधी सागर बांध के कमान क्षेत्र में अनधिकृत बांध और तालाब का निर्माण कर जल बहाव को रोक दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निरोधात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुनचरण सेठी): (क) अन्तर्राज्यीय जल विवाद (आईएसआरडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत केन्द्र सरकार को चंबल नदी के जल के बंटवारे के संबंध में मौजूदा जल विवादों के संबंध में मध्य प्रदेश अथवा राजस्थान राज्यों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राजस्थान के अनुसार, मध्य प्रदेश ने गांधी सागर बांध के आवाह क्षेत्र में बहुत सी सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया है। इस प्रकार गांधी सागर बांध में प्रवाह कम हुआ है।

(घ) राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों के बीच वर्ष 1973 में हुए समझौते के अनुसार चम्बल बेसिन में स्थित अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं का तीव्र और किफायती अन्वेषण, निष्पादन और प्रचालन तथा रख-रखाव सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश-राजस्थान अन्तर्राज्यीय (सिंचाई और विद्युत) बोर्ड की स्थापना की गई है जिसका मुख्यालय कोटा में है। इस मामले को राजस्थान ने मध्य प्रदेश के साथ तथा मध्य प्रदेश-राजस्थान अन्तर्राज्यीय नियंत्रण बोर्ड की बैठकों में उठाया है। इस मामले पर भोपाल, मध्य प्रदेश में दिनांक 29.1.2003 को आयोजित स्थायी समिति के बोर्ड की 73वीं बैठक में अंतिम बार विचार-विमर्श किया गया था।

बिहार में यात्री निवास

3504. श्री राजो सिंह: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय बिहार में स्थान-वार कितने यात्री निवास हैं;

(ख) राज्यों में यात्री निवास के निर्माण हेतु बिहार सहित अन्य राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए राज्य सरकारों द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक निबटा दिए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) बिहार में पर्यटन विभाग द्वारा निम्नलिखित यात्री निवासों को मंजूरी दी गई है:

वर्ष	स्थान	मंजूर की गई राशि (रु. लाख में)
1992-93	गया में यात्रिका	15.92
1993-94	देवघर में यात्रिका	21.93
1998-99	सिंघेश्वर अस्थान में यात्रिका	19.39
1999-2000	मधुबन में यात्रिका	41.65

(ख) से (घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना में, यात्री निवास के निर्माण के लिए कोई अलग से योजना नहीं है। तथापि, उत्पाद/अवसंरचना एवं गंतव्य विकास एवं पर्यटक परिपथों के एकीकृत विकास की योजना के अतंर्गत बजट आवास अनुमेय है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्र सरकारों से प्रस्तावों के आधार पर, विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के लिए 11121.10 लाख रुपए की राशि की 212 पर्यटन परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

झारखंड में पर्यटन विकास

3505. श्री लक्ष्मण गिलुवा: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत वर्ष के दौरान झारखंड में पर्यटन विकास हेतु कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए और इसके लिए कितनी राशि निर्धारित की गई?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) पर्यटन विभाग ने झारखंड राज्य में पर्यटन के विकास के लिए 20-वर्षीय संदर्शी योजना तैयार करने हेतु 7.50 लाख रुपए की मंजूरी प्रदान की। अंतिम रिपोर्ट पहले ही प्राप्त हो गई है।

पर्यटन विभाग ने पर्यटक केन्द्रों के एकीकृत विकास एवं उत्पाद/अवसंरचना एवं गंतव्य विकास के लिए एक योजना भी तैयार की है, जिसके दिशा-निर्देश सभी राज्य सरकारों को, आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए, परिचालित किए गए हैं। अभी तक झारखंड से सभी प्रकार से पूर्ण कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

ई.पी.एफ. परिवार पेंशन योजना

3506. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जो कर्मचारी वर्ष 1971 के बाद से ई.पी.एफ. परिवार पेंशन योजना में अंशदान कर रहे थे, लेकिन वर्ष 1993 और 1999 के बीच सेवा से निवृत्त हो चुके हैं, को प्रति माह 400-500 रु. की अल्प पेंशन राशि ही मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या न्यूनतम पेंशन राशि के पुनरीक्षण हेतु पेंशन भोगी संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) और (ख) कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के अंतर्गत 33 वर्ष की अंशदायी सेवा पूरी होने पर वेतन का 50 प्रतिशत मासिक पेंशन के रूप में देय होता है। कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के अंतर्गत पेंशन लाभ की पात्रता अवधि हेतु कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 के साथ-साथ कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 की कुल सदस्यता अवधि को गणना में लिया जाता है। पेंशन की राशि पिछली सेवा और पेंशन योग्य सेवा के आधार पर गणना की गई पेंशन का पूर्णयोग होती है।

(ग) और (घ) एसोसिएशन ने पेंशनरों को भुगतान की गई न्यूनतम पेंशन में वृद्धि करने की मांग की थी। कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 सीमित स्रोतों वाली एक स्व वित्तपोषित स्कीम है। सदस्यों/परिवारों को दिये जाने वाले लाभों की मात्रा निधि में अंशदान और उस पर कमाए गए ब्याज के रूप में अन्तर्वाह (इन्फ्लो) पर निर्भर करेगी। पेंशन की न्यूनतम राशि बीमांकन गणना के आधार पर और पेंशन निधि की समर्थता व वित्तीय अर्थक्षमता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है। वार्षिक आधार पर पेंशन निधि का मूल्यांकन और पेंशन लाभों की समीक्षा करने का प्रावधान है। कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1990 में आदिनांक चार मूल्यांकनों में क्रमश: 4 प्रतिशत, 5.5 प्रतिशत, 4 प्रतिशत और 4 प्रतिशत की दर से राहत दी गई है। पेंशनर्स एसोसिएशन को तदनुसार सूचित कर दिया गया है।

वेतनमान की सिफारिश

3507. श्री महबूब जाहेदी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) का वेतनमान संबंधी सिफारिशों राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) में सम्पूर्णता में क्रियान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्रियान्वयन को तिथि क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय द्वारा पशु चिकित्सा विज्ञान की मूल अर्हता रखने वाले विश्वविद्यालय शिक्षकों को गैर-प्रैक्टिस भत्ता देने के लिए दिए गए अनुदान को जारी किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रभावी तिथि क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) अधिवर्षिता की आयु में वृद्धि करने के सिवाय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा अपने वैज्ञानिकों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए वेतनमानों के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों को अपनाया गया है।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संबंध में दिनांक 27.2.99 और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के संबंध में दिनांक 3.3.99 के परिपत्र सं. 1(15)/98-का.-4 की प्रतियां विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) प्रैक्टिसबंदी भत्ता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतन पैकेज का हिस्सा नहीं है। इसलिए इस प्रयोजन के लिए अनुदान देने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि भवन, नई दिल्ली

फा.सं. 1 (15)/98-कार्मिक-IV दिनांक 27 फरवरी, 1999

सेवा में,

संस्थानों/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों/ब्यूरो/भा.कृ.अ.प. के प्रायोजना निदेशालयों के निदेशक/प्रायोजना निदेशक।

विषय: 5वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के संशोधित वेतनमानों के अनुसरण में भा.कृ.अ.प. के वैज्ञानिकों के वेतनमान में संशोधन।

महोदय, देश में कृषि अनुसंधान और शिक्षा को प्रोत्साहन और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की उन्नति के लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में वित्त मंत्रालय की सहमति और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से भा.कृ.अ.प. के वैज्ञानिकों के वेतनमानों में संशोधन किया गया है। परिषद् और भारत सरकार ने संशोधित वेतनमानों का निर्णय लेते समय पांचवें वेतन आयोग और विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमानों के संशोधन के लिए एम.एच.आर.डी. अधिसूचना और इस उद्देश्य के लिए गठित की गई भा.कृ.अ.प. समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखा है। तदनुसार, भा.कृ.अ.प. के वैज्ञानिकों के वेतनमान में संशोधन इस पत्र में दिए गए वेतनमानों के संशोधन की योजना के विभिन्न प्रावधानों और इस संबंध में भा.कृ.अ.प. द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार किया जाएगा। संशोधित वेतनमान और अन्य सेवा दशाएं निम्न प्रकार हैं:-

1. **(i) वेतनमान**

भा.कृ.अ.प. में विभिन्न ग्रेडों के वैज्ञानिकों और अनुसंधान प्रबंध के पदों के मौजूदा और संशोधित वेतनमानों का विवरण निम्न प्रकार हैं:-

भा.कृ.अ.प. के सभी ग्रेडों में वैज्ञानिकों/आर.एम.पी. के वेतनमान

क्र.सं.	पदों का वर्ग	मौजूदा वेतनमान (रु.)	संशोधित वेतनमान (रु.)
1	2	3	4
1.	वैज्ञानिक	2200-75-2600-100-4000	8000-275-13500
2.	वैज्ञानिक (वरिष्ठ वेतनमान)	3000-100-3500-125-5000	10,000-325-15,200
3.	वैज्ञानिक (चयन ग्रेड) वरिष्ठ वैज्ञानिक	3700-125-4950-150-5700	12,000-420-18,300
4.	प्रधान वैज्ञानिक	4500-150-5700-200-7300	16,400-450-20,900-500-22,400
5.	चार डीम्ड विश्वविद्यालयों और नार्म के अलावा प्रायोजना समन्वयक/प्रभागाध्यक्ष/क्षेत्रीय केन्द्र/स्टेशन के संयुक्त निदेशक क्षेत्रीय समन्वयक	4500-150-5700-200-7300	16,400-450-20,900-500-22,400
6.	संस्थानों/रा.अ.के./प्रायोजना निदेशालयों के निदेशक/प्रायोजना निदेशक, भा.कृ.अ.प. मुख्यालय के सहायक महानिदेशक डीम्ड विश्व-विद्यालयों/नार्म के संयुक्त निदेशक	4500-150-5700-200-7300	16,400-450-20,900-500-22,400 (प्रारम्भिक नियुक्ति पर न्यूनतम वेतन रु. 17300/- निर्धारित किया जाएगा)

1	2	3	4
7.	भा.कृ.अ.प. मुख्यालय के उप-महानिदेशक, भा.कृ.अ.प. संस्थान भा.प.वि.अ. संस्थान, रा.ई.अ.सं., के.मा.शि.सं. और नार्म के निदेशक	7600-निर्धारित	25,000/- रु. निर्धारित

टिप्पणी-I वैज्ञानिकों (सेलेक्शन ग्रेड)/वरिष्ठ वैज्ञानिक जिन्होंने 1.1.96 को 5 वर्ष की सेवा कर ली है का न्यूनतम वेतनमान 14,940/ रु. निश्चित किया जाएगा।

टिप्पणी-II प्रयोगात्मक वैज्ञानिकों (1740-3000 रु.) के संशोधित वेतनमान अलग से जारी किए जाएंगे।

व्यावसायिक पदों के लिए मौजूदा और संशोधित वेतनमानों की सूची निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	पदों का वर्ग	मौजूदा वेतनमान (रु.)	संशोधित वेतनमान (रु.)
1.	राष्ट्रीय फेलो	4500-150-5700-200-7300	16,400-450-20,900-500-22,400
2.	राष्ट्रीय प्रोफेसर	7600/- निर्धारित	25,000/- निर्धारित

(ii) पी.एच.डी./एम.फिल के लिए प्रोत्साहन

(क) भर्ती के समय पी.एच.डी. और एम. फिल डिग्री वाले वैज्ञानिकों को क्रमश: चार और दो वेतनवृद्धियां स्वीकार्य होंगी।

(ख) उन वैज्ञानिकों को एक वेतनवृद्धि दी जाएगी जिनके पास एम. फिल की डिग्री है और वे नियुक्ति के बाद दो वर्ष के भीतर पी.एच.डी. की डिग्री हासिल कर लें।

(ग) पी.एच.डी. उपाधि प्राप्त वैज्ञानिक जब चयन (सेलेक्शन) ग्रेड में वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में जाते हैं तो वे दो वेतनवृद्धियों के हकदार होंगे।

(घ) एक वैज्ञानिक जब भी अपने सेवाकाल में पी.एच.डी. की डिग्री हासिल कर लेगा तो वह दो वेतनवृद्धियों का हकदार होगा।

(iii) कैरियर एडवांसमेंट

(क) वैज्ञानिक (वरिष्ठ वेतनमान) के ग्रेड में जाने के लिए पी.एच.डी. धारकों के लिए न्यूनतम सेवाकाल चार वर्ष होगा, एम. फिल धारकों के लिए पांच वर्ष और अन्य के लिए छह वर्ष तथा वैज्ञानिक (सेलेक्शन ग्रेड)/वरिष्ठ वैज्ञानिक के ग्रेड में जाने के लिए वैज्ञानिक (वरिष्ठ वेतन) का सेवाकाल समान रूप से 5 वर्ष होगा।

(ख) वरिष्ठ वैज्ञानिक और इससे ऊपर के ग्रेडों में जाने की पात्रता पी.एच.डी. होगी। वै वैज्ञानिक जिनके पास पी.एच.डी. की उपाधि नहीं है वे वैज्ञानिक चयन ग्रेड के स्तर तक पहुंच सकते हैं।

(ग) एक वरिष्ठ वैज्ञानिक जिसका कम से कम 8 वर्ष का सेवाकाल है वे प्रधान वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त होने के पात्र हैं।

(घ) प्रत्येक ऊपर के पद के लिए एक चयन प्रक्रिया विकसित की जायेगी जिसके लिए सरकार के साथ परामर्श से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये जायेंगे।

(iv) मैरिट प्रदान करना

(क) रु. 22000-500-24500 का एक सुपर टाइप वेतनमान ऐसे उत्कृष्ट प्रमुख वैज्ञानिक को दिया जायेगा जिनकी सीधी भर्ती हुई हो और जिन्होंने सेवा में 28 वर्ष पूरे कर लिये हों। पात्रता मानदण्ड तथा चयन प्रक्रिया भा.कृ.अ.प. द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(ख) सरकार के परामर्श से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् उन उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को पुरस्कार तथा मान्यता देने के लिए एक विशिष्ट योजना तैयार करेगा जिन्होंने एम. फिल. अथवा पी.एच.डी. न की हो परन्तु अनुसंधान, शिक्षा तथा विस्तार में उत्कृष्ट योगदान दिया हो।

(v) भत्ते, प्रभावी तिथि तथा फिटमेन्ट फारमूला

(क) हालांकि संशोधित वेतनमान 1 जनवरी, 1996 से लागू होंगे तो भी भत्ते संशोधित दरों पर 1 अगस्त, 1997 से प्रभावी होगी।

(ख) संशोधित वेतनमान में 1.1.96 से वेतन नियत किया जायेगा और नियतन जैसाकि केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमों के नियम 7 में निहित है और लागू केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित), 1997 के अन्य संगत प्रावधानों द्वारा शामिल है, पूर्व संशोधित वेतनमान में मिले प्रत्येक 3 वेतनवृद्धियों पर एक वेतनवृद्धि का लाभ देने के बाद किया जायेगा।

(ग) इस पत्र के उपरोक्त पैरा (1) के अंतर्गत संशोधित वेतनमानों में वेतन का निर्धारण उपरोक्त पैरा (ख) में देय अवस्था के संदर्भ में उसी अवस्था में किया जायेगा जिन मामलों में एक समान अवस्था का मामला नहीं बनता है वहां उपरोक्त पैरा (ख) में देय वेतन की ठीक अगली अवस्था में वेतन का निर्धारण किया जायेगा।

(घ) बकाया का भुगतान एक किस्त में किया जायेगा।

(ङ) जैसाकि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को लागू है उसी प्रकार वैज्ञानिक, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, शहरी प्रतिपूरक भत्ता तथा अन्य भत्ते के हकदार होंगे।

(च) संशोधित वेतनमानों के लेखा पर बकाया के भुगतान करते समय पूर्व संशोधित दरों पर मंहगाई भत्तों की राशि तथा वैज्ञानिकों को पहले ही भुगतान किये गये 25,000 की एकमुश्त राशि बकाया कि राशि के विरुद्ध समायोजित की जायेगी। इसके अलावा बकाया का भुगतान आवश्यक आयकर घटाने के बाद ही किया जायेगा।

(vi) सेवानिवृत्ति की आयु

1. वैज्ञानिकों की सेवानिवृत्ति की आयु में 60 से 62 वर्ष करने के प्रस्ताव पर सहमति देते समय सक्षम प्राधिकारी ने सलाह दी कि इसे मंत्रीमंडल दल के समक्ष रखा जाये। तदनुसार जरूरी कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है और अंतिम निर्णय हो जाने के बाद इस संबंध में अलग से आदेश जारी किये जायेंगे उस समय तक सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष रहेगी।

2. ये आदेश अर्ध-सरकारी/स्वायत्त संगठनों, वैधानिक निकायों, इत्यादि द्वारा गठित और केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित के कर्मचारियों के वेतन संशोधन संबंधी वित्त मंत्रालय के दिनांक 2.12.97 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7(34)/ईIIIए/97 के अनुसार है।

3. यह अनुरोध है कि आपके संस्थान के वैज्ञानिकों के वेतनमान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी नियत किये वाले इंस्टेट पत्र एवं विनियमों में निर्धारित शर्तों के अनुसार, संशोधित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाये।

4. आगे यदि योजना लागू करने संबंधी कोई और स्पष्टीकरण जरूरी हो तो भा.कृ.अ.प. से मांग लिया जायेगा।

5. इस पत्र की प्राप्ति की सूचना भेजें।

भवदीप
ह./-
(जी. प्रसाद)
निदेशक (कार्मिक)

प्रतिलिपि—

1. कृषि मंत्री/प्रधान मंत्री के निजी सचिव
2. कृषि राज्य मंत्री (कृषि) के निजी सचिव
3. सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक
4. सचिव, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लाक
5. सचिव, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
6. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग
7. सी.पी.पी.आर.ओ., कृषि भवन
8. भा.कृ.अ.प. मुख्यालय/कृषि अनुसंधान भवन के सभी अधिकारी

ह./-
(जी. प्रसाद)
निदेशक (कार्मिक)

भारत सरकार
कृषि मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
कृषि भवन: नई दिल्ली

फा.सं. 1(15)/98-कार्मिक-IV दिनांक: 3 मार्च, 1999

सेवा में,

मुख्य सचिव
समस्त राज्य

विषय:- पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के संशोधित वेतनमानों के अनुसरण में कृषि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के वेतनमानों का संशोधन।

महोदय,

मुझे कहने का निदेश हुआ है कि कृषि शिक्षा के क्षेत्र में स्तर का समन्वय, निर्धारण करने और उसे बनाए रखने के लिए भा.कृ.अ.प. द्वारा भारत सरकार की ओर से समय-समय पर अनेक उपाय किए गए हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि भा.कृ.अ.प. परिषद् के वैज्ञानिकों को जो संशोधित वेतनमान दिए गए हैं वही संशोधित वेतनमान केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंफाल और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के पदों को दिए जाएं। केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को डिग्री, कैरियर एडवांसमैंट योजना के लिए दिए जाने वाले संशोधित वेतनमान, प्रोत्साहनों का विवरण इस पत्र में विस्तार से दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 27.7.98 और 6.11.98 के पत्र सं. 1-22-/87-यू.आई. के अनुसार जारी की गई अधिसूचना की प्रतियां उसके अनुलग्नक सहित संलग्न की जा रही है। (अनुबंध-I)

2. गैर-अध्यापन पदों जैसे रजिस्ट्रार, पुस्तकाध्यक्ष शिक्षा निदेशक, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, शारीरिक शिक्षा निदेशक, प्रलेखन स्टाफ इत्यादि के मामले में यह निर्णय लिया गया है कि यदि ऐसे पद, चौथे वेतन आयोग के दौरान यू.जी.सी. ये पैकेज के तहत पहले ही से शामिल हैं तो उनके वेतनमान भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचित वेतनमानों के तदनुरूप ही संशोधित किए जाएं।

3. विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के अध्यापकों की न्यूनतम योग्यताओं एवं स्तर को बनाए रखने के विषय में सचिव, यू.जी.सी. द्वारा सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, सभी राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के शिक्षा सचिवों को दिनांक 24 दिसंबर, 1998 को लिखे पत्र सं.-एफ 3(1)/94-पी.एम. की प्रति भी संलग्न हैं। (अनुबंध-II)

4. **(i) वेतनमान**

मौजूदा और संशोधित वेतनमान की एक सूची अनुबंध-III में संलग्न है।

(ii) पी.एच.डी./एम. फिल. के लिए प्रोत्साहन

(क) सहायक प्रोफेसरों/लैक्चररों की नियुक्ति के समय जिनके पास पी.एच.डी. और एम. फिल की डिग्री है, उनके लिए क्रमश: चार और दो वेतन वृद्धियां स्वीकार्य होंगी।

(ख) ऐसे अध्यापकों के लिए एक वेतन वृद्धि स्वीकार्य होगी जिसके पास एम. फिल की डिग्री है और वे नियुक्ति के बाद दो वर्ष के भीतर पी.एच.डी. की डिग्री हासिल कर लें।

(ग) लैक्चरर/सहायक प्रोफेसर जिनके पास पी.एच.डी. की डिग्री है जब वे चयन ग्रेड में ऐसोसिएट प्रोफेसर/रीडर के रूप में जाते हैं तो वे दो वेतन वृद्धियों के हकदार होंगे।

(घ) एक अध्यापक जब भी अपने सेवाकाल में पी.एच.डी. की डिग्री हासिल कर लेगा तो वह दो वेतन वृद्धियों का हकदार होगा।

(iii) कैरियर एडवांसमैंट

(क) लैक्चरर (वरिष्ठ वेतनमान)/सहायक प्रोफेसर (व.वे.) के ग्रेड में जाने के लिए पी.एच.डी. डिग्री धारकों के लिए न्यूनतम सेवाकाल चार वर्ष होगा, एम. फिल डिग्री धारकों के लिए पांच वर्ष और अन्य जैसे सहायक प्रोफेसर/लैक्चरर के लिए छ: वर्ष तथा सहायक प्रोफेसर (चयन ग्रेड)/लैक्चरर (चयन ग्रेड)/एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर के ग्रेड में जाने के लिए लैक्चरर (वरिष्ठ वेतनमान) के रूप में न्यूनतम सेवाकाल समान रूप से पांच वर्ष होगा।

(ख) एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर या उससे ऊपर के ग्रेड में जाने की पात्रता पी.एच.डी. होगी। वे अध्यापक जिनके पास पी.एच.डी. की डिग्री नहीं है वे सहायक प्रोफेसर चयन ग्रेड/लैक्चरर (चयन ग्रेड) के स्तर तक पहुंच सकते हैं।

(ग) एक एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर जिसका कम से कम सेवाकाल आठ वर्ष का है वह प्रोफेसर के रूप में नियुक्त होने का पात्र है।

(घ) प्रत्येक पदोन्नति के लिए एक चयन प्रक्रिया विकसित की जाएगी, जिसके लिए भा.कृ.अ.प. द्वारा समुचित मार्गनिर्देश नियत किए जाएंगे।

(iv) श्रेष्ठता को पुरस्कृत करना

(क) ऐसे प्रोफेसर आफ एमीनेंस जिसकी भर्ती सीधे ही हुई है और उसने अपनी सेवा के 28 वर्ष पूरे कर लिए हैं, को रु. 22000-500-24500 का एक सुपर टाइप स्केल दिया जाएगा। पात्रता संबंधी मानदण्ड और चयन प्रक्रिया भा.कृ.अ.प. द्वारा अलग से जारी की जाएगी।

(ख) ऐसे श्रेष्ठ अध्यापकों जिनके पास एम. फिल अथवा पी.एच.डी. की डिग्री नहीं है परन्तु उन्होंने अध्यापन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान किया हो, पुरस्कृत करने और उन्हें सम्मान देने के लिए भा.कृ.अ.प. सरकार के परामर्श से एक विशेष योजना तैयार करेगी।

(v) भत्ते, प्रभावी तिथि और समायोजन फार्मूला

(क) अनुबंध-III में निहित संशोधित वेतनमान 1.1.96 से प्रभावी होंगे जबकि संशोधित दर पर भत्ते 1 व 1 अगस्त 1997 से प्रभावी होंगे।

(ख) वेतन का नियतन संशोधित वेतनमान में 1.1.96 से किया जाएगा और नियतन, जैसा कि केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमों के नियम 7 में निहित है और लागू केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित), 1997 के अन्य संगत प्रावधानों द्वारा शासित है, पूर्व संशोधित वेतनमान में मिले प्रत्येक 3 वेतन वृद्धियों पर एक वेतन वृद्धि का लाभ देने के बाद किया जाएगा।

(ग) इस पत्र में संलग्न अनुबंध-III के संशोधित वेतनमान में वेतन का नियतन, उपरोक्त पैरा (ख) के अनुसार स्वीकार्य अवस्था के संदर्भ सहित उसी अवस्था में किया जाएगा। ऐसे मामलों में जहां वही अवस्थाएं नहीं हैं तो वेतन उपरोक्त पैरा (ख) के अनुसार स्वीकार्य वेतन से ऊपर की अवस्था में नियत किया जाए।

(घ) राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में कार्यरत अध्यापक उसी दर पर मंहगाई, मकान किराया, वाहन, नगर प्रतिपूरक भत्तों एवं अन्य भत्तों के पात्र होंगे और तिथियां वही होंगी जो उनके संबंधित राज्यों में लागू होंगी।

(ङ) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंफाल में कार्यरत अध्यापक, उसी दर पर मंहगाई, मकान किराया, वाहन, नगर प्रतिपूरक भत्तों एवं अन्य भत्तों के पात्र होंगे और तिथियां वही होगी जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू हैं।

(vi) सेवा निवृत्ति की आयु

अध्यापकों की सेवानिवृत्ति की आयु में 60 से 62 वर्ष करने के प्रस्ताव पर सहमति लेते समय सक्षम प्राधिकारी ने सलाह दी कि इसे सरकार के समक्ष रखा जाए। तदनुसार जरूरी कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है और अंतिम निर्णय हो जाने के बाद इस संबंध में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। उस समय तक सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष रहेगी।

5. ये आदर्श अर्ध-सरकारी/स्वायत्त संगठनों, वैधानिक निकायों, इत्यादि द्वारा गठित और केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त प्रेषित के कर्मचारियों के वेतन संशोधन संबंधी वित्त मंत्रालय के दिनांक 2.12.97 के कार्यालय ज्ञापन सं. 7(34)/ई.III-ए/97 के अनुसार हैं।

6. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा तात्कालिक रूप से जारी किये गए पत्र में बतायी गयी शर्तों और उनके द्वारा बनाये गए विनियमों के अनुसार राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय-इम्फाल के अध्यापकों के वेतनमानों को संशोधित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का आग्रह किया जाता है।

7. आगे यदि योजना लागू करने संबंधी कोई और स्पष्टीकरण जरूरी हो तो भा.कृ.अ.प. से मांग लिया जाए।

8. वेतनमानों का संशोधन निम्न शर्तों के अनुसार होगा:

(i) राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों के कार्मिकों के वेतनमानों और सेवा शर्तों का निर्धारण भा.कृ.अ.प. द्वारा किया जाएगा और वह निर्णय जो यू.जी.सी. द्वारा इस संबंध में लिया गया है वह तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि उसे भा.कृ.अ.प. द्वारा स्वीकार नहीं कर लिया जाता।

(ii) वेतनमान संशोधन के लिए भा.कृ.अ.प., राज्य सरकारों को होने वाले खर्च की 80% तक की मदद करेगी।

(iii) उपरोक्त मदद 1.1.1996 से 31.12.2000 तक की अवधि तक के लिए उपलब्ध होगी। शेष 20% का खर्चा राज्य सरकारें अपने उपलब्ध साधनों से पूरा करेंगी और इसकी जिम्मेवारी राज्य कृषि विश्वविद्यालयों पर नहीं डालेंगी।

(iv) राज्य सरकारें 1.4.2000 से आगे इस संशोधित वेतनमानों को जारी रखने की पूरी जिम्मेवारी निभाएंगी।

(v) यह सहायता केवल उन्हीं पदों के वेतन संशोधन तक सीमित हैं जो 1.1.1996 को अस्तित्व में थे।

(vi) 80 प्रतिशत की सहायता केवल उन्हीं राज्यों को दी जाएगी जो राज्य सरकारें 20 प्रतिशत खर्चा वहन करने का स्पष्ट वचन देंगे।

(vii) राज्य सरकारें सुनिश्चित करेंगी कि राज्य कृषि विश्वविद्यालय, भा.कृ.अ.प. विनियमों द्वारा निर्धारित अध्यापकों/संकायों की सेवा शर्तों का अनुसरण करेंगे।

भवदीय,
ह./-
(एम. असलम)
निदेशक (डेयर)

प्रति:

1. कुलपति/रजिस्ट्रार, समस्त कृषि विश्वविद्यालय/केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंफाल।
2. सचिव, भा.कृ.अ.प.।
3. एफ.ए. (डेयर)
4. उप महानिदेशक (शिक्षा)
5. समस्त कर्मचारी, भा.कृ.अ.प./कृ.अ.भ.।

ह./-
(एम. असलम)
निदेशक (डेयर)

अनुबंध-3

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के अध्यापकों एवं अन्य एकेडमिक स्टाफ का वेतनमान

क्र.सं.	श्रेणी	वर्तमान वेतनमान	संशोधित वेतनमान
1	2	3	4
	विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के अध्यापक		
1.	व्याख्याता/सहायक प्राध्यापक	2200-75-2800-100-4000	8000-275-13500
2.	व्याख्याता (वरिष्ठ वेतनमान)/सहायक प्राध्यापक (वरि. वेतनमान)	3000-100-3500-125-5000	10000-325-15200
3.	व्याख्याता (चयन वेतनमान)/रीडर/एसोसिएट प्राध्यापक	3700-125-4950-150-5700	12000-420-18300 दिनांक 1.1.96 को जिनका सेवाकाल पांच वर्ष का हो गया है उनका वेतन न्यूनतम 14,940/- रु. निश्चित किया जाए
4.	प्राध्यापक	4500-150-5700-200-7300 4500-150-5700	16400-450-20900-500- 22400
5.	प्राचार्य/अध्यक्ष, महाविद्यालय	4500-150-5700-200-7300	16400-450-20900-500-22400 प्रारंभिक वेतन 17300/- रुपये सहित
6.	निदेशक (अनु.)/निदेशक(प्रसार)/अधिष्ठाता (स्नातकोत्तर)/अधिष्ठाता (छात्रा कल्याण)	4500-150-5700-200-7300	16400-450-20900-500-22400
7	कुलपति	7600/- रुपये निर्धारित	25000/- रुपये निर्धारित
	विश्वविद्यालयों के लिए		
8.	रजिस्ट्रार/पुस्तकालयाध्यक्ष/शारीरिक शिक्षा निदेशक/परीक्षा नियंत्रक	4500-150-5700-200-7300	16400-4500-20900-500-22400

1	2	3	4
9.	उप-रजिस्ट्रार/उप-पुस्तकालयाध्यक्ष/ शारीरिक शिक्षा निदेशक/उप-परीक्षा नियंत्रक	3700-125-4950-150-5700	12000-420-18300
10.	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक प्रलेखन अधिकारी (वरि. वेतनमान)/सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक (वरि. वेतनमान)	3000-100-3500-125-5000	10000-325-15200
11.	सहायक रजिस्ट्रार/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/ सहायक प्रलेखन अधिकारी/सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक/सहायक परीक्षा नियंत्रक	2200-75-2800-100-4000	8000-275-13500
महाविद्यालयों के लिए			
12.	महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष (चयनित वेतनमान)/शारीरिक शिक्षा निदेशक (चयनित वेतनमान)	3700-125-4950-150-5700	12000-420-18300
13.	महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष (वरि. वेतनमान)/ शारीरिक शिक्षा निदेशक (वरि. वेतनमान)	3000-100-3500-125-5000	10000-325-15200
14.	महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष/शारीरिक शिक्षा निदेशक	2200-75-2800-100-4000	8000-275-13500
15.	डिमोन्सट्रेटर/ट्यूटर	1740-60-2700-द.रो.-75-3000	5500-175-9000

अनुबंध–2 एवं 3

डा. जी.डी. शर्मा
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफर मार्ग
नई दिल्ली-110002

सं. : एफ.3-1/94-(पीएस) 24 दिसम्बर, 1998

सेवा में,

सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति
सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा सचिव

विषय: विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताएं तथा स्टैन्डर्ड बनाए रखने के उपाय

महोदय/महोदया,

इस पत्र के साथ विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताएं तथा स्टैन्डर्ड बनाए रखने के उपायों से संबंधित यू.जी.सी. नोटिफिकेशन, 1998 की प्रति संग्लन है। इन्हें शीघ्र विनियमों के रूप में अधिसूचित कर दिया जाएगा।

1.0 ये विनियम सभी विश्वविद्यालयों जो केन्द्रीय अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम या राज्य अधिनियम में शामिल हैं या उसके अंतर्गत स्थापित किए गए हैं, में लागू होंगे। इसके साथ ही संबंधित विश्वविद्यालय के परामर्श से कमीशन द्वारा मान्यता प्राप्त कोई महाविद्यालय या किसी संघटक सहित प्रत्येक संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम 1956 के क्लाज (एफ)की धारा 2 के तहत आने वाले और इसी अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत आने वाला मानद विश्वविद्यालय पर भी लागू होंगे।

2.0 ये तत्काल प्रभावी होंगे।

3.0 **योग्यताएं तथा अन्य सेवा शर्तें**

3.1 किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी संस्थान में तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के क्लाज (एफ) की धारा 2 के तहत मान्यता प्राप्त सम्बद्ध महाविद्यालय या किसी संघटक में, और इसी अधिनियम की धारा 3 के तहत आने वाले किसी मानद

विश्वविद्यालय में किसी भी विषय पर तब तक कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी जब तक कि अभ्यर्थी अधिसूचना में दी गई न्यूनतम योग्यताएं तथा अन्य सेवा शर्तों को पूरा नहीं करते हैं।

3.2 इसके अलावा किसी विश्वविद्यालय, किसी संघटक के साथ-साथ किसी संस्थान या किसी उपरोक्त अधिनियम के क्लाज (एफ) की धारा 2, या इसी अधिनियम की धारा 3 के तहत आने वाले मानद विश्वविद्यालय की धारा 3 के तहत आने वाले मानद विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित योग्यताओं में कोई छूट देनी है तो इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पूर्वानुमति लेनी होगी।

4.0 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 14 में दिए गए प्रावधान के अनुसार आयोग की सिफारिशों द्वारा अनुपालन न करने के परिणाम

कोई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो, धारा 12-ए की उपधारा (5) में दिए गए किसी भी महाविद्यालय में चलाए जा रहे पाठ्यक्रम के द्वारा उप धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या आयोग द्वारा धारा 12 या धारा 13 के अंतर्गत की गई सिफारिशों को एक निर्धारित समय सीमा में लागू करने में असफल रहता है अथवा धारा 25 की उप धारा 2 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों या धारा 26 की उपधारा (1) के उपबंध का क्लाज (ङ) या उसके बाद उपबंध (च) या उपबंध (ज) के अधीन बनाए गए विनियमों का उल्लंघन करता है तो आयोग विश्वविद्यालय द्वारा उस महाविद्यालय के प्रबंध में बताई गई किसी असफलता या धारा के उल्लंघन पर विचार करते हुए आयोग द्वारा दी जाने वाली प्रस्तावित अनुदान राशि को रोक सकता है।

5.0 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि राज्य सरकारों द्वारा वेतनमानों में संशोधन की सम्पूर्ण योजना, संलग्न सभी शर्तों के साथ, केवल लागू करने की तारीख तथा भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ-1-22/97-यूआई, दिनांक 27.7.98 और 6.11.98 में दिए वेतनमानों के अलावा बिना किसी सुधार के संकुल योजना के रूप में लागू कर दी जाएगी। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालय प्रबंध समिति के लिए यह जरूरी है कि इस स्कीम में शामिल करने के लिए अपनी अवस्थिति, अधिदेशों, नियमों, विनियमों आदि में आवश्यक परिवर्तन कर ले।

6.0 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्न स्कीमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय को विचारार्थ भेज दी हैं:

1. व्यावसायिक विकास के लिए प्राध्यापकों को प्रोत्साहन राशि देने की स्कीम।

2. महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के पदों का सृजन।

3. प्रतिभावान अध्यापकों को पुरस्कृत करने की स्कीम।

(क) प्राध्यापकों को सुपर टाइम स्केल देना।

(ख) प्रतिभावान अध्यापक जिन्होंने एम.फिल/पीएच.डी. नहीं की हुई है।

जैसे ही वांछित अनुमति प्राप्त हो जाएगी वैसी ही ये स्कीमें औपचारिक रूप से अधिसूचित कर दी जाएंगी।

7.0 कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय,
(जी.डी. शर्मा)

विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में अध्यापकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता, वेतनमान में संशोधन तथा 1998 के मानकों को बनाए रखने हेतु अन्य उपायों पर यू जी सी अधिसूचना

उच्च शिक्षा में मानकों को बनाए रखने के उपाय के तौर पर विश्वविद्यालयों में कालेज अध्यापक, लाइब्रेरियन, शारीरिक शिक्षा निदेशक एवं रजिस्ट्रार के वेतनमानों में संशोधन, नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता, अन्य सेवा शर्तों की स्कीम।

1.0.0 क्षेत्र

1.1.0 यह स्कीम विश्वविद्यालय एवं कालेज अध्यापकों, लाइब्रेरियन, शारीरिक शिक्षा निदेशक एवं विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार (कृषि विश्वविद्यालय शामिल नहीं), तथा कालेज (कृषि, चिकित्सा, पशु-विज्ञान शामिल नहीं) को विश्वविद्यालयों के लाभ प्रदान करती है विशेषकर जब तक वह इस स्कीम से बाहर निकलने का विकल्प लिखित में न दें। हालांकि यह स्कीम केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कृषि, चिकित्सा तथा पशु विज्ञान के संकाय के अध्यापकों पर भी लागू होगी।

2.0.0 वेतनमान

2.1.0 जैसा कि भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) द्वारा निर्णय किया गया है, संशोधित वेतनमानों को परिशिष्ट-1 में देखा जाए।

2.2.0 वयस्क एवं सतत् शिक्षा, महिला शिक्षा, शैक्षणिक स्टाफ कालेज तथा विश्वविद्यालय विज्ञान, इन्स्ट्रूमेन्टेशन केन्द्र के विभागों के शैक्षणिक स्टाफ का वेतनमान, कोरेसपोन्डेन्स के अध्यापकों के समकक्ष होना चाहिए तथा उनके पदनाम और समकक्ष योग्यता रखने में पदोन्नति चैनल भी समान होना चाहिए।

3.0.0 नियुक्ति एवं योग्यता

3.1.0 विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में लेक्चरर, प्रोफेसर एवं रीडर के पदों की सीधी भर्ती संबंद्ध विश्वविद्यालय के विधान/अध्यादेश के तहत गठित चयन समिति द्वारा अखिल भारतीय विज्ञापन एवं चयन के माध्यम से मैरिट आधार पर की जानी चाहिए। उक्त समिति में कम से कम 3 विशेषज्ञ, संबद्ध विभाग का अध्यक्ष तथा (कालेज अध्यापक के चयन के मामले में) संबंद्ध कालेज का प्रिंसिपल होना चाहिए।

3.2.0 लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा, उपनिदेशक, शारीरिक शिक्षा निदेशक, शारीरिक शिक्षा, सहायक लाइब्रेरियन, उप लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन, सहायक रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार तथा रजिस्ट्रार के लिए न्यूनतम आवश्यक योग्यता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर किए गए निर्धारण के अनुरूप होगी।

3.3.0 लेक्चरर की नियुक्ति हेतु बेहतर शैक्षणिक रिकार्ड, स्नातकोत्तर स्तर पर 55 प्रतिशत अंक तथा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त अथवा प्रत्यायित परीक्षा जैसी न्यूनतम आवश्यकताएं होनी चाहिए। यह विश्वविद्यालयों के लिए विकल्प है कि वे नेट के पीएच.डी. धारकों को स्वीकार करें अथवा नेट की पात्रता को जोकि विश्वविद्यालय विभागों और कालेजों में लेक्चरर की नियुक्ति हेतु वांछनीय अथवा अनिवार्य योग्यता है। विश्वविद्यालय विभागों में पहले से ही कार्यरत वर्तमान कर्मचारियों के लिए प्रोफेसर, रीडर, रजिस्ट्रार, उप-रजिस्ट्रार, लाइब्रेरियन, उप-लाइब्रेरियन, शारीरिक शिक्षा निदेशक, शारीरिक शिक्षा उप-निदेशक के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों पर ज्यादा ध्यान न दिया जाए। हालांकि बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए लेक्चरर, सहायक रजिस्ट्रार, सहायक लाइब्रेरियन, सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक के पदों हेतु प्रारंभिक भर्ती पर न्यूनतम अंक प्रतिशत का पालन किया जाए।

3.4.0 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर 5 प्रतिशत (55 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत) की छूट प्रदान की जाए।

3.5.0 19 सितम्बर, 1991 से पूर्व स्नातक डिग्री हासिल करने वाले पीएच.डी. डिग्री धारकों को 5 प्रतिशत (55 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत) अंकों की छूट प्रदान की जाए।

3.6.0 जहां कहीं ग्रेडिंग सिस्टम का अनुपालन किया जाए वहां ओ ए बी सी डी एन एफ के 7 प्वाइंट स्केल में बी को 55 प्रतिशत के समकक्ष माना जाए।

3.7.0 रीडर के पदनाम हेतु पीएच.डी. डिग्री को अनिवार्य योग्यता बनाए रखना जारी रखा जाए हालांकि रजिस्ट्रार, लाइब्रेरियन, शारीरिक शिक्षा निदेशक जैसे अन्य वर्गों के लिए पीएच.डी. को अनिवार्य योग्यता के स्थान पर वांछनीय योग्यता माना जाए।

4.0.0 सीधी भर्ती

4.1.0 प्रोफेसर

अनुसंधान के कार्य में सक्रिय प्रतिष्ठित अध्ययेता जिसके पास उच्च क्वालिटी का प्रकाशन कार्य हो, तथा विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में स्नातकोत्तर शिक्षण, तथा/अथवा अनुसंधान में 10-वर्षीय अनुभव जिसके साथ डाक्ट्रल स्तर पर अनुसंधान मार्ग-दर्शन का अनुभव भी सम्मिलित हो

अथवा

स्थापित प्रतिष्ठा वाले एक उत्कृष्ट अध्ययेत्ता जिसने सूचना में उल्लेखनीय योगदान किया हो।

असाधारण मामलों में यू जी शिक्षण/अनुसंधान अनुभव में 15 वर्ष का अनुभव रखने वाले अध्यापक पर भी विचार किया जा सकता है।

4.2.1 प्रिंसिपल (प्रोफेसर ग्रेड)

1. न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर डिग्री अथवा 7 प्वाइंट स्केल में बी ग्रेड के समकक्ष
2. पीएच.डी. अथवा समकक्ष योग्यता
3. विश्वविद्यालय, कालेज या उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों में शिक्षण/अनुसंधान का कुल 15 वर्षीय अनुभव

4.2.2 प्रिंसिपल (रीडर ग्रेड)

1. न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर डिग्री अथवा 7 प्वाइंट स्केल में बी ग्रेड के समकक्ष

2. पीएच.डी. अथवा समकक्ष योग्यता

3. विश्वविद्यालय, कालेज या उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों में शिक्षण/अनुसंधान का कुल 10 वर्षीय अनुभव

4.3.0 रीडर

डाक्ट्रल डिग्री अथवा समतुल्य प्रकाशित कार्य के साथ बेहतर शैक्षणिक रिकार्ड इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय प्रणाली के बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों हेतु मास्टर डिग्री स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक अथवा ओ ए बी सी डी ई एंड एफ वाले ग्रेड में 7 प्वाइंट स्केल में बी ग्रेड के समकक्ष

शिक्षण तथा/अथवा अनुसंधान का 5-वर्षीय अनुभव जिसमें कि अनुसंधान डिग्री प्राप्त करने की अवधि शामिल न हो तथा स्कालरशिप के क्षेत्र में बनाई गई उल्लेखनीय पहचान जिसके पक्ष में प्रकाशनों की क्वालिटी, शिक्षा नवपरिवर्तन, डिजाइन नए पाठ्यक्रम के प्रति योगदान

4.4.0 लेक्चरर

4.4.1 मानव स्वभाव, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, विदेशी भाषा एवं कानून

भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में मास्टर डिग्री स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक अथवा ओ ए बी सी डी ई एंड एफ वाले ग्रेड में 7 प्वाइंट स्केल में बी ग्रेड के समकक्ष अथवा विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री

उपरोक्त योग्यताओं के अलावा अभ्यर्थी को यू.जी.सी., सी.एस.आई.आर. द्वारा लेक्चरर के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा (नेट) अथवा यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित अन्य समान परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।

4.4.2 जर्नलिजम तथा मास कम्यूनिकेशन

भारतीय विश्वविद्यालय से कम्यूनिकेशन/मास कम्यूनिकेशन, जर्नलिजम में मास्टर डिग्री स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक अथवा ओ ए बी सी डी ई एंड एफ वाले ग्रेड में 7 प्वाइंट स्केल में बी ग्रेड के समकक्ष अथवा विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री

उपरोक्त योग्यताओं के अलावा अभ्यर्थी को यू.जी.सी., सी.एस.आई.आर. द्वारा लेक्चरर के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा (नेट) अथवा यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित अन्य समान परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।

अथवा

मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय संस्थान से मानव स्वभाव, सामाजिक विज्ञान में मास्टर डिग्री स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक अथवा ओ ए बी सी डी ई एंड एफ वाले ग्रेड में 7 प्वाइंट स्केल में बी ग्रेड के समकक्ष के साथ स्नातक स्तर पर कम से कम द्वितीय श्रेणी अथवा कम्यूनिकेशन/मास कम्यूनिकेशन अथवा जर्नलिजम में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

उपरोक्त योग्यताओं के अलावा अभ्यर्थी को यू.जी.सी., सी.एस.आई.आर. द्वारा लेक्चरर के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा (नेट) अथवा यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित अन्य समान परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।

4.4.3 संगीत

भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में मास्टर डिग्री स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक अथवा ओ ए बी सी डी ई एंड एफ वाले ग्रेड में 7 प्वाइंट स्केल में बी ग्रेड के समकक्ष अथवा समकक्ष डिग्री के साथ बेहतर शैक्षणिक रिकार्ड

उपरोक्त योग्यताओं के अलावा अभ्यर्थी को यू.जी.सी., सी.एस.आई.आर. द्वारा लेक्चरर के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा (नेट) अथवा यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित अन्य समान परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।

सेवन प्वाइंट स्केल

ग्रेड	ग्रेड प्वाइंट	समकक्ष प्रतिशत
'ओ' = उत्कृष्ट	5.50-6.00	75-100
'ए' = बहुत अच्छा	4.50-5.49	65-74
'बी' = अच्छा	3.50-4.49	55-64
'सी' = औसत	2.50-3.49	45-54
'डी' = औसत से नीचे	1.50-2.49	35-44
'ई' = खराब	0.50-1.49	25-34
'एफ' = अनुत्तीर्ण	0-0.49	0-24

अथवा

संबंधित विषय में उच्च उल्लेखनीय प्रोफेशनल उपलब्धियों के साथ पारम्परिक अथवा प्रोफेशनल आर्टिस्ट

शिक्षा, सामाजिक कार्य, आर्ट आदि जैसे प्रोफेशनल विषयों हेतु निर्धारित योग्यताओं के लिए अलग से एक विस्तृत निगमन जारी किया जाएगा तब तक लेक्चरर, रीडर तथा प्रोफेसर की सीधी भर्ती के लिए लागू निगमनों को जारी रखा जाए।

लाइब्रेरियन, उप-रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार के पद हेतु न्यूनतम योग्यता के लिए परिशिष्ट-2 देखा जाए।

रजिस्ट्रार, उप-रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार के पद हेतु न्यूनतम योग्यता के लिए परिशिष्ट-3 देखा जाए।

शारीरिक शिक्षा निदेशक, शारीरिक शिक्षा उपनिदेशक तथा शारीरिक शिक्षा सहायक निदेशक के पद हेतु न्यूनतम योग्यता के लिए परिशिष्ट-4 देखा जाए।

5.0.0 चयन समिति

चयन समितियों के गठन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अलग से मार्गदर्शिका है जिसे विश्वविद्यालयों/कालेजों को भेजा जाए (परिशिष्ट-5 प्रति संलग्न)। यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला अथवा शारीरिक विकलांगता श्रेणी का कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए प्रस्तुत होता है तब इन श्रेणियों का एक प्रतिनिधि भी चयन समिति में रखा जाए।

लेक्चरर, रीडर अथवा प्रोफेसर के चयन हेतु विश्वविद्यालय अथवा कालेज के समक्ष सेमिनार अथवा बातचीत का उपाय अपनाने का विकल्प है।

6.0.0 पीएच.डी./एम.फिल धारकों के लिए प्रोत्साहन

6.1.0 पीएच.डी. तथा एम.फिल. डिग्री धारकों के लिए लेक्चरर के तौर पर भर्ती के समय क्रमशः चार तथा दो अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान की जाएं। डी-लिट/डी.एस.सी. डिग्री अभ्यर्थियों को पीएच.डी. धारकों के समतुल्य तथा एम.लिट डिग्री धारकों को एम.फिल के समकक्ष लाभ प्रदान किए जाएं।

6.2.0 ऐसे एम.फिल धारक अध्यापकों को एक वेतनवृद्धि प्रदान की जाए जो कि नियुक्ति के दो वर्षों में पीएच.डी. डिग्री प्राप्त कर लें।

6.3.0 जब पीएच.डी. डिग्री धारक लेक्चरर सलेक्शन ग्रेड/रीडर के पद पर जाएगा तब वह दो अग्रिम वेतनवृद्धि पाने का हकदार होगा।

6.4.0 जब अध्यापक अपने सेवाकाल में पीएच.डी. डिग्री हासिल करेगा तब वह दो अग्रिम वेतनवृद्धि पाने का हकदार होगा।

7.0.0 कैरियर प्रगति

7.1.1 लेक्चरर (वरिष्ठ वेतनमान) के ग्रेड में आने के लिए पीएच.डी. धारकों हेतु कम से कम चार वर्षीय सेवा, एम.फिल धारकों हेतु पांच वर्ष तथा अन्य के लिए छः वर्षीय सेवा का होना आवश्यक है। इसके अलावा लेक्चरर (सलेक्शन ग्रेड/रीडर) के ग्रेड में आने के लिए लेक्चरर (वरिष्ठ वेतनमान) के ग्रेड में समान रूप से कम से कम पांच वर्षीय सेवा होनी चाहिए।

7.1.2 रीडर तथा उससे ऊपर के ग्रेड में जाने के लिए न्यूनतम योग्यता पीएच.डी. डिग्री होगी। बिना पीएच.डी. डिग्री हासिल किए केवल लेक्चरर (सलेक्शन ग्रेड) के स्तर तक पहुंचा जा सकता है।

7.1.3 रीडर अपने ग्रेड में आठ वर्ष की सेवा के साथ प्रोफेसर की नियुक्ति हेतु पात्रता के लिए मान्य होगा।

7.1.4 कैरियर प्रगति के लिए चयन समिति का स्वरूप प्रत्येक वर्ग में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित चयन समिति के अनुरूप ही होगा।

7.1.5 सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक, सहायक रजिस्ट्रार तथा सहायक लाइब्रेरियन जैसे गैर-शैक्षणिक स्टाफ के लिए कैरियर प्रगति की वर्तमान स्कीम जारी रहेगी।

7.2.0 लेक्चरर (वरिष्ठ वेतनमान)

चयन कार्यविधि के माध्यम से एक लेक्चरर वरिष्ठ वेतनमान में स्थापन हेतु मान्य होगा यदि उसके पास निम्नलिखित है::

(1) नियमित नियुक्ति के उपरांत छः वर्षीय सेवा पूरी करना जिसमें कि एम.फिल तथा पीएच.डी. डिग्री धारकों के लिए क्रमशः एक या दो वर्ष की छूट है।

(2) किसी एक उन्मुख पाठ्यक्रम अथवा अनुमोदित अवधि के एक रिफ्रेशर पाठ्यक्रम में भाग लेना अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित या समतुल्य क्वालिटी के रूप में विनिर्दिष्ट किसी उपयुक्त सतत् शिक्षा कार्यक्रम में शामिल होना (पीएच.डी. डिग्री धारकों को एक रिफ्रेशर पाठ्यक्रम से छूट दी जाए)।

(3) लगातार संतोषजनक प्रदर्शन आंकलन रिपोर्ट।

7.3.0 लेक्चरर (सलेक्शन ग्रेड)

वरिष्ठ वेतनमान में लेक्चरर जिसके पास न तो पीएच.डी. डिग्री है और न ही समतुल्य प्रकाशन कार्य है तथा वह स्कालरशिप और अनुसंधान मानकों को भी पूरा नहीं करता लेकिन वह रीडर के पद के लिए दिए गए अन्य मानदंडों को पूरा करता है और उसके पास शिक्षण का बेहतर रिकार्ड है, विशेषकर उसने संस्थानों, परीक्षा कार्य अथवा प्रसार गतिविधियों के कार्पोरेट क्षेत्र में विभिन्न तरीकों से उल्लेखनीय योगदान दिया है, उसे चयन समिति की सिफारिशों की शर्तों पर जो कि रीडर के पद की पदोन्नति के समान है, सलेक्शन ग्रेड में स्थापित किया जाएगा। उन्हें सलेक्शन ग्रेड में लेक्चरर का पदनाम दिया जाएगा। वे रीडर के तौर पर पदोन्नति हेतु पीएच.डी. डिग्री अथवा अन्य आवश्यक योग्यताओं को पूरा करने के उपरांत स्वयं को मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं और यदि वे उपयुक्त पाए जाते हैं तब उन्हें रीडर का पदनाम दिया जा सकता है।

7.4.0 रीडर (पदोन्नति)

7.4.1 रीडर के पद पर पदोन्नति हेतु वरिष्ठ वेतनमान में कार्यरत लेक्चरर पात्रता हेतु मान्य होगा यदि उसने:-

(1) वरिष्ठ वेतनमान में पांच वर्ष की सेवा पूरी की हो

(2) पीएच.डी. डिग्री प्राप्त की हो अथवा समतुल्य प्रकाशन कार्य हो

(3) स्वत: मूल्यांकन रेफरी की रिपोर्ट अथवा, प्रकाशन क्वालिटी, शिक्षा नव-परिवर्तन योगदान नए पाठ्यक्रमों की रूपरेखा और अन्य विस्तारित गतिविधियों जैसे साक्ष्यों के माध्यम से स्कालरशिप तथा अनुसंधान के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान रखना

(3) वरिष्ठ वेतनमान में स्थापन के उपरांत तो रिफ्रेशर पाठ्यक्रमों/अनुमोदित अवधि के संस्थान शीर्ष सम्मेलन अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित या समतुल्य क्वालिटी के रूप में विनिर्दिष्ट किसी उपयुक्त सतत् शिक्षा कार्यक्रम में शामिल होना।

(5) लगातार संतोषजनक प्रदर्शन आंकलन रिपोर्ट।

7.4.2 रीडर के पद हेतु पदोन्नति सम्बद्ध विश्वविद्यालय के विधान/अध्यादेश के तहत गठित चयन समिति अथवा नियुक्ति अथारिटी द्वारा गठित अन्य समान समितियों द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के माध्यम से होगी।

7.5.0 प्रोफेसर (पदोन्नति)

प्रोफेसर के मंजूर पदों के अलावा, जिन्हें सीधी भर्ती द्वारा अखिल भारतीय विज्ञापनों के माध्यम से भरा जाना चाहिए, रीडर के पद से पदोन्नति की जाएगी, जिसके लिए रीडर के रूप में 8 वर्ष की सेवा पूरी होनी चाहिए।

7.6.0 प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति के लिए चयन समिति वही होनी चाहिए जो सीधी भर्ती के लिए है। रीडर से प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति के लिए पदोन्नति की निम्न विधि का अनुपालन किया जाए।

उम्मीदवार चयन समिति के समक्ष निम्न में से कुछ के साथ उपस्थित हो:

(क) स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट

(ख) प्रकाशित अनुसंधान योगदान/पुस्तक/लेख

(ग) अन्य शैक्षणिक योगदान
चयन के लिए आने से पहले समीक्षा के लिए विशेषज्ञों को तीन लिखित योगदान (जिनका उनके द्वारा उल्लेख किया गया हो) विशेषज्ञों को पहले ही भेज दिये जाएं। उम्मदीवार से उनके तीन सैट आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए।

(घ) सेमिनार/सम्मेलन जिनमें भाग लिया हो

(ङ) शिक्षण/शैक्षणिक वातावरण/संस्थागत कारपोरेट लाइफ में योगदान

(च) विस्तार और खेतों तक पहुंचने संबंधी गतिविधियां।

7.7.0 लैक्चरर से लैक्चरर (सीनियर स्केल) और लैक्चरर सीनियर स्केल से लैक्चरर (सलैक्शन ग्रेड) में पदोन्नति के लिए अभिमुखीकरण/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/ग्रीष्म संस्थानों से कम से कम तीन से चार सप्ताह और जिनमें संतोषजनक कार्य-निष्पादन की मूल्यांकन रिपोर्टें हों उन्हें कैरियर एडवांसमेन्ट के लिए आवश्यक माना जाना चाहिए। जहां भी अभिमुखीकरण/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की वांछनीय योग्यता पूरी नहीं होती वहां पदोन्नति को रोका नहीं जाएगा बल्कि उन्हें वर्ष 2000 तक पूरा किया जाएगा।

इन पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए निम्न वांछनीय होगा:

(i) विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए लैक्चरर से लैक्चरर (सीनियर स्केल में) पदोन्नति के लिए, एक अभिमुखीकरण पाठ्यक्रम आवश्यक होगा। बिना पीएच.डी. वाले उम्मीदवारों को एक और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम करना होगा।

(ii) लैक्चरर (वरिष्ठ स्केल) से लैक्चरर (सलैक्शन ग्रेड) के लिए दो पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।

(iii) वरिष्ठ अध्यापक जैसे रीडर/लैक्चरर (सलैक्शन ग्रेड) और प्रोफेसर अपने उच्च स्तर में पदोन्नति/चयन के लिए अपने विषय के क्षेत्रों में दो सेमिनार/सम्मेलन में भाग लें और अपने विषय के क्षेत्र में पेपर प्रस्तुत करें अथवा इस स्तर के लिए ए एस सी द्वारा दिए गए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लें।

8.0.0 यदि फीडर कैडर के लिए जरूरी वर्ष जो अधिसूचना में दिए गए वर्ष से कम है तो उससे उन उम्मीदवारों को कठिनाई होगी जिन्होंने कैडर में पात्रता के लिए पूरी सेवा के वर्षों से अधिक अवधि पूरी कर ली है, उन्हें वर्ष की कुल संख्या का समावेशन करने के बाद अगले उच्च कैडर में रखा जाए। ऐसी स्थिति आने की संभावना है क्योंकि पूर्व योजना में फीडर कैडर के लिए वर्षों की संख्या अधिसूचना में दिए गए वर्षों से अधिक थी।

8.0.0 पिछली सेवा को गिनना

विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय प्रयोगशाला अथवा अन्य वैज्ञानिक संगठनों जैसे सी एस आई आर, भा.कृ.अ.प., डी.आर.डी.ओ., आई.सी.एस.एस.आर., आई.सी.एच.आर. में लैक्चरर अथवा समकक्ष पद पर बिना किसी ब्रेक के पूर्व सेवा को और यू.जी.सी. अनुसंधान वैज्ञानिक के रूप में पूर्व सेवा को वरिष्ठ स्केल/सलैक्शन ग्रेड में लैक्चरर के पद पर तैनाती के लिए गिना जाएगा। बशर्ते कि:

8.1.0 पद लैक्चरर के पद के समान ग्रेड/वेतनमान में होना चाहिए;

8.2.0 लैक्चरर के पद के लिए यू जी सी द्वारा निर्धारित योग्यता कम नहीं होनी चाहिए;

8.3.0 सीधी भर्ती के लिए जो उम्मीदवार आवेदन करते हैं वे अपने आवेदन उचित माध्यम से भेजें;

8.4.0 लैक्चरर के रूप में भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता संबंधित लैक्चरर के पास होनी चाहिए;

8.5.0 विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार/संस्थान के नियमों में दी गई निर्धारित चयन प्रक्रिया के मुताबिक पद भरा गया हो;

8.6.0 नियुक्ति तदर्थ आधार पर अथवा एक वर्ष से कम अवधि की लीव-वैकेन्सी पर नहीं होनी चाहिए। एक वर्ष से अधिक की तदर्थ सेवा को गिना जा सकता है, बशर्ते कि:

(क) तदर्थ सेवा एक वर्ष से अधिक अवधि की हो;

(ख) पदधारी विधिवत कोर-चयन समिति की सिफारिशों पर नियुक्त किया गया हो;

(ग) पदधारी स्थाई पद पर लगातार सेवा में बिना किसी ब्रेक के नियुक्त किया गया हो;

9.0.0 मैरिट प्रोन्नति

1983 की मैरिट प्रोन्नति योजना जो 1987 में उन लोगों के लिए समाप्त कर दी गई थी जिन्होंने इसका विकल्प नहीं दिया। तथापि, जो प्रोफेसर 1987 की पुरानी मैरिट प्रोन्नति योजना के अंतर्गत थे वे प्रोफेसर के पूरे स्कूल के लिए पात्र होंगे। विश्वविद्यालय अपने शैक्षणिक निकाय में विचार-विमर्श कर सकते हैं और सीधी भर्ती वाले लोगों और मैरिट आधार पर प्रोन्नति लेने वालों के बीच अन्तर-वरिष्ठता निर्धारित कर सकते हैं जो चयन की तिथि, और वर्तमान/संशोधित अधिनियमों व विश्वविद्यालय स्तर के अनुसार हों।

10.0.0 मैरिट प्रदान करना

10.1.0 उन प्रोफेसरों को जो सीधी भर्ती के द्वारा आए हैं तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के अंतर्गत 28 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं उन्हें एक सुपर-टाइम वेतनमान दिया जाएगा जो 22000-500-24500 रु. का होगा।

10.2.0 जिन मैरिट वाले अध्यापकों के पास एम. फिल या पीएच.डी. की उपाधि नहीं है, लेकिन उनका असाधारण योगदान रहा है उन्हें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के अंतर्गत सम्मानित किया जाएगा और मान्यता प्रदान की जाएगी।

11.0.0 परिवीक्षा और स्थाईकरण की अवधि

11.1.0 कुछ विश्वविद्यालयों में अपनाई जाने वाली विधियों की दृष्टि से परिवीक्षा अवधि एक साल की हो सकती है और असन्तोषजनक निष्पादन के मामले में जिसे अधिकतम एक वर्ष तक और अधिक बढ़ाया जा सकता है। तथापि, जिन विश्वविद्यालयों में पहले से ही दो वर्प की परिवीक्षा अवधि चल रही है उसे ही जारी रखा जाए।

11.2.0 विश्वविद्यालयों के लिए यह वैकल्पिक है कि कोई अध्यापक स्थाईकरण के लिए दो साल की अवधि के अंदर मूल्यांकन हेतु विकल्प देता है या नहीं, किन्तु विश्वविद्यालय उस न्यूनतम अवधि को मान सकता है जिसके बाद इस मामले पर विचार हो सके। उच्च पदों पर यह विश्वविद्यालय के ऊपर निर्भर है कि वह स्थाईकरण का फैसला किस समय करे, जिस समय से करे और परिवीक्षा काल के अंत तक भी कर सकता है।

11.3.0 स्थाईकरण ओरिएन्टेशन पाठ्यक्रम के पूरे होने से संबंधित नहीं होना चाहिए, किन्तु या तो अध्यापक को कार्यग्रहण करने से पहले भेजने का प्रयास किया जाए या तुरन्त उसके बाद, मगर किसी भी हालत में ओरिएन्टेशन पाठ्यक्रम पहले दो वर्षों के भीतर पूरा हो जाना चाहिए।

11.4.0 जैसाकि कैरियर संवर्धन के लिए अपेक्षित समय अब कम कर दिया गया है, इसलिए सभी अभ्यर्थियों को रिफ्रेशर पाठ्यक्रम 31.12.2000 तक पूरा करने की अनुमति दी जा सकती है।

11.5.0 विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यपद्धति बनाए कि विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष/महाविद्यालय के प्रधानाचार्य जब किसी अध्यापक को अपेक्षित ओरिएन्टेशन तथा रिफ्रेशर पाठ्यक्रम में भेजते हैं तो उन्हें जाने से न रोका जाए, किन्तु कुछ विशेष मामलों में जिसका पर्याप्त कारण हो, उसका विवरण विश्वविद्यालय को लिखित रूप में दिया जाए तो छूट दी जा सकती है। विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय के अध्यापकों से प्राप्त किसी तरह की शिकायतें यू.जी.सी. के ध्यान में लानी चाहिए जो पाठ्यक्रम में प्रवेश न मिलने से संबंधित हों उनका पूरा विवरण (अध्यापक का नाम, संस्था का नाम जहां वे सेवारत हैं, पाठ्यक्रम जिसके लिए आवेदन किया, ए एस सी अथवा विभाग जहां आवेदन किया, पाठ्यक्रम की तिथि और मना होने का कारण) होना चाहिए।

12.0.0 अंशकालीन अध्यापक

अंशकालिक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं वही होनी चाहिए जो नियमित अध्यापकों के लिए होती हैं तथा नियमित रूप में गठित चयन समितियों द्वारा किया जाना चाहिए। अंशकालिक अध्यापकों की नियुक्ति केवल अपवादी परिस्थितियों में ही की जानी चाहिए जब संस्था में पढ़ाने का कार्यभार अधिक हो तथा इसकी बहुत आवश्यकता है। उनकी नियुक्ति संविदा पर आधारित हो, यदि थोड़े समय के लिए है तो, अथवा स्थाई अर्ध-समय/अनुपातिक समय कर्मचारी के रूप में वेतनमान (तथा उचित वेतनवृद्धि दी जाए, महंगाई भत्ता व अन्य देय लाभ) के अर्ध/अनुपातिक वेतन में नियुक्ति की जा सकती है। ऐसे स्थाई अंशकालिक अध्यापक लैक्चरर से सीनियर स्केल लैक्चरर, सलैक्शन ग्रेड लैक्चरर/ रीडर, और प्रोफेसर तक के कैरियर संवर्द्धन योजना में आने के पात्र होंगे। तथापि, उन्हें मूल वेतन का अर्ध/ अनुपातिक राशि, अनुपातिक वेतनवृद्धि, महंगाई भत्ता एवं अन्य देय लाभ भी दिए जाएंगे।

13.0.0 पदों का सृजन

13.1.0 यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त स्वायत्त महाविद्यालयों में प्रोफेसरों के पद आवश्यकता अनुसार सृजित किए जा सकते हैं। सामान्यतया प्रोफेसर का एक पद तभी सृजित किया जाए यदि वहां पर रीडर से कम से कम 4 व लैक्चरार के 12 पद पहले से ही उपलब्ध हों और प्रोफेसर का पद बनाना शैक्षणिक दृष्टि से बहुत आवश्यक हो। प्रोफेसर के चयन की विधि सीधी भर्ती द्वारा होगी जैसा कि विश्वविद्यालय में है। इसी स्तर के अन्य महाविद्यालयों की पहचान यू.जी.सी. भारत सरकार द्वारा अनुमोदित स्कीम के अनुसार होगी।

14.0.0 शिक्षण दिवस

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में से कम से कम 180 वास्तविक शिक्षण दिवस होने चाहिए अर्थात् 6 दिवसीय सप्ताह में न्यूनतम 30 सप्ताह वास्तविक शिक्षण होना चाहिए, बाकी अवधि में से 12 सप्ताह प्रवेश व परीक्षा आदि कार्यकलापों के लिए दिए जाने चाहिए, और नानइन्सट्रक्शनल दिन (खेलकूद, कालेज दिवस आदि), 8 सप्ताह अवकाश के लिए और 2 सप्ताह विभिन्न सार्वजनिक छुट्टियों के लिए किए जाएं। यदि विश्वविद्यालय 5-दिवसीय सप्ताह की प्रणाली को मानता

है तो उसी हिसाब से सप्ताह भी बढ़ाए जा सकते हैं किन्तु यह सुनिश्चित करना होगा कि वे 6-दिवसीय सप्ताह से 30 सप्ताह के समकक्ष हों। उपरोक्त का सार निम्नलिखित है:-

	सप्ताहों की संख्या	
	विश्वविद्यालय	महाविद्यालय
शिक्षण	30 (180 दिन)	30 (180 दिन)
प्रवेश/परीक्षा तैयारी	12	10
अवकाश	8	10
सार्वजनिक छुट्टियां (शिक्षण दिवसों के अनुसार बढ़ाई एवं घटाई जा सकती हैं)	2	2
कुल	52	52

2 सप्ताह तक अवकाश के कम करने के स्थान पर विश्वविद्यालय अध्यापकों को इस अवधि का एक तिहाई अर्जित अवकाश दिया जा सकता है। तथापि, महाविद्यालयों में साल भर में 10 सप्ताह के कुल अवकाश का विकल्प दिया जा सकता है और इसमें अर्जित अवकाश नहीं दिया जाएगा जब तक कि अवकाश दिवसों में उन्हें काम के लिए न कहा जाए। जैसाकि विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए है कि एक तिहाई अर्जित अवकाश उन्हें दिया जा सकेगा।

15.0.0 कार्यभार

किसी अध्यापक को एक शैक्षणिक वर्ष में 30 कार्य सप्ताहों के लिए एक सप्ताह में कम से कम 40 घंटे अवश्य कार्य करना पड़ेगा (180 शिक्षण दिवस)। अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह कम से कम 5 घंटे प्रतिदिन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में उपलब्ध रहें, जिसके लिए उन्हें विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा स्थान और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सीधे शिक्षण घंटे निम्नलिखित के अनुसार होने चाहिए:

लैक्चरार/सीनियर लैक्चरार/लैक्चरार (सलैक्शन ग्रेड)	**16 घंटे**
रीडर एवं प्रोफेसर	**14 घंटे**

तथापि, उन शिक्षकों, जो कि अनुसंधान, प्रसार और प्रशासन में सक्रिय रूप से सम्मिलित हैं, को कार्यभार अधिक होने पर दो घंटे की राहत प्रदान की जाए।

16.0.0 शिक्षकों की अधिवर्षिता एवं पुनः रोजगार

16.1.0 शिक्षक 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे। तथापि, यह विश्वविद्यालय या एक महाविद्यालय के लिए स्वतंत्रता है कि वह यू.जी.सी. द्वारा तैयार वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार किसी अधिवर्षित शिक्षक को 65 वर्ष की आयु तक पुनः रोजगार में रख सकता है।

16.2.0 रजिस्ट्रारों, लाइब्रेरियनों, शारीरिक शिक्षा कार्मिकों, परीक्षा नियंत्रकों, वित्त अधिकारियों और ऐसे ही अन्य विश्वविद्यालय कर्मियों, जो शिक्षकों के समकक्ष माने जाते हैं और जिनकी अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष है, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होगी। रजिस्ट्रारों, लाइब्रेरियनों और शारीरिक शिक्षा के निदेशकों के लिए पुनः रोजगार की सुविधा की कोई संस्तुति नहीं है।

17.0.0 अधिवर्षिता लाभ

17.1.0 अतः सेवा के लाभ, अधिकतम 3 वर्षों तक उन शिक्षकों को प्रदान किए जाने चाहिए, जो प्रवेश के समय पीएच.डी. डिग्री धारक हों ताकि प्रायः सभी शिक्षक वे सेवानिवृत्ति लाभ ले सकें, जो कि 33 वर्ष की सेवा के बाद उपलब्ध हैं बशर्ते कि उन सभी की अधिवर्षिता हो।

17.2.0 अधिवर्षिता लाभों से संबंधित अन्य शर्तें केन्द्रीय/राज्य सरकार नियमों के अनुसार दी जाएं।

18.0.0 छुट्टी नियम

यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित छुट्टी नियमों का विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों द्वारा पालन किया जाए (कृपया परिशिष्ट-VI देखें)।

19.0.0 सेवा समझौता

विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में भर्ती के समय, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय और शिक्षकों के बीच एक सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए जिसकी प्रति रजिस्ट्रार/प्रधानाचार्य के अलावा संबंधित शिक्षक के पास रहनी चाहिए। मूल्यांकन उपलब्धि सेवा समझौते एक-एक अंश होनां चाहिए।

20.0.0 व्यावसायिक नीतियों का कोड

शैक्षणिक निकायों और एसोसिएशनों में पूर्ण विचार-विमर्श के बाद प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपनी स्वयं की व्यावसायिक नीतियां विकसित करनी चाहिए और इसे इसके अधिनियम, विधियों और अध्यादेशों में समाहित करना चाहिए और यह प्रशासकों सहित समस्त शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ पर लागू होना चाहिए।

21.0.0 **उत्तरदायित्व**

उपलब्धि की मूल्यांकन कैरियर एडवांसमेंट स्कीम की एक अनिवार्य अंग होना चाहिए और इसे एक वर्ष की समय अवधि में नए वेतनमानों के साथ कार्यान्वित करना चाहिए, यदि इसे पहले कार्यान्वित नहीं किया हो तो। शिक्षक के मूल्यांकन विशेषकर लघु संस्थानों, स्नातकोत्तर विभागों, व्यावसायिक, महाविद्यालयों और स्वायत्त महाविद्यालयों की एक विधि के रूप में विद्यार्थी मूल्यांकन पर विचार करने के लिए संस्थान के लिए वैकल्पिक होगा।

22.0.0 **विसंगतियां**

विसंगतियां, यदि, कोई हों, तो उन्हें यू.जी.सी. के ध्यान में लाया जाए, जो उन्हें यू.जी.सी. द्वारा गठित एक समिति की सहायता से विचारेगा।

परिशिष्ट

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी पत्र सं. 1-22/97-यू.आई. दिनांक 27 जुलाई, 1998 (अनुबंध-I), 22 सितम्बर, 1998 (अनुबंध-II) और 6 नवम्बर, 1998 (अनुबध-III) पर आधारित समेकित विवरण

विषय: पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों के संशोधन के अनुसरण में विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में शिक्षकों के वेतनमानों का संशोधन।

1(i) **वेतनमान**

मौजूदा और संशोधित वेतनमान दर्शाने वाला एक विवरण अनुबंध के रूप में संलग्न है।

निदर्शकों/अनुशिक्षकों के संशोधित वेतनमान मौजूदा पदधारियों के लिए है। निदर्शकों/अनुशिक्षकों के संवर्ग में कोई नई भर्ती नहीं की जायेगी (अनुबंध-1)।

(ii) पीएच.डी./एम.फिल. के लिए प्रोत्साहन (अनुबंध-I)

(क) प्राध्यापक के रूप में भर्ती के समय पीएच.डी. और एम.फिल डिग्री धारकों के लिए क्रमशः चार और दो अग्रिम वेतनवृद्धियां स्वीकार्य होंगी।

(ख) एम.फिल वाले उन शिक्षकों के लिए एक वेतनवृद्धि स्वीकार्य होगी, जो भर्ती के दो ,वर्ष के अंदर पीएच.डी. अर्जित कर लेंगे।

(ग) पीएच.डी. धारक प्राध्यापक, रीडर के रूप में चयन ग्रेड में आने पर दो अग्रिम वेतनवृद्धियों के लिए पात्र होगा।

(घ) शिक्षक अपने सेवाकाल में पीएच.डी. अर्जित करने पर दो अग्रिम वेतनवृद्धियों के लिए पात्र होगा।

(iii) कैरियर में उन्नति (अनुबंध-I)

(क) प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान) के ग्रेड में आने के लिए प्राध्यापकों के रूप में पात्रता की न्यूनतम सेवा-अवधि पीएच.डी. धारकों के लिए चार वर्ष एम.फिल वालों के लिए पांच वर्ष और अन्यों के लिए छः वर्ष होगी तथा प्राध्यापक (चयन ग्रेड)/रीडर के रूप में आने के लिए पात्रता हेतु प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान) के रूप में न्यूनतम सेवा अवधि एक समान पांच वर्ष होगी।

(ख) रीडर और इससे ऊपर के ग्रेडों में जाने के लिए न्यूनतम पात्रता का मानदण्ड पीएच.डी. होगा। जो शिक्षक पीएच.डी. नहीं हैं वे प्राध्यापक (चयन ग्रेड) के स्तर तक जा सकते हैं।

(ग) न्यूनतम आठ वर्ष की सेवा वाला रीडर, प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति हेतु विचार के लिए पात्र होगा।

(घ) प्रत्येक उन्नति के लिए एक चयन प्रक्रिया तैयार की जाएगी, जिसके लिए सरकार के परामर्श से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपयुक्त दिशानिर्देश निर्धारित किए जाएंगे।

(iv) योग्यता के आधार पर पुरस्कृत करना (अनुबंध-I)

(क) प्रतिष्ठित ऐसे प्रोफेसरों को 22000-500-24500 रु. का एक अधिसमय वेतनमान दिया जाएगा, जिनकी सीधी भर्ती हुई है और उन्होंने 28 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है। पात्रता के मानदंड और चयन प्रक्रिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसे मेधावी शिक्षकों, जिनके पास एम.फिल या पीएच.डी. की उपाधि नहीं है, लेकिन जिन्होंने शिक्षण और अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान दिया है, को पुरस्कृत करने और मान्यता देने के लिए सरकार के साथ परामर्श करके एक विशिष्ट स्कीम तैयार करेगा।

(v) भत्ते, प्रभावी तिथि और उपयुक्तता सूत्र (अनुबंध-I)

(क) अनुबंध में दिए गए संशोधित वेतनमान दिनांक 1.1.1996 (अनुबंध-I, II, III) से प्रभावी माने जाएंगे।

(ख) पूर्व-संशोधित रु. 3700-125-4950-150-5700 के वेतनमान वाले प्राध्यापकों (चयन ग्रेड)/रीडरों जिनके चयन सही अर्थ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तैयार किए गए नियम-विनियम के अनुसार किए गए थे तथा जो दिनांक 1.1.996 को प्राध्यापक (चयन ग्रेड)/रीडर के पद पर थे। उनके वेतन का निर्धारण इस प्रकार से किया जाएगा कि वे रु. 12000-420-18300 के संशोधित वेतनमान में जब भी वे इस ग्रेड में (अनुबंध-III) पांच वर्ष पूरे कर लेते हैं तो उनका न्यूनतम वेतन रु. 14940/- पर निर्धारित किया जाएगा।

(ग) पूर्व संशोधित रु. 3000-5000/- और रु. 4500-5700/- वेतनमान वाले रीडरों और प्रोफेसरों का दिनांक 1.1.1996 (अनुबंध-III) को क्रमश: रु. 10000-325-15200 और रु. 16400-450-20900-500-22400/- के वेतनमानों में उचित अवस्था पर निर्धारित किया जाएगा।

(घ) संशोधित वेतनमान में दिनांक 1.1.96 से वेतन केन्द्रीय सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियमावली, 1997 के नियम-7 में यथा निर्दिष्ट पूर्व-संशोधित वेतनमानों में अर्जित प्रत्येक तीन वेतनवृद्धियों के लिए एक वेतनवृद्धि का लाभ देकर निर्धारित किया जायेगा और यह केन्द्रीय सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियमावली, 1997 के लागू होने वाले अन्य संबंधित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

(ङ) इस पत्र में अनुबंध पर दिए गए संशोधित वेतनमानों में वेतन उपरोक्त पैरा (ग) के अनुसार स्वीकार्य अवस्था के संदर्भ में उसी अवस्था (स्टेज) पर निर्धारित किया जायेगा। जिन मामलों में उक्त समान अवस्था (स्टेज) उपलब्ध नहीं है, वहां वेतन उपरोक्त पैरा (ग) के अनुसार स्वीकार्य वेतन से अगली अवस्था पर निर्धारित किया जायेगा।

(च) बकाया राशि का भुगतान एक ही किश्त में किया जाएगा।

(छ) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षक केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू दरों तथा तिथियों से महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता तथा अन्य भत्तों के हकदार होंगे।

(vi) अधिवर्षिता की आयु (अनुबंध-I)

विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों, रजिस्ट्रार, लाइब्रेरियन, शारीरिक शिक्षा कार्मिक, परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी तथा विश्वविद्यालय के अन्य ऐसे पदाधिकारी, जिन्हें शिक्षकों के समान माना जा रहा है तथा जिनकी अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष थी की अधिवर्षिता की आयु 62 वर्ष होगी तथा उसके बाद उनकी अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी। तथापि, कोई विश्वविद्यालय या महाविद्यालय किसी अधिवर्षिता प्राप्त शिक्षक को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तैयार किए गए वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार 65 वर्ष की आयु तक पुन: नियुक्त कर सकता है।

(vii) महाविद्यालयों में प्रोफेसर (अनुबंध-I)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त स्वायत्तशासी महाविद्यालयों में प्रोफेसर के पद 1:4:12 के अनुपात में प्रोफेसर, रीडर, प्राध्यापक के लिए सृजित किए जाएंगे। महाविद्यालयों में प्रोफेसर के पद के लिए चयन प्रक्रिया वही होगी जो विश्वविद्यालयों में अपनाई जाती है। समान स्तर वाले अन्य महाविद्यालयों की पहचान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बाद में सरकार के परामर्श से आयोग द्वारा बनाए गए मानदण्डों के अनुसार की जाएगी।

(viii) प्राध्यापकों के लिए व्यावसायिक विकास प्रोत्साहन स्कीम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सरकार से परामर्श करके नकद भत्तों या सहायता के रूप में व्यावसायिक विकास प्रोत्साहन देने या दोनों ही उन प्राध्यापकों को जो एम.फिल/पीएच.डी. के लिए पंजीकृत हैं तथा जिनके अनुसंधान को उनके गाइडों द्वारा संतोषजनक माना जाता है। (अनुबंध-III)

(ix) शिक्षकों की सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें (अनुबंध-I)

शिक्षकों की सेवा से संबंधित अन्य निबंधन तथा शर्तों की अधिसूचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सरकार के अनुमोदन से वर्तमान स्कीमों के आधार पर अनुमोदित संशोधित वेतनमान तथा अन्य संबंधित शर्तों को शामिल करके विनियमों के रूप में जारी की जाएगी।

परिशिष्ट

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और शिक्षा से संबंधित अन्य कर्मचारियों के वेतनमान

क्र.सं.	श्रेणी	वर्तमान वेतनमान	संशोधित वेतनमान
1	2	3	4
	विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षक		
1.	प्राध्यापक	2200-75-2800-100-4000	8000-275-13500
2.	प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान)	3000-100-3500-125-5000	10000-325-15200
3.	प्राध्यापक (प्रवरण कोटि)/रीडर	3700-125-4950-150-5700	12000-420-18300
4.	प्रोफेसर	4500-150-5700-200-7300	16400-450-20900-500-22400
5.	महाविद्यालय के प्रधानाचार्य	(1) 3700-125-4950-150-5700 (2) 4500-150-5700-200-7300	(1) 12000-420-18300 (न्यूनतम 12840 रु. पर निर्धारित किया जाए) (2) 16400-450-20900-500-22400 (न्यूनतम 17300 रु. पर निर्धारित किया जाए)
6.	सम-कुलपति	5900-200-7300	18400-500-22400
7.	कुलपति	7600 (निर्धारित)	25000 (निर्धारित)
	विश्वविद्यालयों के लिए		
8.	रजिस्ट्रार/लाइब्रेरियन/ निदेशक शारीरिक शिक्षा/परीक्षा नियंत्रक/वित्त अधिकारी	4500-150-5700-200-7300	16400-450-20900-500-22400
9.	उप-रजिस्ट्रार/उप-लाइब्रेरियन/उप-निदेशक शारीरिक शिक्षा/उप-परीक्षा नियंत्रक/उप वित्त अधिकारी	3700-125-4950-150-5700	12000-420-18300
10.	सहायक लाइब्रेरियन/सहायक प्रलेख अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान)/सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा (वरिष्ठ वेतनमान)	3000-100-3500-125-5000	10000-325-15200
11.	सहायक रजिस्ट्रार/सहायक लाइब्रेरियन/सहायक प्रलेख अधिकारी/सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा/सहायक परीक्षा नियंत्रक/ सहायक वित्त अधिकारी	2200-75-2800-100-4000	8000-275-13500

1	2	3	4
	महाविद्यालयों के लिए		
12.	महाविद्यालय लाइब्रेरियन (प्रवरण कोटि)/निदेशक शारीरिक शिक्षा (प्रवरण कोटि)	3700-125-4950-150-5700	12000-420-18300
13.	महाविद्यालय लाइब्रेरियन (वरिष्ठ वेतनमान)/निदेशक शारीरिक शिक्षा (वरिष्ठ वेतनमान)	3000-100-3500-125-5000	10000-325-15200
14.	महाविद्यालय लाइब्रेरियन/निदेशक, शारीरिक शिक्षा	2200-75-2800-100-4000	8000-275-13500
15.	निदर्शक/अनुशिक्षक	1740-60-2700-द.रो.-75-3000	5500-175-9000

अनुबंध

सं. एफ 1-22/97-यू.आइं.
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 1998

सेवा में,

समस्त राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों
के शिक्षा सचिव

विषय: पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों के संशोधन के अनुसरण में विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन।

महोदया/महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उच्चतर शिक्षा में समन्वय, संकल्प और, मानकों के अनुरक्षण के लिए संवैधानिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने में केन्द्रीय सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर अनेक उपाय किए गए। इन प्रयासों के एक हिस्से के रूप में केन्द्र सरकार ने शिक्षण व्यवसाय में प्रतिभाओं को आकर्षित करने और रोक रखने के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और उनके अधीन महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमानों को संशोधित किया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सम्बोधित पत्र की एक प्रति संलग्न है जिसमें संशोधित वेतनमानों का विवरण तथा वेतनमानों के संशोधन की स्कीम के अन्य प्रावधान दिये गये हैं।

2. अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता मुहैया जारी रखने का निर्णय लिया है जो निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तों पर वेतनमानों के संशोधन की स्कीम को अपनाना और कार्यान्वयन करना चाहते हैं।

(क) केन्द्रीय सरकार उन राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता मुहैया करेगी जिन्होंने इन संशोधित वेतनमानों को चुन लिया है, को संशोधन के कार्यान्वयन में सम्मिलित अतिरिक्त व्यय का 80 प्रतिशत तक दिया जाएगा।

(ख) राज्य सरकारें व्यय के शेष 20 प्रतिशत को अपने स्वयं के स्रोतों से पूरा करेंगी।

(ग) उपर्युक्त वित्तीय सहायता दिनांक 1.1.1996 से 31.3.2000 की अवधि के लिए मुहैया करायी जाएगी।

(घ) दिनांक 1.4.2000 से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों के वेतनमानों आदि के संशोधन की पूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी।

(ङ) केन्द्रीय सहायता केवल उन पदों के संबंध में वेतनमानों के संशोधन तक सीमित होगी जो दिनांक 1.1.1996 तक मौजूद तथा भरे गये थे।

3. राज्य सरकारें स्थानीय परिस्थितियों पर विचार करने के बाद स्कीम में उल्लिखित वेतनमानों से भिन्न वेतनमानों को बनाने के लिए स्व:विवेक से भी निर्णय ले सकती हैं तथा 1 जनवरी, 1996 या उसके बाद से संशोधित वेतनमानों को लागू कर सकती हैं। ऐसे मामलों में प्रस्तावित संशोधनों का विवरण या तो वेतनमानों का या तिथि जिससे स्कीम कार्यान्वित की जा रही है को भारत सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा जाना चाहिए तथा बशर्ते कि संशोधनों को स्वीकृति दी जाती है। ऐसे संशोधनों के साथ स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता उपर्युक्त निबन्धन एवं शर्तों पर उबलब्ध होगी, बशर्ते कि संशोधित वेतनमान स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत वेतनमानों से उच्चतर नहीं हैं।

4. स्कीम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सहायता का भुगतान भी इस शर्त पर किया जाता है कि वेतनमानों के संशोधन की सम्पूर्ण स्कीम तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस संबंध में रखी गई सभी शर्तों के साथ नियमों द्वारा उपर्युक्त कार्यान्वयन के प्रति तथा वेतनमानों के सिवाय बिना किसी संशोधन के एक कम्पोजिट स्कीम के रूप में राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

5. इस स्कीम के प्रावधानों को सम्मिलित करने के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के प्रबन्धन के लिए उनके संविधियों अध्यादेशों, नियमों, विनियमों आदि में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए यह जरूरी होगी।

6. उपर्युक्त निर्देशों पर स्कीम के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत प्रस्ताव तुरन्त तैयार किया जाए तथा जांच के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग को भेजा जाए ताकि संशोधित वेतनमानों के कार्यान्वयन के लिए उपरोक्त सीमा तक केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति दी जा सकें।

7. इस स्कीम के कार्यान्वयन में यदि कोई असंगतियां हैं तो उन्हें स्पष्टीकरण के लिए शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ध्यान में लाया जाए।

8. यह स्कीम सभी विश्वविद्यालयों कृषि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों सहित (कृषि, चिकित्सा और पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालयों को छोड़कर) शिक्षकों पर लागू की जाती है जो विश्वविद्यालयों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं।

भवदीय,
ह./-
(लालमलसामा)
निदेशक

प्रतिलिपि:

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
2. सभी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार
3. सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली।

ह./-
(लालमलसामा)
निदेशक

फा.सं. 1-22/97-यू.आई.
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 1998

सेवा में,

सचिव,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,
बहादुरशाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली

विषय:- पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों के संशोधन के अनुसरण में विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में शिक्षकों के वेतनमानों का संशोधन।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के वेतनमानों में

संशोधन करने का निर्णय लिया है। शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन इस पत्र में निहित वेतनमान में संशोधन की स्कीम के विभिन्न उपबन्धों तथा इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनाये जाने वाले विनियमों के अधीन होंगे। इस स्कीम के तहत संशोधित वेतनमान तथा अन्य प्रावधान निम्न प्रकार हैं:-

1. (i) **वेतनमान**

मौजूदा और संशोधित वेतनमान दर्शाने वाला एक विवरण अनुबंध के रूप में संलग्न है।

निदर्शकों/अनुशिक्षकों के संशोधित वेतनमान मौजूदा पदधारियों के लिए है। निदर्शकों/अनुशिक्षकों के संवर्ग में कोई नई भर्ती नहीं की जायेगी।

(ii) **पीएच.डी./एम.फिल के लिए प्रोत्साहन**

(क) प्राध्यापक के रूप में भर्ती के समय पीएच.डी. और एम.फिल डिग्री धारकों के लिए क्रमश: चार और दो अग्रिम वेतनवृद्धियां स्वीकार्य होंगी।

(ख) एम.फिल वाले उन शिक्षकों के लिए एक वेतनवृद्धि स्वीकार्य होगी, जो भर्ती के दो वर्ष के अंदर पीएच.डी. अर्जित कर लेंगे।

(ग) पीएच.डी. धारक प्राध्यापक रीडर के रूप में चयन ग्रेड में आने पर दो अग्रिम वेतनवृद्धियों के लिए पात्र होगा।

(घ) शिक्षक अपने सेवाकाल में पीएच.डी. अर्जित करने पर दो अग्रिम वेतनवृद्धियों के लिए पात्र होगा।

(iii) **कैरियर में उन्नति**

(क) प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान) के ग्रेड में आने के लिए प्राध्यापकों के रूप में पात्रता की न्यूनतम सेवा-अवधि पीएच.डी. धारकों के लिए चार वर्ष एम.फिल वालों के लिए पांच वर्ष और अन्यों के लिए छ: वर्ष होगी तथा प्राध्यापक (चयन ग्रेड)/रीडर के रूप में आने के लिए पात्रता हेतु प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान) के रूप में न्यूनतम सेवा अवधि एक समान पांच वर्ष होगी।

(ख) रीडर और इससे ऊपर के ग्रेडों में जाने के लिए न्यूनतम पात्रता का मानदण्ड पीएच.डी. होगा। जो शिक्षक पीएच.डी. नहीं हैं वे प्राध्यापक (चयन ग्रेड) के स्तर तक जा सकते हैं।

(ग) न्यूनतम आठ वर्ष की सेवा वाला रीडर, प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति हेतु विचार के लिए पात्र होगा।

(घ) प्रत्येक उन्नति के लिए एक चयन प्रक्रिया तैयार की जाएगी, जिसके लिए सरकार के परामर्श से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपयुक्त दिशानिर्देश निर्धारित किए जाएंगे।

(iv) **योग्यता के आधार पर पुरस्कृत करना**

(क) प्रतिष्ठित ऐसे प्रोफेसरों को 22000-500-24500 रु. का एक अधिसमय वेतनमान दिया जाएगा, जिनकी सीधी भर्ती हुई है और उन्होंने 28 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है। पात्रता के मानदंड और चयन प्रक्रिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसे मेधावी शिक्षकों, जिनके पास एम.फिल या पीएच.डी. की उपाधि नहीं है, लेकिन जिन्होंने शिक्षण और अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान दिया है, को पुरस्कृत करने और मान्यता देने के लिए सरकार के साथ परामर्श करके एक विशिष्ट स्कीम तैयार करेगा।

(v) **भत्ते, प्रभावी तिथि और उपयुक्तता सूत्र (फार्मूला)**

(क) अनुबंध-I में दिए गए संशोधित वेतनमान इस पत्र के जारी करने की तिथि से उत्तरव्यापी प्रभाव से माने जाएंगे।

(ख) दिनांक 1.1.96 से लेकर जिस दिन ये निर्णय प्रभावी होते हैं तब तक की अवधि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त वेतन समीक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर अनुबंध-II के अनुसार (बाद में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 6 नवम्बर, 1998 के पत्र द्वारा वापस ले लिया गया) एवजी वेतनमान में वेतन निर्धारित किया जाएगा।

(ग) संशोधित वेतनमान में दिनांक 1.1.96 से वेतन केन्द्रीय सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियमावली, 1997 के नियम-7 में यथा निर्दिष्ट पूर्व-संशोधित वेतनमानों में अर्जित प्रत्येक तीन वेतनवृद्धियों के लिए एक वेतनवृद्धि का लाभ देकर निर्धारित किया जायेगा और यह केन्द्रीय सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियमावली, 1997 के लागू होने वाले अन्य संबंधित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

(घ) इस पत्र के अनुबंध-1 पर दिए गए संशोधित वेतनमानों में वेतन उपरोक्त पैरा (ग) के अनुसार स्वीकार्य अवस्था के संदर्भ में उसी अवस्था (स्टेज) पर निर्धारित किया

जायेगा। जिन मामलों में उक्त समान अवस्था (स्टेज) उपलब्ध नहीं है, वहां वेतन उपरोक्त पैरा (ग) के अनुसार स्वीकार्य वेतन से अगली अवस्था पर निर्धारित किया जायेगा।

(ङ) बकाया राशि का भुगतान एक ही किश्त में किया जाएगा।

(च) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षक केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू दरों तथा तिथियों से महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता तथा अन्य भत्तों के हकदार होंगे।

(vi) **अधिवर्षिता की आयु**

विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों की अधिवर्षिता की आयु 62 वर्ष होगी तथा उसके बाद उनकी अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी। तथापि कोई विश्वविद्यालय या महाविद्यालय किसी अधिवर्षिता प्राप्त शिक्षक को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तैयार किए गए वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार 65 वर्ष की आयु तक पुन: नियुक्त कर सकता है।

(vii) **महाविद्यालयों में प्रोफेसर**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त स्वायत्तशासी महाविद्यालयों में प्रोफेसर के पद 1:4:12 के अनुपात में प्रोफेसर, रीडर, प्राध्यापक के लिए सृजित किए जाएंगे। महाविद्यालयों में प्रोफेसर के पद के लिए चयन प्रक्रिया वही होगी जो विश्वविद्यालयों में अपनाई जाती है। समान स्तर वाले अन्य महाविद्यालयों की पहचान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बाद में सरकार के परामर्श से आयोग द्वारा बनाए गए मानदण्डों के अनुसार की जाएगी।

(viii) **शिक्षकों की सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें**

शिक्षकों की सेवा से संबंधित अन्य निबंधन तथा शर्तों की अधिसूचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सरकार के अनुमोदन से वर्तमान स्कीमों के आधार पर अनुमोदित संशोधित वेतनमान तथा अन्य संबंधित शर्तों को शामिल करके विनियमों के रूप में जारी की जाएगी।

2. इस बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उक्त विनियमों के जारी किए जाने तक शिक्षकों को संशोधित वेतनमान तथा वेतन की बकाया राशि दे दी जाए।

3. उपरोक्त योजना सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा उनके तहत महाविद्यालयों और मानद विश्वविद्यालयों, जिनका रख-रखाव व्यय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पूरा किया जाता है, के सभी शिक्षकों पर लागू होगी। संशोधित वेतनमानों का कार्यान्वयन इस पत्र तथा इसके संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनाए जाने वाले विनियमों में उल्लिखित सभी शर्तों को स्वीकार किए जाने की शर्त के अधीन होगा। विश्वविद्यालयों को परामर्श दिया जाता है कि वे इस पत्र के जारी होने की तिथि के तीन माह के अंदर उक्त विनियमों के अनुसार अपने कानूनों तथा अध्यादेशों में संशोधन कर लें।

4. ये आदेश केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निधि प्रदत्त अर्द्ध सरकारी/स्वायत्त संगठनों, सांविधिक निकायों इत्यादि के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन पर वित्त मंत्रालय के दिनांक 2.12.1997 के का.ज्ञा.सं. 7(34)/ई-III-ए/97 के पैरा 4 में दी गई शर्तों के अधीन हैं।

5. अनुरोध है कि इस पत्र में निर्धारित शर्तों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनाए जाने वाले विनियमों के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं के शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।

6. इस स्कीम के कार्यान्वयन में यदि कोई असंगतियां हैं तो उन्हें स्पष्टीकरण के लिए शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ध्यान में लाया जाये।

7. कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय,
ह./-
(लालमलसामा)
निदेशक

प्रतिलिपि:

1. सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति।
2. सदस्य-सचिव, ए.आई.सी.टी.ई.।
3. सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली

ह./-
(लालमलसामा)
निदेशक

अनुबंध

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और शिक्षा से संबंधित अन्य कर्मचारियों के वेतनमान

क्र.सं.	श्रेणी	वर्तमान वेतनमान	संशोधित वेतनमान
1	2	3	4
	विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षक		
1.	प्राध्यापक	2200-75-2800-100-4000	8000-275-13500
2.	प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान)	3000-100-3500-125-5000	10000-325-15200
3.	प्राध्यापक (प्रवरण कोटि)/रीडर	3700-125-4950-150-5700	12000-420-18300
4.	प्रोफेसर	4500-150-5700-200-7300	16400-450-20900-500-22400
5.	महाविद्यालय के प्रधानाचार्य	(i) 3700-125-4950-150-5700	(i) 12000-420-18300 (न्यूनतम 12840 रु. पर निर्धारित किया जाए)
		(ii) 4500-150-5700-200-7300	(ii) 16400-450-20900-500-22400 (न्यूनतम 17300 रु. पर निर्धारित किया जाए)
6.	सम-कुलपति	5900-200-7300	18400-500-22400
7.	कुलपति	7600 (निर्धारित)	25000 (निर्धारित)
	विश्वविद्यालयों के लिए		
8.	रजिस्ट्रार/लाइब्रेरियन/ निदेशक, व्यायाम शिक्षा	4500-150-5700-200-7300	16400-450-20900-500-22400
9.	उप-रजिस्ट्रार/उप-लाइब्रेरियन/उप-निदेशक व्यायाम शिक्षा	3700-125-4950-150-5700	12000-420-18300
10.	सहायक लाइब्रेरियन/सहायक प्रलेख अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान)/सहायक निदेशक, व्यायाम शिक्षा (वरिष्ठ वेतनमान)	3000-100-3500-125-5000	1000-325-15200
11.	सहायक रजिस्ट्रार/सहायक लाइब्रेरियन/सहायक प्रलेख अधिकारी/सहायक निदेशक, व्यायाम शिक्षा	2200-75-2800-100-4000	8000-275-13500
	महाविद्यालयों के लिए		
12.	महाविद्यालय लाइब्रेरियन (प्रवरण कोटि)/निदेशक व्यायाम शिक्षा (प्रवरण कोटि)	3700-125-4950-150-5700	12000-420-18300

1	2	3	4
13.	महाविद्यालय लाइब्रेरियन (वरिष्ठ वेतनमान)/निदेशक व्यायाम शिक्षा (वरिष्ठ वेतनमान)	3000-100-3500-125-5000	10000-325-15200
14.	महाविद्यालय लाइब्रेरियन/निदेशक, व्यायाम शिक्षा	2200-75-2800-100-4000	8000-275-13500
15.	निर्देशक/अनुशिक्षक	1740-60-2700-द.रो.-75-3000	5500-175-9000

अनुबंध II

सं. एफ 1-22/97-यू.आई.
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1998

सेवा में.

सचिव,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली-110002

विषय: पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के संशोधित वेतनमानों के अनुसरण में कृषि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक हमारे समसंख्यक पत्र दिनांक 27 जुलाई, 1998 के संदर्भ में मुझे आपका ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है और इस संबंध में यह कहना है कि कुछ वर्गों के अध्यापकों के वेतनमानों के निर्धारण के संबंध मे स्पष्टीकरण ले लिया गया है। एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे वर्गों के अध्यापकों के वेतनमानों का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाए:-

1. उप-कुलपति

उपकुलपतियों का संशोधित वेतनमान 1.1.1996 से 25,000 रु. (निश्चित) होगा।

2. प्रो-वाइस चांसलर

प्रो-वाइस चांसलर के वेतनमान का संशोधित वेतनमान दिनांक 1.1.1996 से 18,400-500-22,400 रु. होगा।

3. प्रिंसिपल

पूर्व संशोधित वेतनमान 4500-7300 रु. वाले प्रिंसिपलों को 14,300-450-22,400 रु. का संशोधित वेतनमान 1.1.1996 से दिया जाएगा और न्यूनतम मूल वेतन उसी तारीख से 15,200 रु. निश्चित किया जाएगा। 27.7.1998 से वेतन 16,400-450-20900-500-22,400 रु. निश्चित किया जाएगा जिसमें मूल वेतन 17,300 रु. होगा। अन्य प्रिंसिपलों के मामले में 1.1.1996 से 12,000-375-18,000 रु. का संशोधित वेतनमान दिया जाएगा और न्यूनतम वेतन उसी तारीख से 12,750 निश्चित किया जाएगा। 27.7.1998 से वेतन 12000-420-18300 रु. के वेतनमान में निश्चित किया जाएगा जिसमें मूल वेतन 12,840 रु. होगा।

4. मेरिट के आधार पर पदोन्नति योजना के तहत रीडर और प्रोफेसर

मेरिट के आधार पर पदोन्नति योजना के तहत प्रोफेसर के मौजूदा वेतनमान 4500-150-5700 रु. को संशोधित करके 1.1.1996 से 14300-400-18300 रु. में निश्चित किया जाएगा। आयोग को इस संबंध में निर्णय लेना है कि 27.7.1998 के बाद मौजूदा मेरिट के आधार पर पदोन्नति स्कीम को जारी रखना है अथवा नहीं।

5. परीक्षा नियंत्रक/वित्त अधिकारी

विश्वविद्यालयों में परीक्षा नियंत्रकों और वित्त अधिकारियों को वही वेतनमान दिया जाएगा जो रजिस्ट्रार के लिए लागू होता है।

6. संदर्भित पत्र के पैरा 1(5)(च) के तहत महंगाई भत्ता के अलावा भत्तों के संबंध में बकाया का भुगतान 1.8.1997 से मान्य

होगा। महंगाई भत्ते का भुगतान 1.1.1996 से उसी तारीख और दर से लागू होगा जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देय है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय,
ह./-
(लालमलसामा)
निदेशक

वितरण:

1. सभी राज्यों के शिक्षा सचिव।
2. सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के उपकुलपति।
3. सदस्य-सचिव, ए.आई.सी.टी.ई.।
4. सचिव, भा.कृ.अ.प., कृपि भवन, नई दिल्ली।

ह./-
(लालमलसामा)
निदेशक

अनुबंध III

सं. एफ. 1-22/97-यू.आई.

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 नवम्बर, 1998

सेवा में,

सचिव,

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुरशाह जफर मार्ग,

नई दिल्ली-110002

विषय: पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के वेतनमानों के संशोधन के बाद केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के वेतनमानों का संशोधन।

महोदय,

उपरलिखित विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 27 जुलाई, 1998 के समसंख्या पत्र एवं दिनांक 22 सितम्बर, 1998 के अधिक्रमण में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमानों के संशोधन से संबंधित मामले पर सरकार द्वारा आगे विचार किया गया था और हमारे दिनांक 27 जुलाई, 1998 के पत्र के माध्यम से सरकार द्वारा पहले ही अधिसूचित स्कीम में कुछ संशोधन करने का निर्णय किया गया है। वर्तमान स्कीम में किए गए संशोधन इस प्रकार हैं:-

1. वेतनमान

(i) दिनांक 27 जुलाई, 1998 के हमारे पत्र के अनुबंध-I में उल्लिखित संशोधित वेतनमान दिनांक 1 जनवरी, 1996 से प्रभावी होंगे। तदनुसार, उद्धृत पत्र के साथ नत्थी अनुबंध-II को वापिस लिया गया समझा जाए।

(ii) प्रवक्ताओं (व्याख्याताओं) (चयन ग्रेड)/क. 3700-125-4950-150-5700/के संशोधन पूर्व वेतनमान में रीडरों, जिन्हें यू जी सी द्वारा गठित नियमों एवं विनियमों के ही अनुसार चुना गया था और जो व्याख्याताओं (चयन ग्रेड) के रूप में/रीडर के रूप में दिनांक 1 जनवरी, 1996 को थे, को इस प्रकार किया जाएगा कि वे जब कभी भी ग्रेड में 5 वर्ष पूरा करते हैं तो रु. 12000-420-18300 के संशोधित वेतनमान में उनका न्यूनतम वेतन रु. 14940/- निर्धारित किया जाए।

2. रीडर और प्राध्यापक

जो रीडर और प्राध्यापक संशोधन पूर्व रु. 3000-5000 और रु. 4500-5700 के वेतनमानों में थे, को दिनांक 1 जनवरी, 1996 से उनको संशोधित वेतनमानों की उपयुक्त स्टेज पर क्रमश: रु. 10000-325-15200 और रु. 16400-450-20900-500-22400 में निर्धारित किया जाएगा।

3. परीक्षा नियंत्रक और वित्त अधिकारियों के वेतनमान

विश्वविद्यालयों में परीक्षा नियंत्रकों और वित्त अधिकारियों को रजिस्ट्रारों पर लागू होने वाले वेतनमान में रखा जाएगा।

4. अधिवर्षिता की आयु

हमारे संदर्भाधीन पत्र के पैरा 1 (vi) में इंगित 62 वर्ष की अधिवर्षिता की आयु रजिस्ट्रारों, लाइब्रेरियनों, शारीरिक शिक्षा कार्मिकों, परीक्षा नियंत्रकों, वित्त अधिकारियों और विश्वविद्यालयों के ऐसे अन्य कर्मचारियों पर भी लागू होंगे, जिन्हें अध्यापकों के समकक्ष माना जा रहा है और जिनकी अधिवर्षिता आयु सीमा 60 वर्ष थी।

5. व्याख्याताओं के लिए व्यावसायिक विकास प्रोत्साहन हेतु स्कीम

उन व्याख्याताओं को, जिनका एम.फिल./पीएच.डी. के लिए पंजीकरण हुआ हो, और जिनके अनुसंधान कार्य उनके गाइडों द्वारा संतोषजनक माना गया है, को नकद भत्ते या सहायता के रूप में या दोनों के रूप में व्यावसायिक विकास प्रोत्साहन देने के लिए सरकार से परामर्श के साथ एक स्कीम गठित की जाएगी।

6. अन्य शर्तें

उल्लिखित के अलावा, हमारे दिनांक 27 जुलाई, 1998 के पत्र में दी गई अन्य शर्तें, यथावत रहेंगी।

7. इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय,
ह./-
(लालमलसामा)
निदेशक

वितरण:

1. सभी राज्य सरकारों के शिक्षा सचिव।
2. सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के उपकुलपति।
3. सदस्य-सचिव, ए.आई.सी.टी.ई., आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
4. सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली।

ह./-
(लालमलसामा)
निदेशक

परिशिष्ट II

लाइब्रेरियन, उप-लाइब्रेरियन और सहायक लाइब्रेरियन के पदों की सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यातएं

(i) **लाइब्रेरियन (विश्वविद्यालय)**

(i) कम से कम 55 प्रतिशत अंक या यू जी सी 7 पोइन्ट स्केल में इसके समकक्ष बी के ग्रेड के साथ लाइब्रेरी विज्ञान/सूचना विज्ञान/डाक्यूमेंटेशन में मास्टर डिग्री और लगातार अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड

(ii) एक विश्वविद्यालय लाइब्रेरी में डिप्टी लाइब्रेरियन के रूप में कम से कम 13 वर्ष या महाविद्यालय लाइब्रेरियन के रूप में 18 वर्ष का अनुभव

(iii) परिवर्तित पुस्तकालय सेवा के साक्ष्य और प्रकाशन कार्य का संगठन।

वांछनीय

पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/डाक्यूमेंटेशन/अभिलेखागार और पांडुलिपि रख-रखाव में एम.फिल./पीएच.डी. डिग्री

(ii) **डिप्टी लाइब्रेरियन**

(i) यू जी सी 7 पोइन्ट स्केल में बी ग्रेड के समकक्ष या कम से कम 55 प्रतिशत अंक के साथ लाइब्रेरी विज्ञान/सूचना विज्ञान/डाक्यूमेंटेशन में मास्टर डिग्री और लगातार अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड

(ii) सहायक विश्वविद्यालय लाइब्रेरियन/महाविद्यालय लाइब्रेरियन के रूप में 5 वर्ष का अनुभव,

(iii) परिवर्तित पुस्तकालय सेवाओं का साक्ष्य, प्रकाशित कार्य और व्यावसायिक प्रतिबद्धता, पुस्तकालय का कम्प्यूटरीकरण।

वांछनीय

पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/डाक्यूमेंटेशन/अभिलेखागार और पांडुलिपि रख-रखाव, पुस्तकालय कम्प्यूटरीकरण में एम.फिल./पीएच.डी. डिग्री

(iii) **सहायक विश्वविद्यालय लाइब्रेरियन/महाविद्यालय लाइब्रेरियन/डाक्यूमेंटेशन अधिकारी के पद हेतु न्यूनतम योग्यताएं**

(i) यू.सी.जी. या यू.जी.सी. द्वारा अनुमोदित किसी अन्य एजेन्सी द्वारा इस उद्देश्य के लिए आयोजित राष्ट्रीय स्तर परीक्षा में सफल

(ii) यू जी सी 7 पोइन्ट स्केल में बी ग्रेड के समकक्ष या कम से कम 55 प्रतिशत अंक के साथ लाइब्रेरी विज्ञान/सूचना विज्ञान/डाक्यूमेंटेशन में मास्टर डिग्री और लगातार अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड, पुस्तकालय का कम्प्यूटरीकरण

परिशिष्ट III

रजिस्ट्रार, उप-रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार के पदों की सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यताएं।

(i) **रजिस्ट्रर और समकक्ष पद**

1. कम से कम 55 प्रतिशत अंक के साथ मास्टर डिग्री या इसके समकक्ष यू जी सी 7 पोइन्ट स्केल में बी के समकक्ष ग्रेड

2. व्याख्याता (वरिष्ठ वेतनमान) के रूप में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव/शैक्षणिक प्रशासन के साथ रीडर के ग्रेड में 8 वर्ष के साथ व्याख्याता

या

अनुसंधान स्थापना और/या उच्चतर शिक्षा के अन्य संस्थान में तुलनात्मक अनुभव

या

15 वर्प का प्रशासनिक अनुभव जिसमें से 8 वर्ष का डिप्टी रजिस्ट्रार या किसी समकक्ष पद का हो।

(ii) **डिप्टी रजिस्ट्रार और समकक्ष पद**

1. कम से कम 55 प्रतिशत अंक के साथ मास्टर डिग्री या इसके समकक्ष यू जी सी 7 पोइन्ट स्केल में बी के समकक्ष ग्रेड

2. किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में शैक्षणिक प्रशासन के साथ व्याख्याता के रूप में 5 वर्ष का अनुभव

या

अनुसंधान स्थापना और/या उच्चतर शिक्षा के अन्य संस्थान में तुलनात्मक अनुभव

या

सहायक रजिस्ट्रार या समकक्ष पद का 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव

(iii) **सहायक रजिस्ट्रार और समकक्ष पद**

1. **अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड और न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री या इसके समकक्ष यू जी सी 7 पोइन्ट स्केल में इसके समकक्ष ग्रेड**

अनुबंध IV

निदेशक व्यायाम शिक्षा, उप निदेशक व्यायाम शिक्षा तथा सहायक निदेशक व्यायाम शिक्षा के पदों के लिए न्यूनतम अर्हताएं

(क) विश्वविद्यालयः सहायक निदेशक व्यायाम शिक्षा और खेल/महाविद्यालय निदेशक व्यायाम शिक्षा (प्राध्यामक-वेतनमान)

(1) व्यायाम शिक्षा (दो वर्ष का पाठ्यक्रम) में स्नातकोत्तर डिग्री या खेल में स्नातकोत्तर डिग्री या कम से कम 55 प्रतिशत अंक के साथ समकक्ष डिग्री या यू जी सी 7 प्वाइंट वेतनमान में बी ग्रेड के समकक्ष साथ ही लगातार शैक्षणिक रिकार्ड अच्छा हो।

(2) राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में राज्य या विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के अंतर विश्वविद्यालय/अंतरविद्यालयीय स्पर्द्धाओं में प्रतिनिधित्व करने का रिकार्ड होना।

(3) शारीरिक स्वास्थ्यता जांच में पास हो।

(4) यू जी सी या यू जी सी द्वारा स्वीकृत किसी अन्य एजेंसी द्वारा इस उद्देश्य के लिए आयोजित राष्ट्रीय परीक्षण में पास हुआ हो।

(ख) विश्वविद्यालयः सहायक निदेशक व्यायाम शिक्षा/ महाविद्यालय व्यायाम शिक्षा (वरिष्ठ-वेतनमान)

(1) विश्वविद्यालय सहायक निदेशक व्यायाम शिक्षा / महाविद्यालय व्यायाम शिक्षा के रूप में 6 वर्ष की सेवा पूरी होनी चाहिए साथ ही एम फिल डिग्री धारकों के लिए एक साल तथा पी एच डी डिग्री धारकों के लिए दो वर्ष की छूट होगी।

(2) शारीरिक स्वास्थ्यता जांच में पास हो।

(3) लगातार एक अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड हो।

(4) उचित और अच्छी तरह निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया (पी.एचडी डिग्री धारकों को एक रेफ्रेशर कोर्स की छूट की मंजूरी) के साथ कम से कम एक ओरियेन्टशन और एक रेफ्रेशर कोर्स लगभग तीन से चार सप्ताह की अवधि वाले में से प्रत्येक में भाग ले रखा हो।

(ग) विश्वविद्यालय: सहायक निदेशक व्यायाम शिक्षा/ महाविद्यालय व्यायाम शिक्षा (सलेक्शन ग्रेड)।

(1) वरिष्ठ वेतनमान में विश्वविद्यालय सहायक निदेशक व्यायाम शिक्षा/महाविद्यालय व्यायाम शिक्षा के रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी की हो।

(2) 3000-5000 रुपए के वेतनमान में जाने के बाद उचित और अच्छी तरह निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया के साथ लगभग 3-4 सप्ताह के दो रेफ्रेशर कोर्सों में उपस्थित रहा हो।

(3) अच्छी टीम/खिलाड़ी तैयार करने के साक्ष्य दर्शाए तथा कम से कम दो सप्ताह की अवधि के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए हों।

(4) शारीरिक स्वास्थता जांच में पास हो।

(5) लगातार शैक्षणिक रिकार्ड अच्छा हो।

(घ) विश्वविद्यालय उप निदेशक व्यायाम शिक्षा/महाविद्यालय उप व्यायाम शिक्षा (रीडर वेतनमान)

(1) व्यायाम शिक्षा में पी.एच.डी. हो। इसके अलावा, विश्वविद्यालय प्रणाली के बाहर के उम्मीदवारों के कम से 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए या स्नाकोत्तर डिग्री स्तर पर यू जी सी 7 प्वाइंट वेतनमान में बी ग्रेड के समकक्ष हो।

(2) विश्वविद्यालय सहायक निदेशक व्यायाम शिक्षा/ महाविद्यालय व्यायाम शिक्षा के रूप में पांच वर्ष के अनुभव के साथ पी.एचडी और एम.फिल डिग्री धारकों के लिए दो वर्ष और एक वर्ष की छूट होगी।

(3) कम से कम दो सप्ताह की अवधि के प्रशिक्षण शिविरों/ स्पर्धाओं के आयोजन के साक्ष्य हों।

(4) राज्य/राष्ट्रीय/अंतर विश्वविद्यालय/संयुक्त विश्वविद्यालय आदि जैसे स्पर्द्धाओं के लिए अच्छी टीम/खिलाड़ी तैयार करने के साक्ष्य हों।

(5) शारीरिक स्वस्थता जांच पास हो।

(6) लगातार शैक्षणिक रिकार्ड अच्छा हो।

(ङ) विश्वविद्यालय निदेशक व्यायाम शिक्षा

(1) व्यायाम शिक्षा में पी. एचडी हो।

(2) विश्वविद्यालय उप निदेशक के रूप में कम से कम दस साल या विश्वविद्यालय सहायक निदेशक व्यायाम शिक्षा/महाविद्यालय निदेशक व्यायाम शिक्षा (सलेक्शन ग्रेड) के रूप में पंद्रह साल का अनुभव हो।

(3) कम से कम दो राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों/सम्मेलनों में भाग लिया हो।

(4) लगातार शैक्षणिक रिकार्ड अच्छा हो।

(5) कम से कम दो सप्ताह की अवधि के प्रशिक्षण शिविरों और स्पर्द्धाओं के आयोजन के साक्ष्य हों।

(6) राज्य/राष्ट्रीय/अंतर विश्वविद्यालय/संयुक्त विश्वविद्यालय आदि जैसे स्पर्द्धाओं के लिए अच्छी टीम/खिलाड़ी तैयार करने के साक्ष्य हों।

अनुबंध V

यू जी सी द्वारा सिफारिश की गई चयन समितियां

निजी महाविद्यालय में प्राध्यापक

1. महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष या उनकी/ उनके द्वारा नामजद चयन समिति का अध्यक्ष होगा।

2. संबंधित महाविद्यालय का प्राचार्य

3. एक वरिष्ठ शिक्षक/विभागाध्यक्ष (संबंधित विषय का) अधिमानत: एक शिक्षक के रूप में 10 वर्ष से कम की सेवाएं न हों।

4. संबद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति के दो नामजद जिसमें एक विषय विशेषज्ञ होना चाहिए।

5. कुलपति द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा नामित दो विषय विशेषज्ञ जिनका संबद्ध महाविद्यालय के साथ न हो।

सरकारी महाविद्यालयों के लिए, जहां विश्वविद्यालयों में चयन के लिए राज्य लोक सेवा आयोग शामिल होती है, राज्य लोक सेवा आयोग के तीन विषय विशेषज्ञों को अवश्य आमंत्रित करें। चयन समिति में प्राचार्य और विभागाध्यक्ष को निश्चित रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

बैठक के लिए पांच का कोरम होना चाहिए जिसमें से कम से कम दो सदस्य तीन विषय विशेषज्ञों से अलग अवश्य हों।

विश्वविद्यालय प्राध्यापक पद के लिए

विश्वविद्यालय स्तर पर चयन, समिति के अध्यक्ष के रूप में कुलपति के द्वारा चयन पद्धति के तहत सभी चयन किए जाने चाहिएं।

1. कुलपति चयन समिति का अध्यक्ष होगा।

2. कार्यपालक परिषद/सिंडिकेट द्वारा अनुमोदित और कुलपति द्वारा सिफारिश की गई सूची के आधार पर सम्बद्ध विषय के तीन विशेषज्ञों तो बुलाया जाना चाहिए।

3. संबंधित संकाय का संकायाध्यक्ष/विभागा का अध्यक्ष/प्रमुख।

4. कुलाधिपति/कुलाध्यक्ष द्वारा नामित एक परिषद सदस्य।

कोरम चार का होगा जिसमें से कम से कम दो विषय विशेपज्ञ के अलावा भी उपस्थित होने चाहिएं।

रीडर के पद के लिये

उम्मीदवार का साक्षात्कार लेने के लिए जो बाहर से तीन विशेपज्ञों को बुलाया गया हो उनके द्वारा साक्षात्कार लेने और उनका मृल्यांकन करने से पहले चयन प्रक्रिया में उम्मीदवार के तीन प्रमुख प्रकाशनों के पुनर्मुद्रण और जीवन वृत्त को भी शामिल करना चाहिए। चयन समिति की बनावट निम्न प्रकार होनी चाहिए:

1. कुलपति को चयन समिति का अध्यक्ष होना चाहिए।

2. कुलाधिपति/कुलाध्यक्ष द्वारा नामित एक परिषद सदस्य।

3. कार्यापालक परिपद/सिडिंकेट द्वारा अनुमोदित और कुलपति द्वारा सिफारिश की गई सूची में से संबंधित विषय/क्षेत्र के तीन विशेषज्ञ हों।

4. संकाय का संकायाध्यक्ष।

5. विभाग का अध्यक्ष/प्रमुख।

कम से कम चार सदस्य, जिसमें बाहर के दो विशेषज्ञ शामिल हैं, कोरम का गठन करेंगे।

प्रोफेसर के पद के लिए

साक्षात्कार के लिए बाहर के जो तीन विशेषज्ञ बुलाए जाते हैं उनके द्वारा साक्षात्कार लेने और उनका मूल्यांकन करने से पहले चयन प्रक्रिया में उम्मीदवार के तीन प्रमुख प्रकाशनों जिसमें से एक किताब या अनुसंधान रिपोर्ट होनी चाहिए तथा उसके जीवनवृत्त को भी शामिल किया जाना चाहिए। मूल्यांकन रिपोर्ट आवश्यक ही चयन समिति के समक्ष रखी जाए। प्रोफेसर के पद के लिए चयन समिति का गठन वैसा ही किया जायेगा जैसाकि एक रीडर के पद के लिए प्रस्ताव है।

यह सुनिश्चित किया जाये कि हर मामले में चयन की प्रक्रिया सुस्पष्ट तथा विश्वसनीय हो।

महाविद्यालयों में रीडर तथा प्रोफेसर के पदों के मामले में, अध्यक्ष शासी निकाय, महाविद्यालय के प्राचार्य तथा विभागाध्यक्ष के अलावा दो विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि होंगे इनमें से एक महाविद्यालय का संकायाध्यक्ष अथवा विश्वविद्यालय में समकक्ष पद का हो जो विजिटर नोमिनी के बदले होगा तथा कुलपति के बदले कुलपति द्वारा नामित होगा।

जैसाकि मामला होगा शारीरिक शिक्षा अथवा प्रशासन अथवा पुस्तकालय विज्ञान में संबद्ध विशेषज्ञ के अलावा शारीरिक शिक्षा के सहायक निदेशक, कुल सचिव, उप कुल सचिव, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों के लिए चयन समिति वैसी ही होगी जैसाकि क्रमश: प्रोफेसर, रीडर तथा प्राध्यापक के लिए होती है।

प्राचार्य पद के लिए

1. अध्यक्ष शासी मण्डल, अध्यक्ष के रूप में।

2. शासी मण्डल का एक सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामित होगा।

3. दो कुलपति द्वारा नामित जिनमें से एक विशेषज्ञ होगा।

4. तीन विशेषज्ञ जिनमें एक महाविद्यालय प्राचार्य, एक प्रोफेसर तथा साथ ही कुलपति द्वारा अनुमोदित विशेषज्ञ समिति में से एक शिक्षाविद् जो प्रोफेसर के पद से कम न हो (शासी मण्डल द्वारा नामित किया जाये)।

कम से कम चार सदस्य जिसमें जो विशेषज्ञ होंगे जिससे कोरम पूरा होगा:

चयन की प्रक्रिया में निम्न शामिल होगा:

(क) अध्यापन तथा अनुसंधान के लिए उपयुक्तता का मूल्यांकन

(ख) स्पष्ट तथा प्रभावी ढंग से सूचित करने की योग्यता

(ग) विश्लेषण तथा विचार-विमर्श की योग्यता

(घ) विकल्प: सूचित करने की योग्यता का मूल्यांकन ग्रुप विचार-विमर्श में भाग लेने अथवा कक्षा में पढ़ाने/व्याख्यान द्वारा जहां संभव हो, किया जायेगा।

परिशिष्ट VI

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के प्राध्यापकों के लिए
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा
अनुशंसित छुट्टी नियम

1. स्थायी प्राध्यापकों के लिए स्वीकार्य अवकाश

स्थायी प्राध्यापकों को निम्नलिखित प्रकार के आवकाश स्वीकार्य होंगे:

(i) छुट्टी को डयूटी समझा जायेगा अर्थात:
आकस्मिक अवकाश;
विशेष आकस्मिक अवकाश; तथा
ड्यूटी अवकाश

(ii) डयूटी द्वारा अर्जित अवकाश अर्थात;
अर्जित अवकाश;
अर्ध वेतन अवकाश; तथा
परिवर्तिन अवकाश

(iii) अवकाश जो ड्यूटी द्वारा अर्जित न की गई हो अर्थात;
असाधारण अवकाश; तथा
अदेय अवकाश

(iv) जो अवकाश खाते में नहीं हैं-

(क) अकादमी पेशे के लिए अवकाश अर्थात;
अध्ययन अवकाश तथा
सबेटिकल अवकाश/शैक्षणिक अवकाश

(ख) स्वास्थ्य के आधार पर छुट्टी अर्थात;
मातृत्व अवकाश

संगरोध अवकाश

कार्यकारी परिषद/सिंडीकेट, विशिष्ट मामलों में बताए गए कारणों से, ऐसी शर्तों तथा निबंधन के अनुसार जो उपयुक्त हो, अन्य प्रकार की छुट्टी स्वीकृत कर सकती है।

2. आकस्मिक अवकाश

(i) शैक्षिक वर्ष में प्राध्यापक को कुल आठ आकस्मिक अवकाश से ज्यादा नहीं दिये जायेंगे।

(ii) विशेष आकस्मिक अवकाश के अलावा आकस्मिक अवकाश में किसी प्रकार का अवकाश नहीं जोड़ा जायेगा। इसे रविवार सहित अवकाश में जोड़ा जाये। आकस्मिक अवकाश की अवधि के भीतर न होने पर अवकाश अथवा रविवार को आकस्मिक अवकास में नहीं जोड़ा जायेगा।

3. विशेष आकस्मिक अवकाश

(i) एक प्राध्यापक को शैक्षणिक वर्ष में दस दिनों से अधिक विशेष आकस्मिक अवकाश नहीं दिया जायेगा:

(क) विश्वविद्यालय/संघ लोक सेवा आयोग/परीक्षा मण्डल अथवा अन्य किसी प्रकार के निकायों/संस्थाओं आदि की परीक्षा चलाने के लिए; तथा

(ख) सांविधिक मण्डल आदि से संबद्ध शैक्षणिक संस्थाओं की जांच के लिए।

टिप्पणी:

(i) देय दस दिनों के अवकाश की गणना करते समय उपरोक्त कार्यकलापों के स्थान पर जाने तथा वापसी के दौरान वास्तविक यात्रा के दिनों को, यदि हैं तो, शामिल नहीं किया जाएगा।

(ii) इसके अलावा नीचे दर्शायी गयी सीमा तक विशेष आकस्मिक अवकाश भी प्रदान किया जायेगा।

(क) परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत बन्ध्यीकरण आपरेशन के लिए (वेसेकटोमी अथवा सेलपिन्गकरोमी) जाना। इस मामले में अवकाश छः कार्य दिवसों तक सीमित रहेगा; तथा

(ख) महिला प्रध्यापक के लिए जो गैर-प्यूरपरल बन्ध्यीकरण के लिए जाना। इस माले में चौदह दिनों तक अवकाश सीमित होगा।

(iii) विशेष आकस्मिक अवकाश को जोड़ा नहीं जा सकता न ही सिवाय आकस्मिक अवकाश के किसी अन्य अवकाश में इसे जोड़ा जा सकता है। इसे अवकाश के साथ-साथ स्वीकृत किया जा सकता है।

4. ड्यूटी अवकाश:

(i) ड्यूटी अवकाश इनके लिए स्वीकृत किया जाये:

(क) विश्वविद्यालय के आधार पर अथवा विश्वविद्यालय की अनुमति से सम्मेलन, कांग्रेस, संगोष्ठी तथा सेमिनार में भाग लेना;

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त इस प्रकार की संस्थाओं अथवा विश्वविद्यालयों के आंमत्रण पर संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में भाषण देना, तथा कुलपति द्वारा स्वीकार करना।

(ग) अन्य भारतीय अथवा विदेशी विश्वविद्यालय, किसी अन्य अभिकरण, संस्था अथवा संगठन में कार्य करना जब विश्वविद्यालयों द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाये;

(घ) एक शिष्टमण्डल में भाग लेना अथवा भारत सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सहवर्ती विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य शैक्षणिक निकाय द्वारा नियुक्त एक समिति पर कार्य करना, तथा

(ङ) विश्वविद्यालय के जरिये किसी अन्य ड्यूटी के निष्पादन के लिए।

(ii) अवकाश की अवधि उसी प्रकार होगी जैसाकि प्रत्येक अवसर पर मंजूरीदाता प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाये।

(iii) अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकार किया जायेगा। बशर्ते सामान्य खर्चे की राशि के लिए आवश्यक राशि से परे यदि कोई प्राध्यापक अध्येतावृति अथवा मानदेय अथवा कोई अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करता है। उसे घटे हुए वेतन तथा भत्तों पर ड्यूटी अवकाश स्वीकृत किया जायेगा; तथा

(iv) अर्ध-वेतन अवकाश अथवा असाधारण अवकाश के साथ ड्यूटी अवकाश जोड़ा जाये।

5. अर्जित अवकाश

(i) शिक्षक को दिया जाने वाला अर्जित अवकाश इस प्रकार होगा:-

(क) विश्राम अवकाश सहित वास्तविक सेवा का 1/30वां अंश; तथा

(ख) विश्राम अवकाश के दौरान यदि कोई ड्यूटी लगाई गई है तो उस अवधि का एक तिहाई भाग।

नोट:

वास्तविक सेवा की अवधि की गणना करने के उद्देश्य से आकस्मिक, विशेष आकस्मिक अवकाश तथा ड्यूटी अवकाश को छोड़कर अन्य सभी छुट्टियों की अवधि को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।

(ii) कोई शिक्षक 300 दिनों से अधिक का अर्जित अवकाश एकत्र नहीं कर सकता है। किसी एक समय अवधि में मंजूर की जाने वाली अधिकतम अर्जित छुट्टियां 60 दिन से अधिक नहीं हो सकती, तथापि 60 दिनों से अधिक का अर्जित अवकाश उच्च, अध्ययन, या प्रशिक्षण या चिकित्सा प्रमाणपत्र के साथ छुट्टी या छुट्टी की पूरी अवधि के लिए भारत से बाहर होने पर मंजूर किया जा सकता है।

नोट-1

यदि कोई शिक्षक विश्राम अवकाश के साथ अर्जित अवकाश लेता है तो औसत वेतन पर अधिकतम छुट्टियों की गणना करते समय विश्राम अवकाश की अवधि को छुट्टी माना जाएगा तथा छुट्टी की अवधि में इसे भी शामिल किया जाएगा।

नोट-2

छुट्टी की कुल अवधि का कुछ समय भारत से बाहर बिताने पर 120 दिनों से अधिक दिनों की छुट्टी तभी मंजूर की जाएगी जबकि भारत में बिताई गई छुट्टियों का भाग कुल मिलाकर 120 दिनों से अधिक न हो।

नोट-3

अर्जित अवकाश का नकद भुगतान केन्द्रीय/राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर लागू नियमों के अनुसार शिक्षण स्टाफ के विश्राम अवकाश प्राप्त न करने वाले सदस्यों को किया जाएगा।

6. अर्ध वेतन अवकाश

नियमित शिक्षक को सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए अर्ध वेतन अवकाश 20 दिन देय होगा। यह अवकाश निजी मामलों के लिए या शैक्षिक उद्देश्यों से किसी पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर ही मंजूर किया जाएगा।

नोट:

"सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष" अर्थ है विश्वविद्यालय के अंतर्गत निर्धारित की गई नियमित सेवा की अवधि तथा इसके अंतर्गत ड्यूटी से अनुपस्थित रहने तथा असाधारण अवकाश को शामिल किया जाएगा।

7. परिवर्तित अवकाश

परिवर्तित अवकाश, देय अर्ध वेतन अवकाश के आधे दिनों से अधिक न हो, निम्नलिखित शर्तों के आधार पर स्थाई शिक्षक को पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर मंजूर किया जा सकता है:

(i) पूरी सेवा अवधि के दौरान परिवर्तित अवकाश की अधिकतम सीमा 240 दिन है:

(ii) परिवर्तित अवकाश स्वीकृत किये जाने पर ऐसे अवकाश से दुगने दिन का अवकाश देय अर्ध वेतन अवकाश में से कम कर दिया जाएगा; तथा

(iii) एक ही समय पर लिये गये अर्जित तथा परिवर्तित अवकाश की कुल अवधि 240 दिनों से अधिक न हो। इन नियमों के अंतर्गत अवकाश तभी मंजूर किया जा सकता है जबकि छुट्टी मंजूर करने वाले सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो कि शिक्षक छुट्टियों की अवधि के समाप्त होने पर वापिस आ जाएगा।

8. असाधारण अवकाश

(i) नियमित शिक्षक को असाधारण अवकाश तभी देय होगा जबकि:

(क) कोई अन्य ड्यूटी शेष नहीं है; या

(ख) कोई अन्य छुट्टी देय नहीं है तथा शिक्षक असाधारण अवकाश के लिए लिखित में आवेदन करता है।

(ii) असाधारण अवकाश के दौरान कभी भी वेतन तथा भत्ते देय नहीं होंगे। निम्नलिखित स्थितियों को छोड़कर असाधारण अवकाश की वेतनवृद्धि में गणना की जाएगी:

(क) चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर दिया गया अवकाश;

(ख) उन मामलों में जहां कुलपति/प्रधानाचार्य को यह विश्वास हो कि अवकाश शिक्षक के नियंत्रण से बाहर के कारणों से लिया गया हो जैसे कि शिक्षक के पास कोई अन्य छुट्टी न होने पर सिविल कोमोशन या प्राकृतिक आपदा के कारण ड्यूटी पर उपस्थित होने या पुन: उपस्थित होने में असमर्थता;

(ग) उच्च अध्ययन के लिए दिया गया अवकाश; तथा

(घ) किसी शिक्षण पद या फैलोशिप या अनुसंधान एवं शिक्षण पर या किसी महत्वपूर्ण तकनीकी या शैक्षिक कार्य को पूरा करने के लिए प्राप्त किये गये निमंत्रण के कारण दिया गया अवकाश।

(iii) असाधारण अवकाश को आकस्मिक अवकाश तथा विशेष आकस्मिक अवकाश को छोड़कर किसी अन्य अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है बशर्ते कि ड्यूटी से लगातार अनुपस्थित रहने की कुल अवधि (जिसमें विश्राम अवकाश के साथ लिये जाने वाले अन्य अवकाश की अवधि शामिल है) 3 वर्ष से अधिक न हो जहां चिकित्सा प्रमाणपत्र न दिया गया हो। ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की कुल अवधि किसी भी मामले में किसी अधिकारी के कुल सेवाकाल में 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(iv) अवकाश मंजूर करने वाला प्राधिकारी बिना छुट्टी के ड्यूटी से अनुपस्थित होने की अवधि को आसाधारण अवकाश में पिछले समय के लिए परिवर्तित कर सकता है।

9. अर्जनशोध्य अवकाश

(i) कुलपति/प्रधानाचार्य अपने विवेक के अनुसार किसी नियमित शिक्षक को अर्जनशोध्य अवकाश कुल सेवा अवधि के दौरान 360 दिनों से अधिक की अवधि न होने पर मंजूर कर सकता है जिसमें यह अवकाश एक समय पर 90 दिनों तक चिकित्सा प्रमाणपत्र दिये जाने पर 180 दिनों से अधिक का न हो। इस अवकाश को शिक्षक द्वारा अर्जित अर्ध वेतन अवकाश में से काट लिया जाएगा।

(ii) अर्जनशोध्य अवकाश तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक कि कुलपति/प्रधानाचार्य को यह विश्वास न कि जहां तक पूरी संभावना है कि शिक्षक अवकाश की अवधि समाप्त होने पर ड्यूटी पर वापिस आएगा तथा स्वीकृत छुट्टियां अर्जित कर लेगा।

(iii) जिस शिक्षक को अर्जनशोध्य अवकाश मंजूर किया गया है वह तब तक अपनी सेवा से त्यागपत्र नहीं दे सकता जब तक कि छुट्टियों के लेखे में से शेष छुट्टियां सक्रिय सेवा से पूरी नहीं कर ली जाती हैं या अर्जित न की गई छुट्टियों की अवधि के लिए भुगतान की गई वेतन तथा भत्ता राशि को वह लौटा नहीं देता है/ देती है। स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण सेवानिवृत्ति अपरिहार्य हो जाने के कारण शिक्षक की और सेवा करने की असक्षमता के मामले में कार्यकारी परिषद छुट्टी की अवधि के लिए छुट्टी वेतन की राशि वापिस करने में छूट दे सकती है।

इसके अतिरिक्त, अभी अर्जित की जाने वाली छुट्टी की अवधि के लिए छुट्टी वेतन की राशि वापिस करने को, बताए गये किन्हीं अन्य असाधारण कारणों से, कार्यकारी परिषद माफ कर सकती है।

10. अध्ययन अवकाश

(i) विश्वविद्यालय में उसके कार्य के शीधे तौर पर जुड़े किसी विशेष क्षेत्र के अध्ययन या अनुसंधान के लिए अध्ययन अवकाश निरंतर कम से कम 3 वर्ष की नियमित सेवा के उपरान्त किया जा सकता है या फिर, विश्वविद्यालय संस्था तथा शिक्षा की प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं पर विशेष अध्ययन करने के लिए भी अध्ययन अवकाश दिया जा सकता है। अध्ययन अवकाश की वेतन सहित अवधि 3 वर्ष होगी परंतु आरंभ में यह 2 वर्ष के लिए स्वीकृत किया जाएगा जिससे

अनुसंधान गाइड द्वारा रिपोर्ट की गयी पर्याप्त प्रगति के अनुसार 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए की अध्ययन अवकाश पर गये हुए शिक्षकों की संख्या किसी विभाग में शिक्षकों के निर्धारित प्रतशित से अधिक न हो। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कार्यकारी परिषद/सिंडिकेट 3 वर्ष की नियमित सेवा की शर्त में छूट दे सकता है।

स्पष्टीकरण: सेवा की अवधि गणना करते समय परिवीक्षा की अवधि या अनुसंधान सहायक के रूप में कार्य करने की अवधि को तभी शामिल किया जा सकता है जबकि-

(क) आवेदन करने की तिथि पर वह व्यक्ति शिक्षक हो: तथा

(ख) उसकी सेवा में नियमितता हो।

(ii) कार्यकारी परषिद/सिंडिकेट अध्ययन अवकाश संबंधित विभागाध्यक्ष की सिफारिश पर स्वीकृत कर सकता है। यह एक समय में 3 वर्ष की अवधि से अधिक के लिए स्वीकृत नहीं किया जा सकता है, केवल उन अति विशिष्ट मामलों को छोड़कर जिनमें कार्यकारी परषिद/सिंडिकेट को यह विश्वास हो कि ऐसा विस्तार शैक्षिक कारणों से अपरिहार्य है तथा विश्वविद्यालय के हित में आवश्यक है।

(iii) अध्ययन अवकाश किसी ऐसे शिक्षक को प्रदान नहीं किया जाएगा जिसकी सेवा निवृत्ति अध्ययन अवकाश की अवधि समाप्त होने पर ड्यूटी पर आने की संभावित अवधि से 5 वर्ष के अंदर हो।

(iv) अध्ययन अवकाश किसी शिक्षक के कैरियर के दौरान 2 बार से अधिक के लिए स्वीकृत नहीं किया जा सकता तथापि, पूर्ण सेवाकाल के दौरान देय अध्ययन अवकाश की कुल अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती।

(v) अध्ययन अवकाश पर गया हुआ कोई भी शिक्षक बाद में अध्ययन के पाठ्यक्रम या अनुसंधान कार्यक्रम में कार्यकारी परिषद/सिंडिकेट की अनुमति के बिना कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। मंजूर की गई अध्ययन अवकाश की अवधि में पाठ्यक्रम अध्ययन पूरा न होने पर शिक्षक अध्य पाठ्यक्रम के समाप्त होने पर दोबारा ड्यूटी पर उपस्थित होगा जब तक कि कम पड़ी अवधि को सामान्य अवकाश मानने के लिए कार्यकारी परिषद/सिंडिकेट से पहले से ही अनुमोदन न ले लिया गया हो।

(vi) (क) बशर्ते कि नीचे दिए गए उपखंड (vii) तथा (viii) में दिए गए प्रावधान के अनुसार पूरे वेतन के आधार पर दो वर्ष का अध्ययन अवकाश दिया जा सकता है जिसे विश्वविद्यालय के विवेक से एक वर्ष बढ़ाया जा सकता है।

(vii) जिन शिक्षकों को अध्ययन अवकाश दिया गया है उन्हें दी जाने वाली स्कोलरशिप, फैलोशिप या अन्य वित्तीय सहायता की राशि इन्हें दिए गए अध्ययन अवकाश के साथ-साथ वेतन एवं भत्तों को प्रतिबंधित नहीं करेगी किन्तु प्राप्त की गई स्कोलरशिप आदि को स्वीकृत अध्ययन अवकाश के वेतन एवं भत्तों के निर्धारण में ध्यान में रखा जाए। विदेशी स्कोलरशिप/फैलोशिप को वेतन के विरुद्ध आफसैट तभी किया जाए आदि फैलोशिप की राशि एक निश्चित सीमा से ज्यादा होती है, इसका निर्धारण जिस देश में अध्ययन कार्य किया जा रहा है वहां एक परिवार की जीवन-निर्वाह लागत के आधार पर समय-समय पर किया जाए। भारतीय फैलोशिप के मामले में जो शिक्षक के वेतन से ज्यादा होती है तो वेतन को जब्त कर लिया जाए।

(viii) बशर्ते कि ड्यूटी से अवकाश के कारण अनुपस्थिति की अवधि अधिकतम तीन वर्ष से ज्यादा न हो अध्ययन अवकाश को अर्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश, असाधारण अवकाश या वैकेशन के साथ जोडा जा सकता है, यदि शिक्षक के खाते में उपलब्ध अवकाश को शिक्षक की सहमति से ग्रहण किया जाए। यदि शिक्षक का अध्ययन अवकाश के दौरान उच्च पद पर चयन हो जाता है तो उन्हें पद और उच्च वेतनमान तब ही प्राप्त होगा जब वह उस पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।

(ix) एक शिक्षक जिन्हें अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया है वह अवकाश समाप्ति पर पुन: कार्यभार ग्रहण करने के समय अपने अवकाश के दौरान देय, यदि यह अध्ययन अवकाश पर न जाते तो ऐसी स्थिति में इन्हें जितनी वेतनवृद्धियां प्राप्त होती उतनी ही वेतनवृद्धियों के लाभ के पात्र होंगे। यद्यपि कोई भी शिक्षक वेतनवृद्धियों के बकाया प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

(x) अध्ययन अवकाश की गणना सेवा की पेंशन/अंशदायी भविष्य निधि के लाभों में की जाएगी बशर्ते की शिक्षक अपने अध्ययन अवकाश की समाप्ति पर विश्वविद्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण करता है।

(xi) शिक्षक को स्वीकृत किया गया अध्ययन अवकाश ऐसी स्थिति में रद्द माना जाए यदि अवकाश स्वीकृत होने के 12 माह के अंदर यह अवकाश पर प्रस्थान नहीं करते। बशर्ते कि जहां स्वीकृत अवकाश रद्द हो गया है वहां शिक्षक इस प्रकार के अवकाश के लिए पुन: आवेदन कर सकते हैं।

(xii) एक शिक्षक जो स्वयं अध्ययन अवकाश ग्रहण करेंगे उन्हें यह वचनबद्धता देनी होगी कि अध्ययन अवकाश की समाप्ति के पश्चात इनके द्वारा ड्यूटी ग्रहण करने के बाद यह विश्वविद्यालय में नियमित रूप से कम से कम तीन वर्ष की अवधि तक सेवा में बने रहेंगे।

(xiii) अवकाश स्वीकृत होने के पश्चात, शिक्षक को अवकाश पर जाने से पहले विश्वविद्यालय के पक्ष में एक बौंड देना होगा जो इन्हें उपरोक्त उपखण्ड (xiii) तथा (xiv) में दी गई शर्तों को पूर्ण करने के लिए बाध्य करेगा और वित्त अधिकारी/खजांची की संतुष्टि के लिए अचल संपत्ति का प्रतिभूति बंध-पत्र देना होगा या बीमा कंपनी का निष्ठा बौंड या राष्ट्रीय बैंक द्वारा गारंटी या उपखण्ड (xvi) के अनुरूप विश्वविद्यालय को वापसी की जाने वाली राशि के लिए स्थाई शिक्षकों में से दो शिक्षकों द्वारा तैयार बंध-पत्र देना होगा।

(xiv) शिक्षक को अपने अध्ययन की छमाही प्रगति रिपोर्ट अपने वरिष्ठ या संस्थान प्रमुख के माध्यम से रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करनी चाहिए। यह रिपोर्ट प्रत्येक छ: माह की समाप्ति के बाद एक माह के अंदर रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत होनी चाहिए। यदि यह रिपोर्ट निर्धारित अवधि के अंदर रजिस्ट्रार को नहीं मिलती तो जब तक एक रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती तब तक अवकाश वेतन का भुगतान रोक देना चाहिए।

11. सैबेटिकल अवकाश/शैक्षणिक अवकाश

(i) विश्वविद्यालय के स्थाई, पूर्णकालिक शिक्षक जिन्होंने लैक्चरार सलैक्शन ग्रेड/रीडर या प्रोफेसर के रूप में 7 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली है उन्हें अपनी दक्षता को बढ़ाने के प्रयोजन तथा विश्वविद्यालय की उपयोगिता और उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए अध्ययन या अनुसंधान या अन्य एकमात्र अन्वेषण करने के लिए सैबेटिकल अवकाश दिया जा सकता है।

(ii) एक समय में अवकाश की अवधि एक वर्ष से ज्यादा नहीं होगी तथा एक शिक्षक के कैरियर में यह अवधि दो वर्ष से ज्यादा नहीं होगी।

(iii) एक शिक्षक जिन्होंने अध्ययन अवकाश ग्रहण किया है वह सैबेटिकल अवकाश के पात्र नहीं होंगे। बशर्ते कि शिक्षक के पिछले अध्ययन अवकाश या किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम से वापसी की तिथि से पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले सैबेटिकल अवकाश नहीं दिया जाएगा।

(iv) एक शिक्षक को सैबेटिकल अवकाश के दौरान, उनसे सैबेटिकल अवकाश में प्रस्थान से पूर्व देय दरों पर पूर्ण वेतन एवं भत्तों का भुगतान किया जाएगा (बशर्ते कि निर्धारित शर्तें पूर्ण की गई हों)

(v) सैबेटिकल अवकाश के दौरान शिक्षक भारत में या विदेश में किसी भी अन्य संगठन के अंतर्गत किसी प्रकार की नियमित नियुक्त का पद ग्रहण नहीं करेंगे। तथापि, इन्हें अन्य नियमित रोजगार के अलावा एक अग्रत अध्यंयन संस्थानों से फैलोशिप या एक अनुसंधान स्कोलरशिप या तदर्थ शिक्षण और मानदेय के साथ अनुसंधान कार्य या अन्य रूपों में सहायता प्राप्त करने की अनुमति है, बशर्ते कि ऐसे मामलों में कार्यकारी परिषद/सिंडिकेट यदि चाहे तो कम वेतन एवं भत्तों पर सैबेटिकल अवकाश स्वीकृत कर सकते हैं।

(vi) सैबेटिकल अवकाश के दौरान शिक्षक को देय तिथि पर वेतनवृद्धि प्राप्त करने की अनुमति है। अवकाश की अवधि को पेंशन/अंशदायी भविष्य निधि के उद्देश्य से सेवा की अवधि के रूप में माना जाएगा बशर्ते कि शिक्षक द्वारा अपने अवकाश की समाप्ति पर विश्वविद्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण किया जाए।

टिप्पणी I: सैबेटिकल अवकाश के दौरान अनुसरण किये जाने वाले कार्यक्रम को अवकाश आवेदन के साथ विश्वविद्यालय को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाए।

टिप्पणी II: अवकाश की समाप्ति के बाद कार्यस्थल लौटने पर शिक्षक को अवकाश के दौरान किए गए अध्ययन के स्वरूप, अनुसंधान या अन्य किए गए कार्य के संबंध में विश्वविद्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

12. मातृत्व अवकाश

(i) पूरे वेतन के साथ एक महिला शिक्षक को मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है जिसकी अवधि 135 दिन से ज्यादा नहीं होगी यह अवकाश पूरे सेवाकाल

में दो बार लिया जा सकता है। गर्भस्राव के साथ-साथ गर्भपात के मामले में भी मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है बशर्ते कि ऐसी स्थिति में एक महिला शिक्षक को पूरे सेवाकाल में 45 दिन से ज्यादा का अवकाश न दिया जाए और अवकाश के आवेदन की पुष्टि में चिकित्सा प्रमाण-पत्र लगाया जाए।

(ii) मातृत्व अवकाश के साथ अर्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश या असाधारण अवकाश को संयुक्त किया जा सकता है किंतु मातृत्व अवकाश के साथ लगातार रूप में दिए जाने वाले अवकाश के आवेदन के साथ चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए।

पैतृत्व अवकाश

पुरुष शिक्षक को ऐसी स्थिति में 15 दिन का पैतृत्व अवकाश दिया जाएगा जिस दौरान उनकी पत्नी प्रसूती काल में होगी बशर्ते कि यह दो बच्चों तक सीमित होगा।

अंगीकरण अवकाश

अंगीकरण अवकाश केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

ड्यूटी अवकाश

ड्यूटी अवकाश यू जी सी, डी एस टी आदि में बैठक में हिस्सा लेने के लिए भी दिया जाता है। यहां तक एक शिक्षक को शैक्षणिक निकाय, सरकार या गैर-सरकारी संगठन के साथ विशेषज्ञता के आदान-प्रदान के लिए आमंत्रित किया जाता है ऐसी स्थिति में भी ड्यूटी अवकाश प्रदान किया जाता है।

[हिन्दी]

सब्जी उत्पादन को प्रोत्साहन

3508. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सब्जियों की यूरोपीय और विदेश गत किस्मों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) भारत सरकार "कृषि में वृहत प्रबंधन-कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का सम्पूरण/अनुपूरण" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्यों को अपनी प्राथमिकता वाली जरूरतों के अनुसार विभिन्न कृषि कार्यक्रमों के अनुसरण के लिए अधिक लचीलापन प्रदान किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत, राज्य सब्जियों की यूरोपीय और विदेशी किस्मों को उगाने का संवर्धन कर सकते हैं। इस स्कीम में सब्जियों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने, अधिक उपज देने वाले कल्टीवरों के गुणवत्ता प्राप्त बीजों की उपलब्धता में वृद्धि करने और भागीदारी प्रदर्शनों और प्रशिक्षणों के माध्यम से किसानों को उत्पादन तथा फसल कटाई पश्चात की प्रौद्योगिकियों के प्रचार-प्रसार की व्यवस्था है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड "उत्पादन और फसल कटाई पश्चात प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास" नामक अपनी स्कीम में यूरोपीय सब्जियों सहित सब्जियों के विकास के लिए 25.00 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के साथ कुल परियोजना लागत के 20% की दर पर बैक एन्डेड पूंजी निवेश राजसहायता के रूप में सहायता प्रदान करता है। यह एक परियोजना आधारित स्कीम है जिसके अंतर्गत किसान/उद्यमी/राज्य यूरोपीय और विदेशी सब्जियां उगाने के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

[अनुवाद]

पंजाब में कृषि उत्पादन के लिए सहायता

3509. श्री जे.एस. बराड़: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब सरकार ने पंजाब में कृषि उत्पादन के विविधीकरण हेतु वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) पंजाब सरकार ने दो प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। एक स्कीम के अंतर्गत उहोंने चावल-गेहूं प्रणाली के अंतर्गत एक मिलियन हैक्टेयर भूमि को तिलहनों और दलहनों आदि में अंतरित करने हेतु फसल विविधिकरण के अंतर्गत 1280 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मांग की है। पंजाब सरकार द्वारा भेजा गया दूसरा

प्रस्ताव ठेके पर खेती के माध्यम से ''फसल समायोजन कार्यक्रम'' के कार्यान्वयन के लिए है जिसमें ठेके वाले उत्पाद की वापसी खरीद के लिए 25% मार्जिन धनराशि शामिल है, जिसके लिए 773.61 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मांगी गई है।

(ग) इन प्रस्तावों पर विचार किया है परन्तु वर्तमान में ऐसी कोई केन्द्राय स्कीम नहीं है जिसके अंतर्गत इन्हें कवर किया जा सके।

मधुमक्खी पालन उद्योग को प्रोत्साहन

3510. प्रो. ए.के. प्रेमाजम: क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान और उसके बाद केरल सहित विभिन्न राज्यों से मधुमक्खी पालन के संबंध में राज्य-वार कितनी परियोजनाएं प्राप्त हुई;

(ग) कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई और वर्तमान में स्वीकृति हेतु कितने प्रस्ताव लम्बित हैं; और

(घ) शेष परियोजनाओं को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघ प्रिय गौतम): (क) सरकार ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के वी आई सी) के माध्यम से मधुमक्खी-पालन उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इसमें देश के विभिन्न भागों में मधुमक्खी-पालन का विस्तार और अनुसंधान के लिए केन्द्रों की स्थापना करना शामिल है। ये केन्द्र विभिन्न प्रबंध व्यवहारों पर मधुमक्खी पालकों को निर्देश देते हैं और अन्य संगठनों, मधुमक्खी-पालन संस्थानों, कृषकों और राज्य वन विभागों से संपर्क स्थापित करते हैं तथा इच्छुक व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। मधुमक्खी-पालन एवं शहद के विकास के लिए आधारिक अनुसंधान के लिए पुणे में एक केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। देश के विभिन्न भागों में सामान्य सुविधा केन्द्र विकसित करने के लिए शहद प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए गए हैं। मधुमक्खी पालकों के लिए सफल इकाइयों में प्रदर्शन दौरे भी आयोजित किए गए हैं।

(ख) विगत दो वर्षों के दौरान केरल सहित विभिन्न राज्यों से प्राप्त मधुमक्खी-पालन परियोजनाओं की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) विगत दो वर्षों के दौरान 414 मधुमक्खी-पालन परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं। के वी आई सी वर्तमान में क्लियरेंस के लिए कोई परियोजना लंबित नहीं है।

विवरण

वर्ष 2000-01

राज्य कार्यालय	मधुमक्खी-पालन परियोजनाओं की संख्या
असम	1
बीकानेर राजस्थान	1
चैन्नई-तमिलनाडु	2
देहरादून-उत्तरांचल	15
हल्द्वानी-उत्तर प्रदेश	15
हरियाणा	4
हिमाचल प्रदेश	1
जयपुर-राजस्थान	1
कर्नाटक	3
केरल	2
लखनऊ-उत्तर प्रदेश	15
मदुरई-तमिलनाडु	2
मेरठ-उत्तर प्रदेश	15
मेघालय	5
उड़ीसा	1
पटना-बिहार	1
पंजाब	43
राची-झारखंड	1
वाराणसी-उत्तर प्रदेश	15
पश्चिम बंगाल	2
	145

वर्ष 2001-02

राज्य कार्यालय	मधुमक्खी-पालन परियोजनाओं की सं.
असम	1
बीकानेर-राजस्थान	20
चेन्नई तमिलनाडु	7
देहरादून-उत्तरांचल	19
हल्द्वानी उत्तर प्रदेश	19
हरियाणा	8
हिमाचल प्रदेश	7
जयपुर राजस्थान	20
कर्नाटक	9
केरल	29
लखनऊ उत्तर प्रदेश	19
मदुरई तमिलनाडु	7
मेरठ उत्तर प्रदेश	19
मेघालय	1
पंजाब	58
राचा झारखंड	1
त्रिपुरा	1
वाराणसी उत्तर प्रदेश	19
पश्चिम बंगाल	5

सुरक्षा संबंधी अनुमति के कारण विलम्ब

3511. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद विमानपत्तन में सुबह के समय सुरक्षा अनुमति हेतु प्रतीक्षा में अत्यधिक समय लग जाता है;

(ख) यदि हां, तो लम्बी कतारों और भीड़ से बचने के लिए इंडियन एयर लाइंस द्वारा विमानों के शीघ्र प्रस्थान की घोषणा न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इंडियन एयर लाइन्स द्वारा विमानपत्तनों पर अपने कार्यकरण में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यात्रियों को प्रस्थान लाऊन्ज में सुरक्षा अनुमति हेतु कतारों में रोक कर न रखा जाए?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां। हाथ के सामान की छानबीन करने के लिए एक्स-रे मशीनों की कमी तथा यात्रियों की शारीरिक तलाशी कार्य करने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कर्मिकों की अपर्याप्त संख्या के कारण, यात्रियों की सुरक्षा क्लीयरेंस में देरियां हुई।

(ख) उड़ानों के अनुसूचित प्रस्थान समय से 1 घंटा 15 मिनट पूर्व सुरक्षा जांच के लिए घोषणा की जाती है। तथापि अधिकांश यात्री उड़ानों के अनुसूचित प्रस्थान समय से 30 से 40 मिनट पहले रिपोर्ट करते हैं।

(ग) सुरक्षा जांच केन्द्रों पर लम्बी कतारों से बचने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:-

- उद्घोषणाओं को बार-बार दोहराया जाता है जिसमें यात्रियों से अग्रिम रूप से सुरक्षा जांच के लिए रिपोर्ट करने का अनुरोध किया जाता है।
- इंडियन एयरलाइन्स के यात्री सुविधा सहायक यात्रियों से मिलकर उनसे सुरक्षा जांच के लिए जाने का अनुरोध करते हैं जिससे सुरक्षा केन्द्रों पर लम्बी कतारों से बचा जा सके।
- यात्रियों के मार्गदर्शन के लिए फ्लोर वाकर्स उपलब्ध रहते हैं।
- क्लोज सर्किट टेलीविजनों पर सूचना को प्रदर्शित किया जाता है।

इनके अतिरिक्त, एक और एक्स-रे मशीन को चालू करने तथा और अधिक केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्टाफ की तैनाती के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

निर्दाहकों का उपयोग

3512. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की उद्योगों द्वारा सृजित अपशिष्ट के निवारण हेतु निर्दाहकों के उपयोग के संबंध में कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा निर्दाहकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या इन निर्दाहकों से वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में प्रस्तावित प्रौद्योगिकी की वैकल्पिक प्रणालियां क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) और (ख) उद्योगों द्वारा उत्पन्न परिसंकटमय अपशिष्टों के शोधन और निपटान की एक तकनीक इनका भस्मीकरण है भस्मक को अपनाने का विकल्प अपशिष्ट की किस्मों और इनके शोधन और निपटान की प्रौद्योगिकी आर्थिक संभाव्यता पर निर्भर करती होती है।

(ग) और (घ) उत्सर्जन मानक, डिजायन पेरामीटर और भस्मकों की प्रचालन परिस्थितियों सहित मानकों की विनिर्दिष्ट किया गया है। इसके साथ-साथ, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भस्मकों में प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों को स्थापित करना भी अपेक्षित है।

(ङ) कई वैकल्पिक प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं। पुनर्चक्रण/पुनप्रसंस्करण, निराविषीकरण, अपशिष्ट स्थिरीकरण और सुरक्षित भूमिभरण जैसी विभिन्न प्रौद्योगिकियां, जो औद्योगिक अपशिष्ट की किस्मों पर निर्भर करती हैं, को अपनाया जा सकता है।

[हिन्दी]

रासायनिक कीटनाशियों का अंधाधुंध प्रयोग

3513. श्रीमती रमा पायलट: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन दशकों के दौरान रासायनिक कीटनाशियों के अंधाधुंध प्रयोग के परिणामस्वरूप कीटों और पेस्टों में असंक्राम्यता आ गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे लोगों की असंक्राम्य प्रणाली पर भी प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो क्या हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सब्जियों और दुग्ध का परीक्षण करने के बाद उनमें कीटनाशियों के अवशेषों की बड़ी मात्रा का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां। भारत में 33 कीट-व्याधियों की विभिन्न कीटनाशियों के प्रति रोगरोधिता विकसित होने की रिपोर्ट मिली है।

(ख) जहां कहीं नीशीजीवनाशियों का अंधाधुंध प्रयोग किया जाता है वहां लोगों की असंकाम्य प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है। आई सी एम आर के अहमदाबाद स्थित राष्ट्रीय व्यवसायिक स्वास्थ्य संस्थान द्वारा मैलाथियान और साइफ्लुथ्रिन के छिड़काव से जुड़े छिड़कावकों पर किए गए अध्ययनों ने सीरम असंक्राम्य ग्लोबुलीन जी (मैलाथियान ग्रुप) तथा सीरम IgA (साइफ्लुथ्रिन ग्रुप) के बढ़े हुए स्तरों को दर्शाया। औद्योगिक स्थापनों में नाशीजीवनाशियों के संयोजन के लिए प्रतिपादित फार्मूलेटरों पर दूसरे अध्ययन से पता चला कि सीरम IgM में महत्वपूर्ण उन्नयन तथा IgG और काम्लिमेंट$_4$ (C_4) की कुछ संचारी जटिलताओं की उपस्थिति पायी गई।

(ग) जी, हां।

(घ) नाशीजीवनाशियों के अवशेष पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के अधीन हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का केन्द्र फार्म गेट नमूनों के अतिरिक्त सब्जियों के बाजार नमूनों में नाशीजीवनाशियों अवशिष्टों की मानीटरिंग कर रहा है। वर्ष 2000 के दौरान उन्होंने बहु-अवशेष विश्लेषण विधि का प्रयोग करके 42 फार्म गेट और 60 बाजार नमूनों का विश्लेषण किया है। खोजे गये कीटनाशकों में डी.डी.टी., एच.सी.एच., इण्डोसल्फान, आर्गेनोफास्फेट्स और सिन्थेटिक पाइरेथ्रोड्स शामिल थे। विश्लेषित नमूनों में से फार्म गेट नमूनों केवल 4.7 प्रतिशत और बाजार नमूनों में 46 प्रतिशत को सहिष्णुता सीमा से ऊपर (एम.आर.एल.) अवशिष्ट वाले पाये गये थे। वर्ष 2002 के दौरान बाजार के 18 नमूने विश्लेषित किए गए थे लेकिन किसी भी नमूने में एम.आर.एल. के मान ज्यादा नहीं थे।

वर्ष 2000-2002 के दौरान दूध के 58 नमूनों का विश्लेषण किया गया था। इनमें डी.डी.टी., एच.सी.एच. इण्डोसल्फान और सिंथेटिक पाइरेथ्रोड्स की खोज की गई। तथापि, 23 नमूनों में इण्डोसल्फान और केवल 2 नमूनों में एच.सी.एच. और डी.डी.टी. के अवशिष्ट इसके एम.आर.एल. मान से अधिक पाये गये।

(ङ) सरकार देश के समग्र फसल सुरक्षा कार्यक्रम में समेकित नाशीजीव प्रबंधन दृष्टिकोण को अपनाने की पुरजोर समर्थन करती है। समेकित नाशीजीव प्रबंधन जैवकीय नियंत्रण, प्रतिरोधी रोपण सामग्री, कृष्य और अन्य गैर-रासायनिक विधियों पर बल देता है। नाशीजीवनाशियों का केवल तभी प्रयोग किया जाता है जब लागत/लाभ विश्लेषण यह दर्शाता है कि उनका उपयोग सही मायने में दोषमुक्त है तथा स्वीकार्य विकल्प उपलब्ध न हों उनका प्रयोग नित्यचर्या की अपेक्षा सम्पूरक है। इस प्रकार समेकित नाशीजीव प्रबंधन नाशीजीवनाशियों के प्रति तेजी से बढ़ती प्रतिरोधिता से नाशीजीवों की रक्षा करता है तथा नाशीजीव प्रबंधन के लिए नाशीजीवनाशियों की अवधि को बढ़ाता है।

यमुना कार्य योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताएं

3514. डा. ताराचन्द भागोरा:
डा. महेन्द्र सिंह पाल:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि यमुना कार्य योजना के अंतर्गत यमुना की सफाई और इसे प्रदूषण से बचाने का कार्य माननीय उच्चतम न्यायालय के कठोर निर्देशों और लगभग 75 करोड़ रुपए के निवेश के बाद भी 2001 में ही कार्यान्वित किया जा सका;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई जांच शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) हरियाणा दिल्ली और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी की सफाई के लिए यमुना कार्य योजना चरण-I नामक एक परियोजना वर्ष 1993 में अनुमोदित की गई थी। इस योजना के अंतर्गत कार्यों का वित्त पोषण जापान बैंक फार इन्टरनेशनल कोआपरेशन द्वारा किया गया था और यह योजना 19.2.2003 को पूरी हो गई है। इस परियोजना पर 680 करोड़ रुपये का कुल व्यय हुआ है। 743 मिलियन लीटर प्रतिदिन की अनुमोदित क्षमता में से 728 मिलीयन लीटर प्रतिदिन की क्षमता तैयार कर ली गई है। शेष 15 मिलीयन लीटर प्रतिदिन की क्षमता के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार भी 17 स्थानों पर सीवेज शोधन संयंत्रों का निर्माण कार्य कर रही है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

बांधों का निर्माण

3515. डा. चरणदास महंत: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कितने बांध निर्माणाधीन हैं;

(ख) उक्त बांधों का निर्माण कार्य किस वर्ष से शुरू किया गया था और प्रारम्भ में बांध-वार कितनी धनराशि खर्च किए जाने का अनुमान है और इनका बांधों का निर्माण कार्य कितने वर्षों में पूरा किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) इन बांधों के नाम क्या हैं और ये किन स्थानों पर हैं, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा आज तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) बांधों/नहरों/उप नहरों/विद्युत ग्रहों के संबंध में बांध-वार कितना प्रतिशत कार्य किया गया है; और

(ङ) इन बांधों के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुनचरण सेठी): (क) से (ङ) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण सहित सिंचाई परियोजनाओं की प्राथमिकता, निष्पादन, प्रचालन के साथ इसकी आयोजना, अन्वेषण और वित्तपोषण का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों का होता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की चालू वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के ब्यौरे परियोजना आरंभ करने का वर्ष, वास्तविक अनुमानित लागत, नवीनतम अनुमानित लागत, व्यय की गई राशि, लाभान्वित जिले और पूरा होने की संभावित तारीख साथ संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

मध्य प्रदेश

(क्षमता हजार हेक्टेयर में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	योजना जिसमें आरंभ की गई	आकलित लागत		नौवीं योजना के अंत तक संचयी व्यय		चरम क्षमता	नौवीं योजना तक सृजित क्षमता (प्रत्याशित) 3/02	पूरा करने का लक्ष्य (प्रत्याशित)	लाभान्वित जिले
			मूल	नवीनतम	राशि	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वृहद परियोजनायें										
1.	बाणसागर (आईएस) यूनिट-I	V	91.31	1054.96	478.30	45.34	–	–	2006	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	बाणसागर (आईएस) यूनिट-II	V	46.15	742.50	189.54	25.53	249.00	5.00	2006	रीवा, सतना, सिधि, शहडोल
3.	भंडर नहर	I	2.04	27.79	10.88	39.15	44.50	44.50	दसवीं योजना	दतिया, भिंड, ग्वालियर
4.	बारगी डाइवर्जन (एन बी डी ए)	VIII	1101.23	1554.50	29.46	1.90	376.51	–	2014	जबलपुर, सतना, रीवा
5.	बरियारपुर एलबीसी	V	18.40	231.65	69.33	29.93	43.80	0.00	ग्यारहवीं योजना	छतरपुर
6.	बरना	II	5.55	34.26	30.24	88.27	60.50	60.50	दसवीं योजना	रायसेन, सीहोर
7	बाबनथाडी (आईएस) यूनिट-I	VI	6.66	165.98	93.07	56.07	–	–	2007	–
8	बाबनथाडी (आईएस) यूनिट-II	VI	5.16	149.19	–	0.00	29.40	0.00	ग्यारहवीं योजना	बालाघाट, भंडारा
9.	इंदरा सागर (एनवीडीए)	VI	752.16	1574.00	1492.80	20.97	169.00	–	2014	खंडवा, खरगौन
10	जोबट (एनवीडीए)	VI	30.75	67.23	35.65	53.03	12.50	–	2005	धार
11.	कोलार	IV	25.75	195.60	178.99	91.51	47.30	34.00	2004	सीहरो
12	महान	VI	19.00	155.10	53.44	34.46	19.70	0.00	2007	सिधि
13	माही	VI	27.10	266.00	75.29	28.30	26.40	0.00	ग्यारहवीं योजना	धार, झबुआ
14.	मन (एनवीडीए)	VI	44.10	96.13	121.41	87.41	17.70	0.00	2003	धार
15.	ओंकारेश्वर (एनवीडीए)	VIII	350.00	755.00	49.93	1.54	283.32	0.00	2012	खंडवा, खरगौन, धार
16.	पेंच डाइवर्जन	VIII	91.60	549.65	9.65	1.76	78.50	0.00	ग्यारहवीं योजना	छिंदवाड़ा
17.	राजघाट (आईएस) यूनिट-I	V	62.00	160.00	141.33	88.33	–	–	2003	–
18.	राजघाट (आईएस) यूनिट-II	V	46.15	645.66	445.66	69.02	116.60	16.30	2005	गुना, शिवपुरी, दतिया, टीकम गढ़, भिंड

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	रानी अवन्तीबाई सागर (बारगी) (एनवीडीए)	V	566.34	759.00	694.61	64.44	219.80	27.46	2005	जबलपुर, नरसिंहपुर
20.	सिंध चरण-I	IV	4.93	74.00	58.86	79.54	44.90	39.20	2004	ग्वालियर, शिवपुरी
21.	सिंध चरण-II	VI	185.00	607.67	192.45	31.67	162.00	8.70	ग्यारहवीं योजना	शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया
22.	थानवर	78-80	4.92	36.40	25.50	70.05	18.20	18.20	दसवीं योजना	मांडला
23.	ऊपरी वेनगंगा	V	50.66	253.25	243.66	96.21	105.30	87.00	2007	सियोनी, बालाघट
24.	उर्मिल (आईएस)	V	6.41	26.80	25.64	95.67	7.70	6.90	2005	छतरपुर
मध्यम परियोजनाएं										
1	आह	VI	19.38	54.30	3.70	6.81	13.60	0.00	ग्यारहवीं योजना	विदिशा
2	बंजार	V	2.09	17.25	15.11	87.59	2.40	2.40	2003	बालाघाट
3.	बारछार	VIII	3.50	23.00	18.96	82.43	2.40	2.40	2003	सिधि
4.	चंदोरा	78-80	2.92	19.93	16.97	85.15	3.80	3.80	दसवीं योजना	बेतुल
5.	दोलावाद	78-80	4.64	30.00	25.28	84.27	6.50	6.50	दसवीं योजना	रतलाम
6.	दुधी	78-80	2.86	27.50	28.19	(+)1.03	3.70	3.70	2005	रायगढ़
7.	गोपाद लिफ्ट	VII	3.44	21.20	20.32	95.84	5.70	5.70	2003	सिधि
8.	कालियासोत	78-80	7.84	69.52	68.44	86.94	4.50	4.50	2003	भोपाल
9.	कुंवारी लिफ्ट	VI	1.03	5.31	0.28	5.27	3.90	0.00	ग्यारहवीं योजना	मुरैना
10.	कालियासरार		0.81	8.11	7.16	88.29	1.20	1.20	उपलब्ध नहीं	
11.	लखुन्दर	VI	4.27	45.50	44.68	98.20	8.30	4.80	दसवीं योजना	शाजापुर
12.	महुआर	VI	18.67	57.68	4.39	7.61	13.80	0.00	ग्यारहवीं योजना	शिवपुरी
13.	रामपुर कुर्द	78-80	1.51	34.00	30.70	90.29	3.10	2.30	दसवीं योजना	सोहोर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	सागर	VI	10.68	31.99	1.29	4.03	12.50	0.00	ग्यारहवीं योजना	विदिशा
ईआरएम स्कीम										
1.	चंबल लिफ्ट	VII	3.98	25.80	4.21	16.32	0.0	0.00	2007	भिंड, मुरैना
2.	चंबल चरण-II	VII	4.25	9.07	88.85	97.57	0.00	0.00	दसवीं योजना	भिंड, मुरैना
3.	हारसी का आधुनिकीकरण	VII	1.38	24.80	10.23	41.49	0.00	0.00	2006	ग्वालियर
4.	सिंध रिमोवा संपर्क	VII	5.96	21.71	9.17	42.24	7.30	0.00	2007	ग्वालियर
नई वृहद परियोजनाएं										
1.	हालोन (एनवीडीए)	IX	80.00	160.00	0.40	0.27	उपलब्ध नहीं	–	2012	मांडला
2.	निचली गोई (एनवीडीए)	IX	98.05	164.45	0.56	0.34	13.76	0.00	2012	खरगौन
3.	ऊपरी नर्मदा (एनवीडीए)	IX	52.88	211.92	–	–	18.61	0.00	2012	शहडोल, मांडला
नई मध्यम परियोजनाएं										
1	मुलियापट	IX	17.32	17.32	–	–	5.2	0.00	उप. नहीं	राजनंदगांव
2	ऊपरी बेदा (एनवीडीए)	IX	89.51	89.51	0.71	0.79	13.37	0.00	2010	खरगौन
	कुल जोड़			11352.19	5065.29	–	2276.27	385.06		

चालू वृहद, मध्यम और ईआरएम परियोजनाओं के वित्तीय एवं वास्तविक ब्यौरे

छत्तीसगढ़

(राशि करोड़ रुपये में) (क्षमता हजार हेक्टेयर में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	योजना जिसमें शुरू की गई	आकलित लागत वास्तविक	आकलित लागत नवीनतम	नौवीं योजना 3/02 के अंत तक संचयी व्यय राशि	नौवीं योजना 3/02 के अंत तक संचयी व्यय %	चरम क्षमता नौवीं योजना तक उत्पन्न क्षमता	पूरा करने के लिए लक्ष्य (नौवीं योजना और उसके पश्चात्)		लाभान्वित जिले
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वृहद										
1.	जोंक डाइवर्जन	IV	4.13	64.33	30.38	47.23	14.57	7.48	2003	रायपुर

1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10
2.	महानदी जलाशय	IV	15.33	629.20	382.19	60.74	264.11	241.56	2007	रायपुर, दुर्ग
3.	हसदेव बांगों	वा.यो.-78-80	115.30	1122.00	745.36	66.43	327.84	204.35	2006	बिलासपुर, रायगढ़
मध्यम										
1.	बरनई	VI	5.23	25.32	23.00	90.84	2.80	2.00	2003	सरगुजा
2.	बिलासपुर डाइवर्जन	VI	0.96	13.84	0.48	3.47	13.60	0.00	2006	बिलासपुर
3.	गेज	VI	8.97	58.30	11.38	19.52	4.40	4.00	2007	सरगुजा, अम्बिकापुर
4.	कोसरटेडा	VI	6.01	58.31	5.97	10.24	11.10	0.00	2007	बस्तर
5.	शिवनाथ डाइवर्जन	V	0.42	24.20	0.28	1.16	5.90	2.34	2003	राजनंदगांव
6.	मुतियापत	IX	17.32	19.05	0.70	3.67	5.20	0.00	2007	राजनंद गांव
7.	ऊपरी जोंक	IX	1.89	2.08	–	0.00	1.19	0.00	2007	रायपुर

गंगा नदी पर तट के निर्माण संबंधी विवाद

3516. डा. महेन्द्र सिंह पाल: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश की सरकारों के मध्य गंगा नदी पर तट के निर्माण संबंधी विवाद और गहरा गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा विवाद को निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुनचरण सेठी): (क) जी, नहीं।

(ख) उत्तरांचल सरकार ने यह सूचित किया है कि हरिद्वार जिले के खानपुर ब्लाक के खादर क्षेत्र में प्रस्तावित बांध से संबंधित मामला उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उनकी सहमति के लिए उठाया गया है।

[अनुवाद]

गंगा कार्य योजना (चरण-2)

3517. श्री अधीर चौधरी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार के निगम कार्य विभाग की ओर कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें कुछ वैकल्पिक योजनाओं और गंगा कार्य योजना (चरण-2) योजना में कतिपय संशोधनों का सुझाव दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) से (ग) जी, हां। पश्चिम बंगाल सरकार से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नदी तट विकास और सिलीगुड़ी में महानंदा नदी के लिए कार्य योजना और 5 नए शहरों में निर्माण कार्यों के लिए लगभग 126.00 करोड़ रुपए का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इन सभी निर्माण कार्यों पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि ये गंगा कार्य योजना चरण-2 के वर्तमान अनुमोदित कार्य क्षेत्रों में शामिल नहीं हैं।

जल संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

3518. श्री अम्बरीश: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री हाल ही में जापान में जल संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किए गए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्मेलन में किन-किन देशों ने भाग लिया था; और

(घ) इस सम्मेलन में क्या निर्णय लिया गया था?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुनचरण सेठी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) क्योटो, ओसाका और शिगा, जापान में 16 से 23 मार्च, 2003 के दौरान तीसरे विश्व जल मंच के अवसर पर आयोजित मंत्री स्तरीय सम्मेलन में 167 देशों और 43 अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री अर्जुन चरण सेठी, केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री, सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय शिष्ट मंडल के अध्यक्ष थे।

(घ) सम्मेलन के दौरान मंत्री स्तरीय दो घोषणाओं को अपनाया गया था। शिगा जापान में 21 मार्च, 2003 को "जल, खाद्यान्न और कृषि" संबंधी अपनाई गई सिफारिशों पर विचार-विमर्श करने के लिए सिंचाई मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की गई थी। क्योटो में दिनांक 22-23 मार्च, 2003 के दौरान आयोजित विचार-विमर्श में जल संसाधन मंत्रियों-प्रभारियों ने पांच प्रमुख विषयों अर्थात स्वच्छ पेयजल और सफाई, खाद्यान्न और ग्रामीण विकास के लिए जल, जल प्रदूषण निवारण और पारिस्थितिकीय प्रणाली संरक्षण, आपदा शमन और खतरा प्रबंधन तथा जल संसाधन प्रबंधन एवं लाभों के बंटवारे के विषय में चर्चा की। सम्मेलन के दौरान अपनाई गई मंत्री स्तरीय घोषणाओं को क्रमश: विवरण-I और II में दिया गया है।

विवरण-I

मंत्री स्तरीय सिफारिश

ओत्सू, शिगा प्रीफेक्चर, जापान, 21 मार्च, 2003 में आयोजित तीसरे विश्व जल मंच पर खाद्यान्न और कृषि के लिए जल के संबंध में मंत्री स्तरीय बैठक द्वारा अपनाई गई।

हम सभी मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि जो कृषि, वानिकी और मत्स्यन मंत्रालय जापान और संयुक्त राष्ट्र के खाद्यान्न और कृषि संगठन, के निमंत्रण पर 21 मार्च, 2003 को ओत्सू, शिगा प्रीफेक्चर, जापान में खाद्यान्न और कृषि के लिए जल संबंधी मंत्री स्तरीय बैठक में एकत्रित हुए हैं। खाद्यान्न और कृषि के लिए जल उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेवार हैं।

हम विश्व खाद्यान्न सम्मेलन, रोम प्रथम विश्व जल मंच, मोरक्को की घोषणा और दूसरे विश्व जल मंच, हेग की मंत्री स्तरीय घोषणा और जोहान्सबर्ग में जल के निरन्तर विकास संबंधी विश्व सम्मेलन में अपनाई गई सिफारिशों के क्रियान्वयन का समर्थन करते हैं।

हम समर्थन करते हैं कि खाद्यान्न सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन संबंधी सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से व्यापक रूप से फैले कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जल आवश्यक है।

तीन चुनौतियां

(खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन)

1. खाद्य गरीबी उन्मूलन के लिए बढ़ती और परिवर्तनशील मांग को पूरा करने और आर्थिक वृद्धि को कायम रखने के लिए कृषि के लिए जल विकास प्रबंधन में सुधार करना।

(जल का स्थायी उपयोग)

2. उपलब्ध जल संसाधनों से जल के उपयोग और विकास में संतुलन रखना पारिस्थितिकीय प्रणालियों के संरक्षण एवं स्थिरता के साथ जल प्रबंधन को जोड़ते हुए एकीकृत दृष्टिकोणों के माध्यम से जल उपयोग की स्थायी पद्धतियों को प्राप्त करने के उद्देश्य से जल गुणवत्ता को सुरक्षित रखना, तथा भूमि और जल प्रणालियों, जिस पर कृषि उत्पादन निर्भर करता है, की व्यवस्था को कायम रखना।

(भागीदारी)

3. कृषि जल उपयोग के सभी पहलुओं पर सभी दावाधारकों के सहयोग और भागीदारों में वृद्धि करना, विकास और प्रबंधन, जल संसाधनों की मात्रा में वृद्धि करना, वर्षा पोषित और सिंचित कृषि प्रणालियों के उत्पादन में सुधार करना तथा लाभ और खतरों की समान भागीदारी।

मूल आवयश्कता

4. हम स्मरण कराते हैं कि बीसवीं सताब्दी के अर्ध भाग में कृषि जल विकास में महत्वपूर्ण सार्वजनिक और निजी निवेश के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में आवश्यक वृद्धि हुई है तथा खाद्य सुरक्षा के अंतर में कमी आई है जिसके कारण गरीबी उन्मूलन में भी सहायता मिली है।

5. हम मानते हैं कि कृषि उत्पादन और इसके लिए जल का उपयोग कृषि जलवायुवीय क्षेत्रों द्वारा प्रभावित होते हैं जिसके कारण विश्व में विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धतियों और कृषि आर्थिकी का विकास हुआ है।

6. हम मानते हैं कि कृषि जल न केवल खाद्य उत्पादन के लिए आवश्यक है बल्कि यह समाज, संस्कृति और पर्यावरण से जुड़ी सेवाओं को भी विस्तृत रूप से प्रतिबिंबित करता है। यह समाज के कमजोर वर्गों विशेष रूप से महिलाओं और शिशुओं के आर्थिक और सामाजिक लाभों में सुधार लाने का एक माध्यम है। कृषि जल की इन बहुमूल्य भूमिकाओं और मूल्यों का आकलन किया जाना चाहिए तथा जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए।

7. हम मानते हैं कि शहरी और ग्रामीण समुदायों के लिए जल आपूर्ति, औद्योगिक, जल विद्युत सृजन, नौवहन, मनोरंजन, पर्यटन और मत्स्य पालन तथा पारिस्थितिकीय प्रणालियों के संरक्षण सहित अन्य विभिन्न उपयोगों को ध्यान में रखते हुए कृषि जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन की जरूरत है।

8. हम जानते हैं कि कुछ क्षेत्रों में कृषि जल की मांग और इसका उपयोग में पुनर्भरणीय संसाधन के दीर्घावधि दरों से अधिक है और स्थायी जल संसाधन प्रबंधन को प्राप्त करने के लिए नवीनतम उपायों और उपयुक्त कार्रवाई करते समय वैकल्पिक जल संसाधनों के विकास की आवश्यकता हो सकती है। अन्य क्षेत्रों में, जल संसाधन उपलब्धता की संभावना है अथवा इसके विकास में वृद्धि करने की जरूरत है।

9. हम इस बात पर बल देते हैं कि विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन संबंधी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्थायी उत्पादकता प्राप्त करने और जल संसाधनों के स्थायी विकास और एकीकृत प्रबंधन के लिए नए अवसरों को सृजित करने के उद्देश्य से वित्तपोषण संबंधी सभी स्रोतों को बढ़ावा देने और जल से संबंधित अवसंरचना, अनुसंधान और विकास के निवेश में वृद्धि करने की आवश्यकता होगी।

सुनिश्चित कार्रवाई योजना

10 सिंचाई स्कीमों के प्रचालन, अनुरक्षण और पुनर्वास में सुधार करते समय हम स्थाई तौर पर जल संसाधनों के विकास के निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

11. हम कृषि जल उपयोग के लिए आपूर्ति पर जोर दिए जाने के बजाय मांग आधारित कृषि जल प्रबंधन के उत्तरोत्तर आधुनिकीकरण और सुधार के लिए अपने संकल्प और वचनबद्धता को दोहराते हैं।

12. हम सहभागिता दृष्टिकोणों, उपयुक्त विनियमों और लागत वसूली तंत्रों, अनुसंधान निष्कर्षों का विकास और प्रसार, क्षमता निर्माण और संस्थागत सुधारों, जो स्थानीय जलवायुवीय, पर्यावरणीय और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के अनुकूल हो, के द्वारा मूल रूप से कृषि जल उत्पादकता को बढ़ाने का संकल्प करते हैं।

13. हम गैर-कृषीय जल उपयोग सहित एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के द्वारा कृषि जल उपयोग के उपयुक्त नियंत्रण को बढ़ावा देंगे। यह प्रक्रिया कुशल और उचित होनी चाहिए। इसमें स्थानीय जल संसाधन जल व्यवस्थाओं में महिला और ग्रामीण सहित, सभी उपयोगकर्ता दलों का सक्रिय सहयोग शामिल होगा।

14. हम कृषि जल उपयोग के संबंध में पर्यावरणीय पहलुओं पर उचित ध्यान देंगे, और जल के स्थायी उपयोग के लिए उत्तरोत्तर और नये दृष्टिकोणों के द्वारा फलदायी पारिस्थितिकी प्रणालियों को बनाए रखने का अनुरोध करेंगे। इस प्रक्रिया में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन एक महत्वपूर्ण साधन होगा।

15. हम कृषि के लिए उन्नत फसलों तथा जल के नए और गैर-परंपरागत स्रोतों का विकास करके, जल की कमी वाले क्षेत्रों में सीमित जल संसाधनों के प्रबंधन और उपलब्धता का सुधार करने के लिए परंपरागत ज्ञानसहित अनुसंधान और विकास शुरू करेंगे।

16. हम वित्तीय और तकनीकी सहायता तथा ज्ञान और कृषि जल विकास और प्रबंधन में निजी क्षेत्र के शामिल किए जाने को बढ़ावा देकर के विकसित और विकासशील देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भागीदारी को बढ़ाने के प्रयास जारी रखेंगे।

विवरण-II

तीसरा विश्व जल मंच मंत्रीस्तरीय घोषणा
—बीवा और योदो नदी बेसिन से संदेश—

23 मार्च, 2003

हम मंत्री और प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख, तीसरे विश्व जल मंच के अवसर पर 22-23 मार्च, 2003 को क्योटो, जापान में

एकत्र हुए हैं। विकास के वित्तपोषण संबंधी मोन्टेरे सम्मेलन के परिणामों के निष्कर्ष, स्थाई विकास संबंधी विश्व सम्मेलन (डब्ल्यू एस एस डी), जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य कृषि और जैव विविधता (विहैब) के संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिवों की पहल तथा जल से संबंधित अन्य घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दि विकास उद्देश्यों (एमडीजीएस) सहित अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त सिफारिशों को क्रियान्वित करने के वास्ते हम अपने साझे संकल्प को निश्चयपूर्वक दोहराते हैं।

तीसरे विश्व जल मंच विषयक और क्षेत्रीय विवरणों तथा सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए हम निम्नलिखित घोषणा करते हैं:

सामान्य नीति

1. जल पर्यावरणीय व्यवस्था सहित स्थाई विकास के लिए एक संचालन शक्ति है और गरीबी तथा भुखमरी के उन्मूलन, मानव स्वास्थ्य और कल्याण के लिए अनिवार्य है। जल संबंधी मुद्दों का प्राथमिकीकरण एक तात्कालिक वैश्विक आवश्यकता है। इस पर कार्य करना हर एक देश का मुख्य उत्तरदायित्व है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तथा अंतरांष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों को इसका समर्थन करना चाहिए। गरीब तथा निरीह लोगों के संबंध में उचित ध्यान देते हुए सरकार द्वारा स्थानीय प्राधिकरणों तथा समुदायों को अधिकार दिलाए जाने को बढ़ावा देना चाहिए।

2. जल संसाधन विकास और प्रबंधन पर अब तक शुरू किए गए प्रयासों को जारी रखा जाना चाहिए और इसे सुदृढ़ किया जाना चाहिए। हम यह महसूस करते हैं कि अच्छे नियंत्रण, क्षमता निर्माण और वित्तपोषण हमारे प्रयासों को सफल बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में, हम एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देंगे।

3. जल के प्रबंधन में, जल संबंधी नीतियों में गरीबी और निरीह लोगों से परिप्रेक्ष्यों पर उचित ध्यान देते हुए लोगों का उपयुक्त बंटवारा करके घरेलू और पड़ोसी समुदाय आधारित दृष्टिकोणों पर अधिक ध्यान देते हुए हमें अच्छा शासन सुनिश्चित करना चाहिए। हम सभी दावाधारकों की भागीदारी को और बढ़ावा देना चाहिए और सभी कार्यों में पारदर्शिता तथा जबावदेही सुनिश्चित करनी चाहिए।

4. हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मिलने वाली तकनीकी तथा अन्य प्रकार की सहायता से व्यक्तियों और संस्थानों की क्षमता को दीर्घकालीन रूप से सुदृढ़ करने के प्रति वचवबद्ध हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निष्पादन के मापन और निगरानी, नए दृष्टिकोणों, सर्वोत्तम प्रक्रियाओं, सूचना, ज्ञान और स्थानीय स्थितियों से संबंधित अनुभवों की साझेदारी के संबंध में उनकी क्षमता भी शामिल होनी चाहिए।

5. वित्तीय आवश्यकताओं पर ध्यान देना हम सभी का कार्य है। हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए जो कि निवेश सुविधा में सहायक हो। हमें जल संबंधी मामलों के संबंध में प्राथमिकताओं का पता लगाना चाहिए और गरीबी घटाने संबंधी कार्यनीति दस्तावेजों सहित अपनी राष्ट्रीय विकास योजनाओं और स्थाई विकास संबंधी कार्यनीतियों में उन पर उचित ध्यान देना चाहिए। निधियां एकत्र करने के लिए हमें स्थानीय जलवायुवीय, पर्यावरणीय और सामाजिक स्थितियों के उपयुक्त लागत वसूली दृष्टिकोणों और ''प्रदूषक और अर्थदण्ड'' के सिद्धान्त को अपनाना चाहिए और ऐसा करने में गरीबों पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त के सभी स्रोतों, सार्वजनिक और निजी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय को सक्रिय करके सर्वाधिक कुशल और प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाना चाहिए। हम जल अवसंरचना वित्त पोषण संबंधी विश्व पैनल की रिपोर्ट पर ध्यान दे रहे हैं।

6. हमें अपनी राष्ट्रीय नीतियों और प्राथमिकताओं के अनुसार निजी क्षेत्र की भागीदारी सहित वित्तीय व्यवस्थाओं के सभी विकल्पों की तलाश करनी चाहिए। गरीबों के हितों की रक्षा पर विशेष जोर देने सहित सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक सार्वजनिक नियंत्रण और विविध फ्रेमवर्क सुनिश्चित करते समय हम इसमें शामिल विभिन्न कारकों के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के नए तंत्र की पहचान करेंगे और उसे विकसित करेंगे।

7. चूंकि जल की स्थिति क्षेत्र-दर-क्षेत्र आधार पर भिन्न-भिन्न होती है अत: हम अफ्रीका के विकास के लिए नई भागीदारी (एनईपीएडी) में सुविधा के लिए अफ्रीकन मिनीस्टीरियल कान्फ्रेंस ऑन वाटर (ए एम सी ओ डब्ल्यू) के दृष्टिकोण तथा मध्य अमेरिकी एकीकरण प्रणाली (एस आई सी ए) तथा अल्प विकसित देशों (एल डी सी एस) के पक्ष में कार्रवाई के कार्यक्रम

का कार्यान्वयन जैसे स्थापित क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय प्रयासों का समर्थन करेंगे। छोटे द्वीप वाले विकासशील देशों में जल संसाधनों के अद्वितीय अस्थिर स्वरूप के महत्व को स्वीकार करते हुए हम छोटे द्वीप वाले देशों में जल और जलवायु संबंधी कार्रवाई के लिए कैरिबियन पैसिफिक संयुक्त कार्यक्रम जैसे विशिष्ट सहयोग कायक्रमों का समर्थन करते हैं।

8. हम विभिन्न देशों के द्वारा जहां कहीं उपयुक्त हो संबंधित राष्ट्रीय सूचकों के विकास सहित, स्थानीय, बेसिन और राष्ट्रीय स्तरों पर निगरानी और आकलन प्रणालियों में बेहतर समन्वय की आवश्यकता को दोहराते हैं। अन्य बातों के साथ-साथ हम सतत विकास आयोग के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र से अग्रणी भूमिका निभाने तथा पारदर्शी और सहयोगी ढंग से कार्य करने के लिए जल क्षेत्र में सक्रिय अन्य संगठनों से सहयोग करने का आह्वान करते हैं। हम जल से संबंधित क्षेत्रों में सहायता क्रियाकलापों के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आवधिक रूप से सूचित करने के लिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन तथा अन्य संगठनों की स्वेच्छा का स्वागत करते हैं। जल संबंधी मुद्दों से संबंधित प्रगति का पता लगाने के तरीकों को मौजूदा सुविधाओं के आधार पर और विभिन्न देशों तथा सिविल सोसाइटी संगठनों सहित संबंधित संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों, क्षेत्रीय विकास बैंकों और अन्य दावाधारकों से प्राप्त सूचना पर भरोसा करके उपयोगी ढंग से खोजा जा सकता है।

9. हम जल संबंधी कार्रवाईयों के पोर्टफोलियों के अनुसरण के लिए वेबसाइटों के एक नए नेटवर्क की स्थापना के प्रस्ताव का स्वागत करते हैं। यह सूचना की भागीदारी और सहयोग को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा जल से संबंधित मुद्दों पर आयोजना बनाई गई और की गई कार्रवाईयों का प्रचार करेगा।

जल संसाधनों का प्रबंधन और लाभ भागीदारी

10. चूंकि हमारा उद्देश्य वर्ष 2005 तक एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन और जल कुशलता योजनाओं को विकसित करने का है अत: हम साधनों और बाद में आवश्यक सहायता मुहैया कराते हुए विकासशील देशों, विशेषकर अल्प विकसित देशों और संक्रमण काल से गुजरती अर्थव्यवस्था वाले देशों की सहायता करेंगे। इस संदर्भ में हम अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास बैंकों द्वारा सुविधा मुहैया कराने की भूमिका निभाने को प्रोत्साहित करेंगे। इस उद्देश्य के लिए हम इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उत्सुक निजी दाताओं (डोनर्स) और सिविल सोसाइटी अभिकरणों सहित सभी दावाधारकों को आमंत्रित करते हैं।

11. इस बात के महत्व को स्वीकार करते हुए कि सीमा पार और/अथवा सीमावर्ती जलमार्गों पर स्थित तटवर्ती राज्यों के बीच का सहयोग स्थाई जल प्रबंधन और पारस्परिक लाभों में योगदान करता है, हम ऐसे सभी राज्यों को इस प्रकार का सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

12. हम जलवायु परिवर्तन के प्रभाव सहित विश्व जल चक्र के विषय में पूर्व सूचना देने और निगरानी करने और सूचना प्रणालियों को विकसित करने संबंधी वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देंगे जिससे इस प्रकार के महत्वपूर्ण आंकड़ों की विश्वव्यापी भागीदारी संभव हो सकेगी।

13. हम मांग पूरी करने के लागत प्रभावी तरीके के रूप में वितरण प्रणालियों से होने वाली जल हानियों को कम करने के उपायों तथा अन्य जल मांग प्रबंधन उपायों को बढ़ावा देंगे।

14. हम समुद्री जल के अलवणीकरण, जल पुन:चक्रण और जल संचयन जैसी नवीन और पर्यावरणीय रूप से परिपूर्ण प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देते हुए गैर-पारंपरिक जल संसाधनों के विकास और प्रसार का प्रयास करेंगे।

15. हम इस बात का महत्व स्वीकार करते हैं कि जल विद्युत की भूमिका पुन: नवीकरण योग्य और स्वच्छ जल स्रोत की है तथा इसकी क्षमता कां इस्तेमाल पर्यावरणीय रूप से स्थाई और सामाजिक रूप से समान रूप से किया जाना चाहिए।

सुरक्षित पेयजल और सफाई

16. एम डी जी एस में स्थापित किए गए लक्ष्य के अनुसार वर्ष 2015 तक सुरक्षित पेयजल की सुविधा के बिना लोगों की संख्या को आधा करने और डब्ल्यू एस एस डी की कार्यान्वयन योजना में स्थापित किए गए अनुसार वर्ष 2015 तक मूल सफाई सुविधाओं से वंचित लोगों की संख्या आधा करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जल आपूर्ति और सफाई के क्षेत्र में भारी निवेश करने की आवश्यकता है। हम प्रत्येक देश से इन

उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यनितियां विकसित करने का आह्वान करते हैं। हमें सार्वजनिक और निजी वित्तीय तथा तकनीकी संसाधनों को जुटाने के लिए अपने सामूहिक प्रयासों को दोगुना करना होगा।

17. हम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति और सफाई को इस प्रकार से पूरा करेंगे कि वे जल और सफाई सेवाओं में अल्पकालिक सुधार तथा लागत प्रभावी अवसंरचनात्मक निवेशों तथा उपयुक्त प्रबंधन और समयोपरि रखरखाव की दृष्टि से स्थानीय स्थितियों और प्रबंधन क्षमताओं के अनुकूल हों। ऐसा करते समय, हम गरीबों तक सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता को पहुंचायेंगे।

18. घरेलू स्तर पर हाथ धोने से शुरू करते समय स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी प्रयासों को बढ़ावा देने, विशेष रूप से सुरक्षित पेयजल और बुनियादी सफाई के प्रावधान के लिए दैनिक जीवन के अनुकूल किफायती और कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों के विकास और व्यवहारिक उपयोगों को शुरू किए जाने के प्रयास भी सघन किए जाने चाहिए। हम स्थानीय स्वामित्व वाली नवीन प्रौद्योगिकियों के लिए अध्ययन को बढ़ावा देंगे।

खाद्य और ग्रामीण विकास के लिए जल

19. जल खाद्य सुरक्षा में सुधार लाने तथा गरीबी उन्मूलन के लिए कृषि उत्पादन और ग्रामीण विकास के लिए जल अनिवार्य होता है। यह खाद्य उत्पादन, आर्थिक विकास तथा पर्यावरणीय स्थायित्व सहित कई प्रकार की भूमिकाएं निरंतर निभाता है। हम सीमित स्वच्छ जल संसाधनों और पर्यावरण पर बढ़ते दबावों से चिन्तित हैं। यह नोट किया गया है कि इस विश्व में कृषि अर्थव्यवस्थाओं के विविध विन्यास तैयार किए गए हैं, हमें स्थायी जल प्रबंधन में कमी करने तथा कृषीय जल उपयोग की दक्षता में सुधार लाने के हर संभव उपाय करने चाहिए।

20. प्रभावी और उचित जल उपयोग और प्रबंधन तथा आवश्यकता के आधार पर सिंचाई क्षेत्र का विस्तार करके हम, विकास आधारित सामुदायिक पास-पड़ोस को बढ़ावा देंगे इसके परिणामस्वरूप आय सृजन क्रियाकलापों और अवसरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन में मदद मिलेगी।

21. हमें कृषि जल प्रबंधन के उत्तरोत्तर सुधार के लिए सहभागिता सिंचाई प्रबंधन, मौजूदा जल सुविधाओं के सुधार और आधुनिकीकरण, जल संचयन, जल बचत/सूखा रोधी फसल किस्मों, जल भंडारण और बेहतर कृषि पद्धतियों को प्रसार सहित मांग आधारित प्रबंधन जैसे उपाय करते हुए नवीन और युक्तिपरक निवेश, अनुसंधान और विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समर्थन करना चाहिए।

22. अंतर्देशीय मत्स्यन खाने के लिए मुख्य स्रोत होने के कारण, नदियों में जल गुणवत्ता एवं मात्रा को बढ़ाने के लिए प्रजनन क्षेत्रों की सुरक्षा एवं उन्हें बहाल करने जैसे सघन प्रयासों के द्वारा स्वच्छ जल मत्स्य उत्पादन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

जल प्रदूषण निवारण एवं पारिस्थितिकी प्रणाली संरक्षण

23. हम स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संकट को कम करने के लिए एवं आक्रामक किस्म के जीवों पर नियंत्रण सहित पारिस्थितिकी प्रणाली को बचाने के लिए जल प्रदूषण निवारण को बढ़ाने की आवश्यकता के महत्व को स्वीकार करते हैं। हम परम्परागत जल ज्ञान के महत्व को स्वीकारते हैं और जल संसाधनों के अस्थायी उपयोग एवं प्रदूषण को दूर करने के लिए जल सूचना एवं बच्चों के लिए भी शिक्षा के द्वारा समस्त जल चक्र के लिए वाटर शेड पर मानवीय क्रियाकलापों के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभावों की जागरूकता को बढ़ावा दिया है।

24. अच्छी गुणवत्ता के जल की निरंतर आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए, हमें पारिस्थितिकी प्रणाली का स्थायी तौर पर बचाव एवं उपयोग करना चाहिए जो कि नदियों, नम भूमि वनों एवं मृदाओं के अनुसार जल को प्राकृतिक तौर पर ग्रहण, फिल्टर, भण्डारण एवं उसे छोड़ती है।

25. हम देशों से समीक्षा करने का अनुरोध करते हैं कि जल संसाधनों की यथावश्यक सुरक्षा एवं स्थायी उपयोग के लिए समुचित विधायी फ्रेमवर्क की स्थापना करें।

26. वाटरशेड एवं वनों की त्वरित कटाई के मद्देनजर, हम हरियाली को बढ़ावा, स्थायी वन प्रबंधन एवं खराब गुणवत्ता वाली भूमि एवं नम भूमि और जैवीय विविधता का संरक्षण जैसे कार्यक्रमों के द्वारा वनों की कटाई, अपसरण एवं भूमि क्षरण को रोकने पर अपना ध्यान केन्द्रित करेंगे।

आपदा शमन एवं जोखिम प्रबंधन

27. बाढ़ों एवं सूखों के बढ़ते हुए गंभीर प्रभाव को देखते हुए यह पता चलता है कि इसके लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है जिसमें जलाशयों एवं डाईको जैसे संरचनात्मक प्रणालियों को मजबूत करना एवं अंतर्देशीय, नौवहन जलमार्ग सहित पर्यावरण और जल के विभिन्न उपयोगों के अनुरूप भूमि उपयोग विनियमन एवं दिशा-निर्देश आपदा पूर्वनुमान एवं चेतावनी प्रणालियों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पद्धति जैसी गैर-संरचनात्मक प्रणालियां भी शामिल हैं।

28. हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़ा, सूचना ज्ञान अनुभव जहां से प्राप्त हों, के आदान-प्रदान को बढ़ावा देते हुए आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने में सहयोग देंगे। हम दोषों में कमी लाने के लिए वैज्ञानिकों, जल प्रबंधकों एवं संबंधित दावाधारकों के बीच सहयोग जारी रखने तथा जल प्रबंधकों की उत्कृष्ट भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए उपस्कर उपलब्ध कराने में प्रोत्साहन देंगे।

29. अंत में हम इस मंत्री स्तर के सम्मेलन एवं मंच की मेजबानी के लिए जापान सरकार एवं उनकी जनता का धन्यवाद करते हैं।

नारियल पानी

3519. श्री पी.सी. थामस: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शीतल पेय के रूप में नारियल पानी का विपणन करने हेतु कदम उठाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) नारियल विकास बोर्ड ने रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला, मैसूर के सहयोग से कच्चे नारियल पानी की पैकिंग और परिरक्षण की प्रौद्योगिकी विकसित की है। यह प्रौद्योगिकी 7 उद्यमियों को अंतरित की गई है। तीन कंपनियों ने अपने ब्रांड उत्पाद शुरू कर दिए हैं। उनमें से एक पूरे देश में कच्चे नारियल पानी की पैकिंग करके इसका वाणिज्यिक रूप से विपणन कर रही है। इसके अलावा, बोर्ड ने विपणन सवंर्धन कार्यकलापों के भाग के रूप में विभिन्न राज्यों में 18 चलते-फिरते कार्टों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। कच्चे नारियल सहित नारियल उत्पादों के संवर्धन के लिए नारियल संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत 31 किओस्क भी स्वीकृत किए हैं। बोर्ड प्रकाशनों और संचार माध्यमों के जरिए प्राकृतिक स्वास्थ्य पेय के रूप में कच्चे नारियल पानी का संवर्धन कर रहा है। बोर्ड ने राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों और खाद्य एक्स्पो के माध्यम से कच्चे नारियल पानी के लिए बाजार संवर्धन कार्यकलापों में भाग लिया है और उनका आयोजन किया है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, देश उत्तरी भाग में कच्चे नारियल पानी की मांग बढ़ रही है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड

3520. श्री ए.सी. जोस: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मंगोलपुरी स्थित मदर डेयरी (फल और सब्जियां) का संयंत्र विज्ञापन पर और ट्रक/मेटाडोर आदि जैसे वाहन किराए पर लेने पर प्रतिवर्ष भारी धनराशि बर्बाद कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान विज्ञापनों पर और विभिन्न ट्रांसपोर्टरों पर वर्ष-वार और परिवहन, कंपनी-वार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे अपव्यय तो समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं। मंगोलपुरी स्थित मदर डेरी फ्रूड्स प्रोसेसिंग लिमिटेड की फल और सब्जी यूनिट ताजे फलों तथा सब्जियों और अपने उत्पादों की खरीद तथा बिक्री के लिए वितरण करने के. उद्देश्य से वाहन किराए पर लेती है। विज्ञापन इसके उत्पादों के प्रति उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए दिए जाते हैं जो कि सामान्य व्यापार अपेक्षा होती है। उत्पादों की एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवाजाही के लिए वाहनों को किराए पर लेने के लिए खर्च भी आवश्यक है।

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान वाहनों को किराए पर लेने और विज्ञापन पर किया गया खर्च का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

शीर्ष	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02
विज्ञापन	1.67	1.66	2.46	2.87	3.01
ट्रांसपोर्टरों को भुगतान	6.44	8.27	9.09	10.58	14.72

विगत पांच वर्षों के दौरान ट्रांसपोर्टरों को कंपनी-वार किए गए भुगतान का ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) विज्ञापन और परिवहन पर खर्च सामान्य व्यापार आवश्यकता है और यह बेकार नहीं है।

नेशनल वाटर फोरम

3521. श्री सईदुज्जमा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर पर लोगों की पद यात्रा की पराकाष्ठा के रूप में नवदन्य द्वारा आयोजित दो दिवसीय नेशनल वाटर फोरम की कार्यवाही की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या जल क्षेत्र में सुधार हेतु कोई कार्य योजना तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भविष्य में जल की चुनौतियों पर काबू पाने के लिए लोगों की पहलों को प्रोत्साहन देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुनचरण सेठी): (क) जी, नहीं। जल संसाधन मंत्रालय को नवदन्य से राष्ट्रीय जल फोरम की कार्यवाही प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2002 को राष्ट्रीय जल नीति, 2002 अपनायी गई है। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इस नीति के कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना बनाई गई है। इस कार्य योजना पर अन्य बातों के साथ-साथ गैर-सरकारी और स्वायत्त संगठनों के साथ विचार-विमर्श कर लिया गया है।

(घ) और (ङ) नीति के साथ-साथ कार्य योजना में परियोजना विनियोजन चरण से ही लाभग्राही और भागीदारी एवं सहभागिता पर बल दिया गया है। इसके अलावा जल संसाधन प्रबंधन में सहभागिता दृष्टिकोण पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

राष्ट्रीय जल नीति, 2002 में इस बात की व्यवस्था की है कि जल संसाधन स्कीमों की आयोजना, डिजाइन, विकास और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में न केवल विभिन्न सरकारी अभिकरणों बल्कि प्रयोक्ताओं और अन्य दावाधारकों को प्रभावी एवं निर्णायक तरीके से शामिल करते हुए विभिन्न प्रयोगों हेतु जल संसाधन प्रबंधन में एक सहभागिता दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। महिलाओं की समुचित भूमिका को सुनिश्चित करते हुए इस उद्देश्य के लिए विभिन्न स्तरों पर आवश्यक वैधानिक और संस्थानिक परिवर्तन किए जाने चाहिए। ऐसी सुविधाओं के प्रबंधन को अंतत: प्रयोक्ता संघों/स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करने के दृष्टिकोण से प्रगामी रूप से उचित स्तरों पर जल अवसंरचनाओं/सुविधाओं के संचालन, रखरखाव और प्रबंधन में जल प्रयोक्ता संघों और स्थानीय निकायों जैसे नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों को विशेष तौर पर शामिल किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय जल नीति, 2002 में इस बात की भी व्यवस्था है कि समयबद्ध आधार पर सिंचाई प्रणाली के रखरखाव सहित प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने हेतु अधिकार एवं जिम्मेदारी प्रदान करते हुए जल प्रयोक्ता संघ के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

इसके साथ-साथ वर्ष 2003 को स्वच्छ जल वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है। इसके उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:- स्वच्छ जल की दुर्लभता के संबंध में दावाधारकों में जागरूकता बढ़ाना, स्वच्छ जल का संरक्षण और कुशल उपयोग और भावी जल आवश्यकताओं को पूरा करने में सूचित विषयों पर निर्णय करने हेतु सामुदायिक सहभागिता।

निदेशक छात्रावास के विरुद्ध भ्रष्टाचार/अनियमितताएं

3522. श्री हरिभाऊ शंकर महाले: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय को भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान के निदेशक, सी.ए.ओ. वार्डन (छात्रावास) और अन्य अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन शिकायतों को देखते हुए किसी जांच का आदेश दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) विवरण के क्रम संख्या 1 से 10 तक में की गई शिकायतों के संबंध में यह पाया गया कि जो आरोप लगाए गए थे वे निराधार थे तथा शिकायतों में कोई वास्तविकता नहीं पायी गई।

बाद में प्राप्त हुई विवरण के क्रम संख्या 11 से 12 की शिकायत के संबंध में कुछ भी अनियमित नहीं पाया गया।

विवरण

भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान के संबंध में प्राप्त हुई शिकायतों का विवरण

1. एक कनिष्ठ अधिकारी द्वारा एक वैज्ञानिक की विलम्ब उपस्थिति की जांच करना।
2. प्रकाशन के लिए नये लेखों की प्रस्तुति करने में प्रकाशित सामग्री का दुरूपयोग।
3. संस्थान के द्वार पर विलम्ब-उपस्थिति की जांच करने के लिए एक तकनीकी अधिकारी की तैनाती करना।
4. चेतावनी जारी करके एक प्रधान वैज्ञानिक को उत्पीड़ित करना।
5. वार्डन की नियुक्ति में अनियमितताएं करना और उसको एक बंगला आबंटन करना।
6. निदेशक के दौरे।
7. जांच बैठाने में ढिलाई बरतना।
8. एक वैज्ञानिक को कार्य करने की सभी सुविधाएं न जुटाना।
9. फर्निचर की खरीद में अधिक व्यय करना।
10. निदेशक द्वारा चलाई जा रही एक परियोजना जानकारी का अभाव।
11. एक वैज्ञानिक को सतर्कता अनापत्ति प्रमाण-पत्र का जारी न करना तथा उनके प्रभाग के स्टाफ का मनमाना स्थानांतरण करना।
12. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कैंसर का ईलाज कराने के लिए मुम्बई तक हवाई यात्रा करना।

[हिन्दी]

मूर्तियों की तस्करी

3523. श्रीमती रीना चौधरी:
श्री राधा मोहन सिंह:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान सूचित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत दुर्लभ मूर्तियों की चोरी और तस्करी की घटनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान मूर्तियों की चोरी और तस्करी में अचानक वृद्धि हुई है; और

(ग) चोरी और तस्करी पर नियंत्रण करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) पिछले दो वर्षों के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन संरक्षित स्मारकों/स्थलों से कुछ चोरियों की रिपोर्ट मिली है। राज्य-वार विस्तृत सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं। उक्त अवधि के दौरान चोरियों एवं तस्करी में कोई वृद्धि नही हुई है।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राजस्व आसूचना निदेशालय, सीमा-शुल्क विभाग तथा राज्य सरकारों जैसी प्रवर्तन एजेन्सियों के साथ परामर्श से सीमा-शुल्क निकासी स्थानों पर सतर्कता बढ़ाकर और छानबीन में तेजी लाकर पुरावशेषों की चोरी तथा उनकी तस्करी रोकने तथा साथ ही पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 को सख्ती से लागू करने के उपाए तैयार किए गए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन आने वाले चुनिन्दा केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों तथा संग्रहालयों में सशस्त्र गार्ड भी तैनात किए गए हैं।

इनके अतिरिक्त, अपने निगरानी एवं देखरेख करने वाले कर्मचारियों के अलावा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों, मूर्ति शेडों तथा संग्रहालयों की सुरक्षा के लिए और इन स्मारकों, स्थलों एवं संग्रहालयों में रखे पुरावशेषों की सुरक्षा एवं उन पर निगरानी रखने के वास्ते निजी सुरक्षा एजेन्सियों को भी लगाता है। विवरण में दिए गए चोरी के मामलों की जांच की जा रही है।

विवरण

पिछले दो वर्षों के दौरान (राज्य-वार पहली जनवरी, 2001 से आज तक) चोरी के मामलों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्मारक/स्थल तथा जिला का नाम	वस्तुओं का विवरण	चोरी की तारीख	मामले की स्थिति	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	श्री कपोतेश्वर स्वामी मंदिर, छजेरला, नकरी कुल्लू मंडल जिला गुंटूर	नन्दी की पत्थर की छोटी प्रतिमा	11/12.3.03	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई	जांच की की जा रही है।
2.	बिहार	जैन मंदिर, वैभव पहाड़ियां राजगीर्	तीन प्रतिमाएं (1) खड़ी मुद्रा में महावीर (2) खड़ी मुद्रा में महावीर (3) पारसनाथ	15.8.2001	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई और तीन में से एक निकटवर्ती झाड़ियों से बरामद की गई है।	-वही-
3.	गुजरात	खुला संग्रहालय पाटन, जिला मेहसाणा	दो प्रतिमाएं (1) खड़ी मुद्रा में गणेश (2) पत्नी के साथ ब्रह्मा	9.11.2001	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।	प्राथमिक जांच की गई और उत्तरदायी स्मारक परिचर निलम्बित किया गया।
4.	कर्नाटक	हम्पी के अवशेष जिला बेल्लारी	शशिवेकलू गणेश का निचला बायां हाथ	9.7.2001	-वही-	जांच की जा रही है।
5.	मध्य प्रदेश	महोम माता मंदिर, तेराही, जिला शिवपुरी	गणेश की एक प्रतिमा	15.9.2001	-वही-	-वही-
6.	मध्य प्रदेश	शिव मंदिर (ककनमठ मंदिर) सुनहिया, जिला मुरैना	अप्सरा की एक प्रतिमा	28.12.2001	-वही-	-वही-
7.	मध्य प्रदेश	मंदिर के अंदर गढ़ी सुरवाया, सुरवाया, जिला शिवपुरी	1. लक्ष्मी नारायण की दोनों प्रतिमाओं के सिर 2. शिव पार्वती की जड़ाऊ प्रतिमा	24.1.2002	-वही-	-वही-

1	2	3	4	5	6	7
8.	मध्य प्रदेश	अम्बाबाई मंदिर के स्थानीय नाम से प्रसिद्ध रुकमणि मठ, कुंदालपुर, जिला सागर	जैन भगवान तथा देवियों के खड़े जोड़े	5.2.2002	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई	जांच की जा रही है
9.	मध्य प्रदेश	मूर्ति शेड, ग्यारस पुर, जिला विदिशा	1. स्त्री का सिर 2. जैन तीर्थंकर महावीर की प्रतिमा	2.3.2002	–वही–	–वही–
10.	मध्य प्रदेश	बज्रमठ, ग्यारसपुर, जिला विदिशा	स्त्री का सिर	8.8.2002	–वही–	–वही–
11.	मध्य प्रदेश	महादेव मन्दिर गांव पालि, बंडारी जिला, सागर	दिकपाल की मूर्ति	12.8.2002	–वही–	–वही–
12.	राजस्थान	अष्टमाता मंदिर, बादोली, जिला चित्तौड़गढ़	भित्ति स्तम्भ पर उत्कीर्ण दो स्त्री प्रतिमाएं	27.1.2001	–वही–	–वही–
13.	राजस्थान	उंड़ेश्वर मंदिर, बिजोलिया, जिला भीलवाड़ा	एक प्रस्तर मूर्ति	24.2.2001	–वही–	–वही–
14.	राजस्थान	मंदिरों के अवशेष जिला ''बरन''	एक प्रस्तर मूर्ति	13.2.2002	–वही–	–वही–
15.	राजस्थान	नव दुर्गा मंदिर चन्द्रभाग, झलरा-पाट्टन, जिला झालावाड़	चामुंडा की एक खड़ी मूर्ति	28.8.2002	–वही–	–वही–
16.	तमिलनाडु	शिव मदिर, वालीकांतपुरम, जिला पैरमवलूर	पांच कांसे	2.3.2002	–वही–	–वही–
17.	तमिलनाडु	जैन मंदिर, मेट्टूपुदूर, जिला इरोड	पांच प्रस्तर मूर्तियां	21.7.2002	–वही–	–वही–
18.	तमिलनाडु	आपतसहायेश्वर मंदिर, सेंदामंगलम जिला विल्लुपुरम	एक प्रस्तर मूर्ति	14.11.2002	–वही–	–वही–

1	2	3	4	5	6	7
19.	तमिलनाडु	कादम्बरकोइल नरभामलाई जिला पुड्डुकोट्टाई	तीन प्रस्तर मूर्तियां	27.1.2003	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई	जांच की जा रही हैं
20.	उत्तर प्रदेश	गरवा किला इलाहाबाद	बुद्ध की एक सिर रहित खड़ी मूर्ति	21.4.2002	–वही–	–वही–
21.	उत्तर प्रदेश	अकोना के मंदिर, जिला महोबा	प्रस्तर मूर्ति	2.2.2003	–वही–	–वही–
22.	उत्तरांचल	शिव मंदिर, लखामंडल, जिला देहरादून	मूर्ति शेड से तीन मूर्तियां	24.2.2001	–वही–	–वही–
23.	प. बंगाल	बासुली देवी मंदिर, नानूर जिला बीरभूम	बिशालाक्षी देवी की मूर्ति	17.3.2001	–वही–	–वही–

रसायनों और उर्वरकों का अधिक प्रयोग

3524. श्री महेश्वर सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रसायनों, उर्वरकों और पेस्ट-नाशियों के अधिक प्रयोग के कारण भूमि की उर्वरता में कमी आई है और भूजल के प्रदूषित होने का खतरा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में भूमि की उर्वरता में कमी का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ग) सरकार का विचार इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) वर्ष 2001-02 के दौरान देश में उर्वरकों और कीटनाशियों का औसत उपयोग क्रमश: 90.12 कि.ग्रा. है. और 0.57 कि.ग्रा. है. (सक्रिय घटक) है। उपयोग के इस स्तर को भूमि की उर्वरता में कमी और भूमिगत जल के प्रदूषण का कारण नहीं समझा गया है।

(ख) देश में उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण मृदा उर्वरता में कमी को निर्धारित करने के लिए कोई योजनाबद्ध सर्वेक्षण नहीं किया गया है। किन्तु उर्वरकों के असंतुलित उपयोग के कारण मृदा उर्वरता में कमी के कुछ दृष्टांत हैं।

(ग) सरकार जैव खादों और जैव उर्वरकों के साथ संयोजित रासायनिक उर्वरकों के मृदा परीक्षण आधारित संतुलित और समेकित उपयोग को तथा समेकित कीट प्रबंध पद्धतियों को भी बढ़ावा दे रही है। जैव खादों, ग्रामीण/शहरी कम्पोस्ट, हरी खादों जैव उर्वरकों जैसे पौषणिकों के जैव स्रोतों के उपयोग के माध्यम से जैव कृषि को तथा जैव कीटनाशियों समेत कीटों और कृमियों के नियंत्रण के यांत्रिक/प्राकृतिक उपायों के उपयोग को भी सरकार बढ़ावा दे रही है।

किसानों पर वैश्वीकरण का प्रभाव

3525. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य घट-बढ़ के कारण किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सस्ते और वहनीय आयातित सामान की सरल उपलब्धता ने किसानों को आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा किसानों के हित की रक्षा करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) अंतर्राट्रीय मूल्य घरेलू मूल्यों में बदलाव तथा आयात के माध्यम से किसानों पर प्रभाव डालते हैं। भारतीय किसानों पर मूल्यों के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से सरकार प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित करती है। जहां कहीं बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे आ जाते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को उनके उत्पाद को लाभकारी मूल्यों पर बेचने के लिए सक्षम बनाते हैं। किन्तु कृषि जिंसों का अपेक्षाकृत कम मूल्य आयात को बढ़ावा दे सकता है विशेषकर मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाए जाने के समय जिससे भारतीय किसानों की खुशहाली पर प्रभाव पड़ता है। तथापि, अनुभव दर्शाते हैं कि आयात में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है। संचयी रूप से कृषि आयातों का मूल्य वर्ष 1999-2000 में 2.8 बिलियन अमेरिकी डालर से कम होकर वर्ष 2000-01 में लगभग 1.8 बिलियन अमेरिकी डालर तक आया और वर्ष 2001-02 में आंशिक रूप से केवल 2.3 बिलियन अमेरिकी डालर तक बढ़ा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस देश के किसान किसी कठिनाई में न पड़े, सरकार ने संवेदनशील मदों के आयात के प्रबोधन के लिए उचित तंत्र की व्यवस्था की है तथा बाउंड स्तरों के भीतर लगाए गए टैरिफ के उचित अंशाकन, व्यापार उपचार माध्यम, तथा विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के प्रावधानों के अनुकूल सरकारी समर्थन समेत विभिन्न उपायों के माध्यम से भारतीय किसानों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार कृत संकल्प है।

[अनुवाद]

तटीय पारिस्थितिकी और पर्यावरण के संरक्षण संबंधी समिति

3526. श्री भीम दाहाल: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तटीय पारिस्थितिकी और पर्यावरण के संरक्षण हेतु भारत के तट क्षेत्र का सर्वेक्षण और अध्ययन करने हेतु उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन करने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

किराए में अन्तर

3527. श्री विष्णु पद राय: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस चेन्नै-पोर्ट ब्लेयर क्षेत्र की अपेक्षा कोलकाता-पोर्ट ब्लेयर क्षेत्र पर उच्च कार्गो प्रशुल्क और यात्री किराया लेता है यद्यपि तय की गयी दूरी और इसमें लगा समय कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार दोनों क्षेत्रों में किराए में विसंगति को समाप्त करने हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) पोर्ट ब्लेयर-कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर-चेन्नै के बीच की दूरी और बेसिक कार्गो दरें नीचे दी गई हैं:-

सेक्टर	दूरी (कि.मी. में)	कार्गो दर प्रति कि.ग्रा (रुपयों में)	इकोनामी श्रेणी के लिए बेसिक यात्री किराए
कोलकाता-पोर्ट ब्लेयर	912	40.35	7985
चेन्नै-पोर्ट ब्लेयर	944	40.85	7340

इंडियन एयरलाइंस घरेलू सेक्टरों पर यात्री और कार्गो किराए सामान्यतया विभिन्न मार्किट कारकों पर आधारित हैं। मार्किट कारकों में सीजनलिटी, इंडियन एयरलाइंस बनाम प्रतिस्पर्धियों की क्षमता, सप्लाई और मांग समीकरण आदि कारक शामिल हैं।

निजीकृत विमानपत्तनों हेतु विनियामक प्राधिकरण

3528. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निजीकृत विमानपत्तनों के लिए विनियामक प्रधिकरण की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश के विभिन्न भागों में हेलीपैडों का निर्माण करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आदिवासी सांस्कृतिक पर्यटन को प्रोत्साहन

3529. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश में आदिवासी सांस्कृतिक पर्यटन को प्रोत्साहन करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) पर्यटन विभाग, आदिवासी सांस्कृतिक पर्यटन सहित पर्यटक अवसंरचना के विकास तथा पर्यटन के संवर्धन हेतु, प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मध्य प्रदेश सहित किसी राज्य के लिए कोई अलग योजना नहीं है।

[अनुवाद]

रोजगार केन्द्रों में बेरोजगार व्यक्ति

3530. **श्री अनंत गुढे:**
श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रोजगार केन्द्रों में राज्य-वार कितने बेरोजगार व्यक्ति पंजीकृत किए गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन रोजगार केन्द्रों के माध्यम से राज्य-वार उक्त व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया; और

(ग) सरकार द्वारा बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए इन व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए अब तक क्या नए उपाय किए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) और (ख) 2000, 2001 एवं 2002 के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा किये गये पंजीकरण एवं नियोजनों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) 10वीं पंचवर्षीय योजना दृष्टिकोण में अतिरिक्त श्रम बल को लाभप्रद उच्च गुणवत्तात्मक रोजगार उपलब्ध करवाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है तथा इसे 10वीं योजना व इससे आगे के लिए प्रबोधनीय (मानिटरेबल) उद्देश्य माना गया है। 10वीं योजना की विकास नीति में उच्च गुणवत्तात्मक रोजगार अवसरों को सृजित किए जाने तथा रोजगार वृद्धि को हतोत्साहित करने वाले नीतिगत अवरोधों के समाधान की संभावना वाले क्षेत्रों के तीव्र विकास पर बल दिया जाएगा। अत्यधिक रोजगार की संभावना वाली आर्थिक गतिविधियों की वृहद श्रृंखला को प्रभावित करने वाले नीतिगत वातावरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

सरकार गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन हेतु विशेष कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इनमें स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एसजेजीएसवाई), जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई), रोजगार आश्वासन योजना (ईएएस), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) तथा कार्य के बदले भोजन कार्यक्रम शामिल हैं। शिक्षित बेरोजगार योजना युवाओं को रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) भी कार्यान्वित की जा रही है।

विवरण

रोजगार कार्यालयों द्वारा किए गए पंजीकरणों एवं नियोजनों की संख्या

(हजार में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	निम्न वर्षों के दौरान किए गए पंजीकरणों की संख्या			निम्न वर्षों के दौरान किए गए नियोजनों की संख्या		
		2000	2001	2002	2000	2001	2002
1	2	3	4	5	6	7	8
(क) राज्य							
1.	आंध्र प्रदेश	365.9	297.9	377.8	4.7	2.4	4.1
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.4	4.3	2.9	@	@	0.1

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	137.2	171.6	180.4	1.3	0.9	2.6
4.	बिहार	509.6	163.5	164.4	7.4	0.9	0.4
5.	छत्तीसगढ़	$	130.5	120.3	$	0.6	1.0
6.	दिल्ली	115.6	78.8	125.0	0.3	@	0.2
7.	गोवा	11.4	13.6	12.2	0.3	0.4	0.8
8.	गुजरात	371.1	269.2	220.9	69.4	69.2	70.6
9.	हरियाणा	230.8	187.5	147.6	4.7	5.4	4.5
10.	हिमाचल प्रदेश	132.1	137.0	130.6	2.3	3.0	2.0
11.	जम्मू व कश्मीर	33.2	20.7	21.5	2.8	8.0	@
12.	झारखंड	**	179.8	84.0	**	4.3	1.1
13.	कर्नाटक	380.9	371.0	227.7	8.5	4.1	2.9
14.	केरल	619.6	499.6	434.9	16.8	15.1	10.4
15.	मध्य प्रदेश	398.2	437.9	399.6	3.9	2.7	1.8
16.	महाराष्ट्र	748.4	575.9	573.1	17.4	12.1	8.3
17.	मणिपुर	10.5	17.4	11.7	@	–	@
18.	मेघालय	11.8	10.7	9.1	0.2	0.1	0.2
19.	मिजोरम	15.2	5.8	3.9	0.3	@	@
20.	नागालैंड	9.4	9.0	7.6	0.1	0.1	0.1
21.	उड़ीसा	161.6	126.5	127.1	2.3	2.2	2.4
22.	पंजाब	111.8	112.4	84.4	2.4	2.2	1.7
23.	राजस्थान	107.6	125.0	145.9	1.6	1.1	0.9
24.	सिक्किम*	–	–	–	–	–	–
25.	तमिलनाडु	603.9	638.1	467.9	13.2	17.4	9.7
26.	त्रिपुरा	23.8	30.1	36.5	0.9	1.1	0.9
27.	उत्तरांचल	#	98.3	96.6	#	0.8	2.1
28.	उत्तर प्रदेश	407.8	337.7	381.1	4.0	3.2	3.0
29.	पश्चिम बंगाल	481.6	465.3	433.3	11.7	10.0	7.7

1	2	3	4	5	6	7	8
(ख) संघ शासित प्रदेश							
30.	अंडमान व निकोबार द्वी.स.	3.9	4.6	4.5	0.3	0.3	0.9
31.	चंडीगढ़	12.6	12.2	12.6	0.5	1.0	0.6
32.	दादर व नगर हवेली	0.6	0.7	0.5	@	@	0.3
33.	दमन व दीव	1.7	1.2	1.2	@	@	@
34.	लक्षद्वीप	0.9	1.4	1.0	@	@	@
35.	पांडिचेरी	15.9	17.1	16.1	0.2	0.4	1.1
(ग) केन्द्रीय रोजगार कार्यालय (सीईई)							
	योग	6041.9	5552.6	5064.0	177.7	169.2	142.6

टिप्पणी: *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है

ऽसूचना मध्य प्रदेश में शामिल

**सूचना बिहार में शामिल

#सूचना उत्तर प्रदेश में शामिल

@आंकड़े 50 से कम हो सकता है पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

[हिन्दी]

हस्देव बांगों सिंचाई परियोजना

3531. श्री पुन्नू लाल मोहले: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का छत्तीसगढ़ की हस्देव बांगों परियोजना के बाएं तट की नहर का नक्शा तैयार करने और निर्माण कार्य को टर्नकी आधार पर निजी क्षेत्र को दिए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत नक्शे में मनमाना परिवर्तन करने का अधिकार राज्य सरकार को है; और

(घ) यदि नहीं, तो किस आधार पर हस्देव बांगों परियोजना के नक्शे को बदला जा रहा है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुनचरण सेठी): (क) और (ख) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के साथ-साथ सिंचाई परियोजनाओं की प्राथमिकता, निष्पादन, प्रचालन एवं रखरखाव सहित इसकी आयोजना, अन्वेषण, वित्तपोषण की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों की होती है। यह सूचित किया गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने फरवरी, 2002 में टर्नकी आधार पर 178.70 करोड़ रुपए की लागत पर लगभग 62 हजार हैक्टेयर की सिंचाई के लिए फेज 3 व फेज 4 की नहर प्रणाली को शामिल करते हुए हसदेव बांगों बहुउद्देश्यीय परियोजना के शेष कार्यों को एक निजी अभिकरण को सौंपा है जिसको 15 महीनों की अवधि में पूरा किया जाना है।

(ग) और (घ) निवेश स्वीकृति हेतु राज्य सरकारों से प्राप्ति परियोजना प्रस्तावों का केन्द्रीय जल आयोग मूल्याकंन करता है। राज्यों के केन्द्रीय डिजाइन संगठन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में डिजाइन का विवरण मुहैया करते हैं, जिनका आवश्यकता के अनुसार केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। केन्द्रीय जल आयोग से दिनांक 12.1.2001 को प्राप्त 1043.88 करोड़ रुपए के लागत वाली हसदेव बांगों बहुउद्देश्यीय परियोजना (छत्तीसगढ़) का संशोधित आकलन, मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में है।

[अनुवाद]

पंचकुला में मोरनी पहाड़ियों का विकास

3532. श्री रतन लाल कटारिया: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंचकुला जिले की मोरनी पहाड़ियों के ताल पर्यटन की दृष्टि से ऐतिहासिक रूप में प्रसिद्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मोरनी पहाड़ियों के विकास और सौन्दर्यकरण का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 2001-02 के दौरान मोरनी पहाड़ियों तथा टिक्कर ताल क्षेत्र के विकास हेतु एक परियोजना के लिए 25.00 लाख रुपयों की वित्तीय सहायता मंजूर की गई।

नागर विमानन सुरक्षा अकादमी

3533. श्री आर.एल. जालप्पा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक सरकार ने प्रस्तावित नागर विमानन सुरक्षा प्रशिक्षण अकादमी के लिए 50 एकड़ भूमि मुहैया कराने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रस्तावित नागर विमानन सुरक्षा आकादमी बंगलौर में स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इस उद्देश्य के लिए दिल्ली में आवंटित भूमि पर अकादमी स्थापित करने का निर्णय पहले ही ले लिया गया है।

दुग्ध उत्पादन

3534. श्री गंता श्रीनिवास राव:
श्री गुनीपाटी रामैया:
श्री जे. एस. बराड:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हुए दुग्ध उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार ने वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश को सहायता प्रदान की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त अवधि के दौरान दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जैसा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) दो प्रमुख योजनाओं के तहत राज्य-वार जारी धनराशि का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) जैसा कि विवरण-II में दिया गया है।

(च) उक्त अवधि के दौरान राज्य में दुग्ध उत्पादन के लक्ष्य पूरी तरह हासिल किए गए हैं।

विवरण-I

अनुमानित दुग्ध उत्पादन— 1999-2000 से 2001-2002— राज्य-वार

(000 टन)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1999-2000*	2000-01*	2001-02**
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	5122	5521	5145
2.	अरुणाचल प्रदेश	45	45.5	55
3.	असम	733	738	894
4.	बिहार	3740	3878	4068
5.	गोवा	43	44	47
6.	गुजरात	5255	5317	5573
7.	हरियाणा	4679	4849	4976
8.	हिमाचल प्रदेश	741	760	810
9.	जम्मू व कश्मीर	1286	1037	1088

1	2	3	4	5
10.	कर्नाटक	4473	4598	5357
11.	केरल	2673	2771	2907
12.	मध्य प्रदेश	5600	5806	6091
13.	महाराष्ट्र	5706	5850	6024
14.	मणिपुर	67	69	73
15.	मेघालय	62	64	71
16.	मिजोरम	18	14	11
17.	नागालैंड	49.5	50	54
18.	उड़ासा	847	875	865
19.	पंजाब	7700	7984	8375
20.	राजस्थान	7260	7455	6330
21	सिक्किम	35	35.5	46
22.	तमिलनाडु	4574	4899	4629
23.	त्रिपुरा	49	51	53
24.	उत्तर प्रदेश	14153	14840	16506
25.	पश्चिम बंगाल	3465	3470	4079
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	23	24	25
27.	चंडीगढ़	42	44	46
28.	दमन व दीव	10	10	11
29.	दादर व नगर हवेली	1	1	1
30.	दिल्ली	290	292	321
31.	लक्षद्वीप	1	1	1
32.	पांडिचेरी	36	37	38
	अखिल भारत	78779	81430	84570

*अनन्तिम

**प्रत्याशित उपलब्धि

स्रोत: राज्य/संघ शासित प्रदेश पशुपालन विभाग

विवरण-II

1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना के तहत जारी धनराशि

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	1999-2000	2000-01	2001-02
1.	आंध्र प्रदेश	10.48	891.25	741.75
2.	अरुणाचल प्रदेश	10.00	140.00	0.00
3.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	274.00
4.	गुजरात	30.00	0.00	0.00
5.	हरियाणा	535.07	523.00	323.00
6.	हिमाचल प्रदेश	481.00	0.00	0.00
7.	जम्मू व कश्मीर	243.35	0.00	0.00
8.	कर्नाटक	525.49	0.00	0.00
9.	केरल	198.79	27.50	209.75
10.	मध्य प्रदेश	0.00	331.34	829.47
11.	महाराष्ट्र	10.96	10.48	0.00
12.	मणिपुर	127.35	67.75	0.00
13.	मिजोरम	64.70	0.00	18.93
14.	नागालैंड	13.27	0.00	97.30
15.	उड़ीसा	376.94	0.00	40.00
16.	पंजाब	378.15	501.00	0.00
17.	राजस्थान	0.00	0.00	559.30
18.	सिक्किम	0.00	0.00	168.93
19.	तमिलनाडु	26.54	0.00	0.00
20.	त्रिपुरा	116.78	0.00	0.00
21.	उत्तरांचल	0.00	0.00	248.00
22.	पश्चिम बंगाल	156.79	0.00	677.02
	अखिल भारत	3305.66	2492.32	4187.45

1999-2000, 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान एकीकृत डेयरी विकास परियोजना के तहत जारी धनराशि

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	1999-2000	2000-01	2001-02
1.	आंध्र प्रदेश	0	191.49	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	33.62	0	0
3.	असम	0	0	149.34
4.	बिहार	4860	8289	64.47
5.	छत्तीसगढ़	0	0	479.2
6.	हरियाणा	0	0	38.75
7.	हिमाचल प्रदेश	157.00	100.00	200.00
8.	जम्मू और कश्मीर	108.20	0	0
9.	मध्य प्रदेश	0	200.00	0
10.	महाराष्ट्र	517.02	645.49	500.00
11.	मेघालय	0	143.92	0
12.	मिजोरम	89.49	0	59.17
13	नागालैंड	53.15	62.27	132.07
14.	उड़ीसा	0	238.43	0
15.	सिक्किम	64.26	134.79	217.58
16.	त्रिपुरा	1.0	0	56.51
17.	सिक्किम	0	186.30	217.58
18.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	20.00	45.90	45.00
	अखिल भारत	1091.34	2031.48	2027.07

इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्री सुविधाएं

3535. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:
श्री चन्द्र विजय सिंह:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, नई दिल्ली के आगमन लाज पर खराब यात्री सुविधाओं जैसे, चलती सीढ़ी (एस्केलेटर्स) का कार्य न करना, लग्गेज तथा कस्टम संग्रहण केन्द्रों पर अधिकारियों का ड्यूटी से अनुपस्थित रहना तथा वहां गन्दगी होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं में कुछ सुधार करने का प्रयास कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त कार्य पूर्ण हो गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं; और

(च) कब तक शेष कार्य के पूर्ण होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) हवाई अड्डे पर एस्केलेटर्स ठीक तरह से कार्य कर रहे हैं और यात्रियों की सुरक्षा एवं बेहतर कार्य क्षमता हेतु इन्हें शिड्यूल के आधार पर समय-समय पर मरम्मत हेतु बंद कर दिया जाता है। बैगेज और सीमा शुल्क कलैक्शन केन्द्र पर अधिकारियों की अनुपस्थिति के बारे में कोई शिकायत नहीं है। सेना स्तर में कमियों के मामले को संबंधित एजेंसियों के साथ उठाया गया है औक 'हवाई अड्डा सुविधा समिति' की बैठकों में समीक्षा की गई है। सफाई के उच्च स्तर को बनाए रखने हेतु सभी प्रयास किए गए हैं।

(ख) से (च) सम्पूर्ण कमियों एवं सेवा स्तरों में सुधार हेतु कई कदम उठाए गए हैं जैसे कि ट्रांसिट क्षेत्र सुरक्षा होल्ड क्षेत्र और टर्मिनल-2 के आगमन हाल ही में सीटें उपलब्ध करवाना, एक हवाई अड्डे से दूसरे जहाज पर समय पर जाने हेतु अच्छी कोचें उपलब्ध करवाना और उनका उड़ानों के समय के अनुकूल होना, टर्मिनल-2 में एक बड़ा एक्वेरियम लगाया गया है, पुरानी टी.वी. और सी.सी.टी.वी. हटा दिए गए हैं, ट्रांसिट यात्रियों के वायु क्षेत्र से बाधारहित ट्रांसफर हेतु नयी प्रणाली को पूरा करना और टर्मिनल I-बी पर ए.टी.एम. प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है, आई.टी.डी.सी., डी.टी.टी.डी.सी. काऊंटरों का नवीनीकरण, आगंतुक क्षेत्र और ट्रांसिट क्षेत्र में इंटरनेट किओस्क, आराम कक्षों की पुनर्सजावट, स्टेट आफ द आर्ट दूरसंचार केन्द्र की स्थापना, घरेलू टर्मिनल में नए रेलवे आरक्षण केन्द्र की स्थापना, आगमन हाल में नए बैगेज कन्वेयर सिस्टम की पुनर्सज्जा और बेल्टों की अतिरिक्त लम्बाई सहित स्थापना, विश्वस्तरीय फास्ट फूड आउटलेटों की स्थापना और अतिरिक्त यात्री सामान ट्रालियां उपलब्ध करवाना आदि शिड्यूल के अनुसार प्रगति पर है और शुरू किए गए अधिकांश कार्य पूरा होने के अंतिम चरण में हैं।

रिक्त आरक्षित पद

3536. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अपने मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संस्थाओं और सम्बद्ध कार्यालयों में नियुक्तियों और पदोन्नतियों विशेषकर राजपत्रित नौकरियों और श्रेणी-1 और श्रेणी-2 के रोजगारों में आरक्षण नीति का पालन सख्ती से कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संस्था-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) आरक्षित श्रेणी के पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या सरकार को अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित श्रेणी-1 और 2 के पदों को भरने में कठिनाई हो रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस प्रकार के रिक्त पदों को तुरंत भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

महानगरीय मार्गों की उड़ानों में वृद्धि

3537. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न महानगरीय मार्गों की इंडियन एअर लाइन की उड़ानों में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो 2003-04 के दौरान सुझाए गए प्रस्ताव क्या हैं;

(ग) इन महानगरीय मार्गों पर प्रस्तावित अतिरिक्त उड़ानों को कब तक प्रारंभ किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

गंगा नदी के तटों का सौंदर्यकरण

3538. डा. (श्रीमती) सुधा यादव: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गंगा नदी के तटों के सौंदर्यकरण के लिए कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है; और

(घ) इससे सरकार और जनता को क्या लाभ होने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (घ) गंगा नदी के तटों के सौन्दर्यीकरण हेतु कोई अलग योजना नहीं बनाई गई है। तथापि, गढ़मुतेश्वर-बृजघाट के विकास हेतु 2.21 करोड़ रुपए की राशि का एक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त हुआ है। उनसे और ब्यौरे प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। इस विभाग ने ऋषिकेश में गंगा नदी के साथ-साथ भू-दृश्यांकन एवं विकास तथा हरिद्वार के लिए ग्रीन ग्रेट विस्टा के विकास हेतु भी 4.93 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं।

[अनुवाद]

मूर्तियों की चोरी

3539. श्री चन्द्र विजय सिंह: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली के किंग्सवे कैम्प से ब्रिटिश काल की बहुमूल्य प्रतिमाओं के चोरी होनी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इन महत्वपूर्ण कलाकृतियों की पुन: प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या इन प्रतिमाओं को सुरक्षित रखने के लिए इन्हें केन्द्रीय दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय के समीप स्थानांतरित करने पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) जी नहीं। महानिदेशक, निर्माण कार्य, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मूर्ति-चोरी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा

3540. श्रीमती जयश्री बैनर्जी:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्रीमती जया बहन बी. ठक्कर:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र के मजदूरों को होने वाले लाभों की तुलना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने संगठित क्षेत्र के मजदूरों को प्रदान किये जाने वाले विभिन्न लाभों तथा सामाजिक सुरक्षा लाभों को असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी उपलब्ध कराने के लिए कोई व्यापक योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कब तक इस योजना के कार्यान्वित किये जाने की संभावना है और उससे कितने मजदूरों को लाभ होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) से (घ) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (नैसो) द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में लगभग 39.6 करोड़ असंगठित क्षेत्र में हैं। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 आदि जैसे मौजूदा सामाजिक सुरक्षा कानून सभी कर्मकारों पर लागू हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम जिसके द्वारा चिकित्सा देखरेख की व्यवस्था की गई है, केवल संगठित क्षेत्र के कर्मकारों पर लागू है। श्रम मंत्रालय द्वारा गठित कल्याण निधि से बीड़ी कर्मकारों, सिने कर्मकारों और गैर-कोयला खान कर्मकारों जैसे असंगठित क्षेत्र के कतिपय कर्मकारों को चिकित्सा लाभ प्रदान किया जाता है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जनश्री बीमा योजना आदि जैसे विभिन्न योजनाओं के तहत भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।

राज्य सरकारें भी कर्मकारों के लिए स्कीमें और कार्यक्रम चलाती हैं। तथापि, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों की अपर्याप्तता को ध्यान में रखते हुए सरकार का असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा सुनश्चित करने के लिए कानून लाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

भू-जल के उपयोग को विनियमित करना

3541. श्री प्रवीण राष्टूपाल: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नियम और विनियम बनाकर भू-जल के उपयोग को विनियमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संपूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ वर्ष पूर्व सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक आदर्श भू-जल विनियमन विधेयक अनुसरण के लिए परिचालित किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस विधेयक पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुनचरण सेठी): (क) और (ख) जल राज्य का विषय होने के कारण, भूमि जल के उपयोग को विनियमित करने के लिए उपयुक्त कानून राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बनाए जाते हैं। फिर भी भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में केन्द्र सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत देश में भूमि जल का विनियमन एवं नियंत्रण, प्रबंधन एवं विकास करने के लिए एवं इस उद्देश्य के वास्ते अनिवार्य विनियामक निर्देश जारी करने के लिए केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण का गठन किया है।

(ग) जी, हां। भूमि जल को विनियमित एवं इसके विकास को नियंत्रित करने के लिए केन्द्र सरकार ने 1970 से सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक माडल बिल परिचालित किया है एवं इसे अपनाने के लिए 1992 एवं 1996 में पुनर्परिचालित किया गया।

(घ) अब तक आन्ध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु, केरल एवं संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप की राज्य सरकारों ने माडल बिल के अनुरूप कानून बना दिया है एवं असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पांडिचेरी, और दमन एवं दीव की राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इस दिशा में कार्रवाई शुरू की है।

मत्स्य उत्पादन

3542. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय समुद्रों में मछली पकड़ने में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मत्स्य उत्पादन में सुधार के लिए क्या कदम प्रस्तावित हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) पिछले वर्ष की तुलना में 2000-01 के दौरान समुद्री मछली के उत्पादन में थोड़ी कमी आई थी। तथापि, बाद के वर्ष में नीचे दिए गए आंकड़ों के अनुसार उत्पादन में पुन: वृद्धि देखने को मिली है:

वर्ष	समुद्री मछली का उत्पादन (लाख मीट्रिक टन)
1999-2000	28.52
2000-01	28.10
2001-02	28.30

(ग) महासागरीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग जलकृषि बढ़ाने तथा तटवर्ती समुद्री संसाधनों का सतत विकास कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए अभिज्ञात किया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के प्रस्ताव

3543. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री अनंत कुमार नायक:
श्री अरुण कुमार:
प्रो. ए. के. प्रेमाजम:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विगत तीन वर्षों के दौरान आज तक अनुमोचित जिलों सहित राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार के विचाराधीन/लम्बित प्रस्तावों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किये जाने की संभावना है; और

(घ) इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों को दी जाने वाली प्रस्तावित वित्तीय सहायता कितनी है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना हेतु किसी राज्य सरकार (अनुसूचित जिलों समेत) से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। वैसे इस प्रयोजन हेतु संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामित राज्य नोडल एजेंसियां अपने राज्यों के गैर-सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्रों आदि से प्राप्त प्रस्ताव अग्रेषित कर रही हैं। इन प्रस्तावों पर विचार किया जाता है बशर्ते कि वे तकनीकी तौर पर व्यवहार्य एवं वित्तीय तौर पर साध्य हों। इस प्रकार, विचारार्थ प्रस्तावों की संख्या उनकी व्यवहार्यता पर निर्भर करती है। किसी निर्दिष्ट समय सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता क्योंकि इन प्रस्तावों पर उपर्युक्त दोनों पहलुओं से विस्तृत मूल्यांकन करना होता है।

(घ) इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है।

मांडवी में हवाई अड्डा

3544. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गुजरात (कच्छ) में मांडवी हवाई अड्डा निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए 1500×40 मीटर की हवाई पट्टी के निर्माण की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक इसके चालू होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) मांडवी के निकट दो हवाई अड्डे हैं। भुज हवाई अड्डा और कांडला हवाई अड्डे की मांडवी से वैमानिकी दूरी क्रमश: 90 कि.मी. और 55 कि.मी. है। मौजूदा नीति के अनुसार, किसी मौजूदा हवाई अड्डे से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की वैमानिकी दूरी 150 कि.मी. के भीतर पड़े तो उसे सामान्यत: अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस तरह, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का मांडवी (कच्छ) में कोई हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

पाण्डुलिपियों की तस्करी

3545. श्री ब्रह्मानंद मंडल: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को प्राचीन भारतीय पाण्डुलिपियों के यूरोपीय राष्ट्रों को तस्करी किये जाने की खबर छपने की जानकारी है, जैसाकि दिनांक 14 फरवरी, 2003 के 'नवभारत टाइम्स' में खबर आई;

(ख) यदि हां, तो अब तक भारत के कुल कितनी प्राचीन भारतीय पाण्डुलिपियों की तस्करी हुई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उन्हें पुन: प्राप्त करने का प्रयास कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन प्राचीन विरासतों के तस्करों को दण्डित करने का कोई विशेष सांविधिक प्रावधान है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसा कोई विधेयक लाने का है जिससे कि इन प्राचीन विरासतों की तस्करी को रोका जा सके; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (घ) स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व, पाण्डुलिपियों समेत एक बड़ी संख्या में सांस्कृतिक वस्तुएं भारतीय उप-महाद्वीप से विश्व के विभिन्न भागों में ले जाई गई थीं। ये वस्तुएं असंख्य संग्रहालयों और प्राइवेट संग्रहों में बिखरी हुई हैं। ऐसी वस्तुओं की वापसी के लिए कोई अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा नहीं थी। इसके अलावा, भारतीय उप-महाद्वीप के विभाजन के कारण इन वस्तुओं के मूल देश के बारे में प्रतिस्पर्धी दावे होंगे। इस दृष्टि से ऐसी वस्तुओं का कोई सम्पूर्ण रिकार्ड बनाने में न केवल समय लगेगा और समस्यायें पैदा होंगी बल्कि, जहां तक वापसी का संबंध है, इसके कोई व्यवहारिक परिणाम भी निकलने की संभावना नहीं है।

(ङ) से (ज) पुरावशेष (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम, 1947 को 1947 में प्रख्यापित किया गया था, जिसका ध्यान बाद में पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 के अधिनियमन ने ले लिया। इस अधिनियम के अधीन, अवैध निर्यात एक अपराध है। इसके अलावा, इस अधिनियम के अंतर्गत पाण्डुलिपियों का पंजीकरण आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, सांस्कृतिक सम्पत्ति का अवैध आयात, निर्यात तथा स्वामित्व के हस्तांतरण को निषिद्ध करने तथा रोकने के संबंध में यूनेस्को कन्वेशन पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के संबंध में, कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई शुरू की जा सकती है। भारत इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने वाला एक देश है। जहां कहीं देश के बाहर अवैध रूप से ले जाई गई वस्तुओं के मामलों की सूचना मिली है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कार्रवाई करता रहा है और कर रहा है।

[अनुवाद]

व्यय सीमा में वृद्धि

3546. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार सहित राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से प्रति आई.पी. परिवार यूनिट प्रतिवर्ष कर्मचारी राज्य बीमा योजना की व्यय सीमा में वृद्धि करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) जी, हां।

(ख) गुजरात सरकार के साथ-साथ कई राज्य सरकारों ने चिकित्सा देखरेख की वित्तीय सीमा को वर्तमान उच्चतम सीमा 600 रुपए प्रति आई पी परिवार की यूनिट से बढ़ाए जाने का अनुरोध किया है। हाल ही वित्तीय सीमा को बढ़ाकर प्रतिवर्ष 700 रुपए प्रति आई पी परिवार यूनिट किए जाने का निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

बोकारो इस्पात संयंत्र

3547. प्रो. रीता वर्मा: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षा ने बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा विभिन्न संगठनों को किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करके ऋण या ब्याज धनराशि को लौटाकर भूमि आबंटित करने पर आपत्ति की है;

(ख) यदि हां, तो 15 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय या बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रबंधन ने इस पर कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, मामले-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) जी हां। प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा, रांची ने बोकारो इस्पात संयंत्र (बी एस एल) द्वारा आठ संस्थानों को मामूली किराए पर भूमि और बहुत ही कम ब्याज दर पर ऋण के प्रावधानों के संबंध में बोकारो इस्पात संयंत्र को पत्र लिखा था।

(ग) से (ङ) जी, हां। ऋण की वापसी के लिए बी एस एल द्वारा जोरदार ढंग से प्रयास किए जा रहे हैं और संस्थाओं को चेतावनी दी गई है कि वापसी में लगातार चूक होने पर पट्टे तो निरस्त करने सहित गंभीर परिणाम होंगे।

बाबतपुर से अंतर्राष्ट्रीय सेवायें

3548. डा. बलिराम: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के बाबतपुर हवाई अड्डे से सिंगापुर, टोकयों, बैंकाक और सऊदी अरब के लिए अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रारंभ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) वाराणसी से सिंगापुर, टोकियो, बैंकाक और सऊदी अरब के लिए नए अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन शुरू करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

पर्यटन सरकिटों का विकास

3549. श्री अमर राय प्रधान: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार प. बंगाल के दार्जिलिंग जलडापरा और कूचबिहार तथा सिक्किम के गंगटोक में पर्यटन और सांस्कृति केन्द्रों को जोड़कर पर्यटन सरकिटों को विकसित करने का है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने दसवीं योजना के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में पर्यटन परिपथों के एकीकृत विकास एवं उत्पाद/अवसंरचना एवं गंतव्य विकास हेतु एक योजना तैयार की है। दसवीं योजना के पहले वर्ष 2002-2003 में दार्जिलिंग को पर्यटक गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए निम्नलिखित कार्य मंजूर किए हैं:-

क्रम सं.	कार्य की मद	स्वीकृत राशि (रुपए)
1.	नाइटेंगल पार्क, दार्जिलिंग में सरूबरी का एकीकृत विकास	1,45,16,835.00
2.	दार्जिलिंग में ऐतिहासिक स्मारकों का प्रदीप्तिकरण	39,47,425.00
3.	पेसाक वेसाइड इन, दार्जिलिंग के पास व्यू पाइंट का निर्माण और सौन्दर्यीकरण	7,68,220.00
4.	दिलाराम वेसाइड इन, दार्जिलिंग के पास व्यू पाइंट का निर्माण और सौन्दर्यीकरण	642,000.00
5.	कार पार्क बिलो सिल्वर फीर, दार्जिलिंग	2,36,000.00
	कुल	2,01,10,480.00

सिक्किम को पर्यटक गंतव्य के रूप में विकसित करने हेतु निम्नलिखित कार्यों को भी मंजूरी प्रदान की गई है:-

क्रम सं.	कार्य की मद	स्वीकृत राशि (रुपए लाखों में)
1.	चोपटा वैली में टूरिस्ट लॉज	63.21
2.	लाचेन में पर्यटन सूचना केन्द्र	8.87
3.	रमटेक में पर्यटक अवसंरचना का विकास	74.00
4.	दुर्पेनेदारा, चाकूंग में पर्यटक अवसंरचना का विकास	82.30
5.	पैडल बोट्स की खरीद	7.20
	कुल	235.58

वर्ष 2002-2003 में जलडापरा और कूच बिहार के लिए कोई परियोजना मंजूर नहीं की गई है।

प्राणी उद्यान

3550. श्री किरीट सोमैया: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने डा. प्रकाश आम्टे को एक प्राणी उद्यान और अनाथालय को चिड़ियाघर के रूप में चलाने के लिए कोई नोटिस जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विभाग ने अपने निर्णय की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) और (ख) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सी जेड ए) ने 20.5.1997 को डा. प्रकाश आम्टे के प्राणी उद्यान और अनाथालय की मान्यता के लिए मना किया था क्योंकि प्राणियों का आवास और रखरखाव ''चिड़ियाघर नियमों की मान्यता'' के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप नहीं था। परिणामत:, उप वन्यजीव वार्डन, भामरागढ़ (महाराष्ट्र) द्वारा प्राणियों को वन विभाग को सौंपने के लिए, डा. प्रकाश आम्टे को नोटिस जारी किया गया था।

(ग) और (घ) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने 4.12.2002 को हुई अपनी बैठक में गैर मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों के सभी मामलों को, संभावित पुन: प्रवर्तन और पुन: मान्यता देने के लिए पुन: विचार करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के अनुसरण में, सी, डब्ल्यू.एल.डब्ल्यू, महाराष्ट्र को केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने दिनांक 6.2.2003 के अपने पत्र के द्वारा राज्य में डा. आम्टे अनाथालय सहित मान्यता रद्द किए गए चिड़ियाघरों के मामलों की समीक्षा करने का पहले ही अनुरोध किया गया है।

खाद्यान्न/कृषि उत्पादन में कमी

3551. **श्री प्रबोध पण्डा:**
श्री राधा मोहन सिंह:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश का कृषि उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2002-2003 के दौरान 18.3 प्रतिशत से घटाकर 13.9 प्रतिशत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इसके कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराएगी;

(घ) क्या खाद्यान्न उत्पादन में आई कमी से इस वर्ष खाद्यान्न का कोई संकट उत्पन्न होगा; और

(ङ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाया जाए और किसानों को अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार, पशुपालन, वानिकी और मत्स्यन सहित कृषि क्षेत्र की विकास दर वर्ष 2001-02 में 5.7 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2002-03 में (-)3.1 प्रतिशत हो गई। फरवरी 2003 में जारी उत्पादन अनुमानों के अनुसार, खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2001-02 में 212.02 मिलियन मीटरी टन से गिरकर वर्ष 2002-03 में 183.17 मिलियन मीटरी टन हो गया जिससे वर्ष 2001-02 में 60.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2002-03 में (-)13.6 प्रतिशत तक वृद्धि दर में गिरावट देखी गई है।

(ग) कमी के कारणों का पता लगाने के लिए विशेष अध्ययन कराए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु, कृषि और सहकारिता विभाग में फसल मौसम निगरानी दल, जिसमें कृषि और सहकारिता विभाग, जल संसाधन मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग आदि से विशेषज्ञ शामिल हैं, फसल संभावनाओं के निरंतर प्रबोधन के लिए प्रत्येक सप्ताह बैठक करते हैं। वर्ष 2002-03 में कृषि उत्पादन में अनुमानित कभी गंभीर सूखे के कारण थी, जिसने देश के विभिन्न राज्यों को प्रभावित किया।

(घ) बफर स्टाक प्रावधानों से काफी अधिक खाद्यान्नों के पर्याप्त भण्डार की उपलब्धता को देखते हुए खाद्यान्न उत्पादन में कमी के कारण कोई संकट की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी।

(ङ) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, विभिन्न फसल उत्पादन स्कीमों जैसे चावल, गेहूं और मोटे अनाजों के लिए एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम, प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम और बीज मिनिकिट स्कीम का कार्यान्वयन दसवीं योजना के दौरान किया जा रहा है। प्रमुख स्रवण क्षेत्रों से पानी के वह जाने को कम करने, भूमि क्षमता तथा आर्द्रता व्यवस्था में सुधार करने के लिए सरकार ''नदी घाटी परियोजनाओं/बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में अवक्रमित भूमियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण'' और ''झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना'' नामक स्कीमें कार्यान्वित कर रही हैं। इसके अलावा, नौवीं योजना के दौरान अपनाई गई क्षेत्रीय रूप से भिन्नित नीति को दसवीं योजना के दौरान जारी रखा जाएगा। एक नई पहल के रूप में ''पूर्वी भारत में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए आन फार्म जल प्रबंधन'' नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम

वर्ष 2001-02 और दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए मार्च 2002 में आरंभ की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य भूजल/सतही जल का उपयोग करना और कुशल जल उपयोगिता तथा प्रबंधन को बढ़ावा देना है ताकि पूर्वी भारत में फसल उत्पादन बढ़ाया जा सके। इनके अलावा, सरकार ने नई प्रौद्योगिकियों के विकास और संवर्धन पर जोर देना, कृषि ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के उपायों, मण्डी सूचना तंत्र, राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम आदि जैसी विभिन्न अन्य पहल की हैं। सरकार मूल्य नीति के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित करती है जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्यों का कार्यान्वयन, सार्वजनिक एजेन्सियों द्वारा खरीद आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

कोल्ड स्टोरेज

3552. प्रो. दुखा भगत:
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या किसी भी जनजातीय बहुल क्षेत्र में कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (घ) कृषि और सहकारिता विभाग इस विभाग के एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से ''बागवानी उत्पादन के लिए शीतागारों और भंडारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम'' नामक एक योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत, प्रति परियोजना 50.00 लाख रुपये से अनधिक परियोजना लागत के 25% की दर पर और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रति परियोजना 60.00 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तक परियोजना लागत 33.33% की दर पर बैक-एन्डेड पूंजी निवेश राजसहायता के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने वर्ष 1999-2000 से 2002-2003 के दौरान जनजातीय प्रधानता वाले क्षेत्रों सहित देश में 680 शीतागारों की स्थापना के लिए सहायता दी है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता।

किसानों के लिए नई सिंचाई परियोजनाएं

3553. श्री शिवराजसिंह चौहान: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के छोटे और सीमांत किसानों के लाभ हेतु नई सिंचाई परियोजनाओं को क्रियान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजनाओं को समुचित तरीके से क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उक्त परियोजनाओं हेतु वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को आबंटित की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) छोटे और सीमांत किसानों के लाभ के लिए सिंचाई परियोजनाओं संबंधी एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम अर्थात् पूर्वी भारत में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए आन फार्म जल प्रबंधन मार्च 2002 से दस पूर्वी राज्यों अर्थात् असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों, मिजोरम, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के तहत छोटे और सीमांत किसानों को पंपिंग सैटों के साथ उथले ट्यूबवैल के निर्माण, सामुदायिक लिफ्ट सिंचाई बिन्दुओं, विद्युत/डीजल पानी के पंपिंग सैटों और पठारी क्षेत्रों में कुओं की खुदाई के लिए वित्तीय सहायता मुहैया की जाती है।

यह स्कीम कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से लाभानुभोगियों से 20% अंशदान, भारत सरकार से 30% अंशदान और शेष 50% लाभानुभोगियों को ऋण की वित्तीय पद्धति से कार्यान्वित की जाती है।

योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रबोधन के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त/प्रधान सचिव (कृषि) की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय प्रबोधन समिति तथा, राष्ट्रीय स्तर पर सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग की अध्यक्षता तथा नाबार्ड, जल संसाधन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा संबंधित राज्यों के कृषि/लघु सिंचाई विभाग के सचिवों के प्रतिनिधियों वाली एक केन्द्रीय स्तर की समन्वयन समिति है।

(ग) परियोजना प्रस्तावों और कोषों की उपलब्धता को देखते हुए ही राज्यों को कोषों का आबंटन किया जाता है। वर्ष 2001-2002 के दौरान भारत सरकार के अंशदान के रूप में नाबार्ड को 15.00 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गयी थी। वर्ष 2002-03 के दौरान भी परियोजना के अन्तर्गत कवर किए गए राज्यों को भारत सरकार के अंश के रूप में 115.00 करोड़ रु. की राशि अनन्तिम रूप से आबंटित की गयी थी। वर्ष 2002-03 के लिए अनन्तिम आबंटन के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में प्रस्तुत हैं।

विवरण

वर्ष 2002-03 के दौरान पूर्वी भारत में बढ़ते हुए फसल उत्पादन के लिए आन फार्म जल प्रबंध के लिए राज्य-वार अनन्तिम आबंटन

क्र.सं.	राज्य का नाम	अनन्तिम आबंटन (लाख रु. में)
1.	असम	897.00
2	बिहार	4140.00
3.	झारखंड	1225.00
4.	छत्तीसगढ़	537.00
5.	उड़ीसा	1380.00
6.	उत्तर प्रदेश (पूर्वी)	1917.00
7.	पश्चिम बंगाल	920.00
8.	अरुणाचल प्रदेश	173.00
9.	मणिपुर	173.00
10.	मिजोरम	138.00
	कुल	11500.00

बाल श्रम की प्रतिशतता

3554. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री शिवाजी माने:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख में बाल श्रम की प्रतिशतता संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार बाल श्रम को समाप्त करने के लिए विदेशी सहायता को स्वीकार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) 1991 में देश में कामकाजी लोगों की कुल संख्या 314 मिलियन थी, जिसमें से 11.28 मिलियन कामकाजी बच्चे थे, जो 3.59% बैठता है।

(ख) और (ग) 1992-2001 की अवधि के दौरान भारत के लिए आइपेक के तहत प्रदत्त, बजट आबंटन एवं प्रतिबद्धता 6.9 मिलियन अमरीकी डालर थी। इस अवधि के दौरान संवितरित राशि 5.6 मिलियन अमरीकी डालर रही है।

जानवरों और पक्षियों की मौतें

3555. श्री राम प्रसाद सिंह: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में सिंह/एशियाई सिंहों, बाघों, बाघिनों, भालुओं, गेन्डों, हाथियों आदि और पक्षी जैसे महत्वपूर्ण जंगली जानवरों का राज्य-वार अभयारण्य-वार संख्यात्मक रिकार्ड क्या है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इनकी संख्या में किस सीमा तक वृद्धि/कमी हुई है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में बड़ी संख्या में ये जानवर और पक्षी मारे गए हैं या मरे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार और राष्ट्रीय जैविक उद्यान/अभयारण्य/संरक्षित क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) यदि कोई जांच कराई गई है, तो इसके क्या परिणाम सामने आए हैं और प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाही की गई है; और

(च) इनके संरक्षण/इनकी सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) और (ख) पिछली तीन निरंतर गणनाओं के अनुसार वन्यजीवों की महत्वपूर्ण प्रजातियों की अनुमानित संख्या विवरण-I में दी गई है।

(ग) और घ) बाघ, तेन्दुआ, शेर, गैण्डा, हाथी और मोर के संबंध में अवैध शिकार के राज्यवार सूचित मामले विवरण-II में दिए गए हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय प्राण उद्यान, दिल्ली में बाघों, शेरों, भालुओं, हाथियों, गैंडों और पक्षियों की मृत्यु की संख्या नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	वर्ष	वाघ	शेर	भालू	हाथी	गैंडा	पक्षी	योग
1.	1999-2000	शून्य	1	2	शून्य	शून्य	36	39
2.	2000-01	7	3	1	शून्य	2	35	48
3.	20001-02	शून्य	2	शून्य	1	2	18	23

वृद्धावस्था से जुड़ी बीमारी के कारण हुई मृत्यु के अतिरिक्त इन जानवरों की मौत के प्रमुख कारण आन्त्रशोध, आपसी भिड़न्त में चोट, फेफड़े का संक्रमण और तपेदिक हैं।

(ङ) और (च) अवैध शिकार के मामले में अपराधियों का पता लगाने, छानबीन करने और उन पर मुकदमा चलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि जानवरों और पक्षियों के संरक्षण और इनकी सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा गई कदम उठाए गए हैं। विस्तृत सूची विवरण-III में दी गई है।

विवरण I

महत्वपूर्ण वन्यजीवों की गणना—राज्य-वार

क्र.सं.	राज्य का नाम	बाघ			तेंदुआ			शेर			हाथी			गैंडा			शंघाई		
		1993	1997	2001-02	1989	1993	1997	1995	2000	2001	1993	1997	2001	1991	1993	1998-99	1995	1996	1997
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	अंडमान निकोबार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-	-	55	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	आंध्र प्रदेश	197	171	192	301	152	138	शून्य	शून्य	शून्य	46	57	73	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	अरुणाचल प्रदेश*	180	180	एन आर	121	98	98*	शून्य	शून्य	शून्य	2500	2102	1607	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	असम	325	458	354	123	246	246*	शून्य	शून्य	शून्य	5500	5312	5312	1250	1440	1684	शून्य	शून्य	शून्य
5.	बिहार/झारखंड	137	103	76	134	203	203*	शून्य	शून्य	शून्य	550	618	618	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	छत्तीसगढ़	उ.ज्ञ.	उ.ज्ञ.	227	-	-	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	गोवा दमन और दीव	3	6	5	18	31	25	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.	गुजरात	5	1	शून्य	702	772	832	304	310-320	322-332	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	हरियाणा*	शून्य	शून्य	शून्य	19	25	25*	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.	हिमाचल प्रदेश*	शून्य	शून्य	-	199	821	821*	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.	झारखंड	ला.ज्ञ.	ला.ज्ञ.	34	ला.ज्ञ.	ला.ज्ञ.	ला.ज्ञ.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12.	कर्नाटक*	305	350	401	283	455	620	शून्य	शून्य	शून्य	5500	6088	6088	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13.	केरल	57	73	71	27	16	उ.ज्ञ.	शून्य	शून्य	शून्य	3500	5737	5737	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
14.	मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	912	927	710^	2036	1700	1851	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15.	महाराष्ट्र	276	257	238	580	417	431	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16.	मणिपुर	शून्य	शून्य	एन आर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	12	शून्य	शून्य	शून्य	152	143	147
17.	मेघालय	53	63	47	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2750	1840	1840	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18.	मिजोरम	28	12	28	38	49	28	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	28	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19.	नागालैंड*	83	83	23	72	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	147	147	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
20.	उड़ीसा	226	194	173	279	378	422	शून्य	शून्य	शून्य	1750	1827	1827	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
21.	राजस्थान	64	58	58	461	475	474	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
22.	सिक्किम*	2	2	एन आर	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
23.	तमिलनाडु	97	62	60	119	138	110	शून्य	शून्य	शून्य	2400	2971	2971	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
24.	त्रिपुरा*	शून्य	शून्य	एन आर	37	18	18*	शून्य	शून्य	शून्य	उ.न.	उ.न.	40	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
25.	उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	465	475	284^^	1095	711	1412	शून्य	शून्य	शून्य	845	1984	85***	उ.न.	12	13	शून्य	शून्य	शून्य
26.	उत्तरांचल	ला.न.	ला.न.	251	-	ला.न.	ला.न.	शून्य	शून्य	शून्य	ला.न.	ला.न.	1507	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27.	पश्चिम बंगाल	335	361	349	108	108	108*	शून्य	शून्य	शून्य	200	327	327	उ.न.	44	120	शून्य	शून्य	शून्य
28.	दादरा व नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	15	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	3750	3836	3642	6767	6828	7273	304	310-320	322-332	25541	29010	28274	-	1496	1817	152	143	147

एन आर: राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किया गया
ला.न. : लागू नहीं
उ.न. : उपलब्ध नहीं
केवल मध्य प्रदेश^ केवल उत्तर प्रदेश^^

*उत्तरांचल नागालैंड और सिक्किम में आबादी की गणना नहीं की गई है।
*1993 में इन राज्यों द्वारा शामिल की गणना दी गई है
1991 में की गई आबादी की गणना
केवल उत्तर प्रदेश ***

विवरण II

अवैध शिकार के रिपोर्ट किए गए मामले

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष	बाघ	शेर	हाथी	तेंदुआ	गैंडा	मोर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	1999	2	-	-	1	-	-
		2000	4	-	-	5	-	-
		2001	1	-	-	-	-	-
		2002	-	-	-	1	-	-
		कुल	7	-	-	7	-	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	1999	-	-	-	-	-	-
		2000	-	-	2	-	-	-

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2001	–	–	–	–	–	–
		2002	–	–	–	–	–	–
		कुल	–	–	2	–	–	–
3.	असम	1999	–	–	4	–	19	–
		2000	4	–	6	2	17	–
		2001	–	–	–	–	10	–
		2002	–	–	–	–	2	–
		कुल	4	–	10	2	48	–
4.	बिहार	1999	–	–	2	–	–	–
		2000	–	–	2	–	–	–
		2001	–	–	–	–	–	–
		2002	–	–	–	–	–	–
		कुल	–	–	4	–	–	–
5.	दिल्ली	1999	1	–	–	–	–	–
		2000	2	–	–	2	–	–
		2001	–	–	–	6	–	–
		2002	–	–	–	–	–	–
		कुल	3	–	–	8	–	–
6.	छत्तीसगढ़	1999	–	–	–	–	–	–
		2000	–	–	–	–	–	–
		2001	–	–	–	–	–	1
		2002	–	–	–	–	–	–
		कुल	–	–	–	–	–	1
7.	गोवा	1999	–	–	–	–	–	–
		2000	–	–	–	1	–	–
		2001	–	–	–	–	–	–
		2002	–	–	–	–	–	–
		कुल	–	–	–	1	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	गुजरात	1999	–	2	–	1	–	1
		2000	–	1	–	–	–	6
		2001	–	–	–	–	–	6
		2002	–	–	–	–	–	5
		कुल	–	3	–	1	–	18
9.	हिमाचल प्रदेश	1999	–	–	–	5	–	–
		2000	–	–	–	12	–	–
		2001	–	–	–	7	–	–
		2002	–	–	–	–	–	–
		कुल	–	–	–	24	–	–
10.	झारखंड	1999	–	–	–	–	–	–
		2000	–	–	–	–	–	–
		2001	–	–	2	–	–	–
		2002	–	–	1	–	–	–
		कुल	–	–	3	–	–	–
11.	कर्नाटक	1999	–	–	21	–	–	–
		2000	–	–	19	–	–	–
		2001	–	–	12	–	–	–
		2002	–	–	3	–	–	–
		कुल	–	–	55	–	–	–
12.	केरल	1999	–	–	1	–	–	–
		2000	–	–	3	–	–	–
		2001	3	–	5	–	–	–
		2002	–	–	5	–	–	–
		कुल	3	–	14	–	–	–
13.	मध्य प्रदेश	1999	9	–	15	–	–	3
		2000	4	–	9	–	–	6
		2001	4	–	2	–	–	9
		2002	–	–	–	–	–	–
		कुल	17	–	26	–	–	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	महाराष्ट्र	1999	3	–	2	–	–	–
		2000	4	–	5	–	–	1
		2001	17	–	6	–	–	3
		2002	3	–	1	–	–	–
		कुल	27	–	14	–	–	4
15.	मेघालय	1999	–	–	2	–	–	–
		2000	–	–	1	–	–	–
		2001	–	–	2	–	–	–
		2002	–	–	–	–	–	–
		कुल	–	–	5	–	–	–
16.	मिजोरम	1999	–	–	1	–	–	–
		2000	–	–	–	–	–	–
		2001	–	–	–	–	–	–
		2002	–	–	1	–	–	–
		कुल	–	–	2	–	–	–
17.	उड़ीसा	1999	1	–	9	–	–	–
		2000	–	–	11	–	–	–
		2001	–	–	7	–	–	–
		2002	–	–	2	–	–	–
		कुल	1	–	29	–	–	–
18.	पंजाब	1999	–	–	–	–	–	–
		2000	–	–	–	8	–	–
		2001	–	–	–	–	–	–
		2002	–	–	–	–	–	–
		कुल	–	–	–	8	–	–
19.	राजस्थान	1999	–	–	–	4	–	–
		2000	2	–	–	1	–	–
		2001	–	–	–	2	–	–
		2002	1	–	–	2	–	–
		कुल	3	–	–	9	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	तमिलनाडु	1999	2	–	8	1	–	–
		2000	–	–	7	–	–	–
		2001	–	–	5	26	–	3
		2002	–	–	3	1	–	–
		कुल	2	–	23	28	–	3
21.	उत्तर प्रदेश	1999	14	–	–	56	–	–
		2000	12	–	–	166	–	–
		2001	20	–	1	28	–	2
		2002	1	–	–	–	–	1
		कुल	47	–	1	250	–	3
22.	उत्तरांचल	1999	–	–	–	–	–	–
		2000	–	–	6	2	–	–
		2001	–	–	2	6	–	–
		2002	–	–	–	4	–	–
		कुल	–	–	8	12	–	–
23.	पश्चिम बंगाल	1999	6	–	14	–	1	–
		2000	7	–	4	–	1	–
		2001	2	–	7	3	1	–
		2002	–	–	–	1	–	–
		कुल	15	–	25	4	3	–
	कुल योग		129	3	181	404	51	47

विवरण III

वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाएगए कदमों में शामिल हैं:—

(1) राज्य स्तर पर उठाए गए कदम

(i) वन्यजीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए अनेक राज्यों में राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय समन्वय समितियों की स्थापना की गई हैं।

(ii) राज्य वन्यजीव प्राधिकारी पशु उत्पादों और पक्षियों के व्यापारियों के स्टॉक की नियमित जांच करते हैं।

(2) राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदम

(i) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में संशोधन करके उसे अधिक कड़ा बनाया गया है।

(ii) भारत सरकार ने वन्यजीवों और उनके उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए देश के प्रमुख निर्यात और व्यापार केन्द्रों में वन्यजीव परिरक्षण हेतु क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं।

(iii) केन्द्रीय जांच ब्यूरों को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(iv) विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, अर्थात्, बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास और वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा देने के लिए राज्यों की क्षमता और ढांचागत सुविधाओं में वृद्धि के प्रयोजन से संरक्षित क्षेत्रों के आसपास पारि-विकास आदि स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जा रही है। अवैध शिकारियों और तस्करों के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए सूचना देने वालों को पुरस्कार देने के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

(v) वन्यजीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए सचिव, पर्यावरण एवं वन, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक विशेष समन्वय और प्रवर्तन समिति का गठन किया गया है।

(vi) निर्यात-आयात नीति के अंतर्गत वन्यजीवों और उनके व्युत्पन्नों के निर्यात पर प्रतिबंध है।

(vii) वन्यजीव कार्य योजना 2001-16 और वन्यजीवों संरक्षण नीति 2002 तैयार और अंगीकार की गई है।

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदम

(i) भारत सरकार वन्यजीवों से बनी वस्तुओं के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए "कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसिज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना" (साइट्स) की पक्षकार है।

(ii) वन्यजीवों के सीमापारीय अवैध व्यापार को रोकने के लिए नेपाल तथा चीन गणतंत्र के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(iii) बाघ संरक्षण से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए टाइगर रेंज देशों का एक विश्व स्तरीय मंच तैयार किया गया है।

[अनुवाद]

जल बंटवारे संबंधी योजना

3556. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों के बीच जल के बंटवारे हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के उचित क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या कुछ राज्य सरकारों ने जल बंटवारे की निगरानी करने की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुनचरण सेठी): (क) से (ङ) जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल का हस्तांतरण करने के लिए वर्ष 1980 में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की थी। जल संतुलन और अन्य अध्ययनों के क्रियान्वयन और व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए वर्ष 1982 में स्वायत्त सोसायटी के रूप में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्थापना की। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण से व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत 30 संपर्कों की पहचान की है और प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 6 संपर्कों के व्यवहार्यता रिपोर्टें पूरी की हैं। केन्द्र सरकार ने 13 दिसम्बर, 2002 को श्री सुरेश प्रभु, संसद सदस्य (लोक सभा) की अध्यक्षता में एक कार्य बल की स्थापना की है जिसके निम्नलिखित विचारणीय विषय हैं:-

(i) आर्थिक व्यवहार्यता, सामाजिक आर्थिक प्रभावों, पर्यावरणीय प्रभावों तथा पुनर्स्थापना योजनाओं के संबंध में प्रत्येक परियोजना के मूल्यांकन के मानकों पर मार्गदशन प्रदान करना;

(ii) राज्यों के बीच शीघ्र आम राय बनाने के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित करना;

(iii) विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की तैयार एवं क्रियान्वयन के लिए विभिन्न परियोजना घटकों को प्राथमिकता देना;

(iv) परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए समुचित संगठनात्मक संरचना का प्रस्ताव करना;

(v) परियोजना वित्तपोषण के लिए विभिन्न तौर तरीकों पर विचार करना; और

(vi) उन अन्तर्राष्ट्रीय आयामों पर विचार करना जिन्हें कुछ परियोजना घटकों में शामिल किया जा सकता है।

यह कार्यबल वर्ष 2016 के अंत तक नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी लक्ष्य प्राप्त करने के कार्य के बारे में सुझाव और मार्गदर्शन देने के लिए कार्य कर रहा है।

पारिस्थितिकी पार्क की स्थापना

3557. **श्री नरेश पुगलिया:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान और उसके उपरांत स्थानवार कितने पारिस्थितिकी पार्कों को स्थापित किए जाने की स्वीकृति दी गई है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सहित कतिपय राज्यों से उक्त अवधि के दौरान पारिस्थितिकी पार्कों को स्थापित किए जाने संबंधी कोई अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त हुए है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) इनमें से अलग-अलग, राज्यवार कितने प्रस्ताव अनुमोदित किए गए और कितने नामंजूर किए गए;

(ङ) केन्द्र सरकार के पास ऐसे लंबित पड़े विचाराधीन प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) इन प्रस्तावों को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है और विशेषकर चन्द्रपुर से संबंधित प्रस्ताव का कब तक अनुमोदन किया जाएगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) से (च) देश में पारिस्थितिकीय उद्यानों को स्वीकृत करने का कोई स्कीम इस मंत्रालय के पास नहीं है।

[हिन्दी]

संयुक्त परियोजना कार्यालय

3558. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल से निकल कर बिहार में बहने वाली कोशी, कमला और बागमती नदियों पर बहुउद्देश्यीय बांधों के निर्माण और नेपाल के जल ग्रहण क्षेत्र में परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एक संयुक्त परियोजना कार्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो दसवीं योजना के लिए प्रस्तावित बजट आवंटन का उल्लेख करते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि इस संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है, तो वह क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुनचरण सेठी): (क) जी, हां। सप्त कोसी उच्च बांध बहुउद्देश्यीय परियोजना और सन कोसी भंडारण व डाइवर्जन स्कीम की क्षेत्रीय अन्वेषण शुरू करने तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए संयुक्त परियोजना कार्यालय की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। तथापि, कमला और बागमती नदियों के संबंध में इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपरोक्त परियोजना के लिए क्षेत्रीय अन्वेषण करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के वास्ते दसवीं योजना के दौरान 29.34 करोड़ रुपये की राशि मुहैया कराई गई है।

(ग) संयुक्त परियोजना कार्यालय खोले जाने के बाद क्षेत्रीय अन्वेषण और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 30 महीनों में पूरी कर लिए जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

हवा में विमानों की टक्कर होने से बचना

3559. **श्री के.पी. सिंह देव:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जनवरी, 2003 में ''द हिन्दू'' में, ''राइट मैसेज टु रॉन्ग एयरक्राफ्ट'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस तरह की चूक के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोई ऐसे कदम उठाए गए हैं ताकि भविष्य में इस तरह की चूक की पुनरावृत्ति न हो; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां।

(ख) 27 दिसम्बर, 2002 को मुम्बई के उड़ान सूचना क्षेत्र (एफ आई आर) में रायल जार्डियन एयरलाइंस के विमान और ब्रिटिश एयरवेज विमान के बीच टक्कर होते-होते बची। इस क्षेत्र में एक दूसरा यमेनिमा यमन एयरवेज का विमान प्रचालनरत था जो बीसेट के ऊपर 33,000 फुट की ऊंचाई पर अलग मार्ग पर क्रासिंग करते समय रायल जार्डियन उड़ान से उचित दूरी नहीं बना पा रहा था। चूंकि विमान यातायात नियंत्रक की यमेनिया एयरक्राफ्ट

से सीधा संपर्क नहीं बन पा रहा था, उसने उच्च आवृत्ति ऑपरेटर को यमेनिया एयरक्राफ्ट को अपनी उंचाई कम करके 29,000 फुट करने के लिए हिदायत देने की सलाह दी। लेकिन, उसने जोर्डियन एयरक्राफ्ट को 29,000 फुट की ऊंचाई तक नीचे आ जाने की सलाह दी। इस तरह, एक ही मार्ग पर विपरीत दिशाओं में 31,000 फुट की उंचाई पर उड़ान भर रहे इन दोनों विमानों की आपस में टक्कर होते-होते बची।

(ग) और (घ) विहित कार्याविधि के अनुसार उस समय ड्युटी पर तैनात अधिकारी को कार्यमुक्त कर दिया गया और रोस्टर से उसके नाम को हटा दिया गया। नागर विमानन महानिदेशक की सलाह के अनुसार उसे अब एक योग्य अधिकारी के निरीक्षण में सुधारात्मक प्रशिक्षण प्रक्रिया से गुजरना होगा तथा प्रवीणता मूल्यांकन प्रेक्टिकल परीक्षा पास करनी होगी। अनुभव तथा प्रवीणता जांच लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है।

बीज अधिनियम, 2000 के प्रारूप में संशोधन

3560. डा. मंदा जगन्नाथ:
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने बीज अधिनियम, 2000 के प्रारूप में कतिपय संशोधन किए जाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा दिए गए सुझावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त प्रारूप अधिनियम को कब तक पुन:स्थापित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा विवरण-I पर संलग्न है।

(ग) ब्यौरा विवरण-II पर संलग्न है।

(घ) मसौदा बीज विधेयक विधि मंत्रालय को पुनरीक्षा हेतु भेजा गया है।

विवरण I

राज्य सरकारों द्वारा दिए गए सुझावों का राज्य-वार समेकित ब्यौरा

दिल्ली

- वर्तमान बीज अधिनियम और बीज (नियंत्रण) आदेश में बीजों की बिक्री और गुणवत्ता नियंत्रण के विनियमन से संबंधित उपलब्ध प्रावधान को प्रस्तावित बीज अधिनियम में इसी रूप में शामिल किया जाना है।

हरियाणा

- बीज सहित कृषि आदानों की सम्भाल वाले व्यक्ति को लाइसेंस जारी करने के लिए प्रावधान शामिल किया जाना है।

हिमाचल प्रदेश

- बीज (नियंत्रण) आदेश के अन्तर्गत लाइसेंस फीस, नवीकरण फीस, समय पर लाइसेंस नवीकृत न कराने के लिए दण्ड को क्रमश: 50/-रुपये, 20/-रुपए और 25/-रुपये से बढ़ाकर 1500/-रुपये, 500/-रुपये और 250/-रुपये किया जाना है।

कर्नाटक

- राज्य बीज बोर्ड बनाया जाना है।
- बीज विकास की परिभाषा में किस्म विकास शामिल होना चाहिए।
- किस्म का पंजीकरण वी.सी.यू. परीक्षण पर आधारित होना चाहिए।
- भा.कृ.अ.प. के संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों को वी.सी.यू. परीक्षण आयोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाना है।
- बीज स्वास्थ्य को नामित कृमियों और रोगों से मुक्त के रूप में अलंकृत किया जाना है।
- राज्य सरकार द्वारा पंजीकरण को निरस्त करने के लिए अधिकार विकेन्द्रीकृत किए जाने हैं।
- ब्यौहारी द्वारा रजिस्टर और अभिलेखों के रख-रखाव का निपटान राज्य सरकार/बोर्ड के निर्देश के अनुसार किया जाना चाहिए।

- बीज की बिक्री के लिए ब्यौहारी को निदेश देते समय एजेंसी द्वारा बीज के वितरण के दौरान हुई किन्ही हानियों की भरपाई सरकार द्वारा की जानी चाहिए।

- राज्य सरकार को जिला स्तर पर पंजीकृत बीज ब्यौहारियों और बीज उत्पादकों की सूची रखनी चाहिए।

- नकद रसीद में लाट नम्बर दिए जाने हैं।

- सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र जारी किया जाना है।

- राज्य सरकार को संवर्धन प्रयोजन के लिए कमी के मामले में निम्न अंकुरण बीज के उपयोग की अनुमति होनी चाहिए।

- अपील को 45 दिनों के भीतर निपटाया जाना है।

- बीज निगम और अन्य संगठन में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त राज्य सरकार के अधिकारियों पर राज्य सरकार को पूर्वानुमति के बिना कोई अभियोग आरम्भ नहीं किया जाना चाहिए।

- आयातित बीज का तीन वर्ष परीक्षण किया जाना चाहिए।

- छूट वाली धारा समाप्त की जानी है।

- प्रमुख और छोटे अपराधों को परिभाषित किया जाए।

- प्रमाणीकरण के लिए आवेदन शुल्क बढ़ाया जाना है।

- बीज (नियंत्रण) आदेश के अन्तर्गत बीज के परीक्षण के लिए समय-सीमा 30 दिन के भीतर से संशोधित करके 60 दिन की जाए।

- बीज (नियंत्रण) आदेश के अन्तर्गत लाइसेंस फीस 50/- रुपये से बढ़ाकर 100/-रुपये की जानी चाहिए।

मध्य प्रदेश

- किस्म के पंजीकरण के लिए मानदण्ड राज्य सरकार के परामर्श से निर्धारित किए जाने हैं।

महाराष्ट्र

- कृषि ब्याज विश्लेषक, बीज उत्पादक, स्व-प्रमाणीकरण, सच्चे लेवल अथवा लेवल वाले बीज के संबंध में परिभाषाओं को परिभाषित किया जाना है।

- प्रसंस्करण और पैकिंग मे नई विधियों और प्रक्रियाओं के अन्तरण को शामिल किया जाना है।

- पुन: पंजीकरण के प्रावधान शामिल किए जाने चाहिए।

- बीज की पैकिंग करते समय आर्द्रता से संबंधित भिन्नता शामिल की जानी चाहिए।

- बीज उत्पादन और वितरण से संबंधित बहियों, लेखों आदि के रखरखाव के निरीक्षण के अधिकार राज्य सरकार और राष्ट्रीय बीज बोर्ड को दिए जाने हैं।

- आधारी बीज उत्पादन के लिए स्व-प्रमाणीकरण पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

- स्व-प्रमाणीकरण लागू करने की स्थिति में बीज प्रमाणीकरण अनिवार्य किया जाना चाहिए।

- बीज उत्पादन के दौरान उठने वाले विवादों के सभी पहलुओं पर अपील प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

- बीज निरीक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शामिल की जानी चाहिए।

- बीज विश्लेषक के लिए प्रावधान शामिल किए जाने हैं।

- विदेशों की बीज प्रमाणीकरण एजेंसियों की मान्यता शामिल की जानी चाहिए।

- मानकों में छूट देने के लिए राज्य सरकार को अधिकार प्रदत्त करने पर विचार किया जाना चाहिए।

उड़ीसा

- बागवानी निदेशक, उड़ीसा ने उल्लेख किया कि संशोधित बीज अधिनियम अपने दायरे में एक व्यवहार्य बीज अधिनियम विकसित करने के सर्वाधिक अनिवार्य पहलू को लाता है। यह अधिनियम बहुत ही सुविस्तृत है और विचारों तथा सिफारिशों की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है।

पंजाब

- राज्य के बागवानी निदेशक को प्रस्तावित राष्ट्रीय बीज बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

पांडिचेरी

- बीज अधिनियम तथा बीज (नियंत्रण) आदेश समाहित किया जाना है।

- बीज अधिनियम तथा बीज (नियंत्रण) आदेश के लिए दो प्रकार के बीज निरीक्षकों की नियुक्ति का विलयन किया जाना चाहिए।

- कृषि की परिभाषा तथा औषधीय पौधों को शामिल करना चाहिए।

- परम्परागत किस्में जिन्हें किसानों के रूप में नहीं जाना जाता और जिनकी वंसावली अज्ञात है, को पंजीकरण से मुक्त रखा जाए।

- बीज बिक्रय हेतु लाइसेंस के निर्गमन पर विचार किया जाए।

- राष्ट्रीय बीज बोर्ड/राज्य सरकार को शक्ति सम्पन्न बनाया जाए ताकि वे डीलरों को विर्निदिष्ट तरीकों से बीजों के विक्रय हेतु निर्देशित कर सकें।

- डीलर को स्टाक आदि का वितरण प्रदर्शित करना चाहिए।

- स्व-प्रमाणीकरण के प्रावधान पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

राजस्थान

- अधिनियम को आनुवंशिक तथा भौतिक रूप से शुद्ध बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।

- पंजीकरण डी.यू.एस. परीक्षण पर आधारित होना चाहिए।

- प्रजनक बीजों को निर्धारित मानकों वाले विधान के दायरे के तहत लाया जाना है।

- प्रमाणीकरण निरीक्षकों को बीज कानून प्रर्वतन के क्रियान्वयन हेतु नमूना लेने के लिए भी नामित किया जाना है।

- बीज निरीक्षकों द्वारा बीज कानून प्रवर्तन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले प्रपत्र को अद्यतन किया जाना चाहिए।

- बीज के लेवलिंग तथा प्रमाणन के लिए मानक में कोई विसंगति नहीं होनी चाहिए।

- सभी बीज प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं को आई.एस.टी.ए. के दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।

- प्रजनन (ग्रो-आऊट) संबंधी परीक्षण प्रक्रियाओं को अद्यतन किया जाना चाहिए।

- प्रजनन संबंधी परीक्षण सुविधाओं से सी.एस.टी.एल. को सज्जित किया जाना है।

- अभियोजन मामलों को संभालने के लिए एक विधिक प्रकोष्ठ स्थापित किया जाना चाहिए।

तमिलनाडु

- चारे, हरी खाद बागवानी, वानिकी, औषधीय तथा सुगंधित पौधों को कृषि की परिभाषा में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

- प्रमाणीकरण एजेंसी का परिभाषा।

- गलत ब्रांड लगे बीजों की परिभाषा।

- बीज प्रमाणीकरण एजेंसी के प्रत्यानन को हटाया जाए।

- राज्य बीज परीक्षण, प्रयोगशाला के प्रत्यायन को राज्य सरकार प्रक्रिया के अनुसार परिवर्तित किया जाए।

- प्रकार/किस्म का पंजीकरण वी.सी.यू. परीक्षण पर आधारित किया जाना है और वी.सी.यू. परीक्षण को आयोजित करने हेतु संस्थान का प्रत्यायन किया जाना है।

- निश्चित प्रकार/किस्म का पंजीकरण से अपवर्जन।

- अंकुरण और शुद्धता की न्यूनतम सीमा निर्दिष्ट करने का अधिकार।

- पंजीकरण समाप्त करने का अधिकार।

- बीजों की बिक्री का विनियमन।

- बीज उत्पादकों और विक्रेताओं की सूची का रखरखाव।

- विक्रेताओं द्वारा पद्धति का अनुसरण।

- प्रमाणीकरण एजेंसी द्वारा प्रमाणपत्र दिया जाना।

- दण्ड

पश्चिमी बंगाल

- ''विभिन्न तिथियों और विभिन्न क्षेत्रों आदि के लिए अधिनियम कार्यान्वित किया जाएगा'' जैसा वर्णित करने के बजाए अधिनियम को संपूर्ण देश में लागू किया जाना चाहिए।

- राज्य के कृषि, बागवानी निदेशक, प्रमाणीकरण एजेंसी, राज्य बीज निगम के निदेशकों को बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल किया जाना है।
- स्व-प्रमाणन पर विचार न किया जाए।
- राज्य बीज बोर्ड पर विचार किया जाए।
- बीजों के आयात और निर्यात के लिए राज्य बीज बोर्डों को अधिकार दिया जाना है।
- राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए राष्ट्रीय बीज बोर्ड के सुझाव अनिवार्य है।
- बहुस्थानीय परीक्षणों और मिनिकिट परीक्षणों आदि पर आधारित किस्म का पंजीकरण।
- वी.सी.यू परीक्षणों के आयोजन के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को भी प्रत्यायित किया जाना है।
- उत्पादक/विक्रेता जो बीज की बिक्री करते हैं को निर्देशित करने के लिए राष्ट्रीय बीज बोर्ड को राज्य बीज बोर्ड के आधार पर कार्य करना चाहिए।
- किसान, जो बीज बेचते हैं, को दी गयी छूट को हटा दिया जाए।
- राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

अन्य राज्य सरकारों से सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

विवरण II

आन्ध्र प्रदेश की सरकार द्वारा प्रस्तावित सुधारों के समेकित ब्यौरे

* अधिनियम में ''उत्पादन'' शब्द की बीजों के ''उत्पादन'' बिक्री, आयात और निर्यात को विनियमित करने के लिए अधिनियम के रूप में मुहैया किया जाए।
* राज्य बीज बोर्ड की स्थापना को सम्मिलित किया जाना चाहिए।
* विक्रेता को विशिष्ट रूप में बिक्री अथवा वितरण के लिए निर्दिष्ट करने की शक्ति परिभाषित की जानी चाहिए।
* राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र को जारी करने के तरीके द्वारा विक्रेताओं बीज उत्पादकों की सूची के रखरखाव को सम्मिलित किया जाना चाहिए।
* बीज विक्रेताओं के पास कम से कम कृषि में डिग्री होना सम्मिलित किया जाए।
* विक्रेताओं द्वारा पद्धति अपनाया जाना अर्थात् अंकुरण प्रतिशतता और इसकी वैधता वाली नकद और साख रसीद जारी करने को हटाया जाए।
* बीज उत्पादन कार्यक्रम पर उत्पादकों द्वारा सूचना मुहैया कराना।
* प्रकार/किस्म के पंजीकरण की अवधि वर्णित की जानी चाहिए।
* अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को प्रवर्तन तंत्र स्थापित करना चाहिए।
* छोटे और बड़े अपराध का विवरण परिभाषित किया जाए।
* नकली बीज की आपूर्ति/हानियों के मामले में प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति देने को शामिल किया जाना।

[हिन्दी]

कृषि में नई अनुसंधान योजना

3561. श्री पद्मसेन चौधरी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसानों को देश में कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे नए अनुसंधान का लाभ पहुंचाने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों को कृषि के क्षेत्र में नये अनुसंधानों का लाभ पहुंचाने के लिए अनेक स्कीमें तैयार की हैं। उनका विवरण निम्न प्रकार से हैं:

* किसानों और विस्तार कार्मिकों को प्रशिक्षण देने तथा खेत परीक्षणों और अग्रपंक्ति के प्रदर्शन करने के लिए कृषि विज्ञान केन्द्रों के एक नेटवर्क की स्थापना करना।
* विभिन्न कृषि प्रणालियों में प्रौद्योगिकी मूल्यांकन तथा परिशुद्धता के लिए संस्थान-ग्राम-संपर्क कार्यक्रम आरम्भ करना।

* किसानों को प्रौद्योगिकी उत्पादों, नैदानिक सेवाएं और प्रौद्योगिकी सूचना मुहैया कराने के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध करने हेतु कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्रों की स्थापना करना।

[अनुवाद]

सरदार सरोवर परियोजना

3562. श्रीमती रेणुका चौधरी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इस पर कितना व्यय हुआ है;

(ख) क्या गुजात सरकार ने संबंधित राज्यों की सहमति के बगैर निर्मित इरिगेशन बाई-पास टन्नेल (आईबीपीटी) के परिणामस्वरूप विद्युत की संभावित क्षति के बदले मध्य प्रदेश को नि:शुल्क विद्युत मुहैया कराने और बांध से मध्य प्रदेश के बेघर हुए लोगों के लिए 239 करोड़ के पुनर्वास संबंधी पुनरीक्षित पैकेज देने पर सहमति जताई थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुनचरण सेठी): (क) सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण में हुई अब तक की प्रगति निम्नानुसार है:

बांध: सरदार सरोवर बांध के स्पिलवे ब्लाकों (ब्लाक सं. 30 से 46) को 95 मीटर तक ऊपर उठाया गया है। बांध की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्पिलवे के इस ट्रंकेटिड भाग के ब्लाक सं. 31 से 45 के ऊपर 3 मीटर ऊंचे हम्पों का निर्माण भी कर लिया गया है। अन्य ब्लाक विभिन्न ऊंचाई के स्तरों पर हैं।

बिजली घर: परियोजना का कैनाल हैड बिजली घर पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है इसकी कुछ इकाइयों का टेस्ट रन भी कर लिया गया है। रिवर बेड बिजली घर का कार्य प्रगति पर है।

नहरें: नर्मदा मुख्य नहर की 0 से 263 कि.मी. की रीच में नहर संरेखण कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं और राजस्थान सीमा तक की शेष रीच का निर्माण विभिन्न चरणों में जारी है।

व्यय: सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण पर 31 जनवरी, 2003 तक 14,056.46 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की गई है।

(ख) और (ग) सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड से प्राप्त सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश में परियोजना के विस्थापित परिवारों हेतु एक अतिरिक्त उदारीकृत पुनर्वास पैकेज और 201 करोड़ की वित्तीय सहायता के लिए गुजरात सरकार सहमत हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर गुजरात सरकार ने मध्य प्रदेश में पुनर्वास एवं पुनरूद्धार कार्यों को गति प्रदान करने के लिए पुनर्वास पैकेज के रूप में मध्य प्रदेश सरकार को 165 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। गुजरात व मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों और राजस्थान व महाराष्ट्र के मंत्रियों के मध्य सरकार सरोवर परियोजना पर सिंचाई बाई पास सुरंग (आईबीपीटी) के निर्माण के मुद्दे पर विचार-विमर्श कर लिया गया है। तदनुसार मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री आईबीपीटी के निर्माण पर सहमत हो गए बशर्ते कि मध्य प्रदेश सरकार को आईबीपीटी के मार्फत बहने वाले सारे जल के लिए जल विद्युत की हानि के बिना कोई लागत के क्षतिपूर्ति प्रदान की जाए और इस हानि को नष्ट ऊर्जा की मिलियन इकाई में परिवर्तित किया जाए। इन चर्चाओं के आधार पर नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की पुनर्विलोकन समिति ने दिनांक 18.08.2001 को आयोजित अपनी नौवीं बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए:-

1. आईबीपीटी पर नर्मदा प्राधिकरण (एनसीए) के निर्णय का समर्थन किया जाता है और आईबीपीटी का निर्माण पूरा कर लिया जाना चाहिए।

2. गुजरात सरकार (आईबीपीटी) के संचालन के कारण होने वाली विद्युत की हानि, जिसकी मात्रा लाखों यूनिट होगी, के लिए बिना लागत मध्य प्रदेश सरकार को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी।

3. जलाशय जल स्तर एलीवेशन 110.64 मीटर के न्यूनतम ड्रा डाउन स्तर (एमडीडीएल) से कम नहीं होगा।

4. एनसीए एक ऐसी प्रणाली का विकास करेगी जो यह नियंत्रित और सुनिश्चित करेगी कि एमडीडीएल से नीचे आईबीपीटी के मार्फत जलाशय जल को न निकाला जाए।

उड़ीसा की देव सिंचाई परियोजना

3563. श्री अनन्त नायक: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा की देव सिंचाई परियोजना पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) इस परियोजना की सिंचाई क्षमता कितनी है; और

(ग) आज की तारीख में इस परियोजना पर कितनी प्रगति हुई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुनचरण सेठी): (क) से (ग) उड़ीसा में 135.91 करोड़ रुपए की नवीनतम अनुमानित लागत वाली देव सिंचाई परियोजना में 15.64 हजार हेक्टेयर की चरम सिंचाई क्षमता की योजना है। नौवीं (IX) योजना के अंत तक 49.67 करोड़ रुपए का व्यंय हुआ है। इस परियोजना के लिए दसवीं योजना परिव्यय 86.96 करोड़ रुपए है। इस परियोजना को वर्ष 2006-07 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

कृषि योग्य भूमि का सुधार

3564. श्री बिक्रम केशरी देव: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा सहित देश में जल भराव और बाढ़ से प्रभावित कृषि योग्य भूमि कितनी है;

(ख) सिंचित कमान क्षेत्र (इरिगेटिड कमाण्ड एरिया) में कृषि योग्य भूमि के सुधार का क्या कार्यक्रम है; और

(ग) केन्द्र प्रायोजित विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कितना धन आवंटित किया गया?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुनचरण सेठी): (क) कृषि संबंधी राष्ट्रीय आयोग (वर्ष 1976 में) के आकलन के अनुसार सिंचित तथा असिंचित भूमि सहित देश में लगभग 6 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में जलजमाव हुआ था जिसमें उड़ीसा का 0.06 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है।

कृषि मंत्रालय (वर्ष 1984-85 में) के आकलन के अनुसार सिंचित और असिंचित दोनों क्षेत्रों में 8.53 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जलजमाव से प्रभावित हुआ था जिसमें उड़ीसा का 0.06 मिलियन हेक्टेयर शामिल है।

जल संसाधन मंत्रालय के कार्यदल (वर्ष 1991 में) के आकलन के अनुसार सिंचाई कमानों में 2.06 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जल जमाव संबंधी समस्या से प्रभावित था जिसमें उड़ीसा का 0.196 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है।

जहा तक बाढ़ के कारण कृषि योग्य भूमि के प्रभावित होने का संबंध है देश में औसतन (1953 से 2000) 3.55 मिलियन हेक्टेयर फसल युक्त क्षेत्र प्रभावित हुआ है जिसमें से उड़ीसा में औसतन 0.275 मिलियन हेक्टेयर फसल युक्त क्षेत्र प्रभावित हुआ है।

(ख) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत शामिल सिंचित कमानों में जल जमाव क्षेत्रों के सुधार संबंधी एक घटक को 1.4.96 के केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। केन्द्रीय अंशदान के रूप में सुधार किए गए क्षेत्र के 6000 रुपए प्रति हेक्टेयर की निर्धारित सीमा के आधार पर इस घटक के तहत राज्यों को केन्द्रीय सहायता समानुपातिक आधार पर (अर्थात राज्य:केन्द्र: : 50:50 के अनुपात में) पर अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।

(ग) जल जमाव क्षेत्रों के सुधार के लिए अलग से कोई निधियां आबंटित नहीं की जाती हैं। तथापि, केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए आबंटित निधियों में से इस क्रियाकलाप के लिए केन्द्रीय सहायता मुहैया करायी जाती है जिसके तहत वर्ष 2002-03 के दौरान 15023 लाख रुपए की राशि आबंटित की गई है।

बैगेज ट्रालियों के लिए आर्डर

3565. श्री सी. श्रीनिवासन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने बैगेज ट्रालियों के लिए आर्डर दिए थे जबकि देश के किसी भी हवाई अड्डे से इसकी मांग नहीं थीं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई;

(ग) क्या अनुमोदित विनिर्देशन के अनुसार वह कम्पनी बैगेज ट्रालियां मुहैया कराने में असफल साबित हुई थी जिसे इनकी आपूर्ति के लिए चयन किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो चूक करने वाली इस कंपनी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में गोमांस

3566. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कतिपय फास्ट फूड कंपनियां और रेस्तरां डिब्बाबंद मांसाहारी खाद्य पदार्थों में गोमांस का प्रयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कौन-कौन सी कंपनियां शामिल हैं;

(ग) क्या मांसाहारी खाद्य पदार्थों में गोमांस को मिलाया जाना वैध है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या विभाग ने ऐसी कंपनियों/रेस्तराओं के खिलाफ कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ङ) मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973 के तहत कतिपय मांस उत्पादों में भैंस मांस मिलाने की अनुमति है। परंतु इस्तेमाल किए जाने वाले मांस और अन्य योगजों का स्पष्ट उल्लेख उन मांस उत्पादों के लेबलों पर किया जाना चाहिए। वैसे गोमांस का उपयोग करके डिब्बाबंद मांसाहारी उत्पाद बनाने .हेतु मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973 के तहत किसी फास्ड फूड कंपनी या रेस्तरां को लाइसेंस नहीं दिया गया है।

पर्यटन में वृद्धि

3567. **श्री हरिभाई चौधरी:**
श्री बीर सिंह महतो:
कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत को विश्व में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2003-2004 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितना धन व्यय किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) विदेशी बाजारों में भारतीय पर्यटन उत्पादों का संवर्धन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को विभिन्न मार्केटिंग उपकरणों, जिसमें प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया से विज्ञापन देना, मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी, संगोष्ठियों एवं कार्यशालाएं आयोजित करना, मीडिया से जुड़ी हस्तियों को आमंत्रित करना, टूर आपरेटरों एवं आतिथ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत राय बनाने वालों को बुलाना, ब्रोशरों, सीडी रोम्स, इत्यादि के माध्यम से सूचना का प्रचार-प्रसार शामिल हैं, के माध्यम से किया जाता है।

(ख) वर्ष 2003-04 के बजट अनुमान के अनुसार विदेशों में संवर्धन एवं प्रचार के लिए 56.00 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास

3568. श्री अरुण कुमार: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के जहानाबाद जिले में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है?

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार खाद्य उत्पादों पर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए शीघ्र ऐसे सर्वेक्षण कराने और राज्य सरकार तथा कृषि संगठनों को प्रोत्साहित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अनुरोध पर ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से ऐसे विस्तृत अध्ययन कराने का अनुरोध किया है जो उन्हें प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के विकास हेतु कार्योन्मुखी नीतियां तैयार करने के साथ-साथ इस क्षेत्र के विकास हेतु कार्य योजना एवं रणनीतियों का पता लगाने में सहायक हो सकते है।

[अनुवाद]

स्मारकों का संरक्षण

3569. चौ. तालिब हुसैन: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में, विशेषकर जम्मू और कश्मीर में केन्द्र द्वारा संरक्षित घोषित किये गये प्राचीन स्मारकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को जम्मू और कश्मीर में चन्दन वाड़ी के निकट प्राचीन अमर नाथ के गुफाओं और पाषाण मूर्तियों की हाल में हुई खोज की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन्हें ऐतिहासिक अथवा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में घोषित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) पिछले दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय महत्व के घोषित प्राचीन स्मारकों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जम्मू और कश्मीर राज्य में किसी स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित नहीं किया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, शरद ऋतु में लगभग 4 से 5 माह के लिए गुफा अवशेषों तक नहीं पहुंचा जा सकता। गुफा की पुरातात्विक ऐतिहासिक तथा सौन्दर्य संबंधी संभावनाओं के आधार पर ही इस पर केन्द्रीय संरक्षण के लिए विचार किया जाएगा।

विवरण

पिछले दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए प्रचीन स्मारकों की सूची

	स्मारक का नाम	स्थान	जिला	राज्य	संरक्षण का वर्ष
1	2	3	4	5	6
1.	आपातसहायेश्वर मंदिर तथा अश्वों सहित गेटवे	सेंदामंगलम	सेंदामंगलम	तमिलनाडु	2000-2001
2.	स्वर्णेश्वर, रामलिंगेश्वर नरसिम्ह तथा कालमेश्वर मंदिर	हलशी	बेलगाम	कर्नाटक	2000-2001
3.	रामलिंगेश्वर मंदिर	हलशी	बेलगाम	कर्नाटक	2000-2001
4.	नरसिम्हा मंदिर	हलशी	बेलगाम	कर्नाटक	2000-2001
5.	कमलेश्वर मंदिर	हलशी	बेलगाम	कर्नाटक	2000-2001
6.	मौहम्मद जौक की मजार	केन्द्रीय	दरियागंज	दिल्ली	2000-2001
7.	लाल किले की किलाबंदी दीवार, चलता बाजार, गेट, बावली तथा खाई	लाल किला	मध्य	दिल्ली	2002-2003
8.	शाहजहानाबाद की नगर दीवार (दरिया गंज के पास) अंसार रोड तथा जवाहर लाल नेहरू मार्ग को जोड़ने वाली लिंक रोड से समता स्थल (अखंड भाग)	अंसारी रोड	उत्तर	दिल्ली	2002-2003
9.	सलीमगढ़ किला, जिसके उत्तर में मुख्य द्वार, प्राचीन संरचना है तथा संपूर्ण किलाबंदी दीवार	बेला रोड	उत्तर	दिल्ली	2002-2003
10.	करेंसी भवन	डलहौजी स्कवेयर	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	2002-2003
11.	एशियाटिक सोसाइटी भवन	पार्क स्ट्रीट	कोलकाता	प. बंगाल	2002-2003

1	2	3	4	5	6
12.	मेघन डेविड सिनेगॉग	वार्ड सं. 45	कोलकाता	प. बंगाल	2002-2003
13.	इंस्टीच्यूट दि चंदननगर, डुप्ले पैलेस	चंदन नगर	हुगली	प. बंगाल	2002-2003
14.	बेथ-एल सिनेगॉग	पौल्लक स्ट्रीट	कोलकाता	प. बंगाल	2002-2003
15.	पटाल भुनेश्वर, गुफा मंदिर	भुनेश्वर	दीदीहाट पिथौरागढ़	उत्तरांचल	2002-2003
16.	आगा खा पैलेस	पुणे	पुणे	महाराष्ट्र	2002-2003

सारांश

2000-2001	6 स्मारक
2001-2002	शून्य
2002-2003	10 स्मारक
कुल	16 स्मारक

निजी कब्जे में रखे गए पशु

3570. श्री गुनीपाटी रामैया:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री गंता श्रीनिवास राव:
डा. चरणदास महंत:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली और निकटवर्ती राज्यों में फार्म हाऊस वन्य पशुओं को कैद करके रखने का स्थान बन चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो वन्य जीव संरक्षण, अधिनियम और अन्य संबंधित अधिनियमों के अन्तर्गत वन्य और लुप्तप्राय पशुओं को कैद करके रखने के दिल्ली और निकटवर्ती राज्यों में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दर्ज किए गए मामलों और गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन फार्म हाउसों में कैद करके रखे गये वन्य जीवों को सही-सही संख्या का पता लगाने हेतु एक सर्वेक्षण आरंभ करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, दिल्ली और आस-पास के लोगों के राज्यों से वन्यजीवों को बंदी बनाकर रखे जाने संबंधी कुछ मामलों के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रमुख मामलों संबंधी विवरण निम्नलिखित है:

राज्य	2000-01		2001-02		2002-03	
	जब्त किए गए जानवर	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	जब्त किए गए जानवर	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	जब्त किए गए जानवर	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
दिल्ली	बार्किंग डीयर-2	1	इंडियन शाफ्ट सैल टर्टल-18	2	काला हिरण-1	1
	फाल्कन-5	1	स्पाइनी टेल्ड		पायथान	1
	फाल्कन-3	1	लिजर्ड-1 तथा स्नेक-5			
हरियाणा	-	-	काला हिरण-1	-	काला हिरण-2	-

Scanned by CamScanner

(ग) से (ङ) वन्य जीवों का अप्राधिकृत और पर बन्दी रखा जाना वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के तहत एक अपराध है। एकत्र की गई सूचना/प्राप्त सूचना के आधार पर छापे मारे जाते हैं और कार्यवाही की जाती है।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के अंतर्गत रिक्त पद

3571. श्री बालकृष्ण चौहानः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभागों और उपक्रमों में श्रेणी क, ख, ग और घ के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्गों (ओ.बी.सी.) के कर्मचारियों की इस समय श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ख) केन्द्र सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभागों और उपक्रमों में अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) का आरक्षण कोटा पूरी तरह से भरा जा चुका है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त वर्गों के लिए आरक्षण कोटे को कब तक भरे जाने की संभावना है;

(च) क्या ओ.बी.सी. के कर्मचारियों को पदोन्नति के समय भी उन्हें आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है;

(छ) यदि हां, तो क्या ओ.बी.सी. के लिए आरक्षित पदों के लिए ओ.बी.सी. उम्मीदवारों के न मिलने पर इन पदों को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरा जाता है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) मंत्रालय में उपक्रमों सहित अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) से संबंधित कर्मचारियों की कुल संख्या की श्रेणीवार स्थिति निम्नलिखित हैं:-

क्र.सं.	श्रेणी	अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित कर्मचारी
1.	समूह ''क''	1
2.	समूह ''ख''	2
3.	समूह ''ग''	16
4.	समूह ''घ''	12

(ख) भारत सरकार के तहत सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले 27% पद अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित हैं।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। अन्य पिछड़ा वर्गों (ओ.बी.सी.) के लिए आरक्षण केवल सीधी भर्ती में है तथा प्रोन्नति और प्रतिनियुक्ति में नहीं है। मंत्रालय केवल वैज्ञानिक समूह 'क' और समूह 'ख' के पदों पर सीधी भर्ती करता है। उपरोक्त श्रेणियों में भर्ती के समय मंत्रालय ओ.बी.सी. के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखता है। ओ.बी.सी. संबंधी आरक्षित कोटे को भरे जाने के संबंध में न्यूनतम समय-सीमा निर्धारित किया जाना कठिन है।

(च) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के लिए प्रोन्नति में कोई आरक्षण नहीं है।

(छ) और (ज) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कपास उत्पादन

3572. श्री ए. नरेन्द्रः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व के कपास उत्पादक देशों में कपास उत्पादन प्रति हैक्टेयर 550 कि.ग्रा. है जबकि भारत में यह लगभग 260 कि.ग्रा. है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में कपास के प्रति हैक्टेयर उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं अथवा क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां। यह सत्य है कि भारत में कपास की उत्पादन क्षमता की तुलना में विश्व में कपास की औसत उत्पादन क्षमता अधिक है।

(ख) वर्ष 1999-2000 और वर्ष 2000-01 के दौरान विश्व एवं भारत के कपास की उत्पादन क्षमता का तुलनात्मक विवरण निम्नवत है:-

(कि.ग्रा. लिन्ट प्रति हैक्टेयर)

	1999-2000	2000-01
विश्व	554	572
भारत	225	190

Scanned by CamScanner

(ग) देश में कपास के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता सुधार के उद्देश्य से कपास प्रौद्योगिकी मिशन-II देश के 13 कपास उत्पादक राज्यों में कार्यान्वयनाधीन है। क्षेत्र तथा आई.पी.एम. प्रदर्शनों, विस्तार कर्मियों तथा किसानों के प्रशिक्षण के माध्यम से विकसित प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण हेतु और महत्वपूर्ण आदानों जैसे बीज स्प्रेयर स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई प्रणाली, फेरोमोन ट्रैप, जैव-कारकों आदि की आपूर्ति हेतु सहायता मिनी मिशन-II के तहत प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त, राज्यों को जैव-कारक उत्पादन ईकाई की स्थापना, सीड डीलिन्टिंग संयंत्र तथा रोग व कीट की निगरनी के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

झारखंड में नए विमानपत्तन

3573. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार झारखंड में नये विमानपत्तनों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) फिलहाल झारखंड राज्य में नया हवाई अड्डा बनाने की भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को कोई योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) किसी भी एयरलाइन आपरेटर ने झारखंड राज्य के नए स्टेशन से विमान सेवा शुरू करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अनुरोध नहीं किया है।

एयर इंडिया में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

3574. डा. अशोक पटेल:
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने एयर इंडिया के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना को किस तारीख से कार्यान्वित किया जायेगा;

(घ) एयर इंडिया के कितने कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार किये जाने की संभावना है और इसके फल-स्वरूप कितनी बचत होने की संभावना है; और

(ङ) उक्त योजना के कारण एयर इंडिया द्वारा कितना वित्तीय भार वहन किया जायेगा?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ङ) जी, हां। सरकार एअर इंडिया के कर्मचारियों के लिए इस शर्त पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को स्वीकृति प्रदान की है यह योजना स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के गुजरात पैटर्न पर डीपीई के मौजूदा दिशानिर्देश से किसी भी प्रकार से अलग नहीं होगी। कम्पनी के सभी स्थाई और पक्के (कन्फमर्ड) कर्मचारी, जो इस योजना के बन्द होने की तारीख पर भारतीय वेतनमान पर कार्य कर रहे हैं तथा उन्होंने अपनी कंपनी में 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है या 40 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वे इसके लिए पात्र होंगे। इस योजना में ये कर्मचारी शामिल नहीं होंगे:- (i) लाइसेंस श्रेणी के कर्मचारी तथा पायलेट, फ्लाइट इंजीनियर, विमान इंजीनियर, (ii) तकनीकी एवं परिचालनिक श्रेणी के कर्मचारी यथा तकनीकी अधिकारी, सिमुलेटर अनुरक्षण इंजीनियर, सेवा इंजीनियर (एयरक्राफ्ट गैर-लाइसेंस्ड), विमान उपस्कर आपरेटर आदि, (iii) ठेके पर कर्मचारी, (iv) वे कर्मचारी जो 2 वर्ष से बिना वेतन/भत्ता/5 वर्ष तक बढ़ाई जाने वाली ***पीएलआई*** पर हैं (v) प्रतिनियुक्ति पर सरकारी कर्मचारी/अन्य। यह योजना 24 फरवरी से 25 अप्रैल, 2003 तक लागू रहेगी या योजना पर होने वाली प्रतिक्रिया के आधार पर प्रबंधन द्वारा निर्धारित उचित समय तक लागू रहेगी। यह आशा की जा रही है कि इस योजना के अंतर्गत लगभग 1000 कर्मचारी ***वीआरएस*** का विकल्प देंगे। एअर इंडिया को इस योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के लिए लगभग 57 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ सहना पड़ेगा तथा कम्पनी को प्रतिवर्ष लगभग 31.01 करोड़ रुपए की बचत होने की आशा है।

[अनुवाद]

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले किसान

3575. श्रीमती निवेदिता माने: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर महाराष्ट्र में कितने किसान गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं;

(ख) किसानों के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा वर्ष 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के दौरान जारी की गयी धनराशि का योजना-वार, वर्ष-वार और राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप कितने किसान लाभान्वित हुए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) योजना आयोग राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा आयोजित परिवार उपभोक्ता व्यय के बारे में बड़े नमूना सर्वेक्षणों से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी रेखा का अनुमान लगाता है। गरीबी के व्यवसाय श्रेणी-वार अनुमान उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा आयोजित परिवार उपभोक्ता व्यय के संबंध में 55वें राउन्ड के नवीनतम बड़े नमूना सर्वेक्षण के लिए गए आंकड़ों के आधार पर योजना आयोग ने 1999-2000 में देश में ग्रमीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों, जिनमें किसान शामिल हैं की संख्या 193.24 मिलियन होने का अनुमान लगाया है। इसी वर्ष में ग्रामीण महाराष्ट्र में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या 12.51 मिलियन है।

(ख) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में प्रयोग में नहीं लायी जा रही धावनपट्टी

3576. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में धावनपट्टियों और विमानपत्तनों को प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन्हें प्रयोग में नहीं लाये जाने की समयावधि क्या है;

(घ) क्या इनका पुनरूद्धार करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में कोल्हापुर, शोलापुर, अकोला और हडपसर स्थानों में स्थित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की हवाई-पट्टियां किसी भी एयरलाइन प्रचालक द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जा रही हैं।

(ग) मैसर्स जेट एयरवेज ने वर्ष 2001 के दौरान कोल्हापुर हवाई अड्डे का प्रयोग किया था। किसी भी एयरलाइन प्रचालक द्वारा अकोला, हडपसर और शोलापुर हवाई अड्डों का प्रयोग कई वर्षों से नही किया गया है।

(घ) और (ङ) यह हवाई अड्डे विमान प्रचालन के लिए पहले से ही फिट हैं। किसी भी एयरलाइन ने अपनी नियत उड़ानों का प्रचालन इन हवाई अड्डों से करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अनुरोध नहीं किया है। एयरलाइनें विशिष्ट स्थानों पर अपनी वायु सेवाएं यातायात की मांग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर प्रदान करती है।

महिलाओं को कृषि में प्रशिक्षण

3577. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में महिलाओं का प्रशिक्षण देने हेतु एक राष्ट्रीय केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने जनजातीय महिलाओं के कल्याण के लिए जनजातीय क्षेत्रों में कृषि में प्रशिक्षण देने को कोई प्राथमिकता दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी नहीं।

(ख) शहडोल सहित, मध्य प्रदेश के 13 चिन्हित जिलों में कार्यान्वयनाधीन कृषि में मध्य प्रदेश महिला कृषि के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना पर विचार नहीं करती है। तथापि, परियोजना के चरण-2 के घटक के तहत कृषक महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए राज्य कृषि प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल में एक महिला संसाधन केन्द्र स्थापित किया जा रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) एम.ए.पी.डब्ल्यू.ए. के तहत कवर किए गये 13 जिलों में से चार जिले जनजातीय जिले हैं। ये मंडला, शहडोल, डिन्डोरी और उमरिया हैं।

एम.ए.पी.डब्ल्यू.ए. के लक्षित लाभार्थी सीमांत महिला कृषक हैं। जिनमें से जनजातीय महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के प्रधान कार्यालय का स्थानांतरण

3578. श्री लक्ष्मण सेठ: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के प्रधान कार्यालय को कोलकाता से राउरकेला में स्थानांतरित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसे स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तटवर्ती राज्यों के भू-जल स्तर में गिरावट

3579. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दशक के दौरान तटवर्ती राज्यों के भू-जल स्तर में तेजी से गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में भू-जल को खारे होने से बचाने और जल संकट से निपटने हेतु भू-जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए कोई व्यापक योजना आरम्भ की है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों के लिए वर्षवार कितनी धनराशि आबंटित की गयी/जारी की गयी?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुनचरण सेठी): (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, देश के तटीय क्षेत्रों सहित विभिन्न भागों में भूमि जल स्तरों की लगातार निगरानी करता है। विगत दशक (1992-2001) में जल स्तर में गिरावट वाले क्षेत्रों वाले तटीय राज्यों के जिलों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) जल राज्य का विषय होने के कारण, वर्षा जल संचयन एवं लवणता प्रवेश को रोकने सहित जल संसाधनों के संवर्धन से संबंधित स्कीमों की योजना, उनका वित्तपोषण एवं कार्यान्वयन करने की प्रारंभिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। केन्द्र सरकार द्वारा भूमिगत जलस्रोतों के पुनर्भरण से संबंधित निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(i) देश में भू-जल के पुनर्भरण के लिए केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम का कार्यान्वयन।

(ii) राज्यों/संघों राज्य क्षेत्रों में भू-जल के कृत्रिम पुनर्भरण मैनुअल/दिशानिर्देश परिचालित करना ताकि वे भू-जल स्तर की गिरती प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्षेत्र विशेष की कृत्रिम पुनर्भरण स्कीम तैयार कर सकें।

(iii) पूरे देश में जल संचयन एवं भू-जल पुनर्भरण संबंधी जन जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

(iv) भू-जल प्रबंधन एवं विकास के विनियमन एवं नियंत्रण के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण का गठन।

(v) वर्षा जल संचयन की विभिन्न तकनीकों और भविष्य में प्रयोग के लिए इसके भंडारण के विषय में जनता को जागरूक और शिक्षित करने के लिए छत के वर्षा जल संचयन पर एक वेबसाइड (डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू. सीजीडब्ल्यूबीईंडिया.काम) की शुरूआत।

(घ) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने अपनी केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत ''भूमि जल पुनर्भरण अध्ययन'' के लिए देश में प्रदर्शनात्मक वर्षाजल संचयन एवं पुनर्भरण परियोजनाओं को क्रियान्वित किया है। इस स्कीम के अंतर्गत, वर्ष 2000-2001, 2001-2002 तथा 2002-2003 के दौरान क्रमश: 619.55 लाख एवं 1408.36 लाख एवं 780.37 लाख रुपए की निधियां राज्य सरकारों को स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जारी की गयी थीं।

विवरण

विगत दशक (1992-2001) में जल स्तर में पानी से अधिक गिरावट को दर्शाने वाले तटीय राज्यों के जिलों (भागों में) के नाम

(मानसून पूर्व अवधि)

क्रम सं.	राज्य	जल स्तर में गिरावट (प्रतिवर्ष 20 सेंमी. से अधिक की दर से)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	पश्चिमी गोदावरी, नेल्लोर, प्रकासम, श्रीकाकुलम, विशाखापट्नम

1	2	3
2.	गुजरात	कच्छ, जामनगर, जूनागढ़, भावनगर, अमरेली, अहमदाबाद, खेड़ा, बड़ौदा, भरूच, सूरत, वलसाड
3.	कर्नाटक	दक्षिणी कन्नड, उत्तरी कन्नड
4.	केरल	कन्नूर, कोजीकोड, त्रिचूर, तिरूवनंतपुरम
5.	महाराष्ट्र	शून्य
6.	उड़ीसा	गंजाम, कटक, बालासोर, केन्द्रपाड़ा, जगतसिंहपुर
7.	तमिलनाडु	कन्याकुमारी, तिरूनेलवेली
8.	पश्चिम बंगाल	मेदिनीपुर, दक्षिणी 24 परगना

तिलहन उत्पादन में गिरावट

3580. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवी योजना अवधि के दौरान तिलहन उत्पादन में भारी गिरावट के परिणामस्वरूप खाद्य तेल का आयात बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओं.पी.पी.) और आयल पाम विकास कार्यक्रम (ओ.पी.डी.पी.) तिलहन उत्पादन को बढ़ाने में विफल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में किसानों को तिलहन के अधिकाधिक उत्पादन का विकल्प चुनने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) जी नहीं। विगत तीन वर्षों के दौरान देश के प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्यों में व्याप्त सूखे की स्थिति के कारण तिलहन उत्पादन में गिरावट आई है।

(घ) प्रश्न नहीं होता।

(ङ) देश के विभिन्न राज्यों में तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओ.पी.सी.) और पाम आयल विकास कार्यक्रम (ओ.पी.डी.पी.) कार्यान्वयनाधीन हैं। बड़े पैमाने पर तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को इन दोनों स्कीमों के तहत प्रेरित करने हेतु विभिन्न महत्वपूर्ण आदानों पर वित्तीय सहायता की जाती है।

नागर विमानन के लिए युद्ध जोखिम बीमा

3581. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकाक स्थित अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ने विमान यात्रियों के लिए सार्वभौमिक युद्ध जोखिम बीमा की एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत अपने घरेलू क्षेत्रों और भारत से आरंभ होने वाली उड़ानों पर इस प्रणाली को अपनाने पर विचार कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इस योजना के प्रचालन में आने पर भारत में इसका क्या वित्तीय प्रभाव पड़ेगा।

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) ने विश्व स्तर पर विमानन युद्ध बीमा योजना स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। जिससे अभी वाणिज्यिक बीमा बाजार द्वारा तृतीय पार्टी युद्ध बीमा को आफर किए गए अधिकतम 50 मिलियन यू.एस. डालर को कवर किया जा सके। यह योजना प्रति यात्री द्वारा किए गए प्रीमियम और प्रत्येक संबद्ध देश की 15 बिलियन यू.एस. डालर की कुल राशि को पूरा करने के लिए इकायों को दिए गए अंशदान के अनुपात पर दी गई सरकारी गारंटी के आधार पर धनराशि उपलब्ध कराएगी। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों सेक्टरों पर लागू होगी। भारत इस योजना के पक्ष और विपक्ष पर विचार कर रहा है।

केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

3582. श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री ए. नरेन्द्र:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक केन्द्र प्रायोजित योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यों के लिए प्रत्येक योजना के अंतर्गत धनराशि आबंटित करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं और संबंधित केन्द्रीय धनराशि का प्रतिशत कितना है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस संबंध में प्रत्येक राज्य से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा, जारी की गयी धनराशि और राज्यों द्वारा उपयोग में लायी गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जल निकायों में प्रदूषण संबंधी रिपोर्ट

3583. श्री रामजी मांझी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की वर्ष 2001 की रिपोर्ट के अनुसार जैसा कि जल अधिनियम में प्रावधान किया गया है, कतिपय राज्य जल निकायों के प्रदूषण की रोकथाम करने और उसे नियंत्रित करने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने जल निकायों के प्रदूषण को नियंत्रित करने और उसकी रोकथाम करने के लिए कोई उपाय किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) से (घ) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की वर्ष 2001 की रिपोर्ट में यह संकेत दिया गया है कि अधिकांश उद्योग वैद्य महमति और उपेक्षित प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं के बिना ही चलाए जा रहे हैं। तदनुसार जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18(1) के अंतर्गत केन्द्रीय नियंत्रण बोर्ड ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण समितियों को ये निर्देश जारी किए हैं कि वे वैद्य सहमति और अपेक्षित प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं के बिना ही चलाए जा रहे उद्योगों का पता लगाए और ऐसे सभी उद्योगों के विरुद्ध उपयुक्त कानूनी कार्रवाई करें। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने भी जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु निवारक, समर्थक और उपशामक जैसे कई उपाय करने आरंभ कर दिए हैं।

प्रशिक्षण संस्थान को स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब

3584. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशक को मैसर्स यश एअर लिमिटेड द्वारा उड़ान प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए अनुमति प्रदान करने में जानबूझकर विलंब किए जाने से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो नागर विमानन महानिदेशक के पास कितनी अवधि से यह आवेदन लंबित हैं;

(ग) इस विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस आवेदन पर क्या कार्रवाई की जा रही है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) नागर विमानन महानिदेशालय ने मैसर्स यश एअर लिमिटेड को पहले ही सिरपुर महाराष्ट्र में उड़ान प्रशिक्षण संस्थान शुरू करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। इस पर देरी मैसर्स यश एयर लिमिटेड द्वारा अपना बेस एक स्थान से अन्यत्र बदलने हेतु आवेदन देने के कारण, इसके संचालक मंडल के निदेशकों के पूर्ववृत्तों की समीक्षा और गृह मंत्रालय से सुरक्षा क्लीयरैंस अनुमति प्रदान करने के कारण हुई।

[हिन्दी]

बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि

3585. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दशकों की तुलना में गत दशक के दौरान बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में अधिक कमी अभी है; और

(ग) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कार्य योजना तैयार की गयी है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा समय-समय पर किए गए नमूना सर्वेक्षणों के अनुसार वर्ष 1983, 1987-88, 1993-94 तथा 1999-2000 में देश में अनुमानित बेरोजगारी क्रमश: 60 लाख, 90 लाख, 75 लाख, एवं 90 लाख के लगभग थी।

(ख) वर्ष 1983, 1987-88, 1993-94 तथा 1999-2000 में पुरुषों एवं महिलाओं का अनुमानित रोजगार संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) 10वीं पंचवर्षीय योजना दृष्टिकोण में अतिरिक्त श्रम बल को लाभप्रद उच्च गुणवत्तात्मक रोजगार उपलब्ध करवाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है तथा इसे 10वीं योजना व इससे आगे के लिए प्रबोधनीय (मानिटरेबल) उद्देश्य माना गया है। 10वीं योजना की विकास नीति में उच्च गुणवत्तात्मक रोजगार अवसरों को सृजित किए जाने तथा रोजगार वृद्धि को हतोत्साहित करने वाले नीतिगत अवरोधों के समाधान की संभावना वाले क्षेत्रों के तीव्र विकास पर बल दिया जाएगा। अत्यधिक रोजगार की संभावना वाली आर्थिक गतिविधियों की वृहद श्रृंखला को प्रभावित करने वाले नीतिगत वातावरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

विवरण

वर्ष	अनुमानित रोजगार (मिलियन में)				योग
	पुरुष	प्रतिशत वृद्धि(साधारण औसत) प्रतिवर्ष	महिलाएं	प्रतिशत वृद्धि साधारण औसत) प्रतिवर्ष	
1983	200.13	–	102.19	–	302.75
1987-88	217.50	1.74	107.11	0.96	324.29
1993-94	252.76	2.70	121.63	2.26	374.45
1999-2000	273.98	1.40	123.04	0.19	397.00

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस के दिहाड़ी मजदूर

3586. श्री खगेन दास: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन एयरलाइंस द्वारा कितने नियमित कर्मचारियों, ठेका मजदूरों और दिहाड़ी मजदूरों जैसे अन्य कितने कर्मचारियों को काम दिया गया और अगरतला में ऐसे कितने कर्मचारी हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इस समय दिहाड़ी पर काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) दिनांक 28.2.2003 को इंडियन एयरलाइंस में नियमित कर्मचारियों और नैमेतिक/दैनिक मजदूरी के आधार पर अन्य कर्मचारियों की संख्या 19357 है (इसमें शार्टहाल प्रचालन विभाग के वे 209 कर्मचारी शामिल नहीं है जिनकी वरीयता मिलाई नहीं गई है)।

इंडियन एयरलाइंस के नियमित कर्मचारियों के अतिरिक्त, छुट्टी वाली रिक्तियों या तत्काल और अल्पकालीन प्रकृति का अतिरिक्त कार्यभार, गैरनियोजित गैरहाजिरी या प्रचालनिक आवश्यकताओं के प्रति मुख्य रूप से वाणिज्यिक हेल्पर, इंजीनियरी हेल्पर, सफाईवाले, ड्राइवर आदि की श्रेणी में नैमेतिक रोजगार बनाए रखा गया है। 64 स्टेशनों वाले इंडियन एयरलाइंस के संपूर्ण नेटवर्क में लगभग 1450 कर्मचारी नैमेतिक आधार पर लगाए गए हैं। नैमेतिक मजदूरों की संख्या आवश्यकता के आधार पर दिन-प्रतिदिन बदलती रहती है।

दिनांक 1.3.2003 को अगरतला में नियमित कर्मचारियों और नैमेतिक/दैनिक मजदूरी के आधार पर अन्य कर्मचारियों की संख्या क्रमश: 42 और 6 है। खराब उपस्करों की मरम्मत और इंडियन एयरलाइंस के वाहनों की सफाई के लिए दिन-प्रतिदिन के आधार पर दो मजदूर उपलब्ध कराने के लिए दो निजी ठेकेदारों को ठेका दिया गया है।

(ख) और (ग) विभिन्न स्थानों पर नैमेतिक/दैनिक मजदूरी के कर्मचारी स्थायी रोजगार/नियमित रोजगार के लिए विभिन्न अदालतों में चले गए हैं। अदालतों ने कहा है कि नैमेतिक मजदूरों को स्वत: नियमित किये जाने या स्थायी रोजगार का अधिकार नहीं है बहरहाल, अदालत ने कहा है कि जब नियमित आधार पर कर्मचारियों की भर्ती होती है तो ऐसे कर्मचारियों पर विचार किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

पृथक गन्ना मूल्य की घोषणा

3587. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा पहले ही घोषित किये जा चुके गन्ना मूल्य के अतिरिक्त अपने पृथक गन्ना मूल्य की घोषणा की है जिससे गन्ने की खेती करने वाले किसानों और चीनी मिलों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) गन्ना (नियंत्रक) आदेश, 1966 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्येक चीनी मौसम के लिए गन्नों का सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एस.एम.पी.) केन्द्रीय सरकार निर्धारित करती है। वर्तमान चीनी मौसम के लिए सरकार ने 69.50 रुपए प्रति क्विंटल पर गन्ने का सार्वाधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया है जिसमें 8.5% वसूली शामिल है। 12.11.2002 को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम और सहकारी चीनी मिलों के संबंध में गन्ना मूल्य समान स्तर पर घोषित किया है जैसाकि पिछले चीनी मौसम के लिए निर्धारित किया गया था।

[अनुवाद]

डी.एम.एस. द्वारा घटिया मदों की खरीद

3588. श्री रामचन्द्र पासवान: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली दुग्ध योजना (डी.एम.एस.) ने वर्ष 2001-2002 के दौरान एन सी सी एफ, नोएडा से घटिया और बिना ब्रांड की मंहगी मदों की खरीद और उन्हें अन्य स्थानों पर भेजे जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(घ) ऐसी मदों की कीमत क्या है और इन मदों को दूसरे स्थानों पर भेजने का क्या उद्देश्य हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां। सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा 2001-2002 में एनसीसीएफ, नौएडा के माध्यम से मदों की खरीद में अनियमितताएं हुई हैं।

(ख) से (ङ) सरकार द्वारा बिठाई गई प्राथमिक जांच-पड़ताल का काम चल रहा है। रिपोर्ट प्राप्त होते ही उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

नकली उर्वरकों का प्रयोग

3589. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आंध्र प्रदेश सहित सारे देश में किसानों को नकली उर्वरकों के कारण भारी हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में किसानों के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) किसानों को गुणवत्ता प्राप्त उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने अनिवार्य जिन्स अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत उर्वरक (नियंत्रक) आदेश, 1985 बनाया है। इस आदेश में यह व्यवस्था है कि केवल ऐसे उर्वरकों का विनिर्माण/आयात किया जाएगा और किसानों को बिक्री की जाएगी जो कथित आदेश में निर्धारित मानकों को पूरा करते हों। देश में 66 प्रयोगशालाएं हैं जिनकी उर्वरक गुणवत्ता का परीक्षण करने की विश्लेषण क्षमता लगभग 1.20 लाख नमूना प्रतिवर्ष है। राज्य प्रर्वतन एजेंसियां गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए विनिर्माण इकाइयों और उनके डीलरों से आवधिक रूप से नमूना आहरित करती हैं और उर्वरक (नियंत्रण) आदेश/अनिवार्य जिंस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अपराधियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करती हैं। सरकार आर्गेनिक खाद्य, ग्रामीण/शहरी कम्पोस्ट, हरी खाद, बायो-उर्वरकों जैसे पोषकों के आर्गेनिक स्त्रोतों के उपयोग और बायो कृमिनाशियों सहित खरपतवारों और कृमियों के नियंत्रण के यांत्रिक/प्राकृतिक साधनों के भी उपयोग के माध्यम से आर्गेनिक खेती का सर्वधन कर रही है।

फार्म मशीनीकरण पर परियोजना

3590. श्री चन्द्र प्रताप सिंह:
श्री हरीभाऊ शंकर महाले:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान (आई.ए.एस.आर.आई.) इस समय फार्म मशीनीकरण की एक दीर्घकालीन नीति के संबंध में कोई परियोजना चला रहा है;

(ख) यदि हां, तो शीर्षक, परियोजना अनुदेशक (पीआई) का नाम वित्तपोषण करने वाल एजेंसी, परियोजना लागत, आई ए एस आर आई द्वारा प्रभारित राशि, परियोजना शुरू करने की तारीख, अनुप्रयोग उपोयगिता और परियोजना के पूरा होने की वास्तविक/प्रत्याशित तारीख सहित परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परियोजना विलंम्बित हो गई हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उपोरक्त पी. आई. परियोजना अनुदेशक को ऊर्जा उपयोग संबंधी परियोजना का पूर्व अनुभव हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) लागू नहीं होता।

(ङ) और (च) डा. के. के. त्यागी, प्रमुख वैज्ञानिक का ऊर्जा उपयोग पर परियोजना का पुराना अनुभव है। वह संस्थान की अनुसंधान परियोजना नामत: ''कृषि में आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के विभिन्न स्तरों के लिए ऊर्जा उपयोग आकलन के लिए पायलट नमूना सर्वेक्षण'' के लीडर है। परियोजना का लक्ष्य श्रमिक और निवेश जैसे सिंचाई, उर्वरकों आदि के संबंध में आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के विभिन्न स्तरों के लिए ऊर्जा उपयोग के आकलन हेतु उपयुक्त सैम्पलिंग प्रविधि विकसित करना था। खेत आंकड़ा संग्रहण का कार्य उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में किया गया। अपनाई गई सैम्पलिंग डिजाइन मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग में संस्तरित किया गया जिसमें सस्य तथा कृषि-आर्थिक जांच के तहत तहसील को एक संस्तर और गांव किसानों को क्रमश: प्राथमिक और द्वितीय स्तर सैम्पलिंग की यूनिटें बनाया गया। उत्पादन आकलन सर्वेक्षण के लिए गांवों, किसानों, खेतों और 5×5 मीटर के प्लाटों को प्रथम, द्वितीय ,तृतीय और चौथे स्तर के सैम्पलिंग यूनिट बनाया गया।

विवरण

शीर्षक: प्रत्येक कृषि-जलवायवीय क्षेत्र/राज्य के लिए दीर्घावधि मशीनीकरण की कार्यनीति तैयार करने से संबंधित अध्ययन

प्रधान अन्वेषक का नाम:	डा. के. के. त्यागी, प्रधान वैज्ञानिक
निधिकरण एजेन्सी:	कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।
परियोजना की लागत:	1.30 करोड़ रुपए (स्वीकृत)
आई.ए.एस.आर.आई. द्वारा चार्ज की गयी राशि:	संस्थागत खर्चो के रूप में: 2.70 लाख रु.
आरम्भ/शुरू करने की तिथि:	01 जुलाई, 2000
परियोजना प्रस्ताव के अनुसार पूर्ण होने की तिथि:	शुरू करने की तिथि से तीन वर्ष।
व्यावहारिक उपयोगिता:	इस परियोजना की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार द्वारा नीति तैयार करने में इसका देश के प्रत्येक राज्य/कृषि जलवायवीय क्षेत्र में कृषि के चहुंमुखी विकास के लिए प्रयोग किया जा सकता है।
पूर्ण होने की वास्तविक/ अनुमानित तिथि:	30 जून, 2003

परियोजना परिचय

इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न कृषि जलवायवीय क्षेत्रों में प्रबल सामाजिक-आर्थिक, कृषि-जलवायवीय, सस्य विज्ञान, बुनियादी ढांचा तथा अन्य संबंधित कारकों का सूक्ष्म स्तर पर गहन अध्ययन करने पर विचार किया जाता है जिसमें संबंधित क्षेत्रों के लिए कृषि के मशीनीकरण के विस्तार, उनकी कृषि उत्पादकता तथा उपयुक्त दीर्घावधि फार्म मशीनीकरण की कार्यनीतियों के सूत्रीकरण पर दिशाकोण होता है। यह संभव है कि अनेक क्षेत्रों/राज्यों के लिए कार्यनीति/कार्यक्रम का एक ही सेट फार्म मशीनीकरण के विस्तार तथा चहुंमुखी एवं उसमें टिकाऊ कृषि विकास के लिए एक समान प्रेरक नहीं हो सकता है। विभिन्न क्षेत्रों/राज्यों के लिए कृषि

मशीनीकरण क्षमता और उसमें कृषि मशीनीकरण की भावी आवश्यकताओं के अनुसार सूत्रबद्ध करने की आवश्यकता है।

सैम्पलिंग डिजाइन

प्रत्येक कृषि जलवायवीय क्षेत्र/राज्य जो जिले का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा है, और विकसित विकासशील और कम से कम विकसित पाकेटों का प्रतिनिधित्व करते हैं, के लिए अध्ययन किया जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य स्थिति का पूरा ब्यौरा और एक उपयुक्त समय ढांचे में पूर्ण मशीनीकरण करने की दिशा में भावी जरूरतों को पूरा करना है।

अपनाया गया सैम्पलिंग डिजाइन है स्ट्राटिफाइड मल्टीस्टेज रैंडम सैम्पलिंग। इस समय भारत में कुल जिलों की संख्या लगभग 585 है। जिसमें से 120 जिलों के सैम्पल चुने गये हैं जिसमें स्ट्राटा (राज्य या राज्य समूह) में ही विभिन्न जिलों के मशीनीकरण इंडैक्स को समुचित ध्यान में रखा गया है जिसके बाद आनुपातिक आवंटन किया गया है। प्रत्येक चुने हुए जिले से 40 गांवों के नमूने भी एकत्रित किए गए। तदनुसार, चुने हुए गांवों की कुल संख्या 4800 है। प्रत्येक चुने हुए गांव में से मशीनीकरण के स्तर और अपनाते (खेत के आकारवार) को ध्यान में रखते हुए 10 घरों के नमूने चुने गये हैं। इस तरह चुने हुए घरों की कुल संख्या 4800 है। संदर्भित वर्ष कृषि वर्ष 2000-2001 है।

परियोजना के उद्देश्य

(i) मृदा प्रकारों, भूमि स्वरूप का अध्ययन करना।

(ii) किसानों और फार्म श्रमिकों के सामाजिक आर्थिक दशा (वित्तीय स्तर) का अध्ययन करना और जरूरी कृषि उपस्कर/मशीनरी को खरीदने और अपनाने के लिए उनकी क्षमताओं का मूल्यांकन करना।

(iii) जुताई से लेकर कटाई के बाद तक की विभिन्न कृषि क्रियाओं में प्रयुक्त होने वाले उपस्करों को अधिक महत्व देना।

(iv) क्षेत्रों में विभिन्न फसलों, सस्य प्रणालियों के लिए परम्परागत और सुदृढ़ विभिन्न कृषि उपस्करों, जिनका अभी प्रयोग किया जा रहा है और जिनको भविष्य में प्रयुक्त किया जायेगा, की उपयोगिता और प्रकारों का अध्ययन।

(v) श्रमिकों के रोजगार पर फार्म मशीनीकरण के प्रभाव का अध्ययन।

(vi) कृषि और बागवानी दोनों की फसल प्रणालियों का राष्ट्रीय औसत के संदर्भ में उनकी पैदावार और बढ़वार क्षमता का अध्ययन।

(vii) प्रति हैक्टेयर फार्म ऊर्जा के उपयोग, उसकी आवश्यकता, विभिन्न कृषि क्रियाओं के लिए अंतरालों को भरने के साधनों के उपयोग का अध्ययन और मूल्यांकन।

(viii) कृषि उपस्करों के निर्माण, विपणन, बिक्री के बाद सेवा/मरम्मत आदि के लिए बुनियादी ढांचे संबंधी सुविधाओं का अध्ययन करना।

(ix) कृषि मशीनीकरण पर विभिन्न योजना कार्यक्रमों की योजना बनाने, प्रोत्साहन देने और विस्तार के लिए केन्द्र और राज्य स्तर पर बुनियादी ढांचों की जरूरतों और पर्याप्तता का अध्ययन और मूल्यांकन करना।

(x) अगले 20 वर्षों अर्थात् वर्ष 2020 तक विभिन्न कृषि क्रियाओं के लिए नए/उन्नत कृषि उपस्करों, जिनकी आवश्यकता किसानों को होगी, की पहचान करना।

(xi) वर्ष 2001-2005, 2005-2010, 2010-2015, 2015-2020 की अवधि के दौरान कृषि के मशीनीकरण के लिए जरूरी नीतियों और कार्यक्रमों को बनाना।

[हिन्दी]

कृषि और सहकारिता मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन

3591. श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री सत्यब्रत चतुर्वेदी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों के कृषि और सहकारिता मंत्रियों का 11 दिसम्बर, 2002 को दिल्ली में अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किस विषय पर चर्चा की गई और उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) सरकार द्वारा उसके क्रियान्वयन हेतु अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) फसल बीमा के संबंध में लिए गए सभी संकल्पों और निर्णयों को कब तक लागू किया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) कृषि ऋण की उपलब्धता का विस्तार करने, कृषि ऋणों पर ब्याज दरों को तर्कसंगत बनाने, सहकारी ऋण संरचना का सुधार करने, राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम के कार्यान्वयन आदि से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

(ग) सम्मेलन में पारित संकल्पों को सभी राज्य सरकारों और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों को इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेजा गया है।

(घ) फसल बीमा के संबंध में संकल्पों और निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, इस मामले पर वित्त मंत्रालय सहित संबंधित सभी के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है ताकि शीघ्र कार्यान्वयन किया जा सके।

[अनुवाद]

मुंबई में भविष्य निधि के पुनर्भुगतान में विलम्ब

3592. श्री किरीट सोमैया: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुंबई में कर्मचारियों को भविष्य निधि का भुगतान करने में कोई विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा संबंधित विभाग को सेवानिवृत्ति के समय पुनर्भुगतान हेतु कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विभाग को इस संबंध में संसद सदस्यों और कर्मचारियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(च) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) जी, हां।

(ख) देरी के कारण इस प्रकार है।

* नियोक्ता या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा फार्मों को प्रतिहस्ताक्षरित नहीं करना।

* बैंक बचत और बैंक खाता सं. और बैंक के नाम व पते में उसी के ऊपर त्रुटि सुधार के कारण अपठनियता।

* दावा फार्म में अपेक्षित अग्रिम रसीद पर राजस्व टिकट नहीं चिपकाना और पर हस्ताक्षर नहीं करना।

(ग) जी, हां।

(घ) केन्द्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952, के पैरा 72 (7) और पेंशन स्कीम 1995 के पैरा-17क के निहित उपबंधों के माध्यम से दिशा-निर्देश जारी किए गए है। दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि पूरी तरह से पूर्ण अन्य अपेक्षित दस्तावेजों के साथ प्राप्त होने पर उसमें लाभांश राशि का भुगतान लाभार्थी को आयुक्त द्वारा दावा प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कर दिया जाएगा। दावों के शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को समुचित निर्देश जारी करके प्रेरित किया गया है। और मुख्य कार्यालय के कार्यसंचालन को सुदृढ़ बना दिया गया है।

नियोक्ताओं और सदस्यों को भी सेमिनार और अन्य मंचों के माध्यम से स्कीम की विशिष्ठ जरूरतों के बारे में शिक्षित किया गया है।

(ङ) जी, हां।

(च) जहां कहीं भी कर्मचारियों की ओर से देरी पाई जाती है समुचित कार्रवाई की गई है।

मूंगफली रोग

3593. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में मूंगफली की फसल (सूरलीपूंची माइट से उत्पन्न) रोग से प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में कुल कितनी मूंगफली का उत्पादन प्रभावित हुआ है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा कर्नाटक को इस रोग की रोकथाम हेतु क्या सहायता उपलब्ध कराई गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) राज्य कृषि विभाग के परामर्श के अनुसार किसानों द्वारा समय पर किए गए पौध रक्षण उपायों के कारण, उत्पादन में कोई हानि नहीं हुई।

(ग) इस रोग के लिए कोई पृथक वित्तीय सहायता नहीं दी गई। तथापि, वर्ष 2002-03 के दौरान, तिलहन उत्पादन कार्यक्रम नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत कर्नाटक राज्य को 120.00 लाख रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता विभिन्न तिलहन फसलों, जिनमें मूंगफली शामिल है, के विकास के लिए दी गई। इन विकासात्मक कार्यकलापों में एकीकृत कृमि प्रबंधन, पौध-रक्षण उपकरण और पौध रक्षण रसायनों जैसे कार्यकलाप शामिल हैं।

गहरे समुद्र में टूना मत्स्यपालन हेतु संयुक्त उद्यम परियोजना

3594. डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राममोहन गाड्डे:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से गहरे समुद्र में टूना मत्स्यपालन हेतु न्यूयार्क, यू एस ए स्थित कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम परियोजना हेतु स्वीकृति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिए अनुमति दे दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और स्वीकृति कब तक दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) परियोजना प्रस्ताव आन्ध्र प्रदेश सरकार तथा डब्ल्यू टी डी आई के साथ 50:50 की हिस्सेदारी के आधार पर वर्ल्ड टूना डेवलेपमेंट इंटरनेशनल इन्क. (डब्ल्यू टी डी आई), यू. एस. ए. के साथ संयुक्त उद्यम लगाने के लिए है। इस परियोजना के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश सरकार को 12 टूना लांगलाइनर आयात करने हैं। प्रस्तावित परियोजना पकड़ी गई मछलियों के प्रशीतन, प्रसंस्करण, रखरखाव तथा पैकेजिंग के लिए भूमि सुविधाओं सहित डब्ल्यू टी डी आई के साथ तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहायता वाली एकीकृत परियोजना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) आन्ध्र प्रदेश सरकार तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों से इस प्रस्ताव पर कुछ और स्पष्टीकरण मंगाए गए हैं।

[हिन्दी]

कार्यालय व्यय

3595. श्री रामदास आठवले: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों और उपक्रमों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष शीर्षवार प्रचार, विज्ञापनों, स्वागत, खानपान, उद्घाटन समारोहों, गोष्ठियों सम्मेलनों, दौरों (विदेशी दौरों सहित) एस टी डी और आई एस डी टेलीफोन बिलों (विशेष रूप से एयर कंडीशनरों और कूलरों) तथा अन्य कार्यालयी खर्चों पर कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार उपर्युक्त शीर्षों के संबंध में खर्च कम करने हेतु कोई अभियान शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) सूचना नीचे दी गई है:-

(लाख रुपए में)

लेखा शीर्ष		इस्पात मंत्रालय			सरकारी क्षेत्र के उपक्रम		
		1999-00	2000-01	2001-02	1999-00	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अन्य प्रभार	1.96	5.80	6.22	551.08	833.26	590.23
	क. प्रचार						
	ख. विज्ञापन						

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	आतिथ्य क. होटल ख. आतिथ्य ग. खान-पान घ. उद्घाटन ङ. समारोह च. बैठकें छ. गोष्ठियां ज. सम्मेलन	2.31	4.14	3.05	889.80	928.94	946.12
3.	दौरे क. घरेलू ख. विदेश	28.52	40.17	42.00	5586.15	4699.15	4645.61
4.	कार्यालय व्यय क. टेलीफोन ख. बिजली ग. अन्य कार्यालय व्यय	105.84	120.07	105.90	105991.35	113708.77	151069.22

(ख) से (घ) विभिन्न शीर्षों के तहत समग्र व्यय में 10% की कटौती का सख्ती से पालन करने के अलावा, सरकार परिहार्य व्यय जहां संभव हो, में कटौती करने के लिए लगातार प्रयास करती है।

[अनुवाद]

कृषि ग्रामीण उद्योगों के विकास के बारे में सर्वेक्षण

3596. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वी भारत के राज्यों में दसवीं योजनावधि के दौरान कृषि और ग्रामीण उद्योगों के विकास हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में राज्य-वार कार्यरत कृषि और ग्रामीण उद्योगों की संख्या कितनी है और उनका स्वरूप क्या है; और

(घ) उड़ीसा में ऐसे उद्योगों के लिए वित्तीय लागत, वित्तपोषण के स्रोत और वास्तविक लक्ष्यों सहित उक्त अवधि के दौरान उनके विकास हेतु योजना और इन उद्योगों के विकास की क्या संभावना है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघ प्रिय गौतम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) देश में कार्यरत कृषि एवं ग्रामोद्योग की संख्या विवरण-I में संलग्न है। देश में कार्यरत कृषि एवं ग्रामोद्योगों की प्रकृति का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) उड़ीसा में कृषि एवं ग्रामोद्योगों, विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण, वन आधारित उद्योग, फाइबर उद्योग, औषधीय पौधों, मधुमक्खी पालन उद्योग, ग्रामीण अभियांत्रिकी, बायोटैक्नालाजी इत्यादि में विकास की संभावना है। दसवीं योजना राज्य में 4887 कृषि एवं ग्रामोद्योग परियोजनाओं के लक्ष्य का अर्थ होगा लगभग 97.00 करोड़ रुपए की वित्तीय पूर्ति जो संघ सरकार के मार्जिन मनी सहायता सहित बैंकों द्वारा प्रदान की जाएगी।

विवरण I

31.3.2002 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार कृषि एवं ग्रामोद्योग व्यवस्था

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त पोषित परियोजनाएं
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रेदश	9955
2.	अरुणाचल प्रदेश	317
3.	असम	425
4.	बिहार	529
5.	गोवा	1931
6.	गुजरात	682
7.	हरियाणा	3509
8.	हिमाचल प्रदेश	1068
9.	जम्मू एंड कश्मीर	5754
10.	कर्नाटक	10326
11.	केरल	5592
12.	मध्य प्रदेश	16779
13.	महाराष्ट्र	16805
14.	मणिपुर	623
15.	मेघालय	2784
16.	मिजोरम	732
17.	नागालैंड	4665
18.	उड़ीसा	1467
19.	पंजाब	7363
20.	राजस्थान	20365
21.	सिक्किम	18
22.	तमिलनाडु	3484
23.	त्रिपुरा	48
24.	उत्तर प्रदेश	11704
25.	पश्चिम बंगाल	11416
26.	अंडमान एंड निकोबार	162
27.	चंडीगढ़	139
28.	दादर व नगर हवेली	8
29.	दिल्ली	203
30.	लक्षद्वीप	01
31.	पांडिचेरी	899
32.	झारखंड	197
33.	छत्तीसगढ़	218
34.	उत्तरांचल	313
	कुल	140481

विवरण II

1995-96 से 2001-2002 तक राज्य-वार कृषि एवं ग्रामोद्योग व्यवस्था

क्र.सं.	उद्योग	परियोजनाओं की सं.
1.	कृषि आधारित एवं खाद्य उद्योग	29355
2.	अभियान्त्रिकी एवं गैर पारम्परिक ऊर्जा	22862
3.	वन आधारित उद्योग	30273
4.	खनिज आधारित उद्योग	18007
5.	पालीमार तथा रसायन आधारित उद्योग	22238
6.	सेवा उद्योग	11359
7.	टैक्सटाइल उद्योग	6387
	कुल	140481

मवेशी और भैंस प्रजनन हेतु राष्ट्रीय परियोजना

3597. श्री मोहन रावले:
श्री प्रकाश वी. पाटील:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने अक्तूबर, 2001 में केन्द्र सरकार के पास मवंशी और भैंस प्रजनन हेतु राष्ट्रीय परियोजना (एन.पी.सी.बी.बी.) के अंतर्गत एक परियोजना उनके अनुमोदनार्थ भेजी थी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अभी तक क्या कार्रवाई की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। तथापि, परियोजना के लिए राज्य क्रियान्वयन एजेंसी के गठन पर अधिसूचना तथा राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम के तहत प्रदान की गयी निधियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र, जो प्रस्ताव के मूल्यांकन की पूर्व आवश्यकता है, की राज्य सरकार से अभी भी प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

कृषि विपणन कार्यक्रम

3598. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय द्वारा कृषि विपणन के अंतर्गत किसानों हेतु लागू किए जा रहे कार्यक्रमों और ऋण देने के मानदण्ड अनुदान और वित्तीय सहायता तथा उसमें राज्य सरकारों के योगदान का ब्यौरा क्या है; और

(ख) कार्यक्रम/योजनावार, वर्षवार 1 अप्रैल, 1998 से गत 5 वर्षों के दौरान कृषि विपणन कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान में आवंटित राशि का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) यह मंत्रालय देश में कृषि विपणन के विकास के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की भण्डारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा ग्रामीण गोदामों के निर्माण/पुनरूद्धार/विस्तार के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी के केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम क्रियान्वित की जा रही है। इस स्कीम के तहत उद्यमियों को उनके वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर देश में कहीं भी नगर निगम के क्षेत्र के बाहर ग्रामीण गोदामों का निर्माण/पुनरूद्धार करने के लिए स्वतंत्रता है। केन्द्र सरकार द्वारा परियोजना की पूंजी लागत पर 25% बैंक-एन्डेड सब्सीडी दी जाती है तथा पूर्वोत्तर राज्यों, जनजातीय तथा पर्वतीय क्षेत्रों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित उद्यमियों के मामले में 33.33% की उच्च दर पर सब्सीडी दी जाती है। परियोजना की कुल लागत में से 50% लागत बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से आवधिक ऋण के रूप में प्राप्त करनी होती है तथा शेष 25% उद्यमियों को वहन करना होता है। इस स्कीम के तहत राज्य सरकार द्वारा कोई अंशदान करने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

कृषि विपणन सूचना नेटवर्क संबंधी केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम के तहत बाजार आकड़ों के तेजी से एकत्रण, और प्रचार-प्रसार के लिए राष्ट्रव्यापी सूचना प्रणाली की स्थापना की जा रही है ताकि इसका प्रभावी और समय पर उपयोग किया जा सके और किसानों, व्यापारियों और उत्पादकों को उनकी बिक्री तथा खरीद आदि से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए नियमित तथा विश्वसनीय आंकड़े प्रदान किए जा सकें। देश में महत्वपूर्ण कृषि मण्डियों और राज्य मुख्यालयों पर स्थित राज्य कृषि विपणन विभागों/बोर्डों के कार्यालयों को कम्प्यूटर की सुविधाएं और इण्टरनेट का कनेक्शन दिया गया है। राज्य सरकारों से परामर्श करते हुए मण्डियों का चयन किया जाता है। राज्य सरकारों से सूचना केन्द्रों की स्थापना के लिए बुनियादी सुविधाएं और मानवशक्ति प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। इस स्कीम के तहत राज्य सरकारों से कोई वित्तीय अंशदान की अपेक्षा नहीं है।

मिनी-मिशन-II के तहत मण्डियों/राज्य ग्रेडिंग प्रयोगशाला के विकास के घटक के साथ सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन 2001-02 से शुरू किया गया है। इस स्कीम के तहत थोक मण्डियों, ग्रामीण प्राथमिक मण्डियों/अपनी मण्डियों तथा एस.जी.एल. के विकास के लिए पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारों को सहायता दी जा रही है।

(ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने 2002-03 के दौरान राजस्थान में 1850 मि. टन की क्षमता के नये ग्रामीण गोदों के निर्माण के लिए 22 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

कृषि विपणन सूचना नेटवर्क स्कीम के तहत राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड निदेशक, कृषि विपणन, राजस्थान सरकार को और वर्ष 2000-01 के दौरान 11 कृषि उत्पाद विपणन समितियों को हार्डवेयर कम्प्यूटर सुविधाएं प्रदान की गई हैं, वर्ष 2001-02 के दौरान राज्यों में 37 मंडियों को भी कंप्यूटर और सहायक वस्तुओं की सुविधाएं दी गई है।

नौवीं योजना के दौरान बिहार हेतु योजनाएं

3599. डा. मदन प्रसाद जायसवाल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में नौवी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई नागर विमानन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तारीख के अनुसार, इन योजनाओं के अंतर्गत कितनी प्रगति की गई;

(ग) क्या इन योजनाओं पर समयानुसार कार्य चल रहा है;

(घ) यदि हां, तो इन योजनाओं पर कितनी राशि खर्च की गई; और

(ङ) इन योजनाओं हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, बिहार राज्य में हवाई अड्डों के स्तरोन्नयन करने के लिए निम्नलिखित नागर विमानन परियोजनाएं शुरू की गई:-

गया हवाई अड्डे पर रनवे के सुदृढ़ीकरण, एप्रन और टैक्सी पथ के निर्माण, इत्यादि कार्य 7.50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पूरा किया गया तथा चारदीवारी का निर्माण कार्य 2.17 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पूरा किया। पटना हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन तथा तकनीकी ब्लाक के निर्माण का कार्य 16.93 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पूरा किया गया। इसके अतिरिक्त, गया हवाई अड्डे पर नये टर्मिनल, इत्यादि के निर्माण कार्य पर अब तक 2.62 करोड़ रुपए की राशि खर्च हो गई है तथा पटना हवाई अड्डे पर शोल्डर लगाए जाने तथा धावनपथ की हवाई पट्टी की मरम्मत कार्य के लिए 5.42 एकड़ भूमि का अर्जन किया है।

पटना हवाई अड्डे पर शोल्डर लगाए जाने तथा धावनपथ की हवाई पट्टी की मरम्मत से संबंधित कुछेक कार्यों, जिनको पूरा करने में विलंब हो गया है, को छोड़कर अन्य सभी कार्य निर्धारित समय के अनुसार किए जा रहे हैं।

99.46 करोड़ रु. की मंजूर राशि में से 34.44 करोड़ रुपए की राशि ऊपर उल्लिखित परियोजनाओं पर अब तक खर्च की जा चुकी है।

[अनुवाद]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड

3600. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) ने ग्रामीण गुजरात में अपने इस्पात उत्पादों के विपणन हेतु गुजरात राज्य की कृषि उद्योग निगम (जीएसआईसी) के साथ समझौता करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में अपने विपणन ढांचे को बढ़ाने हेतु अन्य राज्य सरकारों के साथ भी ऐसा समझौता करने पर विचार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सेल द्वारा इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) जी, हां। स्टील आथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपने कुछ इस्पात उत्पादों का विपणन करने के प्रयासों को बढ़ाने के लिए जुलाई, 2000 में गुजरात राज्य की कृषि उद्योग (जी एस ए आई सी) से सम्पर्क किया था। तथापि, अभी किसी व्यवस्था को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) से (ङ) इस प्रकार की व्यवस्था के लिए राज्य सरकार की अन्य एजेंसियों के साथ भी विचार किया जा रहा है। तथापि, अभी तक कोई पक्का समझौता नहीं हुआ है।

वनों में आग

3601. श्री श्रीनिवास पाटील: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटों में वनों में जल्दी-जल्दी आग लगने से चन्दौली के वन्यजीव अभ्यारण्यों और कोयना वन्यजीव को खतरा है; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में वनों में ऐसी आग लगने की घटना को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) और (ख) चन्दोली और कोयला अभयाण्रयों में दावानल की घटनाऐं बहुत कम होती हैं। तथापि, इन अभयारण्यों में दावानाल निवारण एवं नियंत्रण संबंधी उपाय किए जाते हैं तथा गर्मी के मौसम में क्षेत्र में फील्ड स्टाफ की गतिशीलता को बढ़ाकर सभावित क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी जाती है।

बैलों की संख्या में कमी

3602. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ट्रैक्टरों/टिलरों के आने से बैलों की संख्या में तेजी से कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार किसानों को कृषि के प्रयोजनार्थ बैलों का प्रयोग करने को बढ़ावा देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, नहीं। बैलों की संख्या में तेजी से कमी नहीं आई है और विभिन्न गणनाओं के दौरान इसमें उतार-चढ़ाव आता रहा है।

पंचवर्षीय गणना के अनुसार 1982 से 1997 तक बैलों की सख्या (गोपशु और भैंस) नीचे दी गई है:-

(मिलियन में)

वर्ष	बैलों की संख्या
1982	66.90
1987	65.10
1992	70.60
1997*	63.50

*अनन्तिम

(ग) और (घ) स्वदेशी नस्लों के लिए चिंता और भारवाही पशुशक्ति की आवश्यकता को देखते हुए, गोपशु और भैंस प्रजनन नीति की समीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

शेखपुरा में धान अनुसंधान केन्द्र की स्थापना

3603. श्री राजो सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार धान की गुणवत्ता और उत्पादन को सुधारने के उद्देश्य से बिहार में शेखपुरा और लखीसराय जिलों में धान अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास बिहार के शेखपुरा और लखीसराय जिलों में एक धान अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस समय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, बिहार के अधीन पटना, साबौर और पूसा में तीन अखिल भारतीय समन्वित चावल अनुसंधान केन्द्र हैं। इन केन्द्रों को राज्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए गुणवत्ता सुधार सहित स्थान विशिष्ट अनुसंधान करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है।

[अनुवाद]

कोहरे के कारण विलम्ब

3604. श्रीमती मिनाती सेन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिसम्बर/जनवरी के दौरान कोलकाता विमानपत्तन पर गहरे कोहरे के कारण उड़ानों में विलम्ब हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या केवल राजधानी में इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन (आई जी आई) पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आई एल एस) प्रतिष्ठापित किया गया है;

(घ) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उड़ाने में विलम्ब से बचने के लिए तीन दृष्टिगोचरता सुधारने हेतु नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर श्रेणी-तीन का आई एल एस प्रतिष्ठापित करना था; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां।

(ख) इस समय कोलकाता हवाई अड्डे पर उपस्कर अवतरण प्रणाली (आई एल एस) श्रेणी-I की व्यवस्था है। श्रेणी-II के अनुपालन आवश्यक उपस्कर पहले ही संस्थापित कर दिए गए हैं। श्रेणी-II के प्रचालनों के लिए हवाई अड्डे को अपग्रेड करने के लिए सम्बद्ध भू-प्रकाश व्यवस्था सुविधाओं के अपग्रेड के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

(ग) जी, नहीं। देश भर के 34 हवाई अड्डे पर आई एल एस प्रणाली कार्य कर रही है और 6 और हवाई अड्डों पर आई एल एस संस्थापित करने की योजनाएं हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

वन अधिकारियों को प्रशिक्षण

3605. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश में जनजातीय जिलों को विश्व बैंक परियोजना के अतर्गत बेहतर वन रोपण हेतु चुना गया है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश राज्य के उन वन अधिकारियों की संख्या कितनी है जिन्हें विश्व बैंक द्वारा इस प्रयोजनार्थ विशेष प्रशिक्षण दिया गया था; और

(ग) इस संबंध में हुई प्रगति तथा कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) समूचे मध्य प्रदेश राज्य में जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य का अब हिस्सा बन चुके क्षेत्र शामिल हैं, 1995-96 से 1999-2000 तक एक विश्व बैंक से सहायता प्राप्त मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना कार्यान्वित की गई थी। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य (क) संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से वन आवरण और उत्पादकता में वृद्धि करना, (ख) जन संसाधन विकास, (ग) उन्नत प्रौद्योगिकियों का प्रयोग, और (घ) जैव-विविधता संरक्षण थे। परियोजना पर 245.94 करोड़ रुपए की अनुमानित परियोजना लागत की अपेक्षा 215.512 करोड़ रुपए का व्यय किया गया था। परियोजना के विभिन्न संघटकों के अंतर्गत लगभग 289933 हैक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया था।

(ख) और (ग) विश्व बैंक द्वारा मध्य प्रदेश के किसी भी वन अधिकारी को विशेष प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था। तथापि, एक सौ सोलह वन अधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों, जैसे प्रबंधन विकास, उन्नत नर्सरी पद्धतियां, जैव-विविधता संरक्षण इत्यादि में विदेशों से प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण कार्यक्रमों से परियोजना के संतोषजनक क्रियान्वयन में सहायता मिली है।

[हिन्दी]

पर्यटन स्थलों हेतु हवाई संपर्क

3606. श्री चन्द्रेश पटेल:
श्री जी.जे. जावीया:
श्री आदि शंकर:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार और विभिन्न अन्य एयरलाइनों का विचार गुजरात और तमिलनाडु में विभिन्न पर्यटन स्थलों को जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000 से आज की तारीख तक हवाई सेवा द्वारा जोड़े गए पर्यटन स्थलों और इस प्रयोजनार्थ खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ वर्ष 2003 और 2004 के दौरान कितनी राशि खर्च किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) इस समय गुजरात और तमिलनाडु में निजी एयरलाइनों सहित अनुसूचित एयरलाइनों द्वारा विमान सेवा से जोड़े गए शहरों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:-

स्टेशन	इंडियन एयरलाइंस/एलाइंस एयर	जेट एयरवेज	सहारा एयरलाइंस
गुजरात	अहमदाबाद, भुज, जामनगर राजकोट, बडोदरा	अहमदाबाद, भुज, राजकोट बडोदरा, पोरबंदर, भावनगर	
तमिलनाडु	चैन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै, त्रिची	चैन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै, (मदुरै दिसम्बर, 2001 से)	चैन्नई (2002 से)

इस प्रयोजन के लिए खर्च की गई राशि के ब्यौरों को केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। देश में विभिन्न क्षेत्रों की विमान परिवहन सेवाओं की आवश्यकता का ध्यान में रखकर विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन को प्राप्त करने की दृष्टि से सरकार मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए हैं। तथापि यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के पालन के आधार पर, यातायात मांग और वाणिज्यिक साध्यता के आधार पर विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं प्रदान करें।

[अनुवाद]

विमान में सांप ले जाना

3607. श्री वाई.वी. राव: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में एक यात्री विमान में जीवित सांप के साथ गोवा से चैन्ने तक यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां।

(ख) श्री हजीम चड्ढा दिनांक 10.2.2003 की टिकट सं. 2262171841 पर दिनांक 8.3.2003 के विमान सं. आई सी-576 द्वारा गोवा से चेन्नै की यात्रा कर रहे थे। मार्ग में उन्होंने एयरहोस्टेस से दूध मांगा और एयरहोस्टेस को कुछ शंका हुई, उसने देखा कि यात्री ने अपने हैंड बैग से एक छोटा सा बैग निकाला और उसमें एक सांप को दुध पिलाने लगा। एयरहोस्टेस ने इसकी सूचना कमांडर को दी, जिन्होंने उस यात्री को कोच्ची में उतार दिया। उस यात्री को कोच्ची में ''जानवरों पर अत्याचार निरोधक अधिनियम'' के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

(ग) नागर विमानन महानिदेशालय ने एयरक्राफ्ट नियम, 1937 के नियम 24-सी के अंतर्गत ''विमान में जानवरों को ले जाने के लिए शर्तों'' को दर्शाते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

स्कूल आफ आरकाइव्ज

3608. प्रो. ए.के. प्रेमाजम: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में राज्यवार कितने स्कूल आफ आरकाइव्ज कार्य कर रहे है और इनके नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान कुछ और स्कूल आफ आरकाइव्ज स्थापित किए है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे नए स्कूलों को स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका स्थान-वार ब्यौरा क्या है और उस प्रयोजन हेतु कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) इस समय देश में केवल अभिलेखागार विद्यालय है अर्थात् 'अभिलेख अध्ययन विद्यालय' जिसे भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली द्वारा चलाया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

एस.सी.ओ. को स्वीकार करने से इंकार करना

3609. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विमानपत्तन पर स्थित इंडियन एयरलाइंस के कार्यालय यात्रियों द्वारा टिकटों की खरीद हेतु इंडियन एयरलाइंस द्वारा जारी किए गए मिसलेनियस क्रेडिट आर्डरस (एस.सी.ओ.) को स्वीकार करने से इंकार करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विमानपत्तनों पर स्थित इंडियन एयरलाइंस के बिक्री कार्यालयों द्वारा इंडियन एयरलाइंस के एम सी ओ को स्वीकार किए जाने को सुनिनश्चित करने को क्या कदम उठाए जाने का *प्रस्ताव है?*

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) इंडियन एयरलाइंस द्वारा भारत में अपने सभी कार्यालयों में परिवहन प्रभारों की अदायगी, अतिरिक्त समान की

अदायगी, प्री-पेड टिकट एडवाइस (पी टी ए) जारी करने के लिए तथा रिफंडों के प्रयोजन के लिए मिसलेनियस चार्जेज आर्डर (एम.सी.ओ.) जारी किया जाता है/रुपयों में स्वीकार किया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय विमान कंपनियों की सेवाएं

3610. डा. चरणदास महंत: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मार्गों पर किन-किन विमान कंपनियों द्वारा अपनी सेवायें संचालित की जा रही हैं;

(ख) उनके मंत्रालय के अंतर्गत विमान कंपनियों में कार्यरत पायलटों, नैविगेटर्स एवं विमान परिचारिकाओं की सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु क्या है;

(ग) सिफारिशों के आधार पर सेवानिवृत्ति के पश्चात् अनुबंध आधार पर पुनर्नियुक्त/नियुक्त, सेवा विस्तार पाने वाले व्यक्तियों के नाम एवं पदनाम क्या हैं और ऐसी सिफारिश करने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(घ) वह तिथि और वेतनमान क्या हैं जिनमें इन व्यक्तियों को पुनर्नियुक्त किया गया था; और

(ङ) किन नियमों के अंतर्गत उक्त नियुक्ति/विस्तार किया गया?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय दोनों तरह के मार्गों पर प्रचालन किए जा रहे हैं। एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स में पायलटों, नेविगेटरों तथा एयर होस्टेसों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में नियुक्ति

3611. श्री अम्बरीश:
श्री सी. श्रीनिवासन:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के उत्तरी एवं दक्षिणी क्षेत्रों में समूह ग एवं घ के पदों पर की गई नियुक्ति का क्षेत्रवार एवं वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन रोजगार कार्यालयों को क्षेत्रवार एवं वर्षवार ब्यौरा क्या है जहां से इन नियुक्ति व्यक्तियों/उम्मीदवारों के नाम प्राप्त किए गए थे;

(ग) क्या आयु, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के संबंध में भारतीय विमानपत्तन का प्राधिकरण के भर्ती नियमों में यथा निर्धारित नियुक्ति संबधी नियमों का अनुपालन किया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) उत्तरी क्षेत्र में, समूह ग में 34 व्यक्तियों तथा घ में 8 व्यक्तियों की नियुक्ति वर्ष 2000 के दौरान की गई थी। इसी प्रकार वर्ष 2001 के दौरान समूह ग में 46 व्यक्तियों तथा समूह घ में तीन व्यक्तियों की नियुक्ति की गई थी तथा वर्ष 2002 के दौरान समूह घ में केवल 6 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रभाग में इन अवधि के दौरान दक्षिणी क्षेत्र में कोई नियुक्ति नहीं की गई थी।

(ख) नेशनल डेली तथा रोजगार समाचार में खुले विज्ञापन द्वारा खुले (ओपेन) मार्केट के माध्यम से नियुक्तियां की गई हैं।

(ग) और (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से विस्तृत सूचना एकत्रित की जा रही है।

मदर डेयरी बूथों का आबंटन

3612. श्री ए.सी. जोस: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजधानी में मदर डेयरी के बूथों को आबंटित करने संबंधी मानदंड क्या हैं;

(ख) वर्तमान में ऐसे कितने बूथ कार्य कर रहें हैं;

(ग) क्या कई मदर डेयरी बूथ ऐसे व्यक्तियों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं जो मूल आबंटी नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो बूथों के ऐसे आबंटन को रद्द करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) एक सामान्य प्रथा के रूप में, मदर डेयरी रियायतकर्त्ताओं के

रूप में अपने बूथों को चलाने के लिए उन भूतपूर्व सैनिकों के साथ वाणिज्यिक करार करती है जिनके नाम पुनर्वास महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अग्रसारित किए जाते हैं तथा जो उपयुक्त पाये जाते हैं और रियायतकर्त्ताओं के रूप में काम करने को इच्छुक होते हैं।

(ख) इस समय दिल्ली तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में 671 मदर डेयरी बूथ कार्यरत हैं।

(ग) जी, नहीं। तथापि करार की शर्तों के अनुसार यदि रियायतकर्त्ता को अल्पावधि के लिए अनुपस्थित रहता है तो वह मदर डेयरी से पूर्वानुमति लेने के बाद बूथ का संचालन करने के लिए अपने अधिकृत प्रतिनिधि को तैनात कर सकता है।

(घ) उक्त (ग) को देखते हुए लागू नहीं होता।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की बैठक

3613. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 26 मार्च, 2003 को राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें भाग लेने वाले राज्य कौन से हैं और विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने नदी संपर्क परियोजना हेतु राज्य सरकारों को सहयोग देने का निदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर प्रत्येक राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) उक्त परियोजना को पूरा करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा, यदि कोई हों, तो क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुनचरण सेठी): (क) और (ख) राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण (एन डब्ल्यू डी ए) सोसाइटी की 19वीं वार्षिक आम बैठक 26 मार्च, 2003 को हुई थी। माननीय जल संसाधन मंत्री और राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण सोसाइटी के अध्यक्ष श्री अर्जुनचरण सेठी जी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। केरल सरकार के जल संसाधन मंत्री श्री टी एम जैकब ने इस बैठक में भाग लिया। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया। कार्यसूची मदें वर्ष 2000-2003 में एन डब्ल्यू डी ए द्वारा किए गए कार्य प्रगति से संबंधित नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्य बल का गठन, 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के दौरान एन डब्ल्यू डी ए को जारी रखे जाने वाले व्यय वित्त समिति (इ एफ सी) ज्ञापन आदि से संबंधित थीं। विचार-विमर्श एवं चर्चा के बाद, सोसाइटी ने बैठक की कार्यसूची को अनुमोदित किया।

(ग) राज्य सरकारों से, सहयोग देने के लिए अनुरोध किया गया है।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम के अनुसार नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी परियोजना का क्रियान्वयन 31.12.2016 तक पूरा किए जाने की योजना है।

[हिन्दी]

मुरपर कोयला खान में दुर्घटना

3614. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे:
श्री सुबोध मोहिते:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 28 जनवरी, 2003 को उमरेड विकोली के अंतर्गत मुरपर कोयला खान में हुई दुर्घटना की जानकारी है जिसमें कई व्यक्ति मारे गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच पड़ताल की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रत्येक मृतक के परिवार को क्षतिपूर्ति के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया जा रहा है;

(ङ) दुर्घटना के संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) खान अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा सांविधिक जांच की गई है। दुर्घटना सर्फेस पर एक कोल हैडलिंग प्लांट में उस समय हुई, जब एक कोयले से भरा हुआ ओवर हैंड बंकर ढह गया और इसके नीचे मरम्मत कार्य पर लगे हुए व्यक्तियों पर गिर गया। दुर्घटना में चार व्यक्ति मारे गए और एक व्यक्ति घायल हुआ। जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट में

पता चला है कि प्रथम दृष्टया दुर्घटना, बंकर में बैल्डिंग की विफलता के कारण हुई। विफलता के कारणों का पता लगाने के लिए केन्द्रीय मैकेनिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर को नमूने भेज दिए गए हैं।

(घ) प्रबंधन द्वारा मृतक कर्मकारों के परिवारों को भुगतान किए गए क्षतिपूर्ति और उपदान की राशि निम्नवत् है:-

1.	श्री अरविंद खाण्डेकर	4,49,093/-रु.
2.	राजानन्द रामनाथ	4,51,884/-रु.
3.	श्री अब्दूल सलेम	4,67,297/-रु.
4.	श्री कुशवाहा रामाश्रय	4,51,884/-रु.

(ङ) दुर्घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई केन्द्रीय मैकेनिकल अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर से अन्तिम रिपोर्ट के प्राप्त होने पर विफलता विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी।

हिमाचल प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण

3615. **श्री सुरेश चन्देल:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तीन वर्ष पूर्व हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती जिले किन्नौर में आई विनाशंकारी बाढ़ के कारणों का पता लगाने हेतु अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम करने हेतु कोई कदम उठाए है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुनचरण सेठी): (क) और (ख) सतलज नदी चीन में तिब्बत क्षेत्र के राकास/मानसरोवर झीलों से निकलती है। यह नदी बड़े आवाह क्षेत्रों के साथ भारत में प्रवेश करने से पहले तिब्बत में लम्बी दूरी तय करती है। अगस्त, 2000 में सतलज नदी में अप्रत्याशित तीव्र बाढ़ के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए प्रयासों से यह पता चलता है कि भारत के हिस्से के ऊपरी आवाह क्षेत्र में इतनी व्यापक वर्षा नहीं हुई थी। इसलिए यह अनुमान लगाया गया था कि तिब्बत क्षेत्र के ऊपरी आवाह क्षेत्र में कुछ बादलों के फटने अथवा कुछ हिम स्खलन के कारण झील के फटने के कारण तीव्र बाढ़ आई होगी।

राष्ट्रीय दूर संवेदी अभिकरण (एन आर एस ए) हैदराबाद ने अपने अध्ययन में यह बताया क बहुत संभव है कि तिब्बत क्षेत्र में बादल फटने के कारण भारी वर्षा हुई हो। एक संभावना यह भी है कि भारी वर्षा के अतिरिक्त कुछ अलग अवरोधों से होने वाले जल जमाव के कारण भी तेज बाढ़ आती है।

एक अंतरमंत्रालयी दल ने 7 से 9 अगस्त तीव्र बाढ़ वाले स्थलों का दौरा किया और पाया कि यह संभव था कि तिब्बत में बाढ़ अधिकांशत: जल एकत्रण प्रणाली की विफलता के कारण आती है जिसके परिणामस्वरूप जल नदी में मिलकर अत्यंत वेग के साथ नीचे की ओर बहता है।

(ग) और (घ) चीन से निकलने वाली नदियों के लिए जल-वैज्ञानिक सूचना के हस्तांतरण की संभावना का पता लगाने के वास्ते भारत सरकार चीन की सरकार के साथ बातचीत कर रही है ताकि पूर्व चेतावनी देकर ऐसी भयंकर घटनाओं से बचा जा सके। इसके परिणामस्वरूप चीन सरकार के साथ ब्रह्मपुत्र नदी जल वैज्ञानिक सूचना के बंटवारे के वास्ते एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए हैं परंतु सतलज नदी संबंधी आकड़ों के बंटवारे के विषय में फिलहाल ऐसा कोई समझौता नहीं किया जा सका है।

[अनुवाद]

बांधों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति

3616. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में स्थित कई बांध जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इनकी स्थिति में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या निवारणात्मक कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुनचरण सेठी): (क) से (ग) बैराजों सहित बांधों के रख रखाव तथा सुरक्षा का उत्तरदायित्व बांधों एवं बैराजों के स्वामियों अर्थात् संबंधित राज्य सरकारों का होता है। केन्द्र सरकार उनकी स्थितियों पर बांध-वार अथवा बैराज-वार कोई अध्ययन नहीं कर रही है। तथापि, केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग के माध्यम से देश में बड़े बांधों पर एक एकीकृत बांध सुरक्षा कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए उपाय किए हैं जिसमें बड़े बांधों के मानकों के अनुसरण में बने कुछ बैराज शामिल हैं। उपर्युक्त बैराजों में से राज स्थान में कोटा बैराज तथा बिहार में गंडक और कोसी बैराज के संबंध में कुछ छुट-पुट कमियों की ही जानकारी दी गई है। जांच के बाद इन बैराजों के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाए गए हैं।

बाल श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी

3617. श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाल श्रमिकों के संबंध में मजदूरी की विभिन्न दरों को निर्धारित करने का प्रावधान करने का कोई प्रस्ताव है जिससे कि बच्चों को रोजगार से दूर रखा जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा बाल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने हेतु क्या कदम उठाए गए है;

(घ) क्या नियोक्ताओं द्वारा मजदूरी भुगतान एवं कार्य के घंटों संबंधी मानदण्डों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) से (ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1998 में वयस्कों, किशोरों/किशोरियों, बच्चों और प्रशिक्षुओं के लिए न्यूनतम मजदूरी को विभिन्न दरें निर्धारित करने हेतु प्रावधान किया गया है। क्योंकि यह बाल श्रमिकों की संलिप्तता को बढ़ावा देता है, अत: सरकार अधिनियम की संगत धारा को हटाने पर विचार कर रही है। दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों पर आधारित मजदूरी संबंधी कानून के प्रस्तावित एकीकृत प्रारूप में बच्चों के लिए न्यूनतम मजदूरी की विभिन्न दरों का कोई उल्लेख नहीं है। तथापि, इससे सम्बद्ध कार्रवाई और प्रक्रिया को देखते हुए प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है।

(घ) से (च) अधिनियम के सांविधिक उपबंधों के अनुसरण में केन्द्रीय और राज्य, दोनों क्षेत्रों में प्रर्वतन तंत्र के माध्यम से प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाता है। अधिनियम के अन्तर्गत इन तंत्रों के अधिकारी निरीक्षकों के रूप में नियुक्त किये जाते हैं जो नियमित रूप से निरीक्षण करते हैं और जब कभी उनको न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने, या कम भुगतान करने, एक सामान्य कार्य दिवस के कार्य के घण्टों का पालन न करने आदि जैसे किसी उल्लंघन की सूचना मिलती है तो वे नियोक्ताओं को अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने की सलाह देते हैं। चूककर्ता नियोक्ताओं के विरुद्ध जुर्माने और कारावास जैसे कानूनी और दण्डात्मक प्रावधान हैं।

सर्पों की संख्या

3618. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सर्पों की घटती संख्या के कारण चूहों का आतंक बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो सर्पों की संख्या में कमी आने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अद्यतन गणना की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में सर्पों की संख्या को बचाने एवं बनाए रखने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) और (ख) ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जो यह दर्शाती हो कि देश में सर्पों की घटती संख्या के कारण चूहों का आतंक बढ़ा है। तथापि, वास स्थलों की गुणवत्ता और संख्या में गिरावट की वजह से सर्पों की संख्या में कमी होने से इंकार नहीं किया जा सकता।

(ग) और (घ) बिलों में वास करने और छुपकर रहने के स्वभाव की वजह से इनकी गणना किया जाना तकनीकी तौर पर संभव नहीं है।

(ङ) सापों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के तहत सांपों के शिकार पर प्रतिबंध है।

(ii) राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के नेटवर्क के तहत सर्पों के वास स्थलों को सुरक्षा प्रदान की जाती है।

(iii) वन्यजीवों और उनके उत्पादों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए क्षेत्र में नियमित तौर पर गश्त की जाती है।

(iv) वन्यजीवों की दशा में सुधार के उद्देश्य से वन्यजीव वास

स्थलों का प्रबंधन वैज्ञानिक तौर पर किया जाता है।

(v) राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में वन्यजीव वासस्थलों के प्रभावी प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(vi) वन्य जीव संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना।

(vii) जनवरी, 2002 में राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना 2002-16 और वन्य जीव संरक्षण कार्य नीति 2002 तैयार की गई है और अंगीकृत की गई है।

[हिन्दी]

खाद्यान्न का उत्पादन

3619. श्री रामपाल सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2002-03 के दौरान देश में व्याप्त सूखे की स्थिति के कारण खाद्यान्न उत्पादन गत सात वर्षों में न्यूनतम स्तर पर होने का अनुमान है; और

(ख) सरकार द्वारा किये जा रहे प्रबंधों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) विगत सात वर्षों के दौरान (1995-96 से 2001-02 तक) 180.42 मिलियन मी. टन का खाद्यान्नों का सबसे कम उत्पादन 1995-96 में दर्ज किया था। वर्ष 2002-03 के खाद्यान्नों का अनुमानित उत्पादन 183.17 मिलियन मी. टन है जो 1995-96 में खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में अधिक है।

(ख) चूंकि देश में चावल और गेहूं के स्टाफ की स्थिति बफर सीमा से काफी अधिक है, अत: कोई समस्या नहीं है। तथापि, किसानों को उत्पादकता में उच्च स्तर प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा बहुत से उपाय किये गए हैं। वर्ष 2002-03 को दौरान सूखे के कारण आदान लागतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा विभिन्न फसलों के लिए 5 रु. से 20 रु. प्रति क्विंटल की सीमा में एक-बार का विशेष सूखा राहत मूल्य घोषित किया है। अन्य उपायों में पनधारा विकास को प्रोत्साहन, नई प्रौद्योगिकी का विकास तथा प्रोत्साहन आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

बाल्को कोरबा संयंत्र के कर्मचारियों की शिकायतें

3620. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विनिवेश एवं श्रम मंत्रालयों के अधिकारियों वाली समिति ने कर्मचारियों की शिकायतों पर गौर करने हेतु बाल्को कोरबा संयंत्र का दौरा किया;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त रिपोर्ट को कब तक सौंपें जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दल को अभी कुछ अन्य प्रोजक्टों का दौरा करना है, तत्तपश्चात् वह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

सूखा प्रवण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा

3621. श्री परशुराम मांझी: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास सूखा प्रवण जिलों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में विशेषकर कालाहांडी, बोलांगीर एवं क्योंझर जिलों में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना में सूखा प्रवण कालाहांडी, बोलांगीर एवं क्योंझर जिलों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने हेतु विचार किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम): (क) से (ग) सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना नहीं करती। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय विभिन्न योजना स्कीमें चला रहा है जिनमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास हेतु सहकारिताओं, गैर सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी क्षेत्रों, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों आदि को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता का प्रावधान है। ये योजना स्कीमें राज्य या क्षेत्र विशेष की नहीं है। उड़ीसा के कालाहांडी, बोलांगीर और क्योंझर जिलों से प्राप्त प्रस्तावों समेत किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाले प्रस्तावों की तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता के

आधार पर वित्तीय सहायता अनुमोदित की जाती है और निधियों की उपलब्धता के अनुसार धनराशि जारी की जाती है। उल्लिखित स्थिति को देखते हुए उड़ीसा सरकार द्वारा की गई निर्दिष्ट कार्रवाई का रिकार्ड नहीं रखा गया है।

विमान में गड़बड़ी

3622. श्री राम विलास पासवान:
श्री रघुनाथ झा:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री रामजीवन सिंह:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में एयर इंडिया के जेद्दाह के लिए फेरी उड़ान ए आई 3803 के एक इंजन का कुछ हिस्सा छत्रपति शिवाजी विमानपत्तन से उड़ान भरने के दौरान गिर गया था और उड़ान को वापस बुलाना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विमान को उड़ान भरने लायक होने को प्रमाणित करने से पहले इसकी जांच में लापरवाही बरतने हेतु जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु कोई छानबीन की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) दिनांक 25 फरवरी, 2003 को मुंबई-जेद्दाह सेक्टर पर बोइंग 747-200 विमान के उड़ाने भरने के तुरंत बाद, भा.वि.प्रा. के कर्मचारियों ने मुख्य रनवे पर साइड काउल्ज (जो इंजन के लिए स्ट्रीम लाइन कवर प्रदान करते हैं) के अनेक टुकड़े बिखरे पाए। उस विमान को वापस मुंबई हवाई अड्डे पर उतरने का संदेश दिया गया। निरीक्षण के दौरान, नं. 2 इंजन से दोनों साइड काउल्ज नदारत पाए।

(ग) से (ङ) एअर इंडिया के स्थायी अन्वेषण बोर्ड (पीआईबी) द्वारा विस्तृत जांच की जा रही है। पी.आई.बी. रिपोर्ट के निष्कर्षों और सिफारिशों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक को अतिरिक्त सहायता

3623. श्री विजय कुमार खंडेलवाल:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष से अतिरिक्त सहायता एवं सूखे से निपटने के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अपेक्षित धनराशि एवं खाद्यान्न को कब तक उपलब्ध कराया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) कर्नाटक और मध्य प्रदेश द्वारा वर्तमान सूखे के लिए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एन.सी.सी.एफ.) से मांगी गयी सहायता और राहत रोजगार के लिए (सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक के तहत) खाद्यान्न की आवश्यकता और केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित है:

राज्य	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (रु. करोड़ में)		राहत रोजगार के लिए खाद्यान्न (लाख मी. टन)	
	मांगी गई सहायता	निर्मुक्त सहायता	अनुमानित आवश्यकता	जून, 2003 तक आवंटित मात्रा
कर्नाटक	1562.85	207.65	11.09	6.65
मध्य प्रदेश	819.62	171.66	8.50	6.56

रोजगार के अवसर

3624. श्री नवल किशोर राय:
डा. सुशील कुमार इंदौरा:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्ष के दौरान रोजगार के नए अवसर सृजित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान किन उद्योगों एवं कृषि अथवा सेवा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए गए हैं;

(ग) उक्त वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के अंत में इन सभी क्षेत्रों में कुल कितने व्यक्ति कार्य कर रहे थे; और

(घ) उक्त वर्षों के दौरान उक्त क्षेत्रों में से प्रत्येक में रोजगार के नए अवसर सृजित करने हेतु सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई योजनाएं कौन-सी हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) द्वारा पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से रोजगार एवं बेरोजगारी के अनुमान प्राप्त किए जाते हैं। इन सर्वेक्षणों के अनुसार सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित रोजगार जो कि 1993-94 में 37.4 करोड़ था वह 1999-2000 में बढ़कर 39.7 करोड़ के लगभग हो गया।

(ख) और (ग) कामगारों का उद्योगवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) अर्थव्यवस्था में रोजगार का सृजन सामान्य विकास प्रक्रिया के साथ-साथ विशेष कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के माध्यम से भी किया जाता है। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एस जे जी एस वाई) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे जी एस वाई) रोजगार आश्वासन योजना (ई ए एस), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई), स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना तथा कार्य के बदले भोजन कार्यक्रम सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले विशेष कार्यक्रमों में शामिल हैं। शिक्षित बेरोजगार युवाओं का रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना भी कार्यावित की जा रही है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना तथा कार्य के बदले भोजन कार्यक्रम शामिल हैं। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना भी कार्यान्वित की जा रही है।

विवरण

उद्योग	कुल रोजगार (करोड़ में)	
	1993-94	1999-2000
कृषि	24.2	23.8
खनन एवं उत्खनन	0.27	0.23
विनिर्माण	4.25	4.80
विद्युत, गैस व जलापूर्ति	0.14	0.13
निर्माण	1.17	1.76
व्यवसाय	2.78	3.73
परिवहन भण्डारण व संचार	1.03	1.47
वित्तीय सेवाएं	0.35	0.51
सामुदायिक, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं	3.51	3.32
कुल रोजगार	37.45	39.70

टिप्पणी: हो सकता है पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

[अनुवाद]

दिल्ली स्थित इन्द्रप्रस्थ विद्युत संयंत्र का बंद किया जाना

3625. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विद्युत मंत्रालय से दिल्ली स्थित इन्द्रप्रस्थ विद्युत संयंत्र को बंद करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नया छोटा इस्पात संयंत्र स्थापित करना

3626. श्री सवशीभाई मकवाना: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार गुजरात के अलंग बंदरगाह पर एक नया छोटा इस्पात संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक कार्य शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) संघ सरकार गुजरात के अलंग पत्तन में नया लघु इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के अनुसार इस्पात उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है और स्थान-स्थिति संबंधी कतिपय प्रतिबंधों की शर्त पर सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से इसे निकाल दिया गया है। अत: लोहा और इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस अपेक्षित नहीं है और उद्यमी प्रतिबंधित स्थानों को छोड़कर अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर देश में कहीं भी इस प्रकार के संयंत्र स्थापित कर सकते हैं।

[हिन्दी]

कृषि श्रमिकों हेतु कानून

3627. श्री लक्ष्मण गिलुवा:
श्री रामटहल चौधरी:
श्री राधा मोहन सिंह:
श्री लक्ष्मण सेठ:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि श्रमिकों के कल्याण हेतु एक केन्द्रीय कानून लाने का कोई प्रस्ताव लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में एक विधेयक कब तक पुर:स्थापित किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) से (ग) कृषि श्रमिकों के लिए केन्द्रीय विधान को अधिनियमित करने का एक प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन था। प्रारूप विधेयक के विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकारों में आम राय न बन पाने के कारण इस पर आगे कार्रवाई नहीं की जा सकी। तथापि, सरकार असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के संबंध में एक व्यापक विधान संसद में पेश करने पर विचार कर रही है। इसमें अन्य श्रेणियों के कर्मकारों के साथ-साथ कृषि कर्मकारों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है।

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई.आई.ए.) अधिसूचना में संशोधन

3628. श्री पुन्नू लाल मोहले: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई.आ.ई.ए.) अधिसूचना की अनुसूची-I में संशोधन करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ताकि राजधानी वाले नए शहरों/बड़ी आवास योजनाओं तथा 400 हैक्टेयर से अधिक भूमि के अधिग्रहण वाली सभी योजनाओं का ई.आई.ए. प्राप्त किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार की 5,000 हैक्टेयर भूमि पर 7 लाख की आबादी के लिए एक नया शहर बनाने की प्रस्तावित योजना की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ ई.आई.ए. के अंतर्गत पर्यावरण संबंधी मंजूरी ले ली गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) छत्तीसगढ़ राज्य के लिए नई राजधानी बनाए जाने के संबंध में एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। इस समय, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी की गई पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 1994 के उपबंधों के अन्तर्गत राजधानी बनाए जाने के लिए पर्यावरणीय मंजूरी लेना अपेक्षित नहीं है। परंतु, उच्चतम न्यायालय ने 1985 की रिट याचिका (सिविल) सं. 4677 में आई ए सं. 20, 21, 1207, 1183, 1216 एवं 1251 के साथ 1994 की रिट याचिका (सिविल सं. 725 के मामले में दिनांक 4 दिसम्बर, 2001 के अपने आदेश में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नियमों में संशोधन करने के संबंध में जांच करने और इन पर विचार करने के निर्देश दिए हैं जिससे नगर आयोजना अधिनियमों के प्रयोजनों के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन को आवश्यक बनाया जा सके। शहरी विकास मंत्रालय ने अन्य मामलों के साथ-साथ

पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन की आवश्यकता की जांच के लिए एक समिति गठित की है।

पर्यटन क्षेत्र में अर्जित राजस्व

3629. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में पर्यटन क्षेत्र में राज्य सरकारों ने कितनी आय अर्जित की है;

(ख) यदि हां, तो राजस्व में कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा वर्ष 2003-2004 और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु किन उपायों पर विचार किया जा रहा है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) पर्यटन क्षेत्र में, राज्य सरकारों द्वारा अर्जित की गई आय संकलित नहीं की जाती है। तथापि, पर्यटन से अर्जित विदेशी मुद्रा आय संकलित की गई है एवं वर्ष 2000, 2001 एवं 2002 के दौरान पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय क्रमश: 14,238 करोड़ रु. 14,344 करोड़ रु. एवं 14,420 करोड़ रु. रही।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा आय में कोई कमी नहीं आई।

(ग) निम्नलिखित उपायों पर विचार किया गया है:-

* पर्यटन को आर्थिक विकास के एक प्रमुख इंजन के रूप में अवस्थित करना
* रोजगार सृजन, आर्थिक विकास एवं ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित देने हेतु, पर्यटन के प्रत्यक्ष एवं बहुआयामी प्रभावों को दोहन करना;
* स्वदेशी पर्यटन पर विशेष बल देना जो अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन विकास के स्तर के लिए एकदम तेजी लाने का कार्य करे।
* फलते-फूलते वैश्विक यात्रा एवं व्यवसाय एवं गंतव्य के रूप में भारत की अनदोही व्यापक संभाव्यता का लाभ उठाने के लिए भारत को वेश्विक ब्रांड के रूप में अवस्थित करना;
* सरकार के साथ निजी क्षेत्र की विवेचनात्मक भूमिका स्वीकार करना, जिससे वे सक्रिय सुसाध्यता एवं उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सके।
* राज्यों, निजी क्षेत्र एवं अन्य अभिकरणों के साथ भागीदारी करके भारत की अनोखी सभ्यता, हैरिटेज एवं संस्कृति पर आधारित एकीकृत पर्यटन परिपथों का सृजन एवं विकास करना;
* यह सुनिश्चित करना कि भारत आने वाले पर्यटन शारीरिक रूप से पुष्टिवर्धक, मानसिक रूप से पूरी तरह बदले हुए, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध, आध्यात्मिक रूप से उदात्त एवं अपने आपको पूरी तरह से भारत के रंग में रंगा हुआ अनुभव करें।

[अनुवाद]

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन

3630. श्री आर.एल. जालप्पा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने हेतु 10 करोड़ रु. की एक परियोजना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ अनुसंधान संस्थानों को कृषि पर मौसम परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने हेतु कहा गया है जिससे देश में पर्वतीय क्षेत्रों, तटवर्ती पारिस्थितिकीय प्रणाली और वर्षा पर निर्भर फसलों की रक्षा करने के लिए अपनाए जाने की जरूरत है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कर्नाटक में कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन शुरू हो गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) इस परियोजना उद्देश्य निम्न प्रकार से है:

(i) जलवायु की बढ़ती परिवर्तनशीलता तथा जलवायु परिवर्तन के लिए भारतीय कृषि की दोषपूर्णता के परिमाणन हेतु मूलभूत, प्रायोगिक और नीतिगत अनुसंधान करना।

(ii) उनके नकारात्मक प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए अनुकूल रणनीतियों का विकास करना।

(iii) जलवायु परिवर्तन और कृषि से जुड़े मुद्दों पर सरकार और अन्य पणधारियों को नीति समर्थन जुटाना।

(ग) जी, हां।

(घ) पहाड़ी तटवर्ती और बारानी पारिस्थितिक प्रणाली सहित देश के विभिन्न कृषि-पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थान और राज्य कृषि विश्वविद्यालय इस परियोजना में सहयोग दे रहे हैं।

(ङ) और (च) जी, हां। भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर और कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ इस पहलू पर पहले से कार्य कर रहे हैं।

आंध्र प्रदेश में खाद्य तेल प्रसंस्करण इकाई को पर्यावरण संबंधी मंजूरी

3631. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश सरकार से काकीनाड़ा में स्थापित की जाने वाली एक खाद्य तेल प्रसंस्करण इकाई को पर्यावरण संबंधी मंजूरी देने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है;

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से काकीनाड़ा पत्तन सीमाओं में तटीय विनियमन क्षेत्र के अन्तर्गत खाद्य तेल प्रसंस्करण यूनिट के लिए पर्यावरणीय मंजूरी देने हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना के उपबंधों में तटीय विनियमन क्षेत्र में नए उद्योग स्थापित करना निषिद्ध है।

[हिन्दी]

नए विमानपत्तन

3632. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने देश में कुछ और प्रमुख विमानपत्तन बनाने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विमानपत्तनों के निर्माण हेतु देश में किए जा रहे विदेशी पूंजी निवेशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन प्रमुख विदेशी कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने देश में विमानपत्तनों के निर्माण में गहरी रुचि दिखाई है; और

(ङ) उक्त योजना के अंतर्गत अभी तक किन स्थानों पर कार्य शुरू किया गया है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) सरकार ने आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा राज्य सरकारों के क्रमश: हैदराबाद के निकट शमशाबाद, बंगलौर के निकट देवनहाली तथा गोवा में मोपा के हवाई अड्डों के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निर्माण संबंधी प्रस्तावों को सिद्धान्त रूप में अनुमोदित कर दिया है।

(ग) बंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण संयुक्त उद्यम के अधीन हो रहा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और कर्नाटक सरकार की कुल इक्विटी होल्डिंग 26% होगी जबकि संयुक्त उद्यम निजी भागीदारी की बकाया इक्विटी होल्डिंग 74% होगी जिसमें विदेशी पूंजी निवेश भी शामिल है। इसी प्रकार की इक्विटी भागीदारी जैसी कि ऊपर बतायी गई है, हैगराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना के लिए भी परिकल्पित की गई है।

(घ) अनेक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रचालकों/कंपनियों ने उक्त दोनों परियोजनाओं के लिए रुचि जताई और विश्वव्यापी बोली प्रक्रिया में भाग लिया। आखिरकार कर्नाटक राज्य सरकार ने देवनहाली परियोजना के लिए वरीय बोलीकर्ता के बतौर जर्मनी की सीमेंज कंपनी के नेतृत्व वाले एक कंसोर्टियम को चुना जिसमें स्विटजरलैंड की यूनीक जूरिच और भारत की लार्सन एंड टाउब्रो कंपनी शामिल है। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी शमशाबाद हवाई अड्डा परियोजना के वरीय बोलीकर्ता के बतौर भारत की जी एम और वासवी कंपनी के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को चुना जिसमें मलेशियन एयरपोर्ट होल्डिंग बेरहार्ड (एम ए एच बी) शामिल है।

(ङ) उक्त परियोजना की बाबत भौतिक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

बेड़े के विस्तार

3633. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में, श्रेणीवार तथा संगठनवार कुल कितने विमान शामिल हैं और उनका कुल मूल्य कितना है;

(ख) इंडियन एयरलाइंस तथा एअर इंडिया द्वारा नए विमानों की खरीद हेतु गत पांच वर्षों के दौरान किए गए व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान विद्यमान विमानों के रख-रखाव हेतु किए गए व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) भारत में कुल 1110 पंजीकृत विमान हैं, जिसमें से 141 विमान अनुसूचित एयरट्रांसपोर्ट आपरेटरों अर्थात् इंडियन एयरलाइंस, एलाइंस एयर, एअर इंडिया, जेट एयरवेज तथा सहारा एयरलाइन द्वारा प्रचालित किए जाते हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। शेष विमान गैर-अनुसूचित आपरेटरों, राज्य सरकारों तथा उड़ान प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रचालित किए जा रहे हैं।

31.3.2003 की स्थिति के अनुसार, एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस/एलाइंस एयर से संबंधित विमानों की कुल कीमत क्रमश: 2628.38 करोड़ रु. तथा 1733.54 करोड़ रु. है। निजी अनुसूचित/गैर अनुसूचित विमानों/अन्य आपरेटरों के विमानों की कीमत संबंधी जानकारी केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान, इंडियन एयरलाइंस/एअर इंडिया ने कोई नया विमान नहीं खरीदा है।

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान, इंडियन एयरलाइंस/एअर इंडिया को अपने विमान-बेड़े के रख-रखाव के लिए किए गए व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	एअर इंडिया द्वारा किया गया व्यय	इंडियन एयरलाइंस द्वारा किया गया व्यय
1998-99	246.14	498
1999-00	236.05	588
2000-01	388.77	685
2001-02	428.55	609
2002-03 (अनंतिम)	445.00	695

विवरण

भारत में अनुसूचित आपरेटरों द्वारा प्रचालित विमान

क्रम सं.	नाम	विमान का प्रकार	विमान की संख्या	पंजीकरण संख्या
1	2	3	4	5
1.	एयरलाइन एलायड सर्विसेज लि.	बी-737-200	11	वीटी-ईजीजी, वीटी-ईजीआई, वीटी-ईजीएच वीटी-ईएचजी, वीटी-एचएच, वीटी-ईजीएफ वीटी-ईएचई, वीटी-ईजीजे, वीटी-ईएचएच वीटी-ईजीई, वीटी-ईजीएम
		एटीआर-42-320	4	वीटी-एबीडी, वीटी-एबीबी, वीटी-एबीए वीटी-एबीसी
2.	एअर इंडिया लिमिटेड	ए 310-304	9	वीटी-ईजेजी, वीटीईजेएच, वीटी-ईजेआई वीटी-ईजेजे, वीटी-ईजेके, वीटी-ईजेएल वीटी-ईक्यूएस, वीटीईक्यूटी, बीटीईबीआई
		बी 747-237बी	4	वीटी-ईएफयू, वीटी-ईजीए, वीटी-ईबीजी वीटी-ईजीसी
		बी 747-337 बी	2	वीटी-ईपीडब्ल्यू, वीटी-ईपीएक्स

1	2	3	4	5
		बी 747-437 बी	6	वीटी-ईएसएम, वीटी-ईएसएम, वीटी-ईएसओ वीटी-ईएसपी, वीटी-ईवीए, वीटी-ईवीबी
		बी 474-400	1	वीटी-ईवीजे
		ए 310-300	8	वीटी-ईवीई वीटी-ईवीएफ, वीटी-ईवीजी वीटी-ईवीएच, वीटी-ईवीयू, वीटी-ईवीवाई वीटी-ईवीडब्ल्यू, वीटी-ईवीएक्स
3.	इंडियन एयरलाइंस	ए-300	1	वीटी-ईएफएक्स
		ए-300 बी 4	4	वीटी-ईएचसी, वीटी-ईएचडी, वीटी-ईवीडी वीटी-ईवीसी
		ए-320	36	वीटी-ईपीबी, वीटी-ईपीसी, वीटी-ईपीडी वीटी-ईपीई, वीटी-ईपीएफ, वीटी-ईपीजी वीटी-ईपीएच, वीटी-ईपीआई, वीटी-ईपीजे वीटी-ईपीके, वीटी-ईपीएल, वीटी-ईपीएम वीटी-ईपीओ, वीटी-ईपीपी, वीटी-ईपीक्यू वीटी-ईपीआर, वीटी-ईपीएस, वीटी-ईपीटी वीटी-ईएसए, वीटी-ईएसबी, वीटी-ईएसी वीटी-ईएसडी, वीटी-ईएसई, वीटी-ईएसएफ वीटी-ईएसजी, वीटी-ईएसएच, वीटी-ईएसआई वीटी-ईएसजे, वीटी-ईएसके, वीटी-ईएसएल वीटी-ईपीवी, वीटी-ईवीओ, वीटी-ईवीक्यू वीटी-ईवीआर, वीटी-ईवीटी, वीटी-ईवीएस
		डी ओ- 228	2	वीटी-ईआईओ, वीटी-ईजेओ
4.	जेट एयरवेज	बी 747-400	8	वीटी-जेएई, वीटी-जेएएफ, वीटी-जेएएम वीटी-जेएएन, वीटी-जेएआर वीटी-जेएएस, वीटी-जेएटी, वीटी-जेएयू
		बी 737-700	12	वीटी-जेएनई, वीटी-जेएनएफ, वीटी-जेएनजी वीटी-जेएनएच, वीटी-जेएनपी, वीटी-जेएनक्यू वीटी-जेएनएस, वीटी-जेएनटी, वीटी-जेएनयू वीटी-जेएनवी, वीटी-जेएनडब्ल्यू, वीटी-जेजीबी
		बी 737-800	13	वीटी-जेएनए, वीटी-जेएनबी, वीटी-जेएनसी वीटी-जेएनडी, वीटी-जेएनजे, वीटी-जेएनएल वीटी-जेएनएम, वीटी-जेएनएन, वीटी-जेएनआर वीटी-जेएनएक्स, वीटी-जेएनवाई, वीटी-जेएनजेड वीटी-जेजीए

1	2	3	4	5
		एटीआर 72-500	5	वीटी-जेसीए, वीटी-जेसीबी, वीटी-जेसीसी वीटी-जेसीडी, वीटी-जेसीई
		एटीआर 72-212 ए	3	वीटी-जेसीएफ, वीटी-जेसीजी, वीटी-जेसीएच
5.	महारा एयरलाइंस (आर)	बी 737-300	2	वीटी-एसआईडब्ल्यू, वीटी-एसआईएक्स
		बी 737-400	2	वीटी-एसआईडी वीटी-एसआईक्यू
		बी 737-700	5	वीटी-एसआईजी, वीटी-एसआईआर, वीटी-एसआईएस वीटी-एसआईक्यू, वीटी-एसआईके
		बी 737-800	2	वीटी-एस आईजे, वीटी-एसआईके
		सीएल-600-2 बी 19	1	वीटी-एसएपी

एस्बेस्टस सीमेंट उत्पादों में कामगार

3634. **श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) द्वारा हाल ही में कराये गए सर्वेक्षण पर ध्यान दिया है जिसमें कहा गया है कि एस्बेस्टस विश्व भर में वार्षिक रूप से एक लाख कामगारों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं;

(ख) यदि हां, तो एस्बेस्टस पर आधारित सीमेंट उत्पादों के निर्माण में इस समय कितने कामगार लगे हुए है; और

(ग) सरकार द्वारा इन कामगारों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) सरकार को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से हाल ही में उनके द्वारा किए गए सर्वेक्षण से संबंधित कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, जिसमें एस्बेस्टस को विश्व भर में प्रत्येक वर्ष एक लाख कामगारों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार माना गया है।

(ख) श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा एकत्र किए गए ब्यौरों के अनुसार लगभग 8321 कामगार एस्बेस्टस सीमेंट तथा अन्य सीमेंट उत्पादों के निर्माण में लगे हुए हैं।

(ग) एस्बेस्टस का निर्माण, हैण्डलिंग तथा प्रक्रिया में लगे उद्योग तथा इसके उत्पाद एक उद्योग के रूप में है जिसमें कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत् प्रथम अनुसूची में उल्लिखित जोखिमकारी प्रक्रिया में शामिल है। इसलिए कारखाना अधिनियम से अध्याय-IV के अधीन जोखिमकारी प्रक्रमों से संबंधित उपबन्ध, उद्योग की इस श्रेणी पर लागू होते है। एस्बेस्टस की अनुमेय अवसीमा को उल्लेख कारखाना अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में किया गया है।

खतरनाक प्रचालनों से संबंधित धारा 87 के अधीन, राज्य सरकार को किसी कारखाने व श्रेणी अथवा वर्ग के कारखानों में खतरनाक प्रचालनों से संबंध में लागू होने वाले नियम बनाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं जहां राज्य सरकार की राय में किसी कारखाने में निर्माण प्रक्रिया अथवा चलाये जा रहे प्रचालन में उसमें नियोजित किसी व्यक्ति को गम्भीर शारीरिक चोट, विषाक्तन अथवा रोग का खतरा हो सकता है। राज्य सरकारों ने धारा 87 के अंतर्गत नियम भी तैयार किए है और महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान द्वारा तैयार किए गए माडल नियमों के आधार पर एस्बैस्टोस की हैण्डलिंग और प्रोसेसिंग, एस्बेस्टोस की किसी वास्तु के निर्माण प्रक्रिया अथवा अन्यथा में एस्बेस्टोस के किसी भी रूप में प्रयोग से संबंधित अनुसूची अधिसूचित की है।

मार्गों को युक्तिसंगत बनाना

3635. **श्री कमल नाथ:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के बीच मदभेदों के कारण मंत्रालय ने दोनों के बीच घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के बंटवारे की योजना स्थगित कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले की जांच हेतु एक आंतरिक समिति नियुक्त की गई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या समिति ने कुछ सुझाव दिए हैं;

(ङ) यदि हां, तो उन्हें लागू करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(च) उन्हें कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (च) एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के जांच मार्गों को युक्तिसंगत बनाने हेतु एक तीन सदस्यों वाली जांच समिति गठित की गई है। जो उनके सामान्य अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन के लिए उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए दोनों एयर लाइनों के शार्ट अवधि/दीर्घ अवधि हितों पर विचार करेगी। समिति अपने कार्य की प्रारम्भिक अवस्था में है।

तिलहनों पर आधारित जैव-डीजल

3636. श्रीमती श्यामा सिंह:
डा. चरण दास महंत:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने देश में तिलहन पर आधारित जैव-डीजल के वैकल्पिक ईंधन के रूप में प्रयोग करने को बढ़ावा देने हेतु प्रायोगिक परियोजना शुरू करने हेतु एक कार्य-योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन संयंत्रों का ब्यौरा क्या है जिनकी जैव-डीजल निकालने हेतु पहचान की गई है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों की तिलहन आधारित जैव-डीजल की मांग को पूरा करने हेतु तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु निर्देश भी दिया है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार का तिलहनों के उत्पादन को बढावा देने हेतु राज्य सरकारों को कितनी सहायता देने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) तिलहनों पर आधारित बायो-डीजल को बढ़ावा देने के लिए सघन रोपण, तेल निष्कर्ष एस्टरीकरण और जैट्रोफा करकैस (रतनज्योत) के विपणन के लिए एक मार्गदर्शी परियोजना शुरू करने के लिए एक कार्यकारी योजना तैयार की गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ विपणन व्यवस्थाओं की तलाश की जा रही है।

(ग) बायो-डीजल के निष्कर्षण के लिए जैट्रोफा करकैस (रतनज्योत), पोंगैमिया पिन्नाटा (करंजा) की पहचान की गई है।

(घ) से (च) यह अवधारणा आरम्भिक स्तर पर है।

गंगा और पदमा नदियों के कारण भूमि का कटाव

3637. श्री अधीर चौधरी:
श्री लक्ष्मण सेठ:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पदमा और गंगा नदियों के कारण भूमि कटाव की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी नदियों के कारण भूमि के कटाव के कारणों का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन कराया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा इसे रोकने हेतु क्या ठोस कदम उठाये गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुनचरण सेठी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नदियों के स्वछन्द बहाव के कारण गंगा/पदमा के तटों में कटाव एक प्राकृतिक क्रिया है। कटाव की तीव्रता स्थान के साथ वर्ष दर बदलती रहती है।

नदी कटाव सहित बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण, बाढ़ प्रबंधन स्कीमों का अन्वेषण, आयोजना और क्रियान्वयन राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार ने आता है। केन्द्र सरकार तकनीकी, उत्प्रेरणात्मक और संवर्द्धनात्मक स्वरूप की सहायता प्रदान करती हैं।

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने मुख्य गंगा नदी सहित गंगा बेसिन की सभी 23 नदी प्रणालियों के लिए बाढ़ प्रबंधन की

विस्तृत मास्टर योजनाएं तैयार की थीं। ये योजनाएं अनुवर्ती कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेजी गई हैं।

योजना आयोग ने पश्चिम बंगाल के माल्दा और मुर्शिदाबाद जिलों में गंगा/पदमा में तट कटाव समस्या का अध्ययन करने के लिए केंद्रीय जल आयोग के तत्कालीन सदस्य श्री जी.आर. केसकर की अध्यक्षता में वर्ष 1996 में विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की थी। इस समिति ने विभिन्न अल्प और दीर्घकालिक उपायों की सिफारिश की थी। योजना आयोग ने उपरोक्त कार्यों को शुरू करने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में पश्चिम बंगाल सरकार को वर्ष 1998-99 के दौरान 30.00 करोड़ रुपए की राशि जारी की। उसके बाद भारत सरकार ने दिसंबर, 1999 में अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय दल का गठन किया। इसकी सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार द्वारा गंगा बेसिन में गंभीर कटावरोधी कार्यों के क्रियान्वयन के लिए एक स्कीम तैयार की थी। जनवरी, 2001 से गंगा/पदमा नदी के साथ माल्दा और मुर्शिदाबाद जिलों में कटावरोधी कार्यों को शुरू करने के लिए 23.48 कोरड़ रुपए की राशि जारी की है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सहायता मुहैया कराने के लिए उपरोक्त स्कीम भी चल रही है इसके भारत सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है जिसमें पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि शामिल हैं जो केसकर समिति पूर्व की समितियों के सिफारिशों की भी जांच करेंगे।

हासन में विमानपत्तन

3638. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हासन विमानपत्तन के निर्माण हेतु परियोजना को मंजूरी दे दी है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसे प्रयोजनार्थ 300 एकड़ भूमि अधिग्रहित की है, और

(ग) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक शुरू होने और पूरा होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) कर्नाटक सरकार ने हासन में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए वर्ष 1967-69 में लगभग 145 एकड़ भूमि तथा वर्ष 1999-2000 में लगभग 324 एकड़ भूमि प्राप्त की थी। तथापि, भारत सरकार द्वारा इस परियोजना को मान्यता नहीं दिए जाने की वजह से, हासन में फिलहाल किसी हवाई अड्डे के निर्माण की योजना नहीं है।

निजीकरण में विलम्ब

3639. श्री सुबोध मोहिते: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन क्षेत्र में निजीकरण की प्रक्रिया में विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई;

(घ) क्या इस प्रक्रिया को पूरा करने हेतु कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने जनवरी, 2000 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विमानपत्तनों को जब कभी उपयुक्त पाया जाए दीर्घकालीन पट्टा मार्ग के माध्यम से पुरसंरचना को स्वीकृति प्रदान की थी। पहले चरण में दिल्ली, मुम्बई, चेन्नै और कोलकाता के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर यह प्रक्रिया शुरू की गई थी। तदनुसार, नवम्बर, 2000 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विमानपत्तनों को पट्टे पर देने के लिए अधिनियम में संबंधित प्रावधान के लिए संसद में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (संशोधन) बिल, 2000 पेश किया गया। यह बिल परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय समिति से संबंधित विभाग को भेजा गया। समिति ने नवम्बर, 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें बिल में अनेक संशोधन सुझाए गए थे।

(ग) व्यापक संशोधन बिल को लाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कदम उठाए गए हैं। सरकार ने 2003-04 के बजट के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतर्गत पृथक कंपनियां बनाकर विश्व स्तर के मानकों तथा दिल्ली/मुंबई हवाई अड्डों के विकास के प्रस्ताव की घोषणा की है। इन कंपनियों को संयुक्त उपक्रम साझेदार बनाने की अनुमति होगी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में मछुआरों का विकास

3640. **डा. बलिराम:**
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सरकारों ने मछुआरों के विकास और उन्हें सुविधाएं प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा और सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उत्तर प्रदेश

1. उत्तर प्रदेश सरकार ने 2002-03 के दौरान मछुआरों के लाभ के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और 2002-03 के दौरान राज्य सरकार को 103.50 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी।

2. ''मात्स्यिकी प्रशिक्षण और विस्तार'' नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने 2002-03 के दौरान किसानों के प्रशिक्षण बागपत जिले में मीतली मछली फार्म पर एक मत्स्य कृषक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना, राज्य स्तरीय सम्मेलन के आयोजन, एक वृत्त चित्र निर्माण, हैंड बुक का प्रकाशन, तथा एक प्रशिक्षण और विस्तार मैनुअल के प्रकाशन का महत्व भेजा था और राज्य सरकार को 13.97 लाख रुपए जारी किए थे।

पश्चिमी बंगाल

3. पश्चिमी बंगाल सरकार ने 2002-03 के दौरान मछुआरों के लाभ के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और राज्य सरकार को 60.00 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी।

4. ताजा जल जलकृषि विकास और खारा जलकृषि विकास के लिए 2002-03 के दौरान राज्यों को केन्द्रीय सहायता क्रमश: 291.63 लाख रुपए और 80.00 लाख रुपए थी।

5. पश्चिमी बंगाल सरकार ने 24 परगना जिले को माया गोवालिनी घाट तथा मिदनापुर जिले के जाल्दाकुटी में दो मछली उतारने के केन्द्रों के निर्माण के लिए दो प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे और बड़े तथा छोटे पत्तनों पर मत्स्य बंदरगाह सुविधाओं पर केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता मांगी थी।

प्रस्तावों की जांच के बाद राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह (1) प्रस्तावित मछली उतारने का केन्द्र विकास के लिए राज्य सरकार के संबंधित विभाग से भमि की उपलब्धता (2) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पर्यावरणीय स्वीकृति की पूर्णता (3) परियोजनाओं की 50 प्रतिशत पूंजी लागत को वहन करने के लिए राज्य बजट में पर्याप्त बजटीय प्रावधान की पुष्टि करें।

बाल श्रमिकों की वित्तीय सहायता और सामाजिक दशा में सुधार

3641. **प्रो. दुखा भगत:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के बाल श्रमिकों की प्रकृति, कठिनाइयों, समस्याओं की गम्भीरता का अध्ययन करने हेतु कोई पहल की है; और

(ख) यदि हां, तो बाल श्रमिकों की सामाजिक और वित्तीय दशा में तेजी से सुधार लाने हेतु तैयार की गई नई रणनीतियों और कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) बाल श्रम एक जटिल और बहुआयामी सामाजिक-आर्थिक समस्या है। बाल श्रम पर आकड़े दस-वर्षीय जनगणना द्वारा एकत्र किए जाते हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन भी नियमित अंतरालों पर बाल श्रम सहित विभिन्न पहलुओं पर सर्वेक्षण करता है। दसवीं योजना के दौरान, बाल श्रम पर दो सर्वेक्षण कराने के लिए प्रावधान रखा गया है।

(ख) बाल श्रम के उन्मूलन के लिए दसवीं योजना के दौरान अपनाने के लिए प्रस्तावित नई रणनीति निम्नलिखित हैं:-

* बाल श्रम के उन्मूलन संबंधी नीति और कार्यक्रम को और अधिक केन्द्रित, समन्वित और अभिसरित ढंग से जारी रखा जाएगा।

* राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं को विस्तार करके इसके दायरे में 150 बाल श्रम बहुल जिलों को लाया जाएगा।

* बाल श्रम उन्मूलन प्रयासों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सब शिक्षा अभियान (सभी के लिए शिक्षा) योजना के साथ जोड़ा जाएगा ताकि 5-8 वर्ष के आयु वर्ग के छोटे बच्चे सीधे स्कूल भेजे जाएं और बड़े बच्चों को रा.बा.श्र.प. के पुनर्वास केन्द्रों के माध्यम से औपचारिक शिक्षा प्रणाली को मुख्य धारा में जोड़ा जाए।

* देश में बाल श्रम बहुल क्षेत्रों में गुणवत्ता और संख्या दोनों दृष्टियों से औपचारिक शिक्षा तंत्र को मजबूत बनाना और बाल श्रमिकों और उनके माता-पिता के लिए एक आकर्षक स्कूल प्रणाली को व्यवस्था करना ताकि यह माता-पिता और इन बाल श्रमिकों दोनों के लिए अत्यधिक प्रेरणादायक बने और इन बच्चों को स्कूल जाना आकर्षक लगे।

* यह भी प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के लिए मास्टर व्यावसायिक प्रशिक्षक को नियोजित किया जाए ताकि व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया जा सके।

* शिक्षा ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और महिला व बाल विकास विभाग को चल रही योजनाओं से साथ सकेन्द्रण अंतत: समयबद्ध ढंग से बाल श्रम के उम्मूलन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपयोगी होगा।

* बच्चों की बुनियादी स्वास्थ्य जरूरतों की देखभाल के लिए प्रत्येक 20 स्कूलों के लिए एक चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति का भी प्रावधान रखा गया है।

बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए लम्बे समय तक सतत् प्रयत्न करने की आवश्यकता है। सरकार बाल श्रम को उसके सभी रूपों में समूल समाप्त करने के लिए वचनबद्ध है। समस्या की प्रकृति और व्यापकता को ध्यान में रखते हुए एक उत्तरोत्तर और आनुक्रमिक दृष्टिकोण अपनाया गया है जिसके तहत खतरनाक व्यवसायों में लगे बाल श्रमिकों से आरंभ करके उन्हें काम से निकाल कर उनका पुनर्वास किया जाएगा।

पशुपालन और मत्स्यन का विकास

3642. श्री के. मुरलीधरन:
श्री पी. राजेन्द्रन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार की पशुपालन और मत्स्य के विकास हेतु कोई नई परियोजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने पशुपालन तथा मत्स्यन विकास हेतु तथा राज्य के मछुवारा समुदाय के कल्याणर्थ कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) पशुपालन व डेयरी विभाग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वयन के लिए की नई योजनाओं का प्रस्ताव किया है। ये योजनाएं हैं- आहार एवं चारा उत्पादन संवर्द्धन कार्यक्रम, पशुपालन विस्तार कार्यक्रम के लिए अंतसंरचना तैयार करना, विलुप्त हो रही पशुधन नस्लों का संरक्षण, खुरपका तथा मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम, डेयरी/कुक्कुट उद्यम पूंजीगत कोष, समुद्री मात्स्यिकी विकास तथा मात्स्यिकी विकास के लिए डाटाबेस एवं सूचना नेटवर्किंग का सुदृढ़ीकरण।

(ग) से (ङ) केरल राज्य सरकार ने विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निधियां जारी करने के लिए 2002-03 के दौरान विभिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। प्राप्त प्रस्तावों तथा उनके लिए जारी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

प्राप्त प्रस्तावों तथा 2002-03 के दौरान केरल सरकार को जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रस्तावित राशि	जारी निधियां
1	2	3	4
1.	राष्ट्रीय गोपशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना	3179.42 (तीन वर्षों के लिए)	230.00

1	2	3	4
2.	कुक्कुट/बतख फार्मों के लिए राज्यों को सहायता	118.24	85.00
3.	पशुरोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	362.00	362.00
4.	व्यावहारिक दक्षता विकास	30.00	30.00
5.	राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना	60.00	17.13
6.	पशुधन उत्पादन के लिए एकीकृत नमूना सर्वेक्षण	42.34	42.34
7.	पशुधन गणना	9.98	9.98
8.	राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण	200.00	200.00

[हिन्दी]

खादी ग्रामोद्योग बोर्डों का कार्यकरण

3643. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में कार्यरत खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन बोर्डों को हुई हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव इन बोर्डों को बंद करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघ प्रिय गौतम): (क) देश में 32 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) कार्य कर रहे हैं। राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) चूंकि खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों की स्थापना संबंधी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का उत्तरदायित्व है, इन बोर्डों को हो रही हानियों का विवरण केन्द्रीय रूप से तैयार नहीं किया जाता है। उनको जारी रखना अथवा बंद कर देना संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन पर निर्भर करता है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों का नाम
1	2
1.	आंध्र प्रदेश
2.	अरुणाचल प्रदेश
3.	असम
4.	बिहार
5.	गोवा
6.	गुजरात
7.	हरियाणा
8.	हिमाचल प्रदेश
9.	जम्मू-कश्मीर
10.	कर्नाटक
11.	केरल
12.	मध्य प्रदेश
13.	महाराष्ट्र
14.	मणिपुर
15.	मेघालय
16.	मिजोरम
17.	नागालैंड
18.	उड़ीसा
19.	पंजाब
20.	राजस्थान
21.	सिक्किम
22.	तमिलनाडु
23.	त्रिपुरा
24.	उत्तर प्रदेश
25.	वेस्ट बंगाल
26.	अंदमान एंड निकोबार

1	2
27.	चंडीगढ़
28.	दिल्ली
29.	पांडिचेरी
30.	लक्षद्वीप
31.	छत्तीसगढ़
32.	उत्तरांचल

भूमि कटाव

3644. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में गंगा नदी के किनारे हो रहे भूमि कटाव के कारण लोगों का पुर्नवास नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या कटाव के कारण सड़कें भी प्रभावित हो रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार को 39.50/- करोड़ रुपए स्वीकृत/निर्मुक्त किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ उपयोग में लाया गयी निधियों का ब्यौरा क्या हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुनचरण सेठी): (क) भूमि कटाव राज्य का विषय होने के कारण कटावरोधी स्कीमों की आयोजना, वित्त पोषण एवं उनका क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों तथा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। केन्द्र सरकार तकनीकी, प्रेरणात्मक और प्रोत्साहनात्मक स्वरूप की सहायता प्रदान करती है।

गंभीर खंडों में जहां अन्य बातों के साथ-साथ लोगों की बस्ती भी है वहां भूमि कटाव की सुरक्षा के लिए कटावरोधी कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं।

(ख) गंगा नदी से हुए भूमि-कटाव के कारण मार्गों के प्रभावित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उपलब्ध सूचना के अनुसार, केन्द्र प्रायोजित स्कीम अर्थात् ''गंगा बेसिन राज्यों में गंभीर कटावरोधी कार्य'' नामक स्कीम के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई 8 स्कीमों में से एक स्कीम के गंगा दार्जिलिंग मार्ग के संबंध में लगभग 400 मीटर क्षेत्र में कटाव से प्रभावित होने की सूचना प्राप्त हुई है।

(ग) जी, हां। ''गंगा बेसिन राज्यों में गंभीर कटावरोधी कार्य'' नामक केन्द्र प्रायोजित स्कीम के तहत गंभीर खंडों में कटावरोधी कार्य प्रारंभ करने के लिए बिहार राज्य को केन्द्रीय हिस्से की 39.50 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है जिसमें बिहार सरकार को अब तक 34.91 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

(घ) बिहार सरकार को जारी किए गए 34.91 करोड़ रुपए के केन्द्रीय अंशदान की तुलना में राज्य सरकार ने 32.30 करोड़ रुपए का उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें राज्य सरकार का 25% अंशदान भी शामिल है।

[अनुवाद]

ह्यूमन नदी सिंचाई परियोजना के प्रभाव का अध्ययन

3645. श्री नरेश पुगलिया: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वन्य जीवन संस्थान, देहरादून को महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले में ह्यूमन नदी सिंचाई परियोजना का वन्य जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में अध्ययन करने को कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को भारतीय वन्यजीवन संस्थान, देहरादून से उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त रिपोर्ट भारतीय वन्यजीवन संस्थान, देहरादून से कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय वन्यजीव संस्थान को वन्यजीव वास स्थल उपयोग, विद्यमान वास स्थल उपलब्धता और ऐसी उपलब्धता और उपयोग पर प्रस्तावित परियोजना के प्रभाव के आकलन हेतु एक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) अध्ययन में परियोजना क्षेत्र का मूल्यांकन किया गया था। इसमें प्रभावों को कम करने की योजना के सुझावों के अतिरिक्त वन्यजीव वास स्थलों और वन्यजीवों द्वारा इनके उपयोग पर प्रस्तावित परियोजना के प्रभाव को रेखांकित किया गया था। रिपोर्ट पर कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया गया है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विपणन, परिवहन और संचार प्रणाली में सुधार

3646. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विपणन, परिवहन और संचार प्रणाली को सुधारने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो नौवी और दसवीं योजना के दौरान इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम): (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के जरिए प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के विकास हेतु वित्तीय सहायता देता है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे संबंधी अवरोध की पहचान एक ऐसे क्षेत्र के रूप में की गयी है जिस पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु कई योजना स्कीमों और हस्तक्षेपों को कार्यान्वित किया गया है। इसके अलावा बाजार के संवर्धन हेतु व्यापक विज्ञापन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। प्रशीतित वैनों आदि के लिए भी वित्तीय सहायता का प्रावधान है।

आयल पाम के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा

3647. डा. मन्दा जगन्नाथ:
डा. एन. वेंकटस्वामी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का "आयल पाम" को बाजार हस्तक्षेप योजना के दायरे में लाने और "आयल पाम" उत्पादकों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान वर्ष के दौरान आयल पाम के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में आयल पाम उत्पादकों के लिए न्यू.स.मू. घोषित करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) सरकार ने आयल पाम को मंडी हस्तक्षेप स्कीम (एम आई एस) के अंतर्गत रखा है और आयल पाम को न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं किए है क्योंकि आयल पाम के ताजे फलों के गुच्छे (एफएफबी) खराब हो जाते हैं और उनके उचित औसत क्वालिटी विनिर्देश निर्धारित नहीं किए जा सकते।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री से आंध्र प्रदेश के आयल पाम उत्पादकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए आयल पाम के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने से संबंधित एक पत्र मिला था। चूंकि आयल पाम एफ बी खराब हो जाते हैं और इसके उचित औसत क्वालिटी विनिर्देश निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं इसलिए इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है। तथापि आयल पाम उत्पादकों की हितों की सुरक्षा के लिए सरकार ने आंध्र प्रदेश में 1999-2000/ 2000-01 और 2000-2001/2000-2002 के दौरान आयल पाम के लिए मंडी हस्तक्षेप स्कीम कार्यान्वित की है और इन वर्षों के दौरान क्रमश: 65000 मी. टन और 39,301 मी. टन आयल पाम की खरीद की है। वर्ष 2002-2003 के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार से एम.आई.एस. के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

तटीय क्षेत्र प्रबन्धन योजना

3648. श्री प्रकाश वी. पाटील:
श्री मोहन रावले:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने नवम्बर 1998 में केन्द्र सरकार को मुम्बई तथा नवी मुम्बई के लिए तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को स्वीकृति देने हेतु एक प्रस्ताव दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय सरकार ने प्रस्ताव की जांच के बाद ग्रेटर मुंबई की संशोधित तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को कतिपय शर्तों के साथ 19 जनवरी, 2000 को अनुमोदित

कर दिया था। नवीं मुंबई की संशोधित तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूर नहीं किया गया क्योंकि प्रस्ताव समय-समय पर यथा संशोधित तटीय विनियमन क्षेत्र आधिसूचना, 1991 में निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करती है।

उड़ीसा में गोपालपुर समुद्रतट की पर्यटन संभावना

3649. श्री अनन्त नायक: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में गोपालपुर समुद्रतट की पर्यटन संभावना की जानकारी है;

(ख) क्या इस समुद्रतट की पर्यटन संभावना का पूरा दोहन नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस समुद्रतट की पर्यटन संभावना का पूर्ण दोहन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) गोपालपुर की पर्यटन संभावना का काफी हद तक दोहन किया गया है।

(ग) गोपालपुर समुद्रतट पर पर्यटन के विकास हेतु निम्नलिखित परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई हैं:-

वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (रु. लाख में)
1993-94	गोपालपुर में पर्यटक परिसर	38.23
1997-98	गोपालपुर में सार्वजनिक सुविधाएं	13.12

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उसने राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2001 के अनुरूप, पर्यटक गन्तव्य के रूप में गोपालपुर के लिए एक मास्टर प्लान की तैयरी शुरू कर दी है।

पाण्डुलिपियों का संरक्षण

3650. श्री बिक्रम केशरी देव: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय प्रधान मंत्री ने हाल ही में राष्ट्रीय पाण्डुलिपि अभियान शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न भागों में निजी और गैर-सरकारी संगठनों के पास पड़ी 35 लाख पाण्डुलिपियों के अभिलेख तथा संरक्षण की योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम के प्रथम चरण के दौरान संस्कृति के कितने अध्येताओं को इस काम में लगाया जाएगा क्योंकि अधिकांश पाडुलिपियां संस्कृत में हैं; और

(घ) राष्ट्रहित में व्यक्तियों से पाण्डुलिपियों प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत एक बहुमुखी नीति अपनाकर पांडुलिपियों का प्रलेखन और संरक्षण किया जाएगा, जिसमें जन-जागरूकता, सर्वेक्षण, प्रमुख अभिरक्षण संस्थाओं को आवश्यकता आधारित आधारभूत सहायता प्रदान करना, संरक्षण, माइक्रो-फिल्म बनाना/डिजिटीकरण, कैटेलॉग बनाना और राष्ट्रीय पांडुलिपि पुस्तकालय की स्थापना करना शामिल है। नीतिगत सलाह देने, मार्गदर्शन देने, कार्य योजनाएं तैयार करने तथा राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए कार्यविधियां विकसित करने के लिए संस्कृति के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय अधिकार-प्राप्त समिति तथा सचिव (संस्कृति) की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति का गठन किया गया है।

[हिन्दी]

कृषि वैज्ञानिकों और स्नातकों की सेवाएं

3651. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि वैज्ञानिक और कृषि स्नातकों की सेवाओं का वर्गीकरण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों में समान नीति अपनायी जाती है;

(घ) यदि हां, तो क्या कृषि वैज्ञानिकों और कृषि स्नातकों की पदोन्नति नीति भिन्न है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पदोन्नति के नए नियम बनाए हैं जिसके कारण पिछली पदोन्नति नीति प्रभावित हुई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) केवल कृषि वैज्ञानिकों की सेवाओं को वर्गीकृत किया जाता है।

(ख) शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार शिक्षा कार्यक्रमों के लिए की गई सेवाओं हेतु कृषि वैज्ञानिकों की सेवाओं का सहायक प्रोफेसर और इसके समकक्ष, सह-प्रोफेसर और इसके समकक्ष तथा प्रोफेसर या इसके समकक्ष के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ग) से (ङ) कृषि विश्वविद्यालयों के संविधि अधिशासन के माध्यम से राज्य सरकारें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अपनाये गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को व्यवस्थित करती हैं।

(च) और (छ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मेरिट प्रोन्नति जो राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के लिए लागू थी वह दिनांक 3.3.99 से प्रारंभ करने से पूर्व बंद थी तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कुल मिलाकर इसे शिक्षकों और अनुसंधान वैज्ञानिकों के लाभ के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में दिनांक 27.7.98 से कैरियर उन्नति स्कीम में बदल दिया गया था।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत लाभान्वित किसान

3652. श्री अरुण कुमार: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्ष के दौरान बिहार में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले किसानों की जिला-वार संख्या कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): बिहार राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एन ए आई एस) का क्रियान्वयन 2000-01 से कर रहा है। बिहार में पिछले दो वर्षों में इस स्कीम से लाभान्वित किसानों की जिलावार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एन ए आई एस) के अंतर्गत बिहार में पिछले दो वर्षों के दौरान लाभान्वित किसानों की जिला-वार संख्या

क्र.सं.	जिलों का नाम	लाभान्वित किसानों की संख्या	
		2000-01	2001-02
1	2	3	4
1.	पटना	463	22
2.	नालन्दा	2297	1721
3.	गया	63	109
4.	नवादाह	1961	388
5.	औरंगाबाद	431	87
6.	भोजपुर	160	358
7.	रोहतास	94	0
8.	सारण	47	37
9.	सिवान	1137	8
10.	पूर्वी चम्पारण	0	100
11.	मुजफ्फरपुर	14	265
12.	वैशाली	0	704
13.	सीतामढ़ी	34	477
14.	दरभंगा	490	0
15.	मधुबनी	0	1153
16.	समस्तीपुर	35	1143
17.	बेगुसराय	4012	164
18.	मुगेर	13	104
19.	भागलपुर	522	474
20.	सहरसा	0	0
21.	पूर्णिया	0	1104
22.	पश्चिम चम्पारण	0	104
23.	कटिहार	0	0
24.	गोपालगंज	0	0
25.	खगड़िया	3549	2290
26.	मधेपुरा	0	143
27.	जहानाबाद	0	0
28.	किशनगंज	0	114
29.	अररिया	1532	527
30.	बंका	641	17

1	2	3	4
31.	भभुआ	25	17
32.	बक्सर	0	340
33.	जमुई	202	1199
34.	सुपौल	0	128
35.	शिवहर	96	0
36.	लखीसराय	1	5
37.	सेखपुरा	0	0
	योग	17819	13302

अ.पि.व. श्रेणी के अंतर्गत रिक्त पद

3653. श्री बालकृष्ण चौहान: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभागों तथा उपक्रमों में क, ख, ग और घ श्रेणी के अतंर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के कमचारियों की श्रेणी-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) केन्द्र सरकार की सेवाओं में अ.पि.व. का आरक्षण कोटा दिया गया है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभागों तथा उपक्रमों में अ.पि.व. का आरक्षण कोटा पूरा भरा जा चुका है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त वर्ग के लिए आरक्षण कोटा को कब तक भरे जाने की संभावना है;

(च) क्या अ.पि.व. के लिए पदोन्नति में भी आरक्षण का प्रावधान है;

(छ) यदि हां, तो क्या अ.पि.व. के लिए आरक्षित पदों को अ.पि.व. अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाता है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में पौधशाला की स्थापना

3654. श्री विष्णु पद राय: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के कृषि विभाग की नींबू वंश के पौधे तथा आम को स्थानीय तौर पर मुकुलन और कलम रोपण की कोई योजना/कार्यक्रम है ताकि मुख्य भूमि से पौधरोपण सामग्री के आयात को घटाया जाए और पौधशाला की स्थापना संबंधी उद्यम को स्थानीय तौर पर बढ़ावा मिले; और

(ख) यदि हां, तो वार्षिक योजना 2002-03 और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्धारित वास्तविक और द्वितीय लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) कृषि विभाग अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह में रोपणी, मसाले तथा बागवानी फसलों के विकास पुनरूद्धार तथा बहुलीकरण के लिए एक स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। इस स्कीम के तहत मुख्य भूमि से रोपण सामग्री के आयात में कमी आने के लिए मुकुलन तथा कलम लगाने को प्रोत्साहित करने तथा उद्यमियों द्वारा वापस खरीद की व्यवस्था के तहत स्थानीय रूप से नर्सरियों को बढ़ावा देने का प्रावधान है।

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान निर्धारित भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यों का ब्यौरा निम्नलिखित है-

मद	2002-03	
	भौतिक (सं.)	वित्तीय (रु. लाख में)
आम की कलमें	5000	0.20
अन्य फलों के पौधे	20,000	-
	दसवीं योजना	
आम, साइट्रस तथा अन्यों सहित फलों के पौधे	1,25,000	2.00

[हिन्दी]

झारखंड में पशुपालन विकास

3655. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय:
श्री राम टहल चौधरी:
श्री लक्ष्मण गिलुआ:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान झारखंड में क्रियान्वित पशुपालन विकास से संबंधित योजनाएं कौन सी हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान निर्धारित लक्ष्य क्या हैं तथा इस संबंध में उपलब्धियां क्या हैं;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान आज तक देश में विशेषत: झारखंड में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में चारा उपलब्ध कराने की क्या व्यवस्था की गयी है और इस पर क्या खर्च आया है; और

(घ) क्या सूखाग्रस्त क्षेत्रों में चारे की कमी के कारण पशुपालकों को अन्य राज्यों में भेज दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इन पशुपालकों क्या सुविधाएं/सहायता दी गयी है; और

(च) सरकार द्वारा राज्य में गौशालाओं की स्थापना करने तथा इस संबंध में अनुदान देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) पशुपालन एवं डेयरी विभाग झारखंड में पशुपालन से संबंधित कई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। विभाग राज्य सरकार से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर निधियां जारी करता है। विगत तीन वर्षों के दौरान झारखंड को जारी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) भारत सरकार आपदा राहत कोष, एमसीसीएफ, चारा मिनिकिटों का वितरण आदि जैसे विभिन्न साधनों के माध्यम से राज्य सरकारों के सूखे के प्रभावों को कम करने में उनके प्रयासों में सहायता कर रही है। झारखंड सरकार को 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान क्रमश: 4500 तथा 6600 मिनिकिटें प्रदान की गई हैं।

(घ) और (ङ) सरकार को ऐसी सूचना नहीं मिली है कि सूखे के कारण झारखंड से अन्य राज्यों में बड़े पैमाने पर गोवंश का स्थानान्तरण हुआ है।

(च) पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा क्रियान्वित किसी योजना के तहत गोशालाओं की स्थापना करने का कोई प्रावधान नहीं है।

विवरण

पशुपालन विकास के लिए झारखंड को जारी निधियों का ब्यौरा

क्र.सं.	योजना का नाम	जारी निधियां (लाख रुपए में)		
		2000-01	2001-02	2002-03
1.	कुक्कुट/बतख फार्मों के लिए राज्यों को सहायता	0.00	35.78	25.48
2.	पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	0.00	11.20	5.96
3.	राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना	0.00	7.00	20.00
4.	पशुधन उत्पाद के लिए एकीकृत नमूना सर्वेक्षण	2.00	2.00	5.50
5.	पशुधन गणना*	–	–	17.36
6.	एकीकृत डेयरी विकास परियोजना	0.00	0.00	0.00
7.	ताजा जलकृषि विकास	0.00	51.97	3.64
8.	राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण	0.00	31.00	20.00

टिप्पणी:* 2002-03 से योजना को पशुपालन एवं डेयरी विभाग को अंतरित कर दिया गया है।

आटोमेटेड लैंडिंग सिस्टम

3656. डा. अशोक पटेल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में हाल ही में बड़े अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर अत्याधुनिक 'आटोमेटेड लैंडिंग सिस्टम' लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त 'आटोमेटेड लैंडिंग सिस्टम' ने कार्य करना शुरू कर दिया है; और

(घ) उक्त प्रणाली पर कितनी धनराशि व्यय की गयी है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नई दिल्ली से इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे 28 पर अत्याधुनिक उपस्कर अवतरण प्रणाली श्रेणी III क संस्थापित की गई है और 25 दिसम्बर, 2001 से यह प्रचालन में हैं। इस प्रणाली की सहायता से विमान उस समय तक उतर सकता है जब रनवे दृश्यता दूरी 200 मीटर के बराबर या अधिक हो।

(घ) इस प्रणाली पर कुल 43 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

[अनुवाद]

किसानों की दुर्दशा

3657. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में फसल बर्बाद होने के कारण ऋण में दबे किसानों के संबंध में सर्वेक्षण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई छोटे और सीमान्त किसान कर्ज चुकाने के लिए अपनी जमीन बेचने को मजबूर हैं और इस कारण वे भूमिहीन कृषि श्रमिक बनते जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार विशेषत: राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के संबंध में वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक ऐसी कोई घटना की सूचना नही मिली है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (न्यू.स.मू.) के अंतर्गत शामिल की गई फसलें

3658. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन फसलों का ब्यौरा क्या है जो वर्तमान में न्यू.स.मू. के अंतर्गत शामिल हैं;

(ख) क्या कुछ और फसलों को न्यू.स.मू. योजना के अतंर्गत लाये जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) वर्तमान में 25 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) स्कीम के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये हैं:- धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, गेहूं, जौ, चना, अरहर (तूर), मूंग, उड़द, मसूर (लेन्टिल), गन्ना, कपास, छिलका युक्त मूंगफली, पटसन, रेपसीड/सरसों, सूरजमुखी बीज, सोयाबीन, कुसुम, तोरिया, तम्बाकू, (वी एफ सी) कोपरा, तिल और रामतिल।

(ख) से (घ) वर्तमान में एम एस पी स्कीम के तहत और अधिक फसलों को लाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत लाभान्वित किसान

3659. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत लाभान्वित किसानों का प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इसका लाभ अधिक किसानों तक पहुंचाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) सरकार द्वारा विभिन्न फसलों के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक गारण्टी के रूप में होते हैं कि अत्यधिक आपूर्ति के कारण मण्डी में भरमार होने की स्थिति में मूल्यों को लाभकारी स्तरों से नीचे नहीं गिरने दिया जाएगा। इस प्रकार एम सी एस पी स्कीम के अंतर्गत कवर 25 फसलों को उगाने वाली सभी किसानों को एम एस पी से लाभ मिलता है। किसान अपने उत्पाद को सरकार द्वारा निर्धारित एम एस पी से अधिक मूल्यों पर खुली मण्डी में बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ख) से (घ) वर्तमान में एम एस पी स्कीम के अंतर्गत जिन्सों की कवरेज को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उड़ीसा में पर्यटन को बढ़ावा

3660. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा तैयार योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित/जारी की गयी है; और

(ग) आवंटित धनराशि में से राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में पर्यटन के संवर्धन के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं:-

वर्ष	परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि (रु. लाख में)
2000-01	4	156.94
2001-02	4	38.05
2002-03	1	40.00

इसके अलावा, संस्कृति विभाग ने उड़ीसा में जैन स्मारकों के विकास से संबंधित तीन परियोजनाओं के लिए 203.00 लाख रुपए मंजूर किए हैं।

[हिन्दी]

वन क्षेत्र और वन बस्ती

3661. डा. महेन्द्र सिंह पाल: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वन भूमि के प्रतिशत का राज्यवार-ब्यौरा क्या है और वन अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अधीन वनों का नियंत्रण आने के पश्चात् वनों की स्थिति में आए परिवर्तन की प्रकृति क्या है;

(ख) देश में कुल वन क्षेत्र तथा कृषि के अन्तर्गत वन क्षेत्र की पहचान करने के लिए क्या सरकार भू-बस्तियों के समान वन बस्तियों के लिए एक कानून बनाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसी वन भूमि जिस पर खेती की जा रही है को राजस्व भूमि कहा जा सकता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) वन स्थिति रिपोर्ट, 1999 में संकलित किए गए रिकार्डेड वन क्षेत्र की राज्यवार प्रतिशतता संलग्न विवरण में दी गई है। संघ सूची में ''वन'' विषय नहीं है। 1976 में बयालीसवें सांविधानिक संशोधन के बाद, इसे राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानान्तरित कर दिया गया है। वन स्थिति रिपोर्ट 1999 के अनुसार, देश में कुल वन आवरण 637, 293 वर्ग कि. मीटर है और 1997 में किए गए पूर्ववर्ती आकलन की तुलना में यह 3896 वर्ग किलोमीटर और बढ़ गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में यह परिकल्पित है कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का 33% वृक्ष/वन आवरण के अंतर्गत होना चाहिए जबकि वन स्थिति रिपोर्ट 1997 के अनुसार देश का केवल 19.39% क्षेत्र वन आवरण के अन्तर्गत है।

विवरण

(वन स्थिति रिपोर्ट 1999) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में रिकार्ड की गई वन भूमि की प्रतिशतता

(वर्ग कि.मी.)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	भौगोलिक क्षेत्र	कुल वन	प्रतिशतता
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	275.068	63.814	23.2

1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	83.743	51.540	61.54
असम	78.438	30.708	39.15
बिहार	94.163	6.078	6.45
छत्तीसगढ़	135.194	59.285	43.85
गोवा	3.702	1.424	38.46
गुजरात	196.024	19.393	9.89
हरियाणा	44.212	1.673	3.78
हिमाचल प्रदेश	55.673	35.407	63.6
जम्मू-कश्मीर	222.235	20.182	9.08
झारखंड	79.714	23.148	29.04
कर्नाटक	191.791	38.724	20.19
केरल	38.863	11.221	28.87
मध्य प्रदेश	308.252	95.212	30.89
महाराष्ट्र	307.690	63.842	20.75
मणिपुर	22.327	15.154	67.87
मेघालय	22.429	9.496	42.34
मिजोरम	21.081	15.935	75.59
नागालैंड	16.579	8.629	52.04
उड़ीसा	155.707	57.184	36.73
पंजाब	50.362	2.901	5.76
राजस्थान	342.230	31.700	9.26
सिक्किम	7.096	2.650	37.34
तमिलनाडु	130.058	22.628	17.4
त्रिपुरा	10.486	6.293	60.01
उत्तरांचल	240.926	17.001	7.06
उत्तर प्रदेश	53.485	34.662	64.81
पश्चिमी बंगाल	88.752	11.879	13.38
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8.249	7.171	86.93
चंडीगढ़	114	31	27.19
दादर व नगर हवेली	491	203	41.34
दमन व द्वीव	112	–	0.62
दिल्ली	1.483	85	2.83
लक्षद्वीप	32	–	0
पांडिचेरी	493	–	0
कुल	3,287,263	765,253	23.28

स्रोत: राज्य/संघ शासित क्षेत्र वन विभाग

* उपलब्ध नहीं

[अनुवाद]

भू-जल स्तर बढ़ाने की योजना

3662. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने 150 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से भू-जल स्तर बढ़ाने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना को स्वीकृति हेतु योजना आयोग के पास प्रस्तुत कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस योजना से बनाए जाने से पहले राज्य सरकारों से कोई परामर्श किया गया था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना को कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुनचरण सेठी): (क) जी, हां।

(ख) जल संसाधन मंत्रालय ने 150 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से ''भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण'' संबंधी एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम तैयार की है। यह स्कीम दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वित की जाएगी। इस स्कीम के अंतर्गत देश के ''अति-दोहित'' और ''डार्क'' ब्लाकों तथा सूखा प्रवण एवं जल की कमी वाले क्षेत्रों में 2344 पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की योजना है।

(ग) और (घ) जी, हां। तथापि, योजना आयोग ने सुझाव दिया है कि केन्द्र, राज्य और लाभग्रहियों के बीच 75:15:10 के अनुपात की वित्तीय पद्धति से इस स्कीम को एक केन्द्र प्रायोजित के रूप में संशोधित किया जाए।

(ङ) और (च) इस स्कीम को एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के रूप में प्रस्तावित किये जाने के कारण राज्य सरकारों से परामर्श नहीं किया जा सका। योजना आयोग से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वयन के लिए केन्द्र सरकार और लाभग्राहियों के बीच 90:10 के अनुपात की वित्तीय पद्धति से 3000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से ''भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन'' संबंधी एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम तैयार की है तथा ''सैद्धान्तिक'' अनुमोदन के लिए इसे योजना आयोग में भेजा गया है। स्कीम की स्वीकृति में कितना समय लगेगा यह अभी बता पाना संभव नहीं है।

फसल मौसम निगरानी समूह

3663. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि मंत्रालय के अंतर्गत फसल मौसम निगरानी समूह ने अपनी निरीक्षण रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) कृषि मंत्रालय के अंतर्गत गठित फसल मौसम निगरानी दल (सी.डब्ल्यू.डब्ल्यू.जी) साधारणतया हर सप्ताह सोमवार को अपनी बैठक करता है। सी. डब्ल्यू.डब्ल्यू.जी. के द्वारा निम्नलिखित मुद्दों पर विचार किया गया है:-

1. देश में विभिन्न भागों में वर्षा और मौसम की स्थिति तथा कृषि कार्यों और फसल की संभावना पर उसका संभावित प्रभाव;
2. प्रमुख जलाशयों में पानी की उपलब्धता तथा सिंचाई आदि के लिये इसके उपयोग की समीक्षा;
3. प्रमुख फसलों को खेती में होने वाली प्रगति की समीक्षा;
4. बीज, उर्वरक आदि जैसे आदानों की आपूर्ति स्थिति की समीक्षा;
5. कीटों एवं रोगों की स्थिति की समीक्षा;
6. अत्यधिक वर्षा, सूखा और अन्य जलवायुवीय गडबड़ियों की स्थिति में सस्यगत तरीके।

सी.डब्ल्यू.डब्ल्यू.जी. की बैठक की रिपोर्ट कार्यवृत्त को प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जाता है और उसको संवितरित कर दिया जाता है।

जन्तर-मन्तर और लालकिला का पुनरुद्धार

3664. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:
श्री जे.एस. बराड़:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ए.एस.आई.) ने दिल्ली में जंतर-मंतर और लाल किला के पुनरुद्धार और मरम्मत हेतु एक परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो किए जा रहे कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि मुहैया करायी जा रही है;

(घ) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का विचार देश के अन्य भागों में भी ऐसी परियोजनाएं शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा 2003-2004 के दौरान देश में शुरू की जाने वाली ऐसी प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने संस्कृति, पर्यटन तथा स्वच्छ नागरिक जीवन के तत्वों के संश्लेषण के संबंध में एक समन्वित कार्यक्रम के अंतर्गत, कई अलग-अलग स्मारकों के साथ ही लाल किला, दिल्ली के सामान्य क्षेत्रों संबंधी संरक्षण, रासायनिक उपचार तथा उद्यान संबंधी कार्यकलापों को शुरू किया है जिन पर वर्ष 2002-2003 के दौरान 133.55 लाख रुपए की राशि व्यय की गई है तथा जन्तर-मन्तर, दिल्ली पर 8.11 लाख रुपए की राशि व्यय की गई है।

(घ) और (ङ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 18243 लाख रुपए के आबंटन से देश में संरचनात्मक संरक्षण, रासायनिक उपचार तथा पर्यावरणीय विकास के लिए 578 केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की पहचान की है।

दुग्ध आधारित उद्योग

3665. श्री रामजी मांझी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में दुग्ध आधारित उद्योग स्थापित और विकसित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 के प्रावधानों के अंतर्गत दुग्ध आधारित उद्योग के लिए नई प्रसंस्करण क्षमता स्थापित करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है।

कृषि मंत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग इस समय डेयरी उद्योग के विकास के लिए निम्नलिखित योजना स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है:-

(i) गैर आपरेशन फ्लड, पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास परियोजना (आईडीडीपी)- केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीम जिसके तहत गैर आपरेशन फ्लड, पहाड़ी तथा पिछले क्षेत्रों में डेयरी विकास के लिए 100 प्रतिशत अनुदान आधार पर विशिष्ट अनुमोदित परियोजना के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जाती है।

(ii) सहकारिताओं को सहायता- केन्द्रीय क्षेत्र योजना स्कीम जिसका उद्देश्य भारत सरकार एवं संबंधित राज्य सरकार के बीच 50:50 हिस्सेदारी के आधार पर सहकारी दुग्ध संघों/परिसंघों का पुनर्वास करना है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत कर्मचारी

3666. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले वर्ष की तुलना में 2002-03 के दौरान आज तक कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत कितने कर्मचारियों को शामिल किया गया हैं;

(ख) वर्ष 2002-03 के दौरान आज तक कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत शामिल किए गए रोगियों की संख्या में गिरावट के क्या कारण हैं; और

(ग) इस गिरावट को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार, 71,59,350 तथा 31.3.2001 के स्थिति के अनुसार, 80,03,800 कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के अतंर्गत शामिल किया गया।

(ख) और (ग) कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के अतंर्गत उच्चतम मजदूरी सीमा निर्धारण के कारण कर्मचारियों की कवरेज प्रदान किए जाने की संख्या में कमी आई है। कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम का विस्तार धीरे-धीरे नये भौगोलिक परिक्षेत्र तथा रोजगार के नये क्षेत्रों में किया जा रहा है। कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के अंतर्गत मुहैया करायी जा रही सेवाओं में निरन्तर सुधार किया जा रहा है तथा इसे कर्मकारों के लिए आकर्षक बनाने हेतु लगातार मानीटर किया जा रहा है।

फ्लाइंग क्लबों को भूमि आवंटन

3667. श्रीमती रीना चौधरी:
श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ फ्लाइंग क्लबों को 1 रुपये प्रति वर्ष की दर से भूमि/हैंगर आवंटित किया हैं;

(ख) यदि हां, तो इन क्लबों को मात्र 1 रुपए प्रतिवर्ष की दर से भूमि/हैंगर आवंटित करने का उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या विमानपत्तन प्राधिकारियों का इन फ्लाइंग क्लबों की आम वाणिज्यिक दरों में परिवर्तन करने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) दर को बढ़ाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है;

(च) क्या डी.जी.सी.ए. को मुंबई फ्लाइंग क्लब द्वारा किए जा रहे अवैध और अनधिकृत कार्यों से संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) जी, हां। नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा विमानन क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के वास्ते 1/- रुपया प्रतिवर्ष की नाममात्र दर पर राज्य सरकारों के स्वामित्व समेत फ्लाइंग/ग्लाइडिंग क्लबों को भूमि हैंगर जगह आवंटित की गई। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 1986 में अपने गठन के बाद निजी फ्लाइंग क्लबों को मार्किट रेंट पर लाइसेंस फीस आधार पर फिर से भूमि आवंटित की।

(ग) से (ङ) सभी फ्लाइंग क्लबों यानी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के हवाई अड्डों पर प्रचालनरत निजी फ्लाइंग क्लबों के साथ-साथ राजसहायता प्राप्त सरकारी फ्लाइंग क्लबों से वाणिज्यिक दरों की अपेक्षा मार्किट दर पर लाइसेंस फीस चार्ज करने का प्रस्ताव है।

(च) जी, हां। दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(छ) और (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और वह सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

जल संरक्षण हेतु जागरूकता अभियान

3668. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में जल संरक्षण हेतु जागरूकता अभियान चलाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इसे सफल और परिणामोन्मुखी बनाने हेतु राज्य सरकार को सहायता प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुनचरण सेठी): (क) और (ख) जी, हां। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने विश्व जल दिवस के अवसर पर दिनांक 22 मार्च, 2003 से 14 अप्रैल तक पूरे राज्य में ''जल चैतन्यम'' नाम एक गहन जल संरक्षण जागरूकता अभियान शुरू किया है। अभियान में जल जागरूकता पर कार्यशाला, संगोष्ठियों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रदर्शनियां, दीवार, पोस्टरों के माध्यम से प्रचार, दीवार लेखन, कलजाथस और रेलियां आदि शामिल हैं। आशा की जाती है कि गावों और शहरों के लोगों की सक्रिय भागीदारी से राज्यभर में जल संरक्षण संबंधी जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा।

(ग) और (घ) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा उपरोक्त कार्यक्रम को अपने संसाधनों से आरंभ किया गया है।

बिना व्यावहारिक उपयोगिता वाली परियोजनाएं

3669. श्री चन्द्र प्रताप सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि प्रयोग/अनुसंधान करने हेतु सांख्यिकीय प्रणाली का विकास भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान के कार्यकरण (वर्क मैन्डेट) का एक हिस्सा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संस्थान ने इस प्रणाली के विकास हेतु अनेक प्रोजक्टों पर काम किया है जिन पर करोड़ों रुपए की लागत आई है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इन प्रोजेक्टों के नाम, आयी लागत, विकसित सांख्यिकीय प्रणाली, प्रकाशित पेपर्स और व्यावहारिक प्रयोगों का प्रोजक्टवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) संस्थान की कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु क्या प्रयास किए गए है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) मानीटरिंग की एक उपयुक्त यांत्रिकी (मैकेनिज्म) स्थापित की गई है तथा यह नियमित रूप से परिचालित की जा रही है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान संस्थान ने निम्नलिखित अनुसंधान परियोजनाओं को आरंभ किया

* खाद्यान्न फसल अनुक्रम (संस्थान द्वारा निधि प्राप्त) की उत्पादकता पर उर्वरकों के दीर्घ अवधि प्रभावों पर एक सांख्यिकीय अन्वेषण

प्रत्येक फसल अनुक्रमों के लिए दीर्घावधि उर्वरक प्रयोग के प्रभावों का अध्ययन करना।

विभिन्न फसलों की उपज पर दीर्घावधि उर्वरक प्रयोग के प्रभावों का अध्ययन करना।

प्रत्येक फसल अनुक्रमों के लिए अधिकम उर्वरकता प्रक्रिया के लिए प्रणाली विज्ञान का विकास करना।

विभिन्न अनुक्रमों में सम्मिलित फसलों के लिए उपज भविष्यवाणी नमूनों का विकास करना।

* फील्ड प्रयोगों की डिजाइन और विश्लेष्ण का एक नैदानिक अध्ययन (संस्थान द्वारा निधि प्राप्त)

हर संभव परिस्थिति के लिए आंकड़ों के विश्लेषण की उपयुक्त विधियां प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रायोगिक स्थितियों को पहचान करने हेतु विभिन्न प्रयोगों का एक नैदानिक सर्वेक्षण करने के साथ ही डेटा विश्लेषण के लिए प्रणाली विज्ञान का विकास करना उपलब्ध या उपयुक्त नहीं हैं।

नेस्टेड नमूनों के विचार का प्रयोग करके विभिन्न स्थानों पर किए गए प्रयोगों और/या वर्षों से डेटा के संयुक्त विश्लेषण की उचित तथा संशोधित विधियां विकसित करना।

बहु प्रयुत्तरों के साथ प्रयोगों के डेटा विश्लेषण के लिए अंतर बहुचर विश्लेषण के विचार का प्रयोग करना।

* संभावित असमान ब्लाक आकारों और भिन्न प्रतिकृतियों के साथ ब्लाक डिजाइनों से प्राप्त एक असंतुलित डेटा मे विसंगत घटकों के आकलन की उपयुक्त किंतु ठीक विधि से विकसित करना

3. कृषि क्रियाओं से संबंधित उर्वरक प्रयोग दक्षता सांख्यिकी अन्वेषण (संस्थान द्वारा निधि प्राप्त)

* विभिन्न फसलों के लिए वर्षों/स्थानों से कृषिगत एवं खाद संबंधी प्रयोगों के संयुक्त विश्लेषण करना

* कृषि एवं खाद्य संबंधी परीक्षणों पर आधारित उर्वरक उन्मुख नमूनों का विकास करना

* फसलों की कृषि क्रियाओं के विभिन्न स्तरों पर उपलब्धि निवेश प्राप्त करना

4. केन्द्र पर और प्रयोग पर कृषि अनुसंधान प्रयोगों की डिजाइन तैयार करना और विश्लेषण करना: कृषि उत्पाद निधि एक पुनर्निक्षण (लागत 8.9 लाख रु.)

* भावी प्रयोगों के लिए अनियमित प्लाटों और ब्लाकों की शक्ल और आकार तय करने में एकरूपता परीक्षणों और पूर्व प्रयोगों के डेटा के प्रयोग द्वारा उपयुक्त प्रणाली विज्ञान विकसित करना

* फार्म अनुसंधान पर प्रयोगों के लिए निराकरणीयता भिन्नतात्मक क्रमगुणितों और नेस्टिड नमूनों के सिद्धान्त के दोहन द्वारा डेटा के विश्लेषण की दक्ष डिजाइनों और उपयुक्त विधियों का विकास करना

5. तीन एसोसिएट श्रेणी की आंशिक संतुलित अपूर्ण ब्लाक डिजाइनों और आंशिक डायलेल संकरों पर उनका अनुप्रयोग (संस्थान द्वारा निधि प्राप्त)

* तीन एसोसिएट श्रेणी आंशिक संतुलित अपूर्ण ब्लाक डिजाइनों के निर्माण की कुछ विधियां प्राप्त करना और निर्मित के साथ उपलब्ध पी बी आई बी (3) का एक कैटलाग तैयार करना

* कैटलाग के लिए एक कम्प्यूटर माड्यूल विकसित करना, तीन एसोसिएट श्रेणी आंशिक संतुलित अपूर्ण ब्लाक डिजाइनें तैयार करना और विश्लेषण करना

* स्कीमों के जरिए प्राप्त आंशिक डायलर क्रासों के लिए दक्ष योजनाओं की पहचान करना और कम्पलीटर तथा/या अपूर्ण ब्लाक स्थापनों में उनका विश्लेषण के साथ इन योजनाओं को जुटाने के लिए कम्प्यूटर मोड्यूलों का विकास करना

6. फील्ड प्रयोगों में निकटस्थ इकाइयों में से पूर्णता प्रभावों पर सांख्यिकी अध्ययन (संस्थान द्वारा निधि प्राप्त)

* निकटस्थ इकाइयों में से पूर्णता प्रभावों के अन्वेषण के लिए डिजाइनों की लाक्षणिक विशेषताओं का अध्ययन करना

* विषमता स्थापनों को एकतरफा और दोतरफा पृथक्करण में प्रतियोगी प्रभावों के आकलन के लिए डिजाइनें (निर्माण प्राप्त करना)

* प्रतियोगी प्रभावों के लिए प्राप्त डिजाइनों के अधिकता पहलुओं और इन स्थितियों के लिए आशावादिता (दक्ष) डिजाइनों का एक कैटलाग तैयार करना

* अनुरूपण तकनीकों के जरिए जुटाए आंकड़ों का प्रयोग करके निकटस्थ इकाइयों में प्रतियोगी प्रभावों का अध्ययन करना

7. कृषि वानिकी प्रयोगों की डिजाइन और विश्लेषण (संस्थान द्वारा निधि प्राप्त)

* कृषि वानिकी प्रयोगों के जरिए पहले से जुटाए आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए सामान्य प्रणाली विज्ञानों का विकास करना और प्रमाण देना

* सहयोगी केन्द्र (केन्द्रों) को सुझाए जाने वाली कृषि-वानिकी प्रणाली के अंतर्गत प्रयोगों के विश्लेषण के लिए ले-आउट प्लानों और प्रणाली विज्ञानों सहित उपयुक्त डिजाइनें प्राप्त करना

* कृषि वानिकी में विभिन्न घटकों (पेड़ों और फसलों) के बीच संबंधों का अध्ययन करना

8. मृदा परीक्षण:- फसल प्रत्युत्तर परस्पर संबंधों से संबद्ध प्रयोगों का नियोजन, डिजाइनिंग और विश्लेषण (संस्थान द्वारा निधि प्राप्त)

* चालू एस टी सी आर प्रयोगों के विश्लेषण के लिए वर्तमान प्रणाली विज्ञान को सुधारना

* प्रयोगों के नए सेट के व्यवहार के लिए नियोजन और डिजाइनिंग तैयार करना और आंकड़ों का विश्लेषण करना

* एस टी सी आर प्रयोगों के लिए डेटाबेस विकसित करना

9. फसल प्रणाली अनुसंधान (संस्थान द्वारा निधि प्राप्त) के लिए परियोजना निदेशालय के अधीन केन्द्रों पर नियोजित प्रयोगों का नियोजन, डिजाइनिंग और विश्लेषण

* परियोजना की वार्षिक कार्यशाला में गठित तकनीकी कार्यक्रम के अनुसार प्रयोगों का आयोजन करने के लिए उपयुक्त सांख्यिकी डिजाइनों की पहचान करना

* पहचानी गई डिजाइनों के लिए विश्लेषण की उपयुक्त विधियां विकसित करना

* 37 फसल प्रणाली अनुसंधान केन्द्र पर किए गए प्रयोगों के डेटा का सांख्यिकी विश्लेषण करना

10. फसल प्रणाली अनुसंधान (संस्थान द्वारा निधि प्राप्त) के लिए परियोजना के अधीन नियोजित ''फार्म पर'' अनुसंधान प्रयोगों का नियोजन, डिजाइनिंग और विश्लेषण

* किसानों के खेतों पर प्रयोगों के लिए ले-आउट के लिए उपयुक्त सेम्पलिंग योजना और डिजाइन प्रदान करना

* किसानों के खेतों पर प्रयोगों के कार्यक्रम के अधीन एकत्रित डेटा के विश्लेषण के लिए उपयुक्त सांख्यिकीय प्रणाली विज्ञान की पहचान करना और किए गए प्रयोगों के डेटा का विश्लेषण करना

* परियोजना की वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित करने के लिए किसानों के खेतों पर किए गए प्रयोगों के परिणामों को अंतिम रूप देना

11. दीर्घावधि उर्वरक प्रयोगों पर अ.भा.स.अ.प. के अधीन किए गए परीक्षणों से संबंधित डेटा का नियोजन डिजाइनिंग और सांख्यिकीय विश्लेषण

* दीर्घावधि प्रयोगों की योजना तथा डिजाइन बनाना

* डेटा के विश्लेषण के लिए वैकल्पिक पहलुओं से संबंधित कार्य का समन्वय करना और परियोजना समन्वयक (एल टी एफ ई) और भा.कृ.अ.प. को भी आवश्यक सूचना प्रदान करना

12. कृषि उत्पाद उपकर निधि वाली (लागत 20.33 लाख रुपए) भौगोलिक सूचना प्रणाली का प्रयोग करके समन्वित माडलिंग के जरिए भूमि उपयोग सांख्यिकी का अध्ययन

* सर्वेक्षण और दूरस्थ चेतना तकनीक की सहायता के साथ भूमि उपयोगिता सांख्यिकी प्राप्त करना

* विभिन्न साधनों अर्थात् जनगणना, सर्वेक्षण और दूरस्थ चेतना के जरिए प्राप्त भूमि उपयोगिता सांख्यिकी के गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन करना

* विभिन्न साधनों से प्राप्त सांख्यिकी के एकीकरण के लिए माडल विकसित करना

13. कृषि वानिकी क्षेत्र क्षमता की पहचान के लिए जी आई एस आधारित तकनीक का विकास (संस्थान द्वारा निधि प्राप्त)

* कृषि वानिकी की अभिवृद्धि के लिए उत्तरदायी महत्वपूर्ण कारकों की पहचान करके

* स्पैशियल-एनेलाइटिक हिरारकी प्रक्रिया का प्रयोग करके उपयुक्त इन्डेक्स निर्माण करना

* मिश्रित विकास इन्डेक्स के साथ उपर्लिखित इन्डेक्स का मिलान करना

14. बुटीमोनोस्पर्मा (पलास) कृषि उत्पाद उपकर निधि (लागत 0.40 लाख रु.) से समूह-लाख उपज की भविष्यवाणी पर प्रमुख अध्ययन

    * समूह लाख (ब्रूड लाख) की उपज को प्रभावित करने वाले तत्वों की पहचान करना

    * पलास पेड़ों से ब्रूडलाख की उपज भविष्यवाणी के लिए माडल विकसित करना

15. बहु मारकोव चैनों (संस्थान द्वारा निधि प्राप्त) के प्रयोग द्वारा गन्ना उपजों की भविष्यवाणी करना

    * उच्च स्तर मारकोज चैनों पर आधारित गन्ना उपजों की भविष्यवाणी के लिए माडल विकसित करना

    * वृद्धि इन्डाइसिज और प्रमुख अवयव विश्लेषण के द्वारा अनेक बार के डेटा के प्रयोग की व्यवहार्यता विकसित करना

    * भविष्यवाणी माडलों में ल्यूमेबिल मारकोव चेनों के प्रयोग का अन्वेषण करना

    * बेसलाइन डेटा सेट के आकार को बढ़ाने के बाद गन्ना उपजों की भविष्यवाणी के लिए वर्तमान और प्रस्तावित माडलों के व्यवहार का अन्वेषण करना

    * विर्कासत माडलों से गन्ना उपजों की भविष्यवाणी करना और उन्हें वर्तमान विधियों के प्राप्त माडलों के साथ मिलाना

16. खरपतवारों के कारण उपज के हानि की भविष्यवाणी (संस्थान द्वारा निधि प्राप्त)

    * अध्ययनाधीन फसल उपज को अधिक प्रभाव डालने वाले खरपतवारों के वृद्धि व्यवहार को जांचना

    * फसल उपज और खरपतवार प्राचल के बीच संबंधों का पता लगाना और उपज में हानियों की भविष्यवाणी के लिए प्रणाली विज्ञान विकसित करना

17. फसल नाशीजीवों और रोगों के लिए मौसम आधारित पूर्व चेतावनी का विकास - एन ए टी पी (लागत 10.83 लाख रु.)

    * कीट नाशीजीवों और रोग विकास के लिए मौसम आधारित भविष्यवाणी माडलों को जुटाना

    * भविष्यवाणी माडलों को मान्य ठहराना

18. आम के प्रमुस नाशीजीवों की जैव-पारिस्थतिकी और जनसंख्या गतिकी पर अध्ययन (होपर्स, फ्रूटफलाई बेबर और इन्फ्लोरसेंस मिज और अमरूद (फल-बेधक) (सी आई एस एच, लखनऊ के साथ सहयोग में) (संस्थान द्वारा निधि प्राप्त)

    * अपने स्वाभाविक तरीके में फल मक्खी द्वारा अपनाए रेखांकित नियम को पहचानना

    * उपयुक्त माडलों को फिट करके फलमक्खी जनसंख्या को विभिन्न संबद्ध लैग मौसम परवर्तियों/फलमक्खी जनसंख्या के संबंधों की स्थापना

    * ऊपर फिट किए निजी कार्यों का प्रयोग करके अंतिम माडल का विकास

19. कटाई और सस्योत्तर हानियों का मूल्यांकन - एक मिशन मोड परियोजना - एन ए टी पी (लागत 189.00 लाख रु.)

    * विभिन्न स्तरों पर (उत्पादक, उपभोक्ता और बाजार) तिलहनों, दूध, ऊन, मांस, अंडे और पाल्ट्री मांस, समुद्री और अन्तर्देशीय मत्स्य पालन की फसल लेने और सस्योत्तर हानियों के मूल्यांकन करने के लिए एक प्रमुख अध्ययन आयोजित करना

20. केरल में नारियल के उत्पादन की लागत पर एक प्रमुख अध्ययन - नारियल विकास बोर्ड, कोच्ची, केरल से निधि प्रदत्त (केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कासररोड, केरल) नारियल बोर्ड (लागत 8.10 लाख रु.)

    * नारियल की खेती की लागत के विश्वसनीय और दक्ष आकलनों का निर्माण

    * नारियल में कृषिक्रिया का अध्ययन करना

    * अधिक लाभकारी कृषि क्रियाओं के गठन के लिए निवेश विवरण पर (नारियल में कृषिक्रिया अध्ययन) उद्देश्य में एकत्रित सूचना का उपयोग करना

21. ऊन उत्पादन से प्राप्त होने वाले आंकड़ों के आकलन की आवश्यकता है और एक विधिवत जांच की आवश्यकता है। (केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान (भा.कृ.अ.प.), अविकानगर, (राजस्थान) के साथ सहयोग कृषि उत्पाद उपकर कोष से सहायता प्राप्त) (लागत 6.00 लाख रु.)

    * ऊन उत्पादन के आकलन के लिए मौजूदा सैम्प्लिंग विधि में सुधार करना

    * नस्लवार भेड़ों की संख्या का आकलन, औसम ऊन उत्पादन और जिला/राज्य स्तर पर कुल ऊन उत्पादन

    * भेड़ पालन में लगे किसानों के सामाजिक-आर्थिक स्तर का अध्ययन।

22. जनजातीय, पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए घरेलू आहार और पौषकीय सुरक्षा पर जैव विज्ञान, राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन (एन ए टी पी) (लागत 7.88 लाख रु.)

    * लक्षित जनसंख्या की सामाजिक-आर्थिक दशाओं और खाद्य सुरक्षा के स्तर का प्रलेखन,

    * विभिन्न लक्षित क्षेत्रों में प्रौद्योगिकियों के हस्तक्षेप की लागत का मूल्यांकन,

    * विविधीकरण और उन्नत जीवनश्रम फसल किस्मों को व्यापक रूप से अपनाने के लिए संभव कठिनाइयों का पता लगाना,

    * सुधरी प्रौद्योगिकियों और गरीबी एलिवेशन पर विविधीकरण, खाद्य सुरक्षा और लक्षित क्षेत्र में संसाधन आधार को बनाए रखने पर लाभों की गणना,

    * लिंग संबंधित मुद्दों पर उन्नत प्रौद्योगिकी के हस्तक्षेप के प्रभाव का मूल्यांकन, और

    * जनजातीय, पिछड़े तथा पहाड़ी क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकियों के व्यापक रूप से अपनाये जाने तथा सकारात्मक प्रभाव के लिए चल रहे कार्यक्रमों के माध्यम से सरकारी हस्तक्षेप की भूमिका की जांच।

23. भारत में लाख निर्यात का अध्ययन कृषि उत्पाद उपकर निधि (लागत 19.00 लाख रु.)

    * लाख विपणन में वर्तमान विपणन चैनल तथा मूल्य प्रसार का अध्ययन

    * लाख बाजार में विपणन समेकन की सीमा की जांच

    * भारत में लाख विपणन पर्यावरण में सुधार के लिए सुधार संबंधी उपायों को सुझाना।

24. अण्डा उत्पादन में प्रौद्योगिकी की भूमिका का आर्थिक अंक विज्ञानी अध्ययन (संस्थान द्वारा निधि प्राप्त)

    * अण्डा उत्पादन में प्रोद्योगिकी की भूमिका तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों की सीमा का अध्ययन

    * क्रियात्मक आय वितरण पर प्रौद्योगिकीय ड्यूलिज्म तथा प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के प्रभाव का अध्ययन

    * प्रौद्योगिकी के विभिन्न स्तरों के अंतर्गत दक्षता वितरण की जांच

25. प्रत्येक कृषि जलवायु वाले क्षेत्र/राज्य के लिए दीर्घावधि क्रियाविधि संबंधी रणनीति निर्धारण संबंधी अध्ययन (कृषि सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा निधि प्राप्त) (लागत 130.00 लाख रु.)

    * मृदा प्रकारों तथा भूमि स्थलाकृति विज्ञान का अध्ययन

    * किसानों और खेतिहर मजदूरों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों (वित्तीय स्थिति) का अध्ययन तथा वांछित उपकरण/मशीनरी प्राप्त करने की उनकी क्षमता का मूल्यांकन

    * नाजुक मुद्दों पर बल देते हुए गांव से लेकर कटाई उपरान्त प्रक्रियाओं तक अपनाई जाने वाली विभिन्न कृषि क्रियाओं में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के लिए उनकी वर्तमान स्थिति, कुल क्षमता, मौजूदा कमियों आदि से संबंधित अध्ययन

    * अलग-अलग क्षेत्रों में विभिन्न फसलों/फसल प्रणालियों के लिए आवश्यक और वर्तमान में हो रहे परम्परागत तथा उन्नत दोनों प्रकार के विभिन्न कृषि उपकरणों की किस्मों तथा उनकी उपयोगिता से संबंधित अध्ययन

* फार्म यंत्रीकरण के श्रमिकों के रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन

* राष्ट्रीय औसत तथा वृद्धि क्षमता के संदर्भ में विभिन्न अंचलों में फसल प्रणाली, कृषि तथा बागवानी दोनों प्रकार की, द्वारा मिलने वाली उपज का अध्ययन

* विभिन्न फार्म प्रचालनों में प्रति हैक्टर क्षेत्र में फार्म ऊर्जा के उपयोग, ऊर्जा की कुल आवश्यकता, मांग और पूर्ति के बीच मौजूदा अंतर को कम करने से संबंधित अध्ययन

* विभिन्न कृषि उपकरणों के विनिर्माण, विपणन, बिक्री के बाद की सेवा/मरम्मत आदि से संबंधित बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता संबंधी अध्ययन

* कृषि यंत्रीकरण पर विभिन्न नियोजित कार्यक्रमों को केन्द्र और राज्य स्तर पर नियोजित करने, उनका प्रवर्धन करने, उन्हें लागू करने और उनके विस्तार के लिए वांछित बुनियादी ढांचे की पर्याप्तता संबंधी अध्ययन और मूल्यांकन

* ऐसे नये/उन्नत फार्म उपकरणों की पहचान जिनकी अगले 20 वर्षों में अर्थात् वर्ष 2020 तक विभिन्न फार्म प्रचालनों के लिए आवश्यकता होगी

* 2001-2005, 2005-2010, 2010-2015 और 2015-2020 की अवधि के दौरान कृषि के यंत्रीकरण के लिए वांछित रणनीतियां तथा कार्यक्रम बनाना

26. पंजाब में चावल-गेहूं फसल प्रणाली की तकनीकी दक्षता का विश्लेषण कृषि उत्पाद उपकर निधि की सहायता प्राप्त (लागत 5.63 लाख रु.)

* पंजाब में चावल-गेहूं फसल की प्रणाली की फार्म स्तर पर तकनीकी दक्षता का आकलन

27. वंशानुगतता अनुमान संबंधी कुछ पुष्टिकरण (संस्थान द्वारा निधि प्राप्त)

* वंशानुगतता के आकलन पर असामान्यता तथा अन्य पूर्वानुमानों के प्रभाव की जांच

* वंशानुगत के आकलन पर एबरैन्ट मूल्यों के प्रभाव का अध्ययन

* वंशानुगतता के ठोस अनुमान के लिए प्रक्रियाओं की पहचान तथा उनका विकास

28. वंशानुगतता के अनुमान पर स्थिर प्रभावों के मूल्यांकन का अध्ययन (संस्थान द्वारा निधि प्राप्त)

* वंशानुगतता तथा इसकी परिशुद्धता के अनुमान पर गैर आनुवंशिक घटकों के प्रभाव का अध्ययन

* स्थिर मूल्यों को फिट करने की विधि लागू करके आंकड़ा संशोधन की विभिन्न विधियों की तुलना

* चरता संबंधी घटक तथा अंतिम वंशानुगत के अनुमान की उपरोक्त विधियों के साथ-साथ मिश्रित माडल तकनीक की तुलना

29. पहाड़ी तथा लवणता प्रभावी क्षेत्रों में बड़े खेतों में विविधता के सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए प्रसंस्करण तकनीकों से संबंधित आंकड़ों का अध्ययन एन ए टी पी (लागत 16.59 लाख रु.)

* पहाड़ी तथा लवणता प्रभावी मृदाओं वाले बड़े खेतों की विविधता के सांख्यिकीय मार्त्रांकन के लिए आंकड़ा प्रसंस्करण तकनीकों का समेकित विधि से समेकीकरण

* गैर खेती वाली भूमियों पर वृक्षारोपण में मौजूदा प्राकृतिक विविधता के प्रसंस्करण से संबंधित आंकड़ों के कम्प्यूटरीकरण के लिए एलगोदिरम् तथा साफ्टवेयरों के विकास को अंतिम रूप देना

* सांख्यिकीय क्रियाविधि की विभिन्न संकल्पनाओं के इस्तेमाल के द्वारा प्राप्त विविधतापूर्ण खेतों की मृदा के जांचे गए गुणों के उर्वरता मानचित्रों के निर्माण के लिए कम्प्यूटरीकृत तकनीकों का विकास

* मृदा के गुणों तथा पादप वृद्ध संबंधी विशेषकों के ससंबंध स्थापित करने के लिए कम्प्यूटरीकृत आंकड़ा प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी तैयार करना

30. कृषि में गैर-रेखिक समय श्रृंखला माडलन का अध्ययन (संस्थान द्वारा निधि प्राप्त)

* रेखिकता के विभिन्न परीक्षणों के सापेक्ष दोषों और गुणों का अध्ययन

* गैर रेखिक समय श्रेणी माडलों के प्रचालनों के बाइलिनियर माडल तथा स्वत: समाश्रियत सशर्त हैट्रोसैडेटिक, सैल्फ एक्साइटिंग थ्रैशहोल्ड आटोरिगरैसिव के गुणों का पता लगाना

* उपरोक्त माडलों में फिट होने लायक कम्प्यूटर कार्यक्रम का विकास तथा उन्हें कीट विज्ञान, मास्यिकी, कृषि अर्थशास्त्र आदि के क्षेत्र में लागू करना

31. भारतीय नस्ल के बकरे-बकरियों में फिट होने वाले विशेषकों के बढ़वार पैटर्न तथा वंशानुगतता संबंधी अध्ययन (संस्थान द्वारा निधि प्राप्त)

* फिटनैस से संबंधित विशेषकों के वंशानुगतता अनुमान की विभिन्न विधियों की तुलना

* बढ़वार पैटर्न के अध्ययन के लिए इस्तेमाल होने वाले विभिन्न गैर-रेखिक माडलों की पर्याप्तता की तुलना

32. उपज और टिकाऊपन के लिए एक साथ जीन प्रारूपों के चयन के लिए सांख्यिकीय प्रक्रियाओं का विकास (संस्थान द्वारा निधि प्राप्त)

* उपज और टिकाऊपन दोनों के लिए एक साथ जीन प्ररुपों के चयन के लिए नये सूचकांकों का निर्माण

* अनुरेखन में शामिल विभिन्न मानक सांख्यिकी तकनीकों व अन्य तकनीकों पर आधारित अब तक विकसित सूचकांकों की परस्पर तुलना

* वांछित जीन प्रारूपों का निर्धारण करने के लिए एक कम्प्यूटर कार्यक्रम का विकास

33. भा.कृ.अ.प. के कार्मिक प्रबंध पर-लाइन सूचना प्रणाली के साफ्टवेयर का विकास (संस्थान द्वारा निधि प्राप्त)

* भा.कृ.अ.प. के ढांचे का जनशक्ति के लिए आवश्यक डेटाबेस की डिजाइन तैयार करना व उसका विकास

* आन-लाइन आंकड़ा प्रविष्टि और इसे अद्यतन बनाए रखने के लिए उपभोक्ता से संपर्क साधने के लिए उपयुक्त तकनीक की डिजाइन तैयार करना व उसका विकास

* जनशक्ति सूचना प्रबंध के लिए रिपोर्टें तथा सूचनाओं की डिजाइन तैयार करना और उनका विकास

34. राष्ट्रीय बीज परियोजना (एन एस सी) के लिए वैबसाइट का विकास (संस्थान द्वारा निधि प्राप्त)

* वैब में डाली जाने वाली सूचना का पहचान

* डेटाबेस की डिजाइन और उसका विकास

* वैब उपयोग की डिजाइन और उसका विकास

* वैबसाइट तथा डेटाबेस सर्वर के लिए नेटवर्क का निर्माण

35. कृषि क्षेत्र प्रयोग सूचना प्रणाली (संस्थान द्वारा निधि प्राप्त)

* कृषि क्षेत्र प्रयोगों से आंकड़ों का संकलन

* देश में मौजूद विभिन्न अनुसंधान केन्द्र/कृषि विश्विद्यालय/भा.कृ.अ.प. के संस्थान

* डेटाबेस के सृजन, सत्यापन तथा अद्यतीकरण और सूचना प्राप्ति के लिए विभिन्न साफ्टवेयरों का विकास

* डेटाबेस का रखरखाव तथा नियमित अंतराल पर इसे अद्यतन करना

36. अनुसंधान प्राथमिकताओं के निर्धारण, उनकी निगरानी और मूल्यांकन तथा समाज विज्ञान के वैज्ञानिकों की नेटवर्किंग का संस्थानीकरण एन ए टी पी (लागत 276.13 लाख रु.)

* निगरानी संबंधी क्रियाविधि का विकास

* विभिन्न परिचालनों स्तरों पर संकेतकों की निगरानी की क्रियाविधि का विकास

* परियोजना सूचना तथा प्रबंध प्रणाली (पी आई एम एस) का विकास तथा इसे इंटरनेट से जोड़ना

* कृषि सांख्यिकीविदों और अर्थशास्त्रियों की परियोजना सूचना तथा प्रबंध प्रणाली की स्थापना और इन कर्मिकों का प्रशिक्षण और इनकी निगरानी पर कार्यशालाओं का आयोजन

37. समेकित राष्ट्रीय कृषि संसाधन सूचना प्रणाली (आई एन ए आई आर एस) एन ए टी पी (लागत 335.44 लाख रु.)

* फसलों, मसालों, पशु आनुवंशिक संसाधनों, मत्स्य आनुवंशिक संसाधनों, सामाजिक-आर्थिक संसाधनों, कृषि वानिकी प्रणाली, जल संसाधनों, कृषि फार्म यंत्रीकरण आदि के वर्तमान डेटाबेसों का समेकन

* उपरोक्त कृषि संसाधनों पर समेकित डेटाबेस का विकास

* जी आई एस के माध्यम से विभिन्न डेटाबेसों पर आधारित संसाधन मानचित्रों का विकास

* उपरोक्त डेटाबेसों के वेयरहाउस का विकास

38. विस्तार की विशेषज्ञ प्रणाली एन ए टी पी (लागत 3.51 लाख रु.)

* डेटाबेस में डालने के लिए इन क्षेत्रों से संबंधित सूचना का एकत्रिकरण तथा उसे कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में बांटना (भा.कृ.अ.सं. में)

* सूचना के प्रसंस्करण के लिए निर्णय संबंधी नियम बनाना (भा.कृ.अ.सं. में)

* विस्तार ने वैब पर आधारित विशेषज्ञ प्रणाली की डिजाइन और उसका विकास (भा.कृ.अ.सं. में)

* कृपि उद्यम शुरू करने से पहले निर्णय लेने के लिए किसानों और विस्तार कृमियों को वांछित सूचना उपलब्ध कराना (भा.कृ.अ.सं. में)

39. इंटरनेट पर कृपि शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय सूचना प्रणाली (निसायग्नेट) (सी ए एस)

* सभी राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा भा.कृ.अ.प. के मानद विश्वविद्यालयों से एकत्रित आंकड़ों द्वारा डेटाबैंक तैयार करने के साथ-साथ भारत में राष्ट्रीय कृषि शिक्षा से संबंधित कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली विकास

* यह निर्धारित करना कि प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से इक्कट्ठे किए गए आंकड़ों को किस प्रकार संसाधित किया जा सकता है

* डेटाबेस संरचना के उन्नयन, सुधार व उसके प्रसार के लिए उपयुक्त माड्यूलों का विकास

* उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न रिपोर्टों तथा जानकारियों के लिए उपयोग कार्यक्रम का विकास

40. सूचना प्रौद्योगिकी में अल्पावधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम (लागत 40.00 लाख रु.) परक्रामी निधि स्कीम

* सूचना प्रणाली में जनशक्ति को प्रशिक्षित करना

* सूचना प्रौद्योगिकी में हुए नवीनतम विकासों से राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के वैज्ञानिकों तो परिचित कराना

41. कृषि अनुसंधान के लिए सांख्यिकीय पैकेज का विकास (विन्डो वर्जन)-एस पी ए आर 2.0 संस्थान द्वारा निधि प्राप्त

* एस पी ए आर 1 के विन्डो वर्जन की डिजाइन तैयार करना व उसका विकास

* कुछ ऐसे अतिरिक्त माड्यूलों का विकास जो एस पी ए आर 1 में उपलब्ध नहीं है

42. गेहूं फसल प्रबंध पर विशेषज्ञ प्रणाली का विकास (एक्सोवैम) संस्थान द्वारा निधि प्राप्त

* गेहूं की फसल के लिए विशेषज्ञों से सूचना एकत्र करना और उसे संकलित करना

* विशेषज्ञ प्रणाली के लिए जानकारी आधार विकसित करना

* विशेषज्ञ प्रणाली के लिए अन्तरापृष्ठ इंजिन विकसित करना

* गेहूं फसल प्रबंधन पर विशेषज्ञ प्रणाली विकसित करना और कार्यान्वित करना

43. महाराष्ट्र राज्य में वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थान में किए गये कृषि फील्ड प्रयोगों की सांख्यिकी मूल्यांकन

* कृषि फील्ड प्रयोगों के विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन हेतु इन्डिस तैयार करना

* इन्डिसों के आधार पर प्रायोगीकरण की परिशुद्धता बढ़ाने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाना

44. वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थान में पशु प्रजनन आंकड़ा-2 (एस पी ए बी2) के लिए सांख्यिकीय

* पैकेज परियोजना का तात्कालिक उद्देश्य या चरण-1, कार्यक्रम वाली किसी भाषा के प्रयोग से एस पी ए बी डी का विन्डो आधारित रूपान्तर विकसित किया जाएगा जिससे साफ्टवेयर प्लेटफार्म को स्वतंत्र किया जा सकेगा।

पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित परियोजनाएं पूरी हुई हैं। विकसित कार्य प्रणाली, व्यावहारिक उपयोगिता और प्रकाशित पत्र के सहित विवरण नीचे दिया गया है:

1. प्रमुख सब्जी फसलों का आंशिक फसल के आधार पर क्षेत्र व उत्पादन के आकलन संबंधी अध्ययन

* सब्जी फसल के विशेष संदर्भ में स्थान व समय में व्याप्त दो विमितीय संख्याओं से सैम्पल बनाने के लिए अनुकूल सैद्धान्तिक कार्य रूपरेखा विकसित करना

* सब्जी फसलों के उत्पादन के आकलन हेतु उपयुक्त कार्यप्रणाली विकसित करने के लिए आई ए एस आर आई में सब्जी संबंधी पूर्ण सर्वेक्षणों के अंतर्गत एकत्रित गौण आंकड़े पर सिद्धान्त को उपयोग में लाना व परीक्षण करना

* आंशिक फसल के आधार पर प्रमुख सब्जी फसलों के कुल उत्पादन व उनकी उपज दरों का आकलन करना

विकसित कार्य प्रणाली

सब्जियां अल्प अवधि वाली फसलें हैं, जिन्हें तोड़ने की विधियां भी अलग-अलग होती हैं। किसी चयनित खेत (स्थान इकाई) में तोड़ने की विधियां समय विमितियों में व्याप्त हैं, एक तरीके से आंकड़े से दो विमित्तीय संख्याएं बनती हैं जो स्थान व समय में व्याप्त हैं। खेतों से स्थान इकाइयां बनती हैं और समय के विभिन्न बिन्दुओं से तुड़ाई से समय इकाइयां बनती हैं। सभी तरह की तुड़ाई बनती हैं विधियों को पूर्ण रूपेण अवलोकन के लिए एक तरीका है जिससे दो विमित्तीय संस्थाओं को कम करके एक सामान्य विमित्तीय संख्या में बदल देता है जिसके लिए सैम्पल बनाने का पारम्परिक सिद्धान्त उपयोगी है, किन्तु यह विकल्प सुविधाजनक नहीं हैं, क्योंकि इससे अन्वेषक की गतिविधि रूक जाती है क्योंकि उन्हें चयनित खेतों की समस्त तुड़ाई विधियों का अवलोकन करना होता है। इस प्रकार यह लागत बचाने की विधि है। इसलिए आंशिक फसल आंकड़े पर आधारित विधि दोनों विमित्तीयों पर सैम्पल लेना सब्जियों के उत्पादन के आकलन लेने के लिए लाभकारी और कम लागत वाली लगती है।

अध्ययन दो चरणों में किया गया। पहले चरण में, दो विमित्तीय संख्याओं से सैम्पलिंग समय के रूप में समस्या से निपटा गया जहां सैम्पलिंग एक वित्तीय चयन में इकाइयां मानी गयीं और दूसरे आयाम में सैम्पलिंग समय में व्याप्त नहीं जिसमें चयनित यूनिटें देखी गईं। विविध संभावित सैम्पलिंग विधियों के प्रयोग से समय के अनुसार सैम्पलिंग के सहयोग से कई तरह के सैम्पल डिजाइन हेतु एक विधि विकसित की गई। वाई एच टी (पौपुलैटो टोटल वाई के हारविट्ज-थौम्पसन एस्टिमेटर) की विविधता के आकलन के लिए हमने आर$_1$ आर$_1$ (दोनों आयामों में सम्बद्ध यादृत्छिक सैम्पलिंग) का मामला माना जा आर$_1$ एस वाई$_1$ (स्थान आयाम सहित सम्बद्ध यादृच्छिक सैम्पलिंग तथा समय आयाम सहित व्यवस्थित सैम्पलिंग) के मामले का आकलन है तथा जो व्यवस्थित सैम्पलिंग स्थिति के लिए पक्षपात रहित आकलन से प्रतिकूलता के कारण है। इस विधि का निरीक्षण गौण आंकड़े पर किया गया जिसमें समय से विभिन्न अन्तराल पाये गये, जिन पर आंकड़ा एकत्र किया जाना था तथा व्यवस्थित सैम्पलिंग अंतराल के लिए समयावधि से भी निपटा गया। यह पाया गया कि विभिन्न सब्जी फसलों के लिए आंशिक फसल आंकड़े के अवलोकन हेतु 14 दिन के अन्तराल में 7 दिन की अवधि एक उपयुक्त योजना रही। दूसरे चरण में, 1995-96 में दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में एक सर्वेक्षण किया गया, जिसके माध्यम से आंशिक फसल आंकड़े पर आधारित सब्जी उत्पादन के आकलन के लिए विकसित कार्य प्रणाली का प्रदर्शन किया गया है।

व्यावहारिक उपयोगिता

सब्जियों की फसल कम समय में तैयार हो जाती है जो कई तरीकों से तोड़ी जाती हैं। सब्जियों की खेती और उत्पादन की सीमा के आकलन के लिए कुछ कार्य प्रणाली संबंधी समस्याएं हैं। जरूरत महसूस होने होने संस्थान द्वारा श्रृंखलाबद्ध बड़े सर्वेक्षण किए गये तथा जिला स्तर पर क्षेत्र व उत्पादन के आकलन के लिए पद्धति विकसित की गई। तथापि, यह पद्धति एक समयावधि में एक खेत के अंदर चयनित भूखंडों में सब्जी तुड़ाई की समस्त विधियों के अवलोकन पर आधारित है। इससे गणनाकारों को बड़ी कठिनाई हुई, क्योंकि उन्हें सब्जियों की तुड़ाई वाले चयनित भूखंडों पर निश्चित समय पर जाना होता था। इसको ध्यान में रखते हुए आंशिक फसल आंकड़े पर आधारित सब्जी फसलों पर आधारित सब्जी फसलों के उत्पादन को आकलित करने की सम्भाव्यता का परीक्षण करने के लिए गौण आंकड़ों के आधार पर कुछ अध्ययन

किए गये। इस अध्ययन में उत्पादन के आकलनों को विकसित करने के लिए आंशिक फसल आंकड़े के उपयोग से सम्भाव्यता देखी गई। तथापि, यह अध्ययन तुड़ाई अन्तरालों का पता लगाने तक ही सीमित था जिससे कुल उत्पादन की प्रमाणिकता मिली और खेत की समग्र उपज से सर्वोत्तम पारस्परिक सामंजस्य बना। आकलनों को सुधारने के लिए दोहरे सैम्पलिंग वाली तकनीक प्रयोग में लायी गई। पहले वाली पद्धति में पर्याप्त समय लगा और ज्यादा खर्च आया तथा सभी तरह की तुड़ाई विधियों को देखना कठिन था। इसलिए कुछ तुड़ाई विधियों के अवलोकन के आधार पर यह पद्धति बहुत उपयोगी होगी तथा इसमें समय कम लगता है और खर्च भी कम होता है। यह पद्धति फसलों/जिन्सों के उत्पादन का निश्चित समय में कई तरह के अवलोकन करने के आकलन के लिए बहुत उपयोगी रहेगी।

प्रकाशित/सूचित/पर्चे/रिपोर्टें

1. आंशिक फसल तुड़ाई पर आधारित प्रमुख सब्जी फसलों के क्षेत्र व उत्पादन के आकलन हेतु अध्ययन, आई ए एस आर आई की एक रिपोर्ट-2000 (प्रकाशित)।

2. आंशिक फसल तुड़ाई आंकड़े पर आधारित सब्जी फसलों के उत्पादन का आकलन (प्रकाशन के लिए प्रस्तुत-हरियाणा इकोनोमिक जर्नल, करनाल)

3. कुक्कुट मांस के उत्पादन के आकलन के लिए एक सैम्पलिंग पद्धति विकसित करने हेतु व्यापक सैम्पल सर्वेक्षण

* संगठित फार्मों से कुक्कुट मांस का आकलन करना

* पशुधन उत्पादन के आकलन के लिए मौजूदा एकीकृत सैम्पल सर्वेक्षण के माध्यम से कुक्कुट मांस उत्पादन का आकलन करना तथा

* उक्त (1) तथा (2) के अंतर्गत प्राप्त परिणाम को एकीकृत करते हुए कुक्कुट मांस के आकलन के लिए अनुकूल सैम्पलिंग तकनीक विकसित करना

विकसित पद्धति

सांख्यिकीय सैम्पलिंग की एक पद्धति विकसित की गई है जिससे कुक्कुट मांस उत्पादन, कुक्कुट फार्मों से और गांव/ब्लाक/जिला व राज्य स्तर पर किसी क्षेत्र के गांव में घरों के बैकयार्डों से नियमनष्ठ अनुसंधान डिग्री के साथ वर्ष के किसी बिन्दु पर आकलित किया जा सकता है।

व्यावहारिक उपयोगिता

विकसित सैम्पलिंग गांव ब्लाक/जिले या राज्य स्तर पर किसी क्षेत्र के कुक्कुट मांस उत्पादन के आकलन के लिए उपयोगी है। मुख्य लाभ यह है कि यह दूध, अंडे मांस व ऊन आदि पशुधन संबंधी प्रमुख उत्पादों के उत्पादन के आकलनों के लिए एकीकृत सैम्पल सर्वेक्षण में उपयोगी हो सकती है।

प्रकाशित पत्र

शून्य

3. गतिशील पापुलेशन (वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थान) में प्रवाह और परिवर्तन का आकलन

* सामान्य विकास तथ्य के अंतर्गत दो अवसरों के बीच विभिन्न श्रेणियों में इकाइयों के क्रास मूवमेंटों के कारण पापुलेशन में संरचनात्मक परिवर्तनों का आकलन करना

* विभिन्न आकस्मिक घटकों के कारण पापुलेशन में संरचनात्मक परिवर्तनों का आकलन करना

* स्टेशनरी पापुलेशन तथा उस पापुलेशन में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तनों के संबंध में इन्टरेस्ट की विशेषता के लिए प्राचल का आकलन करना

* दो अवसरों के बीच विभिन्न श्रेणियों में यूनिटों के क्रास मूवमेंट के कारण पापुलेशन में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तनों से विशेषता के लिए प्राचल में परिवर्तनों का आकलन करना।

विकसित सांख्यिकी कार्यप्रणाली

किसी विषय क्षेत्र में होने वाली घटना में परिवर्तन और परवर्ती बहुआयामी प्रवाह किसी प्राकृतिक गतिशील तथ्य की विशेषताएं है। इस प्रकार सामान्य रूप से कोई प्राकृतिक स्थिर तथ्य नहीं होता क्योंकि प्रत्येक तथ्य निर्धारित समय की गतिशील विशेषताओं के कारण होता है। किसी गंतव्य विषय क्षेत्र में बहुआयामी विकास के फलस्वरूप होने वाले प्रवाह का आकलन प्राकृतिक प्रक्रिया और निर्मित उपकरणों/कार्यक्रमों से संबंधित होता है, इसे प्रभाव/मूल्यांकन अध्ययनों जैसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम आदि में प्राय: अपेक्षित माना जाता है। विश्वभर में गरीबी अध्ययन में फिर से रूचि जगी है। यह रूचि विकासशील तथा विकसित देशों में बढ़ते हुए आमास से उठी है, जिससे विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से तेजी से आर्थिक विकास करना है, जो अभी तक गरीबों तक अपेक्षित रूप से नहीं पहुंच पाये हैं। उपयुक्त वितरण

न हो पाने का मुख्य कारण जनसंख्या का आवश्यकता पर आधारित उपयुक्त वर्गीकरण न होना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा जांच की गयी थी, जिसमें दो अवसरों पर दो वर्गों में उनकी विपरीत गति के कारण गतिशील जनसंख्या के प्रवाह की ओर होने वाले संयोजनात्मक परिवर्तनों वाले ऐस्टिमेटरों तथा सामान्य विकासात्मक तथ्यों तथा प्रौजेक्टिव ज्यामिती व ट्रांजिशन प्रौबैबिलिटी मैट्रिक्स दृष्टिकोण को अपनाने से विभिन्न आकस्मिक घटकों के अंतर्गत एक जनसंख्या विशेषता वाले ऐस्टिमेटरों को विकसित किया गया।

व्यावहारिक उपयोगिता

यह अध्ययन कई तरह से उपयोगी होगा जैसे आनुवंशिकी में निश्चित तरह की मैंटिंग में, श्रमिक बल की वार्षिक गतिशीलता का अध्ययन करने तथा कृषक समुदाय के विभिन्न वर्गों की सामाजिक-आर्थिक जानकारी के दृष्टिकोण से कृषि व नियोजन के क्षेत्रों में उपयोगी होगा। विकास हेतु पहचाने गये विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध/निर्मित मानवशक्ति/संसाधनों को विशेष रूप से व अस्थाई रूप से पुनर्संगठित करने के लिए परिणामों का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है।

प्रकाशित आलेख

सिंह, जगबीर एवं रमेसन, पी एम (2000), इन्टर क्लासिफिकैटरी क्रौस मूवमेंट्स इन ए डायनामिक पौपुलेशन, सोंविनीर, इन्टरनेशनल कान्फ्रेन्स आन टीचिंग एन्ड रिसर्च इन स्टैटिस्टिक्स फार द 21स्ट सेन्चुरी, जिसे एक्रान विश्वविद्यालय (यू एस ए), आई एस आई तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर पी पी 30 में आयोजित किया गया (प्रस्तुत भी किया गया)।

4. जहाजों (पानी के) से (ए.पी. उपकर निधि प्रदत्त) उर्वरक के प्रतिनिधि नमूनों के चयन के लिए कार्य पद्धति को सरल बनाना

* गुणवत्ता जांच के उद्देश्य के लिए जहाजों से उर्वरक के प्रतिनिधि नमूनों के चयन के लिए सरलीकरण प्रणाली का विकास करना

विकसित प्रणाली विज्ञान

आयातित उर्वरक के विनिर्देशन पर विशेषज्ञ समिति द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में यह अध्ययन हाल में लिया गया। प्रमुख और साथ ही छोटे बंदरगाहों पर पहुंचने वाले जहाज से उर्वरक के प्रतिनिधि नमूनों को लेने के लिए भारत सरकार द्वारा आयातित उर्वरकों की गुणत्ता जांच के उद्देश्य के लिए उपयुक्त प्रणाली विज्ञान विकसित की गई है।

प्रकाशित लेख

व्यावहारिक उपयोगिता

गुणवत्ता जांच के उद्देश्य के लिए जहाज से उर्वरक के प्रतिनिधि नमूने निकालने के लिए विषयपकर पद्धति का विकास किया जा चुका है।

5. फसल उपज अनुमानित सर्वेक्षण में दूरस्थ बोध प्रौद्योगिकी का प्रयोग

* फसल उपज अनुमानित सर्वेक्षणों में वानस्पतिक इन्डारसिज के रूप में सेटेलाइट डेटा पर आधारित स्तर विन्यास की प्रणाली विज्ञान का परीक्षण करना

* सेटेलाइट पर स्पैक्टरल डेटा पर आधारित स्तर विन्योत्तर का प्रयोग करके फसल उपज अनुमानित सर्वेक्षणों से फसल उपज विकसित आंकलन प्राप्त करना

विकसित प्रणाली विज्ञान

परियोजना के परिणामों से पता चला है कि जब दूरस्थ बोध सेटेलाइट डेटा फसल कटाई प्रयोगों पर आधारित सामान्य फसल आंकलन सर्वेक्षणों (जी सी ई एस) में प्रयुक्त होता है, फसल उपज आकलन का आकलन सामान्य आकलन की तुलना में पर्याप्त रूप से अधिक दक्ष है। ये परिणाम सुझाते है कि जी सी ई एस में फसल कटाई प्रयोगों की संख्या को जिला स्तर पर फसल उपज आकलन के लिए वर्तमान सुस्पष्टता को बिना प्रभावित किए गए तिहाई तक घटाया जा सकता है। इसे ब्लाक स्तर पर फसल उपज के लघु क्षेत्र आकलन के लिए वैकल्पिक रूप से प्रयुत्त की जा सकती हैं। (i) सीधे आकलन और (ii) सिन्थेटिक आकलक नामक दो लघु क्षेत्र आकलकों को विकसित की गई हैं और ब्लाक स्तर पर अधिकतर आकलकों की मानक गलती 7-8 प्रतिशत से कम है। फसल उपज भविष्यवाणी माडल भी जी सी ई एस, वानस्पतिक इन्डाइसिज की शकल में सेटेलाइट डेटा और उपज का किसान की नजर से आकलन से उपज डेटा का प्रयोग करके विकसित किया गया है। इन अध्ययनों के परिणामों जिला स्तर पर फसल पैदावार आकलन और मौजूदा जी.सी.ई.एम. प्रणाली में दूर संवेदन उपग्रह आंकड़ों के अनुप्रयोग को शामिल करते हुए ब्लाक स्तर पर फसल पैदावार के लघु क्षेत्र आकलन के लिए एक समेकित दृष्टिकोण उपलब्ध होंगे। फसल पैदावार के विश्वसनीय पूर्वानुमान माडल में भी उपग्रह आंकड़ों का उपयोग किया जाता है और किसानों के आकलनों को विकसित किया जाए तो कि वास्तविक कटाई के लगभग 6-8 सप्ताह पूर्व फसल पैदावार के विश्वसनीय पूर्वानुमान उपलब्ध कराते हैं।

प्रकाशित शोध पत्र

1. ''दूर संवेदन उपग्रह आंकड़ों'' का इस्तेमाल करते हुए फसल पैदावार का लघु क्षेत्र आकलन (सेमवाल अन्य के साथ) दूर संवेदन का अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 2002 वाल्यूम 23 सं. 49-56

2. हरियाणा राज्य के रोहतक जिले के लिए वर्ष 1997-98 के दौरान बाढ़ की व्यापकता तथा भूमि उपयोग सांख्यिकी में दूर संवेदन उपग्रह आंकड़ों का इस्तेमाल/ एन एन आर एम एस, बुलेटिन, एन एन आर एम एस (बी) 26 जून, 2001, एन एन एम आर एस, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार, 81-85

प्रकाशन के लिए प्रस्तुत शोध पत्र

''रणधीर सिंह (2002)'' फसल पैदावार पूर्वानुमान के लिए पैदावार के उपग्रह आंकड़ों तथा किसानों द्वारा किया गया आकलन जे.आई.एस.ए.एस. के प्रकाशन के लिए प्रस्तुत

6. चावल फसल के पूर्वानुमान माडलों के विकास के लिए मौसम मापदण्डों के विभेदकारी क्रियाकलापों का इस्तेमाल

   - मौसम मापदण्डों के आधार पर वर्ष को तीन श्रेणियां में वर्गीकृत करना

   - मौसम मापदण्डों तथा विविध इनपुट के विभेदीकरण स्कोर का इस्तेमाल करते हुए पैदावार पूर्वानुमान माडल विकसित करना, और

   - पूर्वानुमान माडल की वैद्यता की जांच करना।

विकसित प्रणाली विज्ञान

मौसम विविधताओं के साथ निवेश तथा झुकाव के विभेदीकृत स्कोर का इस्तेमाल करते हुए चावल की पैदावार के लिए पूर्वानुमान माडल भेदमूलक विश्लेषण तथा विकास के माध्यम से मौसम स्कोर का विकास इन तकनीकों में शामिल हैं।

प्रायोगिक उपयोगिता

फसल पैदावार के संबंध में अनुकूल, सामान्य तथा प्रतिकूल वर्ष में फसल वर्ष के वर्गीकरण में यह तकनीकी उपयोगी है। विकसित माडल कटाई से दो माह पूर्व फसल पैदावार का पूर्वानुमान लगा सकते हैं।

प्रकाशित शोधपत्र: शून्य

7. गेहूं की फसल पर किसानों के मूल्यांकन के आंकड़े के आधार पर बेसिन संभावित पूर्वानुमान माडल विकसित करने के लिए अग्रत अध्ययन

   - गेहूं फसल पैदावार के पूर्वानुमान के लिए बेसिन सम्भावित माडल विकसित करना

   - किसानों के मूल्यांकन के आधार पर फसल पैदावार को प्रभावित करने वाले घटकों की सूची बनाना।

विकसित प्रणाली विज्ञान: पैदावार पूर्वानुमान प्राप्त करने के बेसिन दृष्टिकोण में उन किसानों से जो संभावित फसल उत्पादन के बारे में अपने मूल्यांकन के संबंध में फसल को बढ़ाने में वास्तविक रूप से कार्यरत हैं उनसे विशेषज्ञ वैचारिक आंकड़ों का संग्रहण शामिल है। वर्तमान वर्ष के गेहूं फसल के लिए बेसिन पूर्वानुमान को बनाते समय पिछले तथा वर्तमान समय में किसानों के पूर्वानुमान तथा वास्तविक पैदावार के पूर्वक सर्वेक्षण आंकड़ों को ध्यान में रखा जाए।

प्रायोगिक उपयोगिता

यह अध्ययन फसल वृद्धि में कार्यरत होने के कारण किसानों की विशेषज्ञता के आधार पर आधारित फसल पैदावार के लिए वैकल्पिक विधि प्रदान करते हैं।

प्रकाशित शोध पत्र : शोध पत्र

8. आलू पर एफिड्स, माईजस परसीसी (सल्क्सर) के लिए पूर्वानुमान प्रणाली का विकास

   - बीज उत्पादन के लिए कम अवधि तथा क्षेत्र और एफिड मुक्त की पहचान के लिए पूर्वानुमान तकनीकों का विकास

विकसित प्रणाली विज्ञान

(i) गैर-रैखिक माडल विकसित कर लिए गए हैं। विभिन्न सप्ताहों में एफिडों की संख्या आश्रित भिन्नता के रूप में ली गई तथा परिवेष्टन-मौसम भिन्नताएं स्वतंत्र भिन्नताओं के रूप में ली गई।

(ii) आंकड़े रख-रखाव तकनीकी की ग्रुप विधि जटिल पोलीनोमिल्स का इस्तेमाल

प्रायोगिक उपयोगिता

विकसित प्रणाली विज्ञान: दो सप्ताह पहले भविष्यवाणी की गई एफिड संख्या के भविष्यवाणी के करने में समर्थ है। अत: उचित सुरक्षा मापदण्डों को प्राप्त किया जाए। इस प्रकार वर्तमान प्रणाली विज्ञान कीटनाशियों के भार को कम करेगा।

प्रकाशित शोध पत्र : शून्य

9. कृषि मौसम विज्ञान सूचीकरण पर आधारित बारानी फसल के लिए पूर्व चेतावनी तथा पैदावार मूल्यांकन माडल का विकास

   - बारानी फसलों की पूर्व चेतावनी तथा पैदावार मूल्यांकन के लिए कृषि मौसम सूची तैयार करना
   - पूर्व चेतावनी तथा पैदावार आकलन के लिए कृषि मौसम सूची के इस्तेमाल के लिए माडल विकसित करना
   - माडल वैद्य करना तथा पूर्व पैदावार आकलन प्रदान करना

विकसित प्रणाली विज्ञान: फसल की वृद्धि पर जल/नमी की उपलब्धता का बहुत सीमित प्रभाव पड़ता है और अंत में बारानी फसल की पैदावार, जल संतुलन तकनीकों को फसल पैदावार आकलन माडल के विकास के लिए इस्तेमाल किया गया था।

दबावों की सूची तैयार करते समय उभरते हुए स्तर के आधार पर दबाव/आधिक्य का भार निर्धारित करने के द्वारा तकनीकी में सुधार किया गया। चुने हुए जिलों के लिए इसमें शामिल फसलें हैं: ज्वार, बाजरा तथा चावल, को शामिल किया गया है। वर्तमान वर्षों के आंकड़ों के साथ माडलों को वैद्यीकृत किया गया था।

प्रायोगिक उपयोगिता

कटाई से पूर्व फसल पैदावार आकलन के अलावा फसल पुनश्चक्रण की किसी भी स्तर पर (कोई भी) फसल वृद्धि की निगरानी तथा पूर्व चेतावनी के लिए विकसित माडलों का इस्तेमाल किया जाए। इसी प्रकार के माडलों को अन्य फसलों, जिलों, क्षेत्रों आदि के लिए विकसित किया जाए।

प्रकाशित शोध पत्र : शून्य

10. तालाबों से मछली उत्पादन का पूर्वानुमान

    - तालाबों से मछली उत्पादन पूर्वानुमान के लिए उचित क्रियाविधि विकसित करना

विकसित प्रणाली विज्ञान

(i) मत्स्य प्रग्रहण के समय विविधता पर आधारित तथा सातवें मत्स्य भार, विलय आक्सीजन, कार्बन-डाई आक्साईड मुक्त, पी एच वैल्यू तथा स्वतंत्र विविधाओं के रूप में जल तापमान को देखते हुए मछली के वजन को ध्यान में रखते हुए रैखिक प्रगुणन प्रतिगामी माडल विकसित कर लिए गए हैं।

(ii) गैर-रैखिक प्रगुणन प्रतिगामी माडल द्वारा मत्स्य भार लेना।

प्रायोगिक उपोयगिता

विकसित प्रणाली विज्ञान: मछली उत्पादन के विश्वसनीय तथा समय पर पुर्वानुमान में सहायक है जो कि योजना और नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की पूर्व सूचनाएं आयात तथा निर्यात नीतियों के निर्माण और मछली उत्पादन के भंडारण तथा विपणन के लिए विभिन्न प्रशासनिक मापदण्डों पर कार्य करने के लिए उपयोगी होंगी।

प्रकाशित शोध पत्र : शून्य

11. बकरी की भारतीय प्रजाति में वृद्धि के तरीकों तथा फिटनस दबावों के वंशानुगत पर अध्ययन

    - फिटनस विशेषताओं का वंशानुगत आकलन की विभिन्न विधियों की तुलना करना
    - वृद्धि तरीकों के अध्ययन के लिए विभिन्न गैर-रैखिक माडलों के इस्तेमाल की पर्याप्तता की तुलना करना

विकसित प्रणाली विज्ञान: एक माह, तीन माह, छ: माह, नौ माह, 12 माह तथा हाफ-सिब विश्लेषण और हीटीरोजैनिटी चीस्क्वायर विधि द्वारा जन्म के स्वरूप स्थिरता के लिए प्रत्येक आनुवंशिक ग्रुप के लिए नर एवं मादा पशुओं के वंशानुगत आकलन प्राप्त कर लिए गए हैं। हीटीरियोजैनिटी ची-रक्वायर से प्राप्त वंशानुगत आकलन के अध्ययन के परिणामों ने दर्शाया कि यह हाफ-सिब विधि की तुलना में प्रारम्भिक विशेषताओं की वंशानुगत आकलन के लिए इस विधि का इस्तेमाल किया जाए।

जन्म से 12 माह की आयु तक शरीर के वजन के लिए आंकड़ों को विभिन्न गैर-आनुवंशिक प्रभावों हेतु समायोजित किया गया था तथा समायोजित मासिक आंकड़े विविध गैर-रैखिक वृद्धि के इस्तेमाल हेतु उचित थे। प्रत्येक लिंग के लिए पृथक रूप से

प्रत्येक आनुवंशिक वर्ग हेतु इनका परीक्षण किया गया था। इन वक्रों के निष्पादन की तुलना करने पर यह पाया गया कि मोनोक्यूलर वक्र की एक कमी यह है कि यह उतार-चढ़ाव के मुद्दे प्रदान नहीं करता यह संस्तुति की जाती है कि बकरी के विभिन्न आनुवंशिक वर्गों के लिए उचार-चढ़ाव की दृष्टि से अनुकूलतम आयु तथा अधिकतम वृद्धि दर को प्राप्त करने के लिए गोमपार्ट्ज वक्र का इस्तेमाल किया जाए।

प्रायोगिक उपयोगिता

फिटनेस विशेषताओं की आनुवंशिक जानकारी जैसे पशुओं के आयु के विभिन्न स्तर, जन्म के स्वरूप आदि बकरी के सुधार के लिए उचित चयन योजना के निर्माण के लिए प्रजनकों के लिए उपयोगी होंगे।

उपयुक्त वृद्धि माडल का विकास पशु पालक के वृद्धि तरीकों को अधिक लाभप्रद बनाने के लिए वृद्धि वक्र तरीकों को सुधारने हेतु पृथक रूप में चयन दबाव अनुप्रयोग के लिए इस्तेमाल में लाया जाए। यह वक्र काफी उपयोगी है क्योंकि यह जैव-विज्ञान संबंधी मापदण्डों जैसे वृद्धि दर के माध्यम से इनके शरीर वजन के पशुओं की आयु से संबंधित है। यहां विभिन्न वंश और संकर लाभ किस्मों के फार्म पशु आर्थिक रूप से सुव्यवस्थित हैं और किसानों को अधिकतम लाभ मिलता है वहां इनके द्वारा अनुकूल आयु भी प्रदान की जाती है।

प्रकाशित शोध पत्र

'' लाल चन्द, एस डी वाही एवं बी के भाटिया (2001)'' ''बकरी में फिटनेस विशेषताओं की वंशागति'' अनुसंधान जर्नल (बी ए यू) 13 (2)

एस डी वाही, लाल चन्द एवं बी के भाटिया ''बकरी की विशुद्ध भारतीय प्रजाति तथा संकर जाति में वृद्धि तरीकों पर अध्ययन'' इंडियन जे. पशु विज्ञान को सौंपी गई (भा.कृ.अ.प.)

लाल चन्द, एस डी वाही एवं बी के भाटिया (2002) ''भारतीय बकरियों में फिटनस विशेषताओं की वंशागति तथा वृद्धि तरीकों पर अध्ययन''

12. अनाज फसलों (संस्थान द्वारा वित्त पोषित) की उत्पादकता पर उर्वरकों के दीर्घावधि प्रभाव पर एक सांख्यिकी अध्ययन–वर्ष 2001

    - प्रत्येक फसल के लिए सम्पूर्ण उर्वरक उपचार का आकलन करना
    - विभिन्न फसलों की पैदावार पर दीर्घावधि उर्वरक के प्रभाव अध्ययन करना
    - प्रत्येक फसल के लिए अनुकूल उर्वरीकरण क्रियाओं के निर्धारण और फसल के लिए औसत वार्षिक शुद्ध आय के मूल्यांकन हेतु प्रणाली विज्ञान विकसित करना।
    - विभिन्न श्रेणियों सहित फसलों के लिए भविष्यवाणी माडलों हेतु पैदावार भविष्यवाणी माडल विकसित करना

विकसित सांख्यिकी प्रणाली विज्ञान

विस्तृत विविधताओं पर बारम्बार टिप्पणियों की स्थितियों को समायोजित करने के लिए विश्लेषकों में संशोधन किया गया था। विशिष्ट त्रुटि संरचना के अधीन स्थिर मूल्यों पर प्रति हैक्टर उर्वरक लागत से होने वाले औसत लाभ का अनुमान लगाया गया और इसकी विविधता संबंधी अभिव्यक्ति प्राप्त की गई इसके अलावा औसत लाभ की विविधता का एक गैर-बियासड अनुमान भी लगाया गया साथ ही जब (क) त्रुटियां समान रूप से स्वतंत्र होकर वितरित होती है, और (ख) त्रुटियां बाद में होती हैं, ऐसी अवस्थाओं के लिए बार-बार किए गए पर्यवेक्षणों द्वारा एक रैखिक अन-बियासड पूर्वानुमान प्रस्तावित किया गया।

अखिल भारतीय फसली प्रणाली समन्वित अनुसंधान परियोजना के चार केन्द्रों पी डी सी एस आर में आयोजित परीक्षणों के आंकड़ों के विश्लेषण के इस प्रणाली विज्ञान का अनुप्रयोग किया गया।

प्रायोगिक उपयोगिता

विकसित प्रणाली विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित दीर्घावधि परीक्षणों से आंकड़ों के विश्लेषण के लिए उपयोगी होगी।

प्रकाशित शोध-पत्र/प्रकाशन के लिए स्वीकृत/सूचित

वी.के. शर्मा, राजेन्द्र कौर और ए. शर्मा चावल-गेहूं फसलीय प्रणाली पर एक दीर्घावधि परीक्षण में समेकित पोषक आपूर्ति प्रणाली पर एक सांख्यिकी जांच। इसे प्रकाशन के लिए स्वीकार कर लिया है।

वी.के. शर्मा, और राजेन्द्र कौर, इंडियन जे. एग्रीकल्चर साइंस के संदर्भ में चावल आधारित फसल प्रणाली पर एक चर्चा दीर्घावधि प्रयोग का विश्लेषण।

13. कृषि प्रयोग प्रत्योत्तर तल निर्धारित करने की डिजाइन। ए पी सेस फन्ड (लागत 4.99 रुपए) वर्ष 2001

* जब घटक सामान्य अन्तराल के स्तरों पर हों और/ अथवा सममितीय तथा विषममित्तीय दोनों घटकों की दृष्टि से असमान खुराक वाले हों तो प्रतित्योतर के सर्वोच्च उपयोग तथा ढलान आंकलन के लिए प्रत्योत्तर की सतह प्राप्त करना।

* गुणात्मक एवं मात्रात्मक घटकों के लिए प्रत्योत्तर सतह की डिजाइनें प्राप्त करना।

* एक निर्धारित बिन्दु (बिन्दुओं) पर आंकड़ों की उपलब्धता के विरुद्ध प्रत्योत्तर सतह की पुष्टता संबंधी पहलुओं का अध्ययन।

* कृषि प्रयोगों के लिए उपयुक्त प्रत्योत्तर सतह डिजाइनों का कैटलाग तैयार करना।

* प्राप्त की गई और कैटलाग की गई डिजाइनों के विश्लेपण के लिए कम्प्यूटर साफट्वेयर का विकास और उसे सूत्रबद्ध विधि से दर्शाना

विकसित की गई सांख्यिकी क्रिया विधि

सामान्य दूरी वाले स्तरों और/अथवा असमान खुराक वालो श्रेणियों वाले घटकों के लिए प्रत्योत्तर उपयुक्तिकरण और ढलान आंकलन दोनों के लिए प्रत्योत्तर सतह की डिजाइन तैयार की गई और उसे कैटलाग किया गया। एक गैर-मौजूदा पर्यवेक्षण के संदर्भ में प्रत्योत्तर सतह डिजाइनों की पुष्टता का अध्ययन किया गया और उसमें प्राप्त डिजाइनों को रिपोर्ट किया गया। प्रत्योत्तर सतह डिजाइनों के विश्लेषण के लिए एक कम्प्यूटर कार्यक्रम विकसित किया गया।

व्यावहारिक उपयोग

प्राप्त नमूनें कृषि में अनुसंधान कार्यों की बागवानी तथा सम्बद्ध विज्ञानों के लिए लाभदायक हैं। कुछ विकसित किए गए नमूने एन ए आर एस में उपयोग किए गए हैं।

प्रकाशित पत्र/प्रकाशन के लिए स्वीकृत/सूचित किए गए।

एम.एन.दास, राजेन्द्र प्रसाद और पी.पी. मनोचा (1999) रेसपॉस सरफेड डिजाइन, सिम्मेट्रिकल एण्ड ऐपलिकेशनस 1(1), 17-34

अभिजीतकर पीतम चन्द्रा और राजेन्द्र प्रसाद (2001 ऑसमोटिक डिहाइड्रेशन आफ बनाना (ड्वाफ कैवेडिश) सलाइसिस जर्नल आफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, 38(3), 9-17

14. कृषि वानिकी प्रयोगों (संस्थान निधि से प्राप्त) का डिजाइन और विश्लेषण वर्ष 2002

* कृषि वानिकी प्रयोगों द्वारा पहले ही उत्पन्न किए गए आंकड़ों का सांख्यिकी विश्लेषण के लिए सामान्य प्रणाली दस्तावेज तथा उसे प्रस्तुत करना।

* कृषि वानिकी प्रणाली के तहत सहयोगी केन्द्र (केन्द्रों) को सुझाए गए प्रयोगों के विश्लेषण के लिए वर्गीकरण और ले आउट-प्लान के साथ उपयुक्त डिजाइन प्राप्त करना।

* कृषि वानिकी प्रणाली में विभिन्न घटकों (पेड़ों और फसलों) के बीच संबंधों का अध्ययन

विकसित की गई सांख्यिकी क्रियाविधि

कृषि वानिकी के प्रयोगों के लिए लाभकारी डिजाइनों और विश्लेषण तकनीकों का वर्णन किया गया है। इन तकनीकों का प्रयोग आई.जी.एफ.आर-आई, झांसी में किए गए प्रयोगों के आंकड़ों का विश्लेषण करने में किया गया।

व्यावहारिक उपयोगिता

कृषि वानिकी प्रयोगों से आंकड़ा विश्लेषण के लिए विकसित सांख्यिकी वर्गीकरण और पहचाने गए डिजाइन, विभिन्न तथ्यों को शामिल कर इस प्रकार आयोजित किए गए प्रयोगों में अनुसंधानकर्त्ताओं और भाग लेने वाले सांख्यिकीयज्ञों के लिए अर्थपूर्ण निष्कर्ष प्रदान करेंगे।

प्रकाशित पत्र/प्रकाशन के लिए स्वीकृत/सूचित किए गए।

सीमा जग्गी, वी.के. गुप्ता तथा वी.के. शर्मा (2001)। कृषि वानिकी प्रयोगों का डिजाइन और विश्लेषण: ऐन ओवरव्यू जर्नल इंडिया एस ओ सी आफ एग्रोफारेस्ट्री, 3(2), 120-129

डी.पी. हांडा, सीमा जग्गी, ए.एस.गिल और एन.पी. सिंह (2001)। गेहूं फसल के पैदावार पर फल पेडों का प्रभाव/इंडिया जर्नल आफ फारेस्ट्री/के तहत संदर्भित।

डी.पी. हांडा, सीमा जग्गी और ए.एस.गिल (2002)। कृषि वानिकी प्रणाली के तहत गेहूं पैदावार के साथ इसके घटकों के संबंध के मूल्याकंन हेतु पथ विश्लेषणात्मक तकनीक/इंडिया जर्नल आफ फारेस्ट्री/के तहत संदर्भित।

डी.पी. हांडा, सीमा जग्गी, ए.एस.गिल (2002)। बहुउद्देशीय पेड़ प्रजातियों के तहत गेहूं घटकों के परस्पर संबंध और पथ गुणांक विश्लेषण इंडिया जर्नल आफ फारेस्ट्री/के तहत संदर्भित।

15. भारत के विभिन्न फसलों के लिए उर्वरक अनुक्रिया अनुपात (कृषि मंत्रालय) (लागत 5.626 लाख रुपये) वर्ष 2001

* देश के अलग-अलग क्षेत्रों में विभिन्न फसलों के लिए अनुक्रिया अनुपात प्राप्त करने हेतु विविध उपयुक्त सांख्यिकीय प्रक्रियाएं।

* किसानों के खेत परीक्षणों पर आधारित अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अनुक्रिया अनुपात प्राप्त करना।

सांख्यिकी वर्गीकरण विकास

देश के अलग-अलग क्षेत्रों में विभिन्न फसलों के लिए उर्वरक अनुक्रिया अनुपात प्राप्त करने के लिए विविधकृत उपयुक्त सांख्यिकी प्रक्रिया के उद्देश्य के साथ अध्ययन शुरू किया गया। योजना आयोग और राज्य स्तर पर पहचाने गए देश के कृषि जलवायुवीय क्षेत्रों पर किसानों के खेत परीक्षणों के आंकड़ों का उपयोग करके प्रमुख अनाजों, दलहनों, तिलहनों और कपास फसल के लिए अनुक्रिया अनुपात प्राप्त करने के लिए वर्गीकरण का प्रयोग किया गया।

व्यावहारिक उपयोगिता

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय के अनुरोध पर अध्ययन किया गया और देश के उर्वरक आवश्यकता मूल्यांकन के लिए यह फायदेमंद रहा। परियोजना रिपोर्ट जिसका शीर्षक है ''फर्टिलाइजर रेसपांस रेशो फार डिफरेन्ट क्रापस इन इंडिया'' कृषि मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया।

16. भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि उत्पादों और इसके आशय हेतु अध्ययन की मांग (संस्थान से निधि प्राप्त)

सांख्यिकीय वर्गीकरण: विभिन्न स्रोतों से प्रकाशित गौण आंकड़ा पर आधारित अध्ययन। राष्ट्रीय नमूना सर्वे संगठन के उपभोक्ता व्यय सर्वे के आंकड़ों का भ उपयोग किया गया है। आय के साथ उपभोग परिवर्तनों के संबंध को एनजिल वक्र का उपयोग करते हुए दर्शाया गया है। भारत के अलग-अलग राज्यों में विभिन्न खाद्य मदों के लिए लचीले आय की मांग पर कार्य चल रहा है।

प्रकाशित पेपर: शून्य

व्यावहारिक उपयोगिता: खाद्यान्नों के उत्पादन और वितरण योजना में परियोजना के निष्कर्ष फायदेमंद हैं। परिणाम अनुसंधान कर्त्ताओं और नीति बनाने वालों के लिए भी फायदेमंद होंगे।

(घ) संस्थान की दक्षता सुधारने के लिए प्रयत्न किए गए।

परियोजना और कार्यक्रमों की प्रगति की निगरानी नियमित रूप से तथा समय-समय पर भी जा रही है।

आन्ध्र प्रदेश पशुधन विकास एजेंसी हेतु निधियां

3670. डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2002-2003 के भैंस प्रजनन कार्यक्रम के तहत आन्ध्र प्रदेश पशुधन विकास एजेंसी का 1236.18 लाख रुपए का अनुरोध केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लंबित होने के क्या कारण हैं; और

(ग) अनुरोध वर्तमान में किस अवस्था में है और इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) जी, नहीं। आन्ध्र प्रदेश पशुधन विकास एजेंसी को राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 2002-2003 के दौरान 934.57 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है।

जगदीशपुर में माल्विका स्टील का पुनरूद्धार

3671. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई एफ सी आई) को देय ऋण को चुकाने में उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर स्थित माल्विका स्टील की विफलता के मद्देनजर उसका प्रबंधन अपने हाथ में लेने का है;

(ख) क्या आई एफ सी आई ने इस कंपनी का प्रबंधन अपने हाथों में लेने और इसके पुनरुद्धार हेतु टाटा आयरन और स्टील कंपनी (टिस्को) और स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) से सम्पर्क किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या टिस्को और सेल ने माल्विका स्टील को अपने अधिकार में लेने के लिए हामी भरी है और यदि हां, तो किन शर्तों पर;

(घ) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का विचार माल्विका स्टील के पुनरुद्धार हेतु टिस्को और सेल को आगे ऋण सुविधा मुहैया कराने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) माल्विका स्टील की बकाया ऋण वसूली के लिए आई एफ सी आई द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) सरकार का माल्विका स्टील लिमिटेड (एम एस एल) का प्रबंधन अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) माल्विका स्टील लि. (एम एस एल) के पुनरुद्धार के प्रायासों के रूप में वित्तीय संस्थाओं (एफ आई एस)/ इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन आफ इंडिया (आई एफ सी आई) ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी (टिस्को) और स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के साथ अनौपचारिक विचार-विमर्श किया। तथापि, उन्होंने इसमें रुचि नहीं दिखाई। अत: एम एस एल के पुनरुद्धार हेतु टिस्को और सेल को ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवाने का आई एफ सी आई का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) अपने बकाया वसूल करने के लिए आई एफ सी आई ने पहले ही अपने ऋणों को लौटाने की मांग कर दी है और ऋणों के लिए निर्गामित और वैयक्तिक गारंटी की अनुरोध किया है तथा ऋण वसूली अधिकरण (डी आर टी), दिल्ली में 15 जुलाई, 2002 को ऋण वसूली का मुकदमा दायर किया है। डी आर टी ने एक प्रापक नियुक्त किया है और 03 अक्तूबर, 2002 को एम एस एल की परिसंपत्तियों की अंतरिम बिक्री के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा, एम एस एल के पुनरुद्धार हेतु आई एफ सी आई आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाने की आंशिक रूप से इच्छुक पार्टी अभिज्ञात करने का भी प्रयास कर रहा है।

आई.एफ.ए.डी. द्वारा कृषि क्षेत्र को सहायता

3672. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंटरनेशनल फंड फार एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट (आई.एफ.ए.डी) नामक संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था द्वारा वर्ष 2001-02 और 2003 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय फंड से कृषिगत विकास हेतु भारत को कितनी सहायता मुहैया करायी गई है;

(ख) किन राज्यों को यह सहायता मुहैया करायी गयी है और सहायता की राशि कितनी है;

(ग) इन राज्यों में उक्त सहायता से कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु पूरे किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) निर्धारित किए गए लक्ष्य और इस सहायता के आधार पर कृषि आधारित उद्योग में हुई प्रगति संबंधी उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) आर्थिक मामलों का विभाग आई.एफ.ए.डी की सहायता प्राप्त परियोजनाओं का नोडल विभाग है। जैसा कि इस विभाग ने सूचित किया है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आई.एफ.ए.डी) गरीबी उन्मूलन तथा आजीविका सुधार वाली परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इन परियोजनाओं के कई घटक हैं जैसे कि सामुदायिक क्षमता निर्माण तथा अधिकारिता, कृषि बागवानी, पशुधन तथा आजीविका विकास और डिलीवरी व्यवस्था, प्रशिक्षण आदि के सुदृढ़ीकरण संबंधी प्रावधान। चूंकि कृषि विकास आई.एफ.ए.डी परियोजनाओं के कई घटकों में से एक है और आई.एफ.ए.डी के वित्तपोषण की प्रकृति बहुत लचीली है अत: इस घटक के वास्तविक परिव्यय को सही-सही आंकलन करना कठिन है। हालांकि, आई.एफ.ए.डी की सहायता प्राप्त अधिकार परियोजनाओं के अंतर्गत अपनाये जाने वाले आजीविकापरक क्रियाकलापों में कृषि विकास एक महत्वपूर्ण घटक है। 2001-2002 में उपयोग की गई आई.एफ.ए.डी की सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 2003 के संबंधित जानकारी अभी आर्थिक मामलों के विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) शून्य।

विवरण

परियोजना	राज्य	राशि (हजार रुपये में)
आ.प्र. जनजातीय भागीदारी विकास परियोजना	आंध्र प्रदेश	219427.10
ग्रामीण महिला विकास एवं अधिकारिता परियोजना	बिहार, झारखंड, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल	98145.17
उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सामुदायिक संसाधन प्रबंध परियोजना	असम, मेघालय, मणिपुर	21719.64
मेवात क्षेत्र विकास परियोजना	हरियाणा	61317.81
महाराष्ट्र ग्रामीण ऋण विकास परियोजना	महाराष्ट्र	191429.63
झारखंड-छत्तीसगढ़ जनजातीय विकास कार्यक्रम	झारखंड और छत्तीसगढ़	47190.00

[हिन्दी]

विमानपत्तनों का विकास

3673. **श्री चन्द्रेश पटेल:**
श्री जी.जे. जावीया:
श्री आदि शंकर:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु और गुजरात में उन विमानपत्तनों के नाम क्या है जहां वर्ष 2002 से आज तक विकास कार्य किए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान, उनमें से प्रत्येक पर कितना व्यय आया है;

(ग) राज्यों के उन विमानपत्तनों के नाम क्या हैं जिन्हें 2003-04 के दौरान विकसित किए जाने का प्रस्ताव है तथा तत्संबंधी बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या हैं और इस पर कितनी धनराशि व्यय की जाएगी;

(घ) राज्यों के उन विमान-पत्तनों के नाम क्या हैं जहां से विदेशों के सीधी विमान-सेवाएं शुरू किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) उन विमानपत्तनों के नाम क्या हैं जहां से मक्का और मदीना के लिए सीधे उड़ान शुरू की गई और उन विमानपत्तनों के नाम क्या हैं जहां से वर्ष 2003-04 के दौरान मक्का और मदीना के लिए सीधी उड़ानें शुरू किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) वर्ष 2000 से जिन हवाई अड्डों को विकसित किया गया वे हैं-गुजरात में अहमदाबाद, पोरबंदर, भावनगर, भुज, बडोदरा और जामनगर तथा तमिलनाडु में चेनै।

(ख) उक्त हवाई अड्डों से विकास पर हुआ व्यय निम्नानुसार है: अहमदाबाद पर 49.23 करोड़ रुपए, पोरबंदर पर 2.06 करोड़ रुपए, भावनगर पर 3.60 करोड़ रुपए, भुज पर 13.27 करोड़ रुपए, वडोदरा पर 4.37 करोड़ रुपए, जामनगर पर 0.97 करोड़ रुपए और चेन्नै पर 194.33 करोड़ रुपए।

(ग) वर्ष 2003-04 के दौरान तैयार की गई योजनाओं के साथ-साथ विकसित किए जाने प्रस्तावित हवाई अड्डों और व्यय की जाने वाली प्रस्तावित धनराशि निम्नानुसार है:-

गुजरात

अहमदाबाद हवाई अड्डे पर 4.65 करोड़ रुपए की राशि से नए घरेलू प्रस्थान हाल, कंट्रोल टावर एवं तकनीकी ब्लॉक और एप्रन के 05 छोर पर लिंक टैक्सी ट्रैक का निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन का विस्तार कार्य, पोरबंदर पर 4.00 करोड़ रुपये की राशि से रनवे की रिसरफेसिंग और दूसरे संबद्ध कार्य तथा नए टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य, भावनगर हवाई अड्डे पर 4.00 करोड़ रुपए की राशि से रनवे की रिसरफेसिंग, बडोदरा पर 0.11 करोड़ रुपए की लागत से रनवे और आइसोलेशन बे की रिसरफेसिंग तथा केशोद हवाई अड्डे पर 0.10 करोड़ रुपए की लागत से चारदीवारी का निर्माण।

तमिलनाडु

चेन्नै हवाई अड्डे पर 38.87 करोड़ रुपए से विभिन्न विकास कार्य, कोयम्बटूर हवाई अड्डे पर 0.20 करोड़ रुपए से नए टर्मिनल भवन का निर्माण, रनवे का सुदृढ़ीकरण और विस्तार कार्य तथा संबद्ध कार्य, मदुरै पर 1.70 करोड़ रुपए से फायर स्टेशन, परिधीय मार्ग तथा नए टर्मिनल भवन का निर्माण, रनवे का सुदृढ़ीकरण और विस्तार कार्य तथा संबद्ध कार्य, त्रिची हवाई अड्डे पर 0.20 करोड़ रुपए से नए टर्मिनल भवन का निर्माण, रनवे का सुदृढ़ीकरण और विस्तार कार्य तथा संबद्ध कार्य।

(घ) तमिलनाडु के त्रिची और गुजरात के अहमदाबाद से सीधी विमान सेवाएं शुरू किए जाने का प्रस्ताव हैं।

(ङ) हज यात्रा 2003 के दौरान, मुम्बई, दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद, बंगलौर, चेन्नै, कालीकट, कोलकाता, लखनऊ, श्रीनगर, नागपुर, और गया हवाई अड्डों से उड़ानें प्रचालित की गई। प्रत्येक हज यात्रा से पूर्व केन्द्रित समिति और एयरलाइनों के समन्वय करके उड़ान संबंधी प्रस्ताव किया जाता है। तदनुसार, हज 2044 के लिए, उड़ानों के बारे में फैसला किए जाने की संभावना है।

निजी विमानों हेतु अनुमति

3674. डा. चरण दास महंत: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, केन्द्र सरकार के अधीन विभागों, निजी कंपनियों और व्यक्तियों को विमान और हेलीकाप्टर खरीदने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामलों में उनकी सीट क्षमता, उनकी बनावट, विनिर्माता कंपनी, देश और कीमत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी हां।

(ख) और (ग) वर्ष 2002 के लिए आवश्यक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2002 में निजी हवाई जहाज खरीदने और आयात करने की अनुमति दे दी गई

क्र. सं.	मालिक	मामला विदेश व्यापार महानिदेशालय को प्रस्तुत कर दिया गया है।	प्रकार	सीट क्षमता	विनिर्माण कम्पनी	निर्माता देश	राशि
1.	रेमण्डस लि.	18.4.02	आर44 हेलीकाप्टर	4	रोबिन्सन	अमेरिका	यूएस डालर 232000
2.	के.पी. हिन्दू इण्टर कालेज	22.4.02	सेशना 206 एसी	6	सेशना	अमेरिका	यूएस डालर 366900
3.	ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लि.	26.12.02	गल्फ स्ट्रीम 100 एसी	8	गल्फ स्ट्रीम	अमेरिका	यूएस डालर 11.89 मिलियन
4.	रिलाइंस इंड. लि.	27.12.02	बीडी 700-आईए 10 एसी	16	बम्बाडियर	कनाडा	यूएस डालर 40 मिलियन
5.	रवि मोहबानी	01.1.03	एल-33 सोलोग्लाइडर	1	लेटेक जपोडी	चैक	यूएस डालर 25700
6.	एचवाई ग्रेड पैटर्स लि.	31.01.03	फैल्कन 900 बी एसी	15	फैल्कन	फ्रांस	यूएस डालर 21.5 मिलियन
7.	टीवीएस मोटर कम्पनी	18.11.02	बी 200एसी	6	बीचक्राफ्ट	अमेरिका	यूएस डालर 2690000
8.	इसार इंवेस्टमेंट लि.	22.05.02	बी 200 एसी	7	बीचक्रफ्ट	अमेरिका	यूएस डालर 2950000
9.	उ.प्र. सरकार, लखनऊ	23.01.03	किंग एयर बी 200 एसी	7	बीचक्राफ्ट	अमेरिका	यूएस डालर 5829723

उपर्युक्त कंपनियों में से, आज की तारीख तक केवल मैसर्स गेसिम इण्डस्ट्रीज के द्वारा ही एक विमान, जिसका पंजीकरण क्रम संख्या वीटी-बीएबी, गल्फ स्ट्रीम है, का आयात किया गया है।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों के लिए अग्निशामक वाहन

3675. श्री अम्बरीश:
श्री सी. श्रीनिवासन:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) द्वारा देश में सभी विमानपत्तनों हेतु अग्निशमक वाहन (टाटा) खरीदा गया है/खरीदे जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय संविदाएं आमंत्रित की गयी हैं/की गई थीं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन कंपनियों/निगमों के नाम क्या हैं जिनसे संविदाएं प्राप्त हुई हैं तथा उनके द्वारा लगाई गई कीमतें क्या हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इस भारी खरीद को अंजाम देने से पहले अपने अग्निशमन कर्मियों को इन वाहनों पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की है;

(छ) यदि हां, तो दिए गए प्रशिक्षण, प्रशिक्षण की अवधि और प्रशिक्षण पर आयी लागत का ब्यौरा क्या है तथा किन देशों में यह प्रशिक्षण दिया गया; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (घ) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने जून-जुलाई, 2000 में 43 एयरफील्ड टैंडर (ए सी एफ टी एस) की खरीद के विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित की थी। नीचे उल्लिखत 11 फर्मों से निविदाएं प्राप्त हुई थी जिसके नाम वावजांस्जेक, पोलैंड; सोमाटी इक्वीप्मेंट एन वी, बेल्जियम, वोल्वो ट्रक कारपोरेशन, यू एस ए, साइडस, फ्रांस, आइवेका मागीरस, जर्मना, रोसेनबाव्यर इंटरनेशनल, आस्ट्रिया, कार्मियाचल इंटरनेशनल, यु के, टोवार्ना हासिकी टेक्निकी, चैक रिपब्लिक, रीनाल्ड वाउघटन, इंग्लैंड तथा कोरिया की साइकेटो लिमिटेड हैं। अंत में चार फर्मे अर्थात साइडज, फ्रांस, आईवेकों मागीरस, जर्मनी, रोसेनबाव्यर इन्टरनेशनल, आस्ट्रिया और टोर्वाना हासिकी टैक्निकी, स्जीज रिपब्लिक का निविदाएं खोली गई उनकी कोटेशन मूल्य भारतीय रुपया में प्रति लंडाड यूनिट क्रमशः 1803252.87, 16992724.29, 19328379.27 तथा 16764929.08 था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 21 जून, 2001 को न्यूनतम निविदाकार टोवार्ना हासिकी टैक्निकी चैक रिपब्लिक को आर्डर प्रस्तुत किए। 13 ए सी एफ टी एस की पहली लाट जनवरी, 2003 के दौरान प्राप्त हो गई। 12 ए सी एफ टी एस की दूसरी लाट और 18 ए सी एफ टी एस की शेष लाट क्रमशः जून में और सितम्बर-अक्तूबर, 2003 के डिलीवर किए जाने की संभावना है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) दमकल कार्मिकों को क्रैश टेंडर्स प्राप्त होने पर आपरेशन ट्रेनिंग दी जाती है। 13 ए सी एफ टी एस की पहली लाट के लिए आपरेशन ट्रेनिंग का प्रबंध फरवरी, 2003 में दिल्ली सप्लायर को मार्फत किया गया।

[हिन्दी]

नेशनल मिल्क ग्रिड की स्थापना

3676. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल मिल्क ग्रेड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दुग्ध उत्पादकों को अपना दूध बेचने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है और इसका लाभकारी मूल्य भी नहीं मिलता है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा विपणन सुविधाएं सुनिश्चित करने और दुग्ध उत्पादकों को उनके दुध का लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु क्या कार्रवाई की गई;

(ङ) बिहार से कोलकाता, दिल्ली और अन्य पड़ोसी राज्यों को भेजे जाने वाले दुध की गणवत्ता क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, दुग्ध प्रवाह सहकारिता एवं निजी क्षेत्र के अंतर्गत गठित बुनियादी ढांचे के जरिए अधिशेष क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र की ओर होता है।

(ग) और (घ) वे दुग्ध उत्पादक जो सहकारिताओं के सदस्य हैं, अपने दुध के विपणन में तथा लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सामान्यता कठिनाई का सामना नहीं करते हैं। ग्रामीण स्तर पर लगभग 1,00,000 डेयरी सहकारिताएं है जो पूरे देश में फैले दुध एवं दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण तथा विपणन में लगे लगभग 177 दुग्ध संयंत्रों से जुड़ी हुई हैं। यह डेयरी सहकारिताओं के सदस्य दुग्ध उत्पादकों के लिए नियमित तथा लाभकारी बाजार सुनिश्चित करते हैं। तथापि, अधिकता के समय कभी-कभार कुछ कठिनाईयां आती हैं।

(ङ) बिहार से कोलकाता, दिल्ली तथा अन्य पड़ोसी राज्यों को सहकारिताओं द्वारा आपूर्तित दूध की गुणवत्ता सामान्यता प्राप्तकर्ता प्रसंस्करण संयंत्र द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार है।

[अनुवाद]

पर्यटन का विकास

3677. श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री हरिभाई चौधरी:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन के विकास हेतु राज्य सरकारों को मुहैया करायी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) यह सहायता राशि आठवीं पंचवर्षीय योजना में मुहैया करायी गयी धनराशि से कितनी अधिक है;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावित परिव्यय कितना है;

(घ) सरकार द्वारा नौवी पंचवर्षीय योजना के दौरान विकसित किए गए पर्यटन स्थलों की संख्या कितनी है;

(ङ) राज्य सरकारों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार के पास कितने प्रस्ताव भेजे गए हैं; और

(च) केन्द्र सरकारों द्वारा प्रस्तावों को स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (घ) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से 372.43 कोरड़ रुपए की राशि की 1563 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की, जबकि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 157.96 करोड़ रुपए की 963 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। योजना आयोग ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए, 2900.00 कोरड़ रुपए के योजनागत परिव्यय का उल्लेख किया है।

(ङ) से (च) प्राप्त प्रस्तावों एवं राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के साथ हुए परामर्श के आधार पर, देश में पर्यटन के विकास एवं संवर्धन के लिए वर्ष 2002-2003 के दौरान 111 कोरड़ रुपए की राशि की 212 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर

3678. श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जुलाई, 2000 में घोषित राष्ट्रीय कृषि नीति में कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर से प्राप्त करने का निर्णय लिया था; और

(ख) यदि हां, तो जुलाई, 2000 से आज तक राज्यवार कितनी भूमि कृषि योग्य बनाई गयी है और कृषि उत्पादन में प्रतिवर्ष कितनी वृद्धि दर्ज की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जुलाई, 2000 में घोषित की गई राष्ट्रीय कृषि नीति में कृषि क्षेत्र में 4% से अधिक की वृद्धि दर हासिल करने की परिकल्पना की गई है।

(ख) खेती के लिये किये गये भूमि सुधार से कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई जिसमें बोये गये कुल निवल क्षेत्र तथा वर्तमान में पड़ी परती भूमि आती है। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि मंत्रालय द्वारा तैयार नवीनतम भू-उपयोग सांख्यिकी के अनुसार खेती किये जाने वाला क्षेत्र 1950-51 के 129 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 1999-2000 में 156 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच गया है। हालांकि 1990 के दशक में खेती किये जाने वाले क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं हुई। इसलिए कृषि के लिए भूमि के आगे और विस्तार में सीमा होने के कारण कृषि में वृद्धि मुख्यतया भूमि की उत्पादकता बढ़ाने वाले उपायों पर ही निर्भर करती है।

वर्ष 1993-94 में मूल्य के आधार पर 1999-2000 और 2000-2001 के लिए राज्यों के घरेलू उत्पादन में कृषि के योगदान की दृष्टि से कृषि उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1993-94 के मूल्य पर राज्यों के घरेलू उत्पादों में कृषि के योगदान की वृद्धि दर

राज्य	1999-2000	2000-01
1	2	3
आंध्र प्रदेश	(-)7.0	13.6
अरुणाचल प्रदेश	6.6	8.8

1	2	3
असम	(-)0.1	(-)2.5
बिहार	(-)7.6	0.9
झारखंड	2.7	उ.न.
गोवा	12.5	(-)10.7
गुजरात	(-)31.5	(-)13.8
हरियाणा	5.0	1.5
हिमाचल प्रदेश	(-)7.7	12.9
जम्मू व कश्मीर	4.9	(-)0.9
कर्नाटक	15.0	2.5
केरल	1.7	1.8
मध्य प्रदेश	6.8	(-)32.4
छत्तीसगढ़	(-)6.4	उ.न.
महाराष्ट्र	1.8	(-)13.5
मणिपुर	0.4	3.8
मेघालय	15.8	(-)4.8
मिजोरम	उ.न.	उ.न.
नागालैंड	13.7	उ.न.
उड़ीसा	(-)8.8	(-)6.8
पंजाब	7.0	2.0
राजस्थान	(-)13.1	(-)9.7
सिक्किम	18.4	उ.न.
तमिलनाडु	(-)5.1	(-)2.3
त्रिपुरा	3.4	2.9
उत्तर प्रदेश	9.1	(-)1.9
उत्तरांचल	उ.न.	उ.न.
पश्चिम बंगाल	1.6	(-)2.2

उ.न. उपलब्ध नहीं

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

[अनुवाद]

सेन्टूर होटल की बिक्री

3679. श्री कैलाश मेघवाल:
श्री एम.वी.वी.एस.मूर्ति:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बतरा हास्पिटैलिटी द्वारा 83 करोड़ रुपए में सेन्टूर होटल खरीद लिया गया था और फिर इसे अक्टूबर, 2002 में सहारा ग्रुपको लगभग 115 करोड़ रुपए में पुन: बेच दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) मुम्बई विमानपत्तन के सेंटूर होटल को 83 करोड़ रुपए की भारी राशि में मैसर्स बत्रा हास्पिटैलिटी प्राइवेट लि. को बेचा गया था। मैसर्स बी एच पी एल की सम्पूर्ण शेयरहोल्डिंग, बत्रा ग्रुप द्वारा 115 करोड़ रुपए में सहारा इंडिया ग्रुप को बेच दी गई थी। यह मामला कानून मंत्रालय के माध्यम से भारत के अटार्नी जनरल को उनके विचार जानने के लिए भेजा गया। अटार्नी जनरल ने अपने विचार रखते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में समझौते का उल्लंघन नहीं हुआ है। इसे देखते हुए सरकार ने इस मामले में कोई जांच शुरू नहीं की है।

उड़ीसा की सिंचाई परियोजनाएं

3680. श्री परसुराम मांझी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए लक्षित तिथियां निर्धारित की थीं;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के नाम और संख्या क्या हैं;

(ग) क्या इनमें से कोई परियोजना निर्धारित समय पर पूरी हुई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुनचरण सेठी): (क) से (ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा करने हेतु जल संसाधन मंत्रालय द्वारा अभिज्ञात उड़ीसा की चालू वृहद/सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन सिंचाई परियोजनाओं के पूरा होने में हुए विलंब का मुख्य कारण धन की कमी और भमि अधिग्रहण में हुई देरी है।

विवरण

नौवीं योजना के दौरान पूरा करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा अभिज्ञात उड़ीसा की चालू वृहद एवं मध्यम परियोजनाएं

(राशि रुपए करोड़ में)/(क्षमता हजार हेक्टेयर में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	जिस योजना में आरंभ की गई	आकलित लागत		नौवीं योजना के अंत तक संचयी व्यय	चरम क्षमता	नौवीं योजना तक सृजित क्षमता	पूरा होने की तारीख	लाभान्वित जिले
			वास्तविक	नवीनतम	राशि				
वृहद परियोजनाएं									
1.	पोट्टेरू	IV	14.81	162.86	174.37	109.88	102.62	*	मलकानगिरि
2.	ऊपरी कोलाब	V	24.05	492.32	298.24	88.76	84.44	2003	कोरापुट
मध्यम परियोजनाएं									
1.	बघुआ चरण-I	वा.यो. 78.80	0.83	91.75	1.35	4.05	–	*	गंजम
2.	बडनाला	VII	15.36	105.88	121.10	13.74	11.00	*	कोरापुट
3.	बिरुपा गेंगुटी आइलैंड सिंचाई	VII	4.03	11.46	12.99	6.92	4.09	*	कटक
4.	सापुआ बड़ाजोर	VI	14.87	59.03	22.11	3.75	5.10	*	दनकनाल
5.	सतीगुडा	VII	–	4.52	1.77	13.59	12.02	*	मलकानगिरि

*पारियोजना अभी पूरी की जानी हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में जलचर पालन को प्रोत्साहन

3681. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 2002-2003 के दौरान मध्य प्रदेश में ताजे जल में जलचर पालन को प्रोत्साहन देने का कार्य को स्वीकृति दी है; और

(ख) यदि हां, इस प्रयोजनार्थ केन्द्र के हिस्से की धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) चल रही केन्द्रीय प्रायोजित योजना "ताजा जल कृषिजल का विकास" के तहत, मध्य प्रदेश सरकार के लिए वर्ष 2002-03 के दौरान 82.65 लाख रुपए की राशि का पुनर्वेधीकरण किया गया है जो केन्द्रीय हिस्से की खर्च न की गयी राशि के रूप में राज्य सरकार के पास उपलब्ध थी।

[अनुवाद]

राजकोट के नजदीक साइन्स सिटी

3682. श्री सवशीभाई मकवाना: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राजकोट के नजदीक साइन्स सिटी की स्थापना करने हेतु गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि नीति बनाना

3683. डा. मदन प्रसाद जायसवाल:
प्रो. दुखा भगत:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 20% बजटीय सहायता से और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उक्त क्षेत्र के लिए निर्धारित कुल ऋण के 25 प्रतिशत से एक कृषि नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार प्रत्येक राज्य में एक कृषि वित्त निगम भी स्थापित कर रही है;

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित निगम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में पशुओं की नस्ल को विकसित करने के लिए केन्द्रीय सहायता

3684. श्री आर.एल. जालप्पा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक में पशुओं की नस्ल को विकसित करने के लिए इसे वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ग) उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां पर राज्य में उक्त योजना कार्यान्वित की जा रही है; और

(घ) उक्त योजना में कितनी प्रगति हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। नौवी योजना के दौरान, कर्नाटक में गोपशु और भैंस विकास के लिए हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी का विस्तार और राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम के तहत 525.49 लाख रुपए प्रदान किए गए थे।

(ग) यह योजना समूचे कर्नाटक नें क्रियान्वित की गई थी।

(घ) 525.49 लाख रुपए में से 183.02 लाख रुपए 2002-03 के दौरान पुनर्वेधीकरण किए गए थे जिसका अभी भी उपयोग किया जाना है। इसलिए वास्तविक लक्ष्यों की उपलब्धि भी पूरी नहीं है।

अंतरदेशीय पर्यटन

3685. श्री श्रीनिवास पाटील: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा घोषित पारिस्थिति की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के कारण अंतरदेशीय पर्यटन संभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या अंतरदेशीय पर्यटन को बचाने के लिए पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के खिलाफ कोई विरोध किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दाहनु तालुका, महाबलेश्वर, पंचगनी एवं माथेरान, ये सभी महाराष्ट्र में हैं, को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील घोषित करते हुए अभी तक तीन अधिसूचनाएं जारी की हैं। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अंतरदेशीय पर्यटन गतिविधि पर किसी प्रकार के प्रभाव की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सूचित किया है कि किसी भी अभिकरण से कोई विरोध रिकार्ड में नहीं है।

(घ) महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों हेतु जोनल मास्टर प्लान, जिसमें पर्यटन मास्टर प्लान भी शामिल है, अधिसूचित क्षेत्रों में अंतरदेशीय पर्यटन के विकास हेतु तैयार किया जा रहा है।

स्मारकों का संरक्षण

3686. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में संरक्षित स्मारकों के जीर्णोद्धार, संरक्षण और उचित अनुरक्षण के लिए किसी उच्चस्तरीय सलाहकार बोर्ड अथवा स्थायी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति के सदस्य कौन-कौन हैं तथा राज्यवार इसके प्रतिनिधि कौन-कौन हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में संरक्षित स्मारकों के संरक्षण और रखरखाव के लिए किए गए व्यय का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने स्मारकों का संरक्षण करने में अग्रणी विभिन्न संस्थाओं को परामर्श करने और देश में स्मारकों के रखरखाव के कार्य को पूरा करने हेतु तकनीकी विशेषता प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, सरकार ने केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड (काबा) का गठन किया है जिसका प्रत्येक चार वर्ष में पुनर्गठन किया जाता है, जिसका प्रयोजन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लोक सभा के दो सदस्यों तथा राज्य सभा के एक सदस्य के साथ-साथ सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों और पुरातत्वीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त समितियों के साथ सम्यक विचार-विमर्श करना है। केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड अपने में से पांच सदस्यों का चयन करके एक स्थायी समिति का गठन भी करता है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) इन वर्षों में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने स्मारक-विषयक विशेष वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, नागपुर, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रूड़की, क्षेत्रीय इंजीनीयरी कालेज, बारंगल, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, भौतिकीय अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद, आदि को आमंत्रित किया है/ लगाया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार तथा वर्ष-वार आबंटन/व्यय

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-2001	2001-2002	2002-2003
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	136.29	114.39	417.16
2.	असम	120.18	99.58	89.49
3.	अरुणाचल प्रदेश	5.00	1.80	0.39
4.	बिहार	134.00	86.48	112.21
5.	चंडीगढ़	–	16.70	5.75
6.	दिल्ली	219.96	277.14	996.75
7.	दमन व दीव	15.00	23.61	15.69

1	2	3	4	5
8.	गोवा	39.77	50.61	82.57
9.	गुजरात	100.67	99.59	35.36
10.	हरियाणा	60.00	91.85	141.00
11.	हिमाचल प्रदेश	80.00	91.11	44.45
12.	जम्मू-कश्मीर	112.60	145.03	121.23
13.	झारखंड	–	4.33	8.07
14.	कर्नाटक	248.13	476.19	1143.68
15.	केरल	79.50	75.12	18.26
16.	मध्य प्रदेश	1.64	250.51	317.31
17.	महाराष्ट्र	153.00	828.49	308.05
18.	मणिपुर	0.50	1.42	0.27
19.	मेघालय	2.00	4.94	4.44
20.	नागालैंड	3.00	5.67	12.92
21.	उड़ीसा	56.03	114.73	1021.69
22.	पांडिचेरी (स.रा.क्षे.)	15.00	3.30	1.63
23.	पंजाब	23.00	57.92	40.14
24.	राजस्थान	174.69	235.00	240.22
25.	सिक्किम	20.00	27.60	32.99
26.	तमिलनाडु	110.80	187.79	233.20
27.	त्रिपुरा	5.00	17.05	–
28.	उत्तर प्रदेश	297.11	385.13	710.64
29.	उत्तरांचल	–	36.52	64.13
30.	पश्चिमी बंगाल	80.70	146.13	260.18

अपंजीकृत बिल्डर

3687. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट 1996 के अंतर्गत उपकर वसूली के लिए देशभर के बिल्डरों ने अपने आपको संबद्ध प्राधिकरण से पंजीकृत नहीं कराया हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उन राज्य के नाम क्या हैं जिनमें उपकर संग्रहण से जुटाए गए धन से कल्याण प्राधिकरण को स्थापना की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) भवन और अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत निर्माण कार्य में लगे नियोक्ता के पंजीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, भवन और अन्य निर्माण कर्मकार रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें अधिनियम, 1996 की धारा 7 के अन्तर्गत अधिनियम की प्रयोज्यता वाले प्रतिष्ठान के प्रारम्भ होते ही उसके प्रत्येक नियोक्ता को स्वयं को पंजीकृत कराना होगा।

(ख) और (ग) भवन और अन्य निर्माण कर्मकार रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें अधिनियम 1996; केन्द्र राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों, दोनों द्वारा अपने संबंधित क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाता है। केन्द्र सरकार ने नियम बनाएं हैं और केन्द्रीय क्षेत्र प्रतिष्ठानों में अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए प्राधिकारियों को अधिसूचित किया है। केवल केरल और दिल्ली सरकार ने अधिनियम को अंगीकार कर लिया है और इसे कार्यान्वित करना प्रारम्भ कर दिया है। तमिलनाडु सरकार इसी प्रकार के अधिनियम को कार्यान्वित कर रही है। अन्य राज्यों जैसे पंजाब, उड़ीसा और मध्य प्रदेश की सरकारें अधिनियम को अंगीकार करने जैसे नियम बनाने या कल्याण बोर्डों का गठन करने के विभिन्न चरणों में हैं सरकार राज्य सरकारों से भवन और अन्य निर्माण कर्मकार रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें अधिनियम, 1996 को शीघ्र अंगीकार करने के लिए उचित कार्रवाई करने हेतु नियमित रूप से अनुरोध कर रही है।

जैव संसाधित फसल और खाद्य संबंधी नीति

3688. श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जैव संसाधित फसल और खाद्य संबंधी नीति का पुन: प्रारुप तैयार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पहले बनाई गई जैव संसाधित फसल और खाद्य नीति सरकार के सामने आने वाली समस्याओं से निपटने में अप्रभावकारी रही; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (घ) पर्यावरण में आनुवंशिकीय रूप से संशोधित जीवों (जी.एम.ओ.) की निर्मुक्ति खतरनाक सूक्ष्म जीवों/आनुवंशिकीय रूप से अभियन्त्रित जीवों या सेल के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्माण तथा भण्डारण के नियमों द्वारा शासित होती है। खतरनाक सूक्ष्म जीवों और अनुसंधान तथा औद्योगिक उत्पादन में पुन: संयोजकों के उपयोग को बड़े पैमाने पर शामिल करते हुये क्रियाकलापों के अनुमोदन तथा इसके साथ ही प्रायोगिक क्षेत्रीय परीक्षणों सहित पर्यावरण में आनुवंशिकीय रूप से अभियंत्रित जीवों तथा उत्पादों की निर्मुक्ति से संबंधित प्रस्तावों के अनुमोदन के लिये आनुवंशिक अभियंत्रण अनुमोदन सीमित गठित की गई है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों के विभिन्न प्रयासों/क्रियाकलापों में साहचर्य स्थापित करने के लिये और मौजूदा नीति के प्रभावी समन्वयन तथा क्रियान्वयन के लिये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में 26 फरवरी, 2003 को जी.एम. फसल/खाद्य नीति पर एक अंत: मंत्रालयीय बैठक बुलाई गई थी जिसमें इन समस्याओं के समाधान के लिये संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुये एक छोटे कार्यकारी दल के गठन का निर्णय लिया गया था।

बेंगलूर में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन

3689. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बेंगलूर में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) बंगलौर इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड से मिली सूचना के अनुसार भूमि की प्राप्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अतिरिक्त भूमि की प्राप्ति के लिए जिसकी धावनपथ के पुन: स्थिति निर्धारण के लिए आवश्यकता है, कर्नाटक सरकार इस पर और आगे कार्रवाई कर रही है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश और दिल्ली में स्मारकों का संरक्षण

3690. डा. बलिराम: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश और दिल्ली में स्थित अनेक पुरातत्व स्मारकों की मरम्मत करने, उन्हें पहले वाली स्थिति में लाने तथा उनका विकास करने की तत्काल आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो उक्त स्मारकों की मरम्मत करने उन्हें पहले वाली स्थिति में लाने और उनका विकास करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या कुछ स्मारकों के लिए आवश्यक धनराशि को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है हालांकि अभी मरम्मत करने/पहले की स्थिति में लाने वाले कार्य अभी तक शुरू नहीं हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (घ) पुरातत्वीय संरक्षण, रख-रखाव तथा अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत सम्पूर्ण देश में पहचान किए गए स्मारकों के व्यापक और समेकित संरक्षण तथा विकास के वास्ते एक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है। पिछले दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश और दिल्ली में खर्च किया गया धन क्रमश: 1095 लाख रुपए और 1274 लाख रुपये है।

[अनुवाद]

कृषि निष्पादन पर निर्भर अर्थव्यवस्था

3691. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की समग्र प्रगति कृषि निष्पादन पर बहुत अधिक निर्भर हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्षों से इसके विकास पर जनता का निवेश अधिक नहीं हुआ है;

(ग) यदि हां तो इसके संबंध में तथ्य क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस क्षेत्र में निवेश की ओर अपेक्षित ध्यान देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) सकल घरेलू उत्पाद के रूप में देश की समग्र आर्थिक वृद्धि, कृष्य तथा गैर-कृष्य दोनों ही क्षेत्रों पर निर्भर करती है। यद्यपि 2001-02 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कम होकर 22 प्रतिशत तक आ गया था फिर भी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में इसका महत्वपूर्ण व पर्याप्त योगदान होता है।

(ख) से (घ) 1998-99 से अब तक हर वर्ष कृषि में वास्तविक रूप से किये जाने वाली सार्वजनिक निवेश से किये गये सकल पूंजी निर्माण (जी.सी.एफ.) को नीचे दर्शाया गया है:-

सारणी

कृषि में सार्वजनिक क्षेत्रीय सकल पूंजी निर्माण

(1993-94 की कीमतों पर करोड़ रुपये में)

वर्ष	सकल पूंजी निर्माण
1998-99	3870
1999-2000	4222
2000-01	3919
2001-02	4794

कृषि में सार्वजनिक निवेश मुख्यतया सिंचाई परियोजनाओं पर किये जाने वाले खर्च के रूप में किया जाता है। जैसा कि ऊपर की सारणी से देखा जा सकता है सार्वजनिक निवेश में जो गिरावट का रुख आ रहा था। वह वर्ष 2001-02 में उलट गया। सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किये गये निवेश से किसानों को अपनी सिंचाई तथा अन्य सुविधाओं का संवर्द्धन करने में मद्द मिलती है। जिसके कारण होता है, इन वर्षों में बढ़ा है। कृषि में सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों से किये जाने वाले निवेश के कारण सकल पूंजी निर्माण 1998-99 के 14,895 करोड़ रुपये से बढ़कर 2001-02 में 18,057 करोड़ रुपये हो गया है।

[हिन्दी]

स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार मौलिक अधिकार

3692. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकारों में सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बाल श्रम के खिलाफ अभियान

3693. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाल श्रम विरोधी अभियान ने राजनीतिक और लोक कार्यसूची पर आधारित मुद्दे को दबाव डाल वापिस लेने के लिए मैसूर में तीन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) और (ख) श्रम के खिलाफ अभियान (सी ए सी एल) ने मैसूर में एक तीन-दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बाल श्रम विशेषकर, बालिका बाल श्रम के खिलाफ सार्वजनिक मत सृजन करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

रात्रि पाली में काम करने वाली महिला श्रमिक

3694. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार फैक्ट्रियों में रात्रि पाली में काम करने वाली महिलाओं पर लगे प्रतिबंध को हटाने पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने रात्रि पाली में काम करने वाली महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) और (ख) जी, हां। स्थापित क्षमता का इष्टतम उपयोग करने, निर्यात संवर्धन करने तथा महिलाओं के लिए रोजगार अवसरों का सृजन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने अं.श्र.सं. रात्रि में कार्य (महिला) अभिसमय (संशोधित), 1948 के 1990 के प्रोटोकोल का अनुसमर्थन करने का निर्णय किया था, जिसे रात्रि के दौरान महिलाओं के नियोजन के मामले में लचीलापन लाया जा सके।

(ग) और (घ) जी, हां। कारखाने का मालिक उनकी व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, समान अवसर तथा उनके मान-सम्मान की पर्याप्त सुरक्षा, प्रतिष्ठा, और सुरक्षा के संबंध में पर्याप्त रक्षोपाय करने तथा उनको कारखाने के परिसर से उनके निवास स्थान के सबसे नजदीकी स्थल तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होगा।

पूर्वी भारत में पर्यटन बढ़ाना

3695. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वी भारत में महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण केन्द्र राज्य-वार किन-किन स्थानों पर हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन स्थानों पर जाने वाले घरेलू/विदेशी पर्यटकों की राज्य-वार संख्या क्या है; और

(ग) ऐसे स्थानों पर पर्यटन बढ़ाने के लिए दसवीं योजना में प्रस्तावित राज्यवार व्यापक पैकेज क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) पूर्वी भारत में, कुछेक महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण राज्यवार इस प्रकार हैं:-

1. **बिहार:** बोधगया, गया, मधुबनी, नालंदा, पटना, पावापुरी, वैशाली।
2. **झारखंड:** वैद्यनाथ, दाउ (देवगढ़) पारसनाथ, रांची, राजगीर।
3. **उड़ीसा:** भुवनेश्वर, चिल्का झील, कटक, चांदीपुर, गोपालपुर-आन-सी, हीराकुड, कनारू, ललितगिरि, रतनागिरि, उदयगिरि, पुरी, संभलपुर, तपतापानी, खंडागिरि।
4. **पश्चिमी बंगाल:** बक्खली, कोलकाता, दार्जिलिंग, दुर्गापुर, दीघा बीच, कालिंगपोंग, कुर्सियांग, मायापुरी, मुर्शिदाबाद, माल्दागोर, पांडवा, मिर्क, शांतिनिकेतन, जापारदीप, विष्णुपुर।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन राज्यों में स्वदेशी/विदेशी पर्यटकों की यात्रा का विवरण इस प्रकार हैं:-

राज्य	वर्ष	स्वदेशी	विदेशी
1	2	3	4
बिहार	2000	5520589	73321
	2001	6061168	85673
	2002	2755154	164098

1	2	3	4
झारखंड	2000	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं हैं
	2001	353177	2979
	2002	313134	2244
उड़ीसा	2000	2888392	23723
	2001	3109976	22854
	2002	3289205	23279
पश्चिमी	2000	4737122	197061
बंगाल	2001	4943097	284092
	2002	8503573	5313335

(ग) केन्द्रीय वित्तीय सहायता अब पर्यटक परिपथों के एकीकृत विकास एवं उत्पाद/अवसंरचना तथा गंतव्य विकास परियोजनाओं के लिए मुहैया कराई जा रही है। इन परिपथों/गंतव्यों का अभिनिर्धारण, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श एवं तालमेल करके किया जाता है।

प्रशिक्षु प्रशिक्षणार्थियों को वजीफा

3696. श्री नरेश पुगलिया: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) तत्संबंधी राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रशिक्षु प्रशिक्षणार्थियों, डिप्लोमा धारकों तथा स्नातक इंजीनियरों को दी गई वजीफे की धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने वजीफे की धनराशि में कमी कर दी है और इस प्रकार से राज्य सरकारों को उक्त योजना के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं मिल रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) आई टी आई प्रशिक्षित डिप्लोमा धारकों तथा स्नातक इंजीनियरों के प्रशिक्षुता प्रशिक्षणार्थियों को दी जाने वाली वजीफे की धनराशि को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(छ) क्या आईटीआई प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) श्रम मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय क्रमश: व्यवसाय प्रशिक्षुओं तथा स्नातक/तकनीशियन/तकनीशियन (व्यावसायिक) हेतु शिक्षुता प्रशिक्षण योजना का प्रचालन करते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित निधियां निम्न प्रकार हैं:-

(रु. लाख में)

शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के प्रचालन हेतु आबंटित निधियां	वर्ष		
	2000-2001	2001-2002	2002-2003
व्यवसाय प्रशिक्षु	361.53	360.66	368.07
स्नातक/तकनीशियन/तकनीशियन (व्यावसायिक) प्रशिक्षु	2400.00	2400.00	2350.00

तथापि, शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राज्य/संघ शासित सरकारों को कोई निधियां आबंटित नहीं की जाती।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रशिक्षुओं की विभिन्न श्रेणियों को दी जाने वाली वृत्तिका की दरें निम्नानुसार हैं:

व्यवसाय प्रशिक्षुओं के लिए प्रथम वर्ष हेतु 820 रुपये प्रतिमाह, द्वितीय वर्ष हेतु 940 रुपये प्रतिमाह, तृतीय वर्ष हेतु 1090 रुपये प्रतिमाह तथा चतुर्थ वर्ष हेतु 1230 रुपये प्रतिमाह हैं।

प्रशिक्षुओं के लिए स्नातकों को 1970 रुपये प्रतिमाह, तकनीशियन (डिप्लोमाधारी) हेतु 1400 रुपये प्रतिमाह एवं तकनीशियन (व्यावसायिक) हेतु 1090 रु. प्रतिमाह है।

(घ) जी नहीं, वृत्तिका की दरों में कमी नहीं की गई है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रत्येक 2 वर्ष के उपरांत वृत्तिका की दरों में संशोधन किया जाता है।

(छ) सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ज) प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा करने पर प्रदान किया जाने वाला राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र रोजगार हेतु मान्यता प्राप्त अर्हता है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों के पास भी शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने का विकल्प है।

प्रदूषणकारी खानें

3697. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा की सुकिंडाघाटी में किसी ऐसी खान का पता लगाया है जो वायु और जल प्रदूषण पैदा कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रदूषण के संकट से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) से (ग) उड़ीसा की सुखिंडाघाटी में 14 खानें प्रचालन में हैं जिनमें से 8 खानों द्वारा जल और वायु प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। इन खानों से उत्पन्न प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण हेतु उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा खनन क्षेत्रों और समीपस्थ जल निकायों की गुणता को मानीटर किया जा रहा है। उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इन खानों में अपेक्षित प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं की स्थापना हेतु कदम उठाए गए हैं।

हैदराबाद के लिए मलेशियाई एयरलाइंस की उड़ानों में वृद्धि

3698. डा. मन्दा जगन्नाथ:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से हैदराबाद के लिए मलेशियाई एयरलाइंस की उड़ान की बारम्बारता को प्रति सप्ताह 1 से 7 तक बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मुद्दे पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री तथा मलेशिया के माननीय प्रधानमंत्री के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान चर्चा हुई थी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (घ) भारत सरकार और मलेशिया सरकार के बीच 22 और 23 जनवरी, 2003 को दिल्ली में आयोजित द्विपक्षीय विमान सेवा पर चर्चा के अन्तिम दौर के दौरान, आन्ध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध पर फिलहाल प्रचालित की जा रही एक विमान सेवा के भारत के निर्दिष्ट एयरलाइन के साथ उनके वाणिज्यिक समझौते के अनुसार अतिरिक्त मलेशिया की निर्दिष्ट एयरलाइन को इस शर्त पर हैदराबाद को/से प्रति सप्ताह दो अतिरिक्त विमान सेवा प्रचालित करने की अनुमति दी गई है।

मुर्गीपालन को बढ़ावा देना

3699. श्री अनन्त नायक: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मुर्गीपालन को बढ़ावा देने के लिए कोई केन्द्रीय नीति शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना किन-किन राज्यों में शुरू की गई है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में केन्द्रीय योजना का कितने लोगों को लाभ मिला है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) यह विभाग दसवीं योजना (2002-03 से 2006-07) के दौरान देश के सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में "राज्य कुक्कुट फार्मों को सहायता" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रहा है। सहायता की पद्धति सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 100 प्रतिशत तथा अन्य राज्यों के लिए केन्द्र तथा राज्य के बीच 80:20 के आधार पर है। इस योजना के तहत चुनिंदा राज्य कुक्कुट फार्मों को केवल अल्प आदान प्रौद्योगिकी प्रजनन स्टाक को रखने के लिए उपयुक्त रूप से सदृढ़ करने के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) और (ङ) इस योजना के तहत उड़ीसा सहित राज्यों को प्रदान की गई सहायता इस प्रकार है:-

राज्य	स्वीकृत धनराशि (लाख रुपए में)
असम	170.00
छत्तीसगढ़	68.00
हिमाचल प्रदेश	59.87
झारखंड	25.48
केरल	85.00
मध्य प्रदेश	68.00
मेघालय	85.00
मिजोरम	70.00
उड़ीसा	68.00
राजस्थान	77.79
त्रिपुरा	85.00
उत्तर प्रदेश	68.00
उत्तरांचल	68.00
पश्चिमी बंगाल	68.00

तटीय रक्षा विकास सलाहकार समिति

3700. **श्री बिक्रम केशरी देव:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तटीय रक्षा विकास सलाहकार समिति (सी पी डी सी) को 1995 में गठित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो देश में उड़ीसा सहित तटीय क्षेत्र की अवक्रमण से रक्षा करने और उसका विकास करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावित वित्तीय परिव्यय क्या हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुनचरण सेठी): (क) वर्ष 1966 में अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग (तत्कालीन सी डब्ल्यू एंड पी सी) की अध्यक्षता में गठित तटकटाव बोर्ड (बी ई बी) को अप्रैल, 1995 में सदस्य (आर एम), केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुनर्गठित किया गया और इसे तटीय सुरक्षा और विकास सलाहकार समिति (सी पी डी ए सी) के रूप में पुनर्नामित किया गया।

(ख) कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल राज्यों और पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों को यथावत शामिल करते हुए कमजोर तटीय पहुंचों की समुद्री कटाव से सुरक्षा के लिए 1095.911 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना (फेज-I) तैयार की गई है और वित्त पोषण अभिकरण की पहचान करने के लिए प्रक्रिया चल रही है।

इसके अतिरिक्त, दसवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए "तटीय तथा गंगा बेसिन राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों में गंभीर कटावरोधी कार्य" नामक एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम को पुन: योजना आयोग से प्रस्तावित किया गया जिसने कुछ टिप्पणियां दी हैं और इन पर विचार किया जा रहा है।

(ग) दसवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए "तटीय तथा गंगा बेसिन राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों में गंभीर कटाव रोधी कार्य" नामक केन्द्र प्रायोजित स्कीम के तहत 30 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय मुहैया कराया गया है।

[हिन्दी]

कर्मचारी भविष्य निधि में कर्मचारी

3701. **श्री अरुण कुमार:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की संख्या क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): दिनांक 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार बिहार में कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अधीन दायरे में लिए गए कर्मचारियों की संख्या 3,42,366 है।

अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत रिक्त पद

3702. **श्री बाल कृष्ण चौहान:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभागों और उपक्रमों में वर्तमान में क, ख, ग, और घ श्रेणी के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है;

(ख) केंद्र सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभागों और उपक्रमों में अन्य पिछड़े वर्गों का कोटा पूरी तरह भरा गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त वर्गों के लिए आरक्षण कोटा कब तक भरे जाने की संभावना है;

(च) क्या अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रोन्नति के समय भी आरक्षण का प्रावधान है;

(छ) क्या अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उम्मीदवार न उपलब्ध होने पर उनके लिए आरक्षित पद सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरे जाते हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) अन्य पिछड़े वर्गों के 5 कर्मचारी है, जिनमें से एक ग्रुप 'क', 3 ग्रुप 'ख' और एक 'ग्रुप 'ग' श्रेणी का है। इन्हें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की शुरुआत के बाद मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया गया है।

(ख) सरकारी आदेशों के अनुसार संघ की सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़ें वर्गों के लिए 27% आरक्षण है।

(ग) से (ङ) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों को पद आधारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार भरा जाता है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित निरीक्षक (फल एवं सब्जी परिरक्षण) का एक पद कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु अधिसूचित किया जा चुका है। जहां तक अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित वरिष्ठ निरीक्षण अधिकारी (फल एवं सब्जी परिरक्षण) के एक पद का संबंध है इस पर नियुक्ति हेतु संघ लोक सेवा आयोग से नामांकन प्राप्त हो चुका है।

(च) जी, नहीं।

(छ) और (ज) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पी.आर.आई.एस./पी.ए.सी.एस. को ट्रैक्टरों/पावर टिलरों की आपूर्ति

3703. श्री विष्णु पद राय: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप के कृषि विभाग द्वारा 564.00 लाख रुपये के परिव्यय से ''यांत्रिक खेती एवं कार्यशाला सुविधाओं का रख-रखाव'' नामक कोई योजना कार्यान्वित की जा रही है जिसके अंतर्गत पी आर आई एस/पी ए सी एस को 10 ट्रैक्टरों एवं 20 पावर टिलरों की आपूर्ति की जानी थी;

(ख) यदि हां, तो अक्तूबर 2002 तक पी आर आई एस/ पी ए सी एस को कितने ट्रैक्टरों एवं पावर टिलरों की खरीद और आपूर्ति की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त की खरीद कब की जाएगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) संघ शासित क्षेत्र अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन ने सूचित किया है कि दसवीं योजना के दौरान ''यंत्रीकृत खेती एवं कार्यशाला सुविधाओं का रख-रखाव'' स्कीम के अंतर्गत प्रति वर्ष 10 ट्रैक्टर और 20 पावर टिलर प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

(ख) और (ग) 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान पी आर आई को कुल 34 ट्रैक्टरों की आपूर्ति की गई है। संघ शासित क्षेत्र प्रशासन ने पी आर आई को आपूर्ति करने के लिए 15 ट्रैक्टरों और 20 पावर टिलरों की और खरीद कर ली है जिसकी शीघ्र आपूर्ति कर दी जाएगी।

[हिन्दी]

पूजा स्थलों का पर्यटन स्थलों के रूप में विकास

3704. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में कितने पूजा स्थलों को पयर्टन स्थलों के रूप में विकसित किया गया है; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को राज्य-वार कितनी निधियां आवंटित की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से देश में वर्ष 2000-01 एवं 2001-02 के दौरान, झारखंड राज्य सहित सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए, जिनमें पूजा स्थलों से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं, 142.57 करोड़ रुपये की राशि की 572 परियोजनाएं मंजूर की थी।

(ख) गत दो वर्षों अर्थात् 2000-01 एवं 2001-02 के दौरान राज्य-वार मंजूर की गई वित्तीय सहायता दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान राज्य-वार स्वीकृत केंद्रीय वित्तीय सहायता

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-2001		2001-2002	
		स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	13	299.50	6	167.85
2.	असम	12	338.35	7	397.50
3.	अरुणाचल प्रदेश	6	49.75	14	321.90
4.	बिहार	13	324.48	1	1.35
5.	छत्तीसगढ़	4	120.28	3	35.00
6	गोवा	10	93.30	9	93.73
7	गुजरात	18	469.20	11	305.50
8.	हरियाणा	6	123.31	7	125.44
9	हिमाचल प्रदेश	19	397.29	12	157.64
10.	जम्मू और कश्मीर	12	474.93	3	65.50
11.	झारखंड	6	206.49	2	80.00
12.	कर्नाटक	19	489.30	8	254.76
13.	केरल	14	717.60	11	680.08
14.	मध्य प्रदेश	12	262.33	11	256.37
15.	महाराष्ट्र	10	282.69	10	1128.20
16.	मणिपुर	18	782.77	0	0
17.	मेघालय	5	105.59	5	87.87
18.	मिजोरम	14	311.19	6	73.25
19.	नागालैंड	8	156.53	5	41.54
20.	उड़ीसा	4	156.94	4	38.05
21.	पंजाब	6	203.50	3	17.50
22.	राजस्थान	22	454.96	2	5.00

1	2	3	4	5	6
23.	सिक्किम	31	368.62	5	108.83
24.	तमिलनाडु	9	122.83	20	533.67
25.	त्रिपुरा	12	333.23	5	114.40
26.	उत्तरांचल	7	70.19	3	65.51
27.	उत्तर प्रदेश	18	423.74	5	55.74
28.	पश्चिमी बंगाल	23	432.99	17	229.85
29.	अंडमान और निकोबार	1	1.78	0	0
30.	चंडीगढ़	5	22.13	2	8.00
31.	दादरा नगर हवेली	1	8.00	1	3.70
32.	दिल्ली	2	17.70	6	55.01
33.	दमन और दीव	0	0	1	5.00
34.	लक्षद्वीप	0	0	1	17.00
35.	पांडिचेरी	3	26.18	3	78.61
	कुल	363	8647.67	209	5609.35

[अनुवाद]

गुजरात में वन भूमि घोटाला

3705. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात में 2000 करोड़ रुपये के वन भूमि घोटाले की जानकारी है जैसाकि 12 फरवरी, 2003 को ''दि टाइम्स ऑफ इंडिया'' में खबर प्रकाशित हुई थी;

(ख) यदि हां तत्संबंधी ब्यौरे और तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या केवल बडोदरा, भरूच और पंचमहल जिलों में ही 60,000 एकड़ से अधिक वन भूमि का अतिक्रमण हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गुजरात के अन्य जिलों में भी वन भूमि अतिक्रमण संबंधी सर्वेक्षण कराने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा उक्त भूमि घोटाले में संलिप्त दोषी लोगों के विरुद्ध या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) और (ख) 12.2.2003 के राष्ट्रीय दैनिक ''दी टाइम्स आफ इण्डिया'' में एक समाचार प्रकाशित हुआ था जिसके पहले पैरे में यह छपा था कि ''गुजरात वन विभाग ने राज्य में अनुमानित 2000 करोड़ रु. से अधिक के घोटाले का पर्दाफाश किया। इसमें बड़ोदरा, भरूच और पंचमहल जिलों में अभयारण्यों, आरक्षित वनों और संरक्षित वनों और संरक्षित की 60,000 एकड़ भूमि का अतिक्रमण शामिल है''। इसे ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से 14.2.2003 को इसकी रिपोर्ट मांगी थी।

(ग) से (ङ) राज्य सरकार ने 20.3.2003 को सूचित किया है कि राज्य के विभिन्न परिमंडलों में लगभग 36556.40 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण के अधीन है।

(च) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि राज्य सरकार ने जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तर समिति गठित की है

जिसके जिला पुलिस अधीक्षक और उप वन संरक्षक सदस्य हैं। यह समिति अतिक्रमणों को हटाने के कार्यों को देखेंगी। 20.3.2003 तक 36556.40 हेक्टेयर अतिक्रमित वन भूमि में से 14416.8585 हेक्टेयर भूमि खाली करा ली गयी है।

गुजरात सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वन भूमियों पर अतिक्रमणों के बारे में स्थिति की निगरानी करने के लिए राज्य स्तर की समिति भी गठित की है। समिति, स्थिति की निगरानी करते समय राजस्व अधिकारियों सहित क्षेत्रीय अधिकारियों की उनके अतिक्रमण को रोकने/हटाने में असफल होने की स्थिति में उनकी जिम्मेदारी भी निर्धारित करेगी।

हैरीटेज सिटी के रूप में हैदराबाद

3706. श्री वाई.वी. राव: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यूनेस्को ने विश्व में कई शहरों को वर्ल्ड हैरीटेज सिटी के रूप में मान्यता दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई भारतीय शहर विशेषकर हैदराबाद इस सूची में शामिल है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो वर्ल्ड हैरीटेज सूची में कुछ भारतीय शहरों को शामिल किए जाने हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या हैदराबाद वर्ल्ड हैरीटेज सूची में शामिल किये जाने संबंधी सभी जरूरतों को पूरी करता है; और

(च) यदि हां, तो इस सूची में शहरों को शामिल किये जाने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत के किसी भी शहर को अभी तक विश्वदाय सूची के लिए नामित नहीं किया गया है।

(घ) से (च) विश्वदाय स्थिति को संशोधित अनन्तिम सूची में भारत से और स्थलों को शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है जिनमें हैदराबाद नगर शामिल है। तथापि, गोलकोंडा किला पहले ही संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन की वर्तमान अनन्तिम सूची में है।

सिंचाई योजनाएं

3707. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने दसवीं योजना अवधि के दौरान सिंचाई की दस नई योजनाओं का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दसवीं योजना शुरू होने के बावजूद उनका मंत्रालय इन योजनाओं हेतु विस्तृत प्रस्ताव योजना आयोग को प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी देने और कार्य शुरू करने के लिए योजना आयोग को प्रस्ताव करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुनचरण सेठी): (क) इस मंत्रालय ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दस नई स्कीमों को शुरू करने का प्रस्ताव किया है जोकि विशेष रूप से सिंचाई विकास परियोजनाओं से संबंधित नहीं है। इन स्कीमों का उद्देश्य मुख्यत: इस मंत्रालय के कुछ तकनीकी संगठनों में क्षमता निर्माण और सुविधाओं के सृजन तथा देश के विभिन्न भागों में भूजल संसाधनों में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, जल निकास सुधार और कटावरोधी कार्य करना है।

(ख) से (घ) दसवीं योजना के दौरान शुरू किए जाने के लिए प्रस्तावित दस नई स्कीमें और इनकी स्थिति तथा इन स्कीमों को अनुमोदित कराने के लिए किए जा रहे प्रयास नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए हैं:-

क्र. सं.	स्कीम का नाम	अनुमोदन की स्थिति और इसके लिए किए जा रहे प्रयास
1	2	3
1.	जल गुणवत्ता आकलन प्राधिकरण	सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय इस 12 सदस्यीय प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं तथा आयुक्त (जल प्रबंध) इसके सदस्य-सचिव हैं। प्राधिकरण की कार्रवाई योजना को अंतिम रूप देने के लिए इस प्राधिकरण की दूसरी बैठक 8.4.2003 को आयोजित किया जाना निर्धारित है। प्राधिकरण के क्रियाकलापों को करने के लिए स्कीम तैयार करने का कार्य प्राधिकरण की कार्रवाई योजना को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् शुरू किया जाएगा।

1	2	3
2.	बांध सुरक्षा और पुनर्वास के संबंध में केन्द्रीय जल आयोग में सुविधाओं और कौशलों का उन्नयन।	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तैयार की गई स्कीम के प्रस्ताव को सैद्धान्तिक अनुमोदन के लिए योजना आयोग को भेजा गया था। इसके पश्चात् योजना आयोग द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों पर मंत्रालय ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं तथा सैद्धान्तिक अनुमोदन के लिए योजना आयोग से अनुरोध किया है।
3.	जल विद्युत डिजाइनों, पंप भंडारण के संबंध में विशेषज्ञता प्राप्त इकाईयों की स्थापना और केन्द्रीय जल आयोग के इंस्ट्रूमेंटेशन निदेशालय को सुदृढ़ करना।	योजना आयोग ने इस स्कीम को सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित कर दिया है। अब इस स्कीम को जल संसाधन मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम अनुमोदन दिया जाना शेष है जिसके लिए मंत्रालय का वित्त स्कंध आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर रहा है।
4.	केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला में अनुसंधान सुविधाओं का आधुनिकीकरण और उन्नयन।	योजना आयोग द्वारा दिए गए सैद्धान्तिक अनुमोदन के अनुसरण में इस स्कीम को एस एफ सी द्वारा मार्च, 2003 में अनुमोदित किया गया है।
5.	आधुनिक तकनीकों और प्रौद्योगिकी के माध्यम से नहर नियंत्रण का सुधार।	केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला द्वारा तैयार की गई इस स्कीम में इण्डो-फ्रेंच वित्तीय सहायता कार्यक्रम के तहत बाह्य वित्त पोषण सहायता की योजना है। इस स्कीम पर आगे की कार्रवाई इस संबंध में फ्रांस सरकार की ठोस वचनबद्धता के अभाव में रुकी हुई है। योजना आयोग के सैद्धान्तिक अनुमोदन के लिए आगे कार्रवाई करने से पहले इस स्कीम के लिए फ्रांस सरकार की वचनबद्धता प्राप्त की जा रही है।
6.	बड़े शहरों में भूजल संसाधनों का विकास और वर्षा जल संचयन।	इस स्कीम के लिए प्रस्ताव को योजना आयोग भेजा गया था जिसने इस आधार पर इसका समर्थन नहीं किया कि प्रस्तावित क्रियाकलापों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी केन्द्र प्रायोजित स्कीम के तहत शामिल किया जा सकता है। तद्नुसार, इस मंत्रालय ने भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम के वास्ते प्रस्ताव तैयार किया है और सैद्धान्तिक अनुमोदन के लिए इसे फरवरी, 2003 में योजना आयोग को भेजा गया। इस स्कीम की शीघ्र स्वीकृति के लिए इस मामले पर योजना आयोग में विचार किया जा रहा है।
7.	माकामा टाल क्षेत्र सहित देश में जल निकास में सुधार।	इस मंत्रालय ने राज्यों से उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। चूंकि राज्य सरकारों ने इस स्कीम के तहत शामिल किए जाने वाले प्रस्तावों को अभी तक नहीं भेजा है अत: इस स्कीम को तैयार करने में विलम्ब हो रहा है तथा और विलंब से बचाने के लिए एक उपयुक्त स्कीम तैयार करने का कार्य केन्द्रीय जल आयोग को सौंपा गया है।
8.	तटीय तथा गंगा बेसिन राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों में गंभीर कटावरोधी कार्य	इस मंत्रालय ने कुछ लाभग्राही राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर एक स्कीम तैयार की है और इसके सैद्धान्तिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव को योजना आयोग को भेजा है। योजना आयोग ने कुछ टिप्पणियां की हैं जिनकी अब जांच की जा रही है।
9.	माजुली द्वीप, असम, दिबांग परियोजना इत्यादि के लिए नई स्कीमें।	घौला-हाथीगुली में ब्रह्मपुत्र नदी के एवल्सन से संबंधित निर्माण कार्य को शामिल करते हुए इस स्कीम के एक घटक को 10.47 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अनुमोदित किया गया है और ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा इसका निष्पादन किया जा रहा है। अन्य घटकों सहित सम्पूर्ण स्कीम अलग से तैयार की जाएगी।

1	2	3
		इस मंत्रालय ने ब्रह्मपुत्र बराक घाटी में गंभीर बाढ़ नियंत्रण/कटावरोधी क्रियाकलापों में सहायता के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम तैयार करने के वास्ते सिक्किम और पश्चिम बंगाल (उत्तरी बंगाल के ब्रह्मपुत्र बेसिन में आने वाले क्षेत्रों के लिए) सहित पूर्वोत्तर राज्यों से प्राथमिकता आधारित स्कीमों की सूची मांगी है। अधिकांश पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा प्राथमिकता आधारित स्कीमों को प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ। तथापि, अब तक केवल असम, अरूणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैण्ड राज्यों ने प्राथमिकता आधारित स्कीमों का ब्यौरा प्रस्तुत किया है जबकि सिक्किम, मणिपुर और मिजोरम ने एकमुश्त प्रावधानों की मांग की है। मेघालय और पश्चिम बंगाल ने अभी तक अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस स्कीम में आगे और विलम्ब न हो इसके लिए इस मंत्रालय ने राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर स्कीम प्रस्ताव तैयार किया है तथा इसके सैद्धान्तिक अनुमोदन के लिए वह इसे योजना आयोग को प्रस्तुत करने जा रहा है।

वन क्षरण के संबंध में अभ्यावेदन

3708. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अगरबत्ती और अन्य सुगंधित बत्तियों जैसे उत्पादों के कारण वन क्षरण के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो अध्ययन का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अगरबत्ती जैसे ज्वलनशील उत्पादों को तैयार करने में प्रति वर्ष कितनी लकड़ी और बांस का प्रयोग होता है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) और (ख) जी, हां। अगरबत्तियों और अन्य पारम्परिक सुगंधित बत्तियों के उपयोग की वजह से हो रहे वनों के विनाश के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अगरबत्ती जैसे ज्वलनशील उत्पादों को तैयार करने में प्रति वर्ष प्रयोग में लाई जा रही लकड़ी और बांस की मात्रा संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है।

मंदिर सर्वेक्षण

3709. **प्रो उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मंदिर सर्वेक्षण कार्य करने हेतु एक अलग संगठन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त संगठन द्वारा वर्तमान में किए जा रहे पुराने मंदिरों के सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में मंदिर परियोजनाओं के लिए पर्यवेक्षण प्राधिकारी का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2002-2003 के दौरान मंदिर परियोजनाओं हेतु कितनी निधियां उपलब्ध कराई गयी हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां। मंदिर सर्वेक्षण कार्य के निष्पादन के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के भोपाल तथा चेन्नई में दो अलग-अलग कार्यालय हैं।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) दोनों कार्यालयों में से प्रत्येक पर्यवेक्षण संबंधित अधीक्षण पुरातत्वविद् द्वारा किया जाता है।

(घ) भोपाल तथा चेन्नई स्थित मंदिर सर्वेक्षण परियोजना कार्यालयों के लिए क्रमश: 26.15 लाख रुपये तथा 27.60 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई है।

विवरण

वर्तमान में सर्वेक्षित मंदिरों का ब्यौरा

I. मंदिर सर्वेक्षण परियोजना, भोपाल ने महानदी तथा प्राची घाटी के ऊपरी भाग में उड़ीसा के ईंट मंदिरों का वास्तुकलात्मक सर्वेक्षण किया है, जो गंगा तथा सोमवम्सी को समर्पित है।

कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

पातालेश्वर मंदिर, बुद्धि कोमना, जिला नवपदा

बुद्धि कोमना स्थित भगवान शिव को समर्पित, ईंट का मंदिर, जो स्थानीय भाषा में पत्थलेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, के दो संघटक अन्तराल तथा जगमोहन हैं। मंदिर के उत्थान से पीठ जंघा तथा गंडी के संघटकों का पता चला है। दो मंजिला जंघा चैत्य मोटिकों से सुसज्जित है, जबकि अंक शिखर वाले गंडी के बाद बड़े अम्लक तथा कलश हैं। मंदिर के दरवाजा की चौखट तीन द्वार शाखाओं से सुसज्जित है; सोहावटी नवगृह पट्टी से सुसज्जित है। शैली के आधार पर, मंदिर को 9वीं शताब्दी का माना जा सकता है।

इन्द्रलठ मंदिर, रानीपुर-जरियाल, जिला बोलंगीर

योजना में इन्द्रलठ मंदिर में अन्तराल तथा जगमोहन दोनों हैं। उत्थापन से पग, जंधा, गंडी, अम्लक तथा कलश संघटकों का पता लगता है। मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर अब शिव मंदिर के रूप में परिवर्तित हो गया है। इसके देवकोष्ठकों में नरसिम्हा लकुलिस, हनुमान, त्रिविक्रमा तथा चामुंडा की मूर्तियां हैं। शैली के अनुसार यह मंदिर दसवीं ग्यारहवीं शताब्दी से संबंधित हो सकता है।

शिव मंदिर, बेलखंडी, जिला कालाहांडी

भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर योजना के अंतराल तथा जगमोहन तथा उन्नत अधिष्ठान, जंघा तथा शिखर हैं। वृहद जीर्णोद्धार कार्य के कारण, प्राचीन संरचना की अपनी वास्तुकलात्मक विशेषताएं बिल्कुल लुप्त हो गई हैं।

शिव मंदिर, तितिलागढ़, जिला बोलंगीर

पहाड़ी के शिखर पर स्थिति भगवान शिव का यह ईंट का मंदिर, आठवीं या नौंवी शताब्दी का है। योजना में, इसमें एक गर्भगृह तथा लघु मंडप है। अभी हाल ही में प्राचीन संरचना का जीर्णोद्धार, स्थल पर बिखरी प्राचीन इंटों की सहायता से किया गया है।

ईंट का मंदिर, पटनागढ़, जिला बोलंगीर

मखरला पत्थर जगती पर निर्मित इस ईंट के मंदिर की योजना में नया डयूल तथा अंतराल है तथा उत्थान में अधिष्ठान तथा जंघा का एक भाग है। शैली के अनुसार मंदिर को आठवीं या नौवीं शताब्दी का माना जा सकता है।

कुश्लेश्वर मंदिर, बैद्यनाथ, जिला बौद्ध

भगवान शिव को समर्पित, तेल नदीं के बाएं किनारे पर स्थिति, पूर्व की ओर मुख वाले इस मंदिर को स्थानीय रूप से कुश्लेश्वर के नाम से जाना जाता है। वृहद रूप से जीर्णोद्धार किए गए इस मंदिर के जगमोहन के खम्भों में सिंह शीर्ष तथा नाग और नागिनों की आकृतियों के मूल अलंकृत घटक दिखाई देते हैं। मंडप के अधिष्ठान में कुरा, कुम्भ, पट्टी तथा करनिका की गढ़ाई दिखाई पड़ती है। जंघा का अलंकरण देवकोष्ठक तथा वज्रमुंडी डिजाइनों से किया गया है। इसे 10वीं शताब्दी का माना जा सकता है।

II. मंदिर सर्वेक्षण परियोजना, चेन्नई ने कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिला में फैले इम्पीरियल राष्ट्रकूटों के संरचनात्मक मंदिरों का वास्तुकलात्मक सर्वेक्षण किया है।

कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

मंदिर संख्या: 3. कुंती गुड्डी, एहोल, जिला बागलकोट

यह मंदिर एहोल के चालुक्य से संबंधित है। हाल के मध्य भाग में चार बड़े तथा बहुत अधिक सुसज्जित खम्भें जबकि बाह्य सतह में कुछ कम सुसज्जित समान रूप से बड़े खम्भे तथा भित्ती स्तम्भ हैं जो छत की ढ़लाईदार पटियों को थामें हुए हैं। इस हाल के केन्द्रीय पिछले कक्ष को मुख्य देवालय में परिवर्तित कर दिया गया है जिसका स्वयं का स्वतंत्र अधिष्ठान है। गर्भगह का अष्ठ-शाखा प्रवेश दरवाजा है जिसके दोनों ओर द्वारपाल तथा गंगा-यमुना की मूर्तियां हैं।

मंदिर संख्या 53, गलंगन्धा मंदिर समूह, एहोल, जिला बागलकोट

मंदिर संख्या 53, योजना में जिसका मुख पश्चिम की ओर है, में गर्भगृह तथा खुला मुख चातुष्की है। मंदिर कपोल बंध अधिष्ठान पर खड़ा है। गर्भगृह की दीवारें भद्रा, कर्णों पर टिकी हैं। भद्र भाग में मक्र तोरण हैं। सभी तीनों तरफ दीवों के निचले हिस्से में अष्ठ-दिक्पालों तथा अन्य देवताओं की उपस्थिति, इस मंदिर की रुचिकर विशेषता है। जबकि दीवारों के ऊपरी स्तरों पर नरसिम्हा, राम, गरुण पर सवार विष्णु जैसे भगवानों तथा गरुड़ तथा अन्य संगीतकारों, भिक्षुओं आदि की आकृतियां हैं। शैली के अनुसार यह दसवीं शताब्दी की हैं।

हाल वासप्पा मंदिर, एहोल, जिला बागलकोट

यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है तथा इसका मुख पूर्व की ओर है। योजना में इस मंदिर में गर्भगृह तथा एक चोकौर गुदा मंडप है। इसकी मुख्य विशेषता हाल का मुख्य प्रवेश दरवाजा है। यह पांच शाखा वाला दरवाजा पारवा है, जिसके दोनों ओर यमुना तथा गंगा नदी देवियां हैं जो अपने संबंधित वाहनों पर हैं। शैली के अनुसार मंदिर का समय नौवीं शताब्दी है।

चन्द्रशेखर मन्दिर, पट्टडक्कल, जिला बागलकोट

यह मन्दिर शिव को समर्पित है तथा स्थानीय रूप से चन्द्रशेखर मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध है। इसका मुंह पूर्व की ओर है। इसकी योजना के अन्तर्गत इसमें एक गर्भगृह, एक संकीर्ण अंतराल और गुडामंडप है। ये तीनों संगठक एक सामान्य कपोत बंध अधिष्ठान पर स्थापित हैं। गर्भगृह कुड्य स्तंभों पर आधारित है। यह मंदिर 10वीं शताब्दी ईसवीं का है।

मलगुडी जैन मन्दिर, हल्लूर, जिला बागलकोट

इस मंदिर का मुंह दक्षिण की ओर है तथा यह कपोतबंध अधिष्ठान पर स्थित है। दोनों गर्भगृह और गुडामंडप की बाहरी दीवारों पर कर्ण, प्रति भद्र और भद्र अंग दर्शाए गए हैं तथा बीच में सालिलान्तर निमज्जन हैं तथा ब्रम्हकान्त पिलस्तरों पर स्थित है। मूलतः यह मन्दिर जैन धर्म को समर्पित था किन्तु वर्तमान में इसमें एक लिंग तथा नन्दी प्रतिष्ठित हैं। शैली के अनुसार यह मन्दिर नौवीं शताब्दी ईसवी का है।

विश्वेश्वरगुडी, हल्लुरु, जिला बागलकोट

स्थानीय तौर पर यह बासवेश्वर मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध है तथा यह कपोत बंध अधिष्ठान पर स्थिति है। बाहरी दीवारें कुट्य स्तंभों पर हैं, और इस प्रकार भद्रों और कर्णों में विभाजित हैं। प्रस्तार कपोत के नीचे एक हंसमाला है। दो ऊपरी तलों पर साधारणतः किन्तु सादे हार हैं। यह मन्दिर परिसर 9वीं शताब्दी ईसवी का है।

बाचालिंगेश्वर मन्दिर, बचेनागुडा, जिला बागलकोट

इस वर्गाकार विमान मन्दिर में शिवलिंग स्थापित है। इसकी रोचक विशेषता सुभद्र के ऊपर कूट शिखर वाले देवकोष्ठों की उपस्थिति है। इन देवकोष्ठों में ब्रह्म (उत्तर), उग्र नरसिम्हा (पश्चिम) तथा लकुलीस (दक्षिण) की प्रतिमाएं हैं। यह मन्दिर लगभग आठवीं शताब्दी ईसवीं का हो सकता है।

भैरवेश्वर मन्दिर, महाकुटा, जिला बागलकोट

इन तीनों तलों वाले द्रविड विमान की योजना में एक वर्गाकार गर्भगृह एक अन्तराल तथा एक गुधमंडप है। मन्दिर शिव को समर्पित है और इस का मुख पूर्व की ओर है। इसकी एक अनन्य पुरातात्विक विशेषता यह है कि इसमें चार केन्द्रीय स्तम्भ और गर्भगृह में बारह स्तम्भ हैं। इसके अलावा सामभंग में भगवान विष्णु की खड़ी मूर्ति है जो शैलीगत रूप से उत्तर भारतीय शैली की है। यह मन्दिर लगभग दसवीं शताब्दी ईसवीं का है।

गलगनाथ मन्दिर परिसर में स्थित मकरतोरण, जिला बागलकोट

शैली की दृष्टि से राष्ट्रकूट अवधि के माने जाने वाले इस मकर तोरण में शक्कन पूछों वाले दो मकर प्रदर्शित हैं। प्रत्येक मकर पर दो योद्धा-घुड़सवार हैं। इन मकरों के मुख से एक रज्जू अभिप्राय निकलता है। मध्य के दो तोरणों में गजलक्ष्मी तथा गणेश हैं। दो अन्य तोरण उग्र व्यालस द्वारा अधिगृहीत हैं। शैली की दृष्टि से यह लगभग दसवीं सता. ईसवीं का हो सकता है।

गलगनाथ मन्दिर परिसर, एहोल, जिला बागलकोट में स्थित राष्ट्रकूट अभिलेख वाली धर्मनिरपेक्ष संरचना

कृष्णा III के शासनकाल का एक राष्ट्रकूट अभिलेख पाया गया था जो एक कोठरी के द्वारपथ के ऊपर टिके पटिया पर उत्कीर्ण है। अभिलेख में मोनीबतरा नाम के एक संत का उल्लेख है जो कोठरी में रहा करते थे। इस अभिलेख की तिथि शक 868 प्रजापति संवत्सर अर्थात् 946 ईसवीं की है।

नदियों पर बांधों/बैराजों का निर्माण

3710. श्री ए. नरेन्द्रः क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में प्रमुख नदियों पर कितने बांधों/बैराजों का निर्माण किया गया है;

(ख) पानी प्रवाह वाले क्षेत्रों में बांधों के प्रतिकूल प्रभाव, जिसके परिणामस्वरूप नदियों में गाद जमा होने से बाढ़ आती है के संबंध में क्या अध्ययन कराया गया है; और

(ग) तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निवारक कदम उठाये गये हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुनचरण सेठी): (क) देश में लगभग 4050 निर्मित बड़े बांध हैं और 475 बांध निर्माणाधीन हैं जिसमें कुछ बराज भी शामिल हैं जो बड़ें बांधों के मानकों के अनुरूप हैं।

(ख) और (ग) योजना आयोग द्वारा निवेश हेतु संबंधित राज्य को निवेश अनुमति प्रदान किए जाने से पहले विभिन्न मूल्यांकन अभिकरणों द्वारा नदी घाटी परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के अंतर्गत बांधों के प्रतिकूल प्रभावों का अध्ययन किया जाता है जिसमें वन और कृषि योग्य भूमि का डूबना, लोगों का विस्थापन, भूमि ह्रास, मृदा अपरदन, जल संलेखन, वनस्पति और प्राणी जगत पर प्रभाव आदि जैसे नकारात्मक पहलू शामिल हैं। मूल्यांकन के रूप में अनुप्रवाह नदी रेजीम पर बांध के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है और मूल्यांकन अभिकरणों द्वारा बनाए गए मानदंडों के अनुसार क्रियान्वयन संगठनों द्वारा आवश्यक निरोधात्मक उपाय किए जाते हैं।

[हिन्दी]

किसानों को ऋण

3711. श्री राजो सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में श्रेणी वार बिहार में कितने किसानों को कृषि ऋण प्रदान किया गया;

(ख) प्रत्येक श्रेणी के किसानों से अब तक कितने ऋण की वसूली की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा बड़े किसानों से ऋण की शीघ्र वसूली हेतु प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान वाणिज्यिक बैंकों से कृषि ऋण प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या (वर्ष-वार) नीचे दी गई है:

वर्ष	लघु/सीमांत किसान	अन्य किसान
जून, 1999	474356	122787
जून, 2000	486193	106532
जून, 2001	443111	110841

इसके अलावा, 31 मार्च, 2000 तक सहकारी ऋण संस्थानों (सी सी आई) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आई आर) के 35.74 लाख उधारकर्त्ताओं ने भी इस सुविधा का लाभ प्राप्त किया है।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान सहकारी ऋण संस्थानों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वसूले गये ऋण की राशि इस प्रकार है:-

वर्ष	वसूले गये ऋण की राशि (लाख रुपये में)
1999-2000	25964.98
2000-2001	32075.99
2001-2002	40220.56

इसी अवधि के दौरान वाणिज्यिक बैंकों ने 44.14% से 46.83% के बीच वसूली की है।

(ग) बैंकों के ऋणों की वसूली में तेजी लाने के लिए, जिसमें बड़े किसानों द्वारा लिया गया ऋण भी शामिल है, निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं:-

- अधिकांश राज्य सरकारों ने ऋणों की वसूली के मामले में तलवार समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिये नियम बनाये हैं।
- पुराने बकायों की वसूली के लिये एक ही बार में निपटान करने की स्कीम (ओ.टी.एस.) को क्रियान्वित करने के लिये निर्देश जारी किये जा चुके हैं।
- बैंकों को अपने दावों का निपटान लोक अदालतों के माध्यम से करने के लिये अनुमति दी गई है।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डी.आर.टी.) के माध्यम से वसूली करने की अनुमति दी गयी है।
- सहकारी बैंक अपने अतिदेयों की वसूली संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार करते हैं।
- अतिदेयों की वसूली, विशेषकर जो सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत आते हैं, संबंधित सरकारी विभाग की मदद से की जाती है।

अ.जा./अ.ज.जा. के रिक्त पद

3712. श्री रामदास आठवले: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों और उपक्रमों में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा. के कुछ पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अंतर्गत उक्त विभागों और उपक्रमों में कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की पदोन्नति की गई है और नई भर्ती की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान और चालू वर्ष में आज तक विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत की गई नई भर्ती का वर्ष-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों की भर्ती और पदोन्नति के संबंध में निर्धारित नियमों का पालन किया गया है, और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

गुड़ बोर्ड

3713. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चाय बोर्ड और कॉफी बोर्ड की तर्ज पर गुड़ बोर्ड की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गुड़ निर्यात की संभावनाओं का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गुड़ का भारत से निर्यात किया जाता है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुड़ का निर्यात इस प्रकार है:-

वर्ष	निर्यातित मात्रा (मी.टन)	मूल्य (लाख रु.)
1999-2000	1173.46	144.05
2000-2001	1155.29	1292.55
2001-2002	839.12	432.51

प्रदूषित कच्चे पानी की आपूर्ति

3714. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरियाणा द्वारा दिल्ली को प्रदूषित कच्चे पानी की आपूर्ति से जल संशोधन संयंत्र बंद हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) क्या अन्तर्राज्यीय जल बंटवारा समझौते के अंतर्गत हरियाणा सरकार दिल्ली को अपेक्षित मात्रा में कच्चा पानी उपलब्ध नहीं करा रही है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुनचरण सेठी): (क) और (ख) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पश्चिमी यमुना नहर से प्राप्त होने वाले कच्चे जल में प्रदूषण के कारण पिछले पांच महीनों के दौरान नौ विभिन्न अवसरों पर हैदरपुर तथा नागलोई जल उपचार संयंत्रों को लगभग 6-8 घंटों के लिए बंद करना पड़ा।

(ग) दिल्ली जल बोर्ड ने यह भी सूचित किया है कि अंतर्राज्यीय जल बंटवारा समझौते के अनुसार हरियाणा सरकार दिल्ली को कच्चे जल की आपूर्ति कर रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय श्रमिकों को स्वदेश लाया जाना

3715. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्री माणिकराव होडल्या गावित:
श्री पी.सी. थामस:
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अमरीकी हमले के बाद इराक और उसके पड़ोसी देशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए इंडियन एयरलाइन्स, एयर इंडिया और अन्य विमान कम्पनियों द्वारा संचालित उड़ानों का स्थानवार तथा विमान कंपनीवार ब्यौरा क्या है;

(ख) खाड़ी देशों से कितने भारतीयों को स्वदेश लाया गया है और कितने अभी भी फंसे हुये हैं;

(ग) क्या सरकार ने एक मानवीय रुख दिखाते हुए इन उड़ानों के किराये पर राजसहायता देने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा कुल कितनी राजसहायता वहन की जायेगी?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (घ) इराक और पड़ोसी क्षेत्रों से किसी भारतीय नागरिक को वापस नहीं लाया गया है क्योंकि अभी तक ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। बहरहाल, 18 मार्च से 31 मार्च, 2003 की अवधि के दौरान सामान्य किराए पर कुवैत से इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिआ की सामान्य उड़ानों तथा अतिरिक्त वाणिज्यिक उड़ानों द्वारा कुल 5705 यात्रियों को लाया गया है।

[अनुवाद]

सूखा प्रवण क्षेत्रों में हरियाली/वृक्षारोपण

3716. **श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश के सूखा प्रवण क्षेत्र में हरियाली/वृक्षारोपण के विकास हेतु कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) देश के सूखा संभावित क्षेत्रों में हरियाली/वृक्षारोपण किए जाने के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास कोई विशिष्ट स्कीम नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आई.ए.एस.आर.आई. होस्टलों का कुप्रबंधन

3717. **श्री चन्द्र प्रताप सिंह:**
श्री हरिभाऊ शंकर महाले:

क्या **कृषि मंत्री** 30 अगस्त, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5798 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके विभाग को गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान (आई.ए.एस.आर.आई.) में प्रशिक्षु छात्रावास के प्रबंधन में अनियमितता के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस शिकायतों पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 'मेगा केटरर्स' की नियुक्ति से पूर्व संबंधित अधिकारियों द्वारा बोर्डिंग प्रभार संग्रहण संबंधी समुचित लेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा था; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) जांच की गई है तथा रिपोर्ट विचाराधीन है।

(ग) खान-पान की संविदात्मक प्रणाली से पहले संस्थान खान-पान की सेवाएं मुहैया नहीं करा रहा था।

(घ) कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं थी।

अन्तर्राज्यीय जल विवाद

3718. **श्री परसुराम माझी:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गोदावरी नदी जल बंटवारे के बारे में उड़ीसा से संबंधित निपटारे के लिए लंबित अन्तर्राज्यीय जल विवादों के नाम क्या हैं और उनकी संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक विवाद के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इन विवादों के शीघ्र निपटारे हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुनचरण सेठी): (क) से (ग) गोदावरी नदी के जल के बंटवारे से संबंधित जल विवादों के होने के विषय में केन्द्र सरकार को उड़ीसा राज्य से अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (आई एस आर डब्ल्यू डी) अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के बीच वर्ष 1979 में हुए समझौते के अनुसार उड़ीसा राज्य गोदावरी बेसिन के इन्द्रावती उप-बेसिन में उड़ीसा-

मध्य प्रदेश सीमा पर 45 मिलियन घन फीट जल का प्रवाह सुनिश्चित करेगा। इस समझौते में 45 टी एम सी जल की वार्षिक मात्रा का मासिक वितरण निर्धारित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा-छत्तीसगढ़ सीमा के प्रति प्रवाह पर जौरा-नाला से साबरी नदी तक कुछ प्राकृतिक जल प्रवाह हैं। इसके परिणामस्वरूप व्यपवर्तन संरचना के निर्माण के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार और उड़ीसा सरकार के बीच मतभेद है। व्यपवर्तन संरचना के निर्माण के मामले का समाधान केन्द्रीय जल आयोग के तत्वावधान में किया गया है। तथापि, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच प्रवाहों के मासिक बंटवारे के विषय में सहमति नहीं हुई है।

गुजरात पर्यटन विकास

3719. **श्री सवशीभाई मकवानाः** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गुजरात में चोटिला, पालीताणा डाकोर, द्वारिका सोमनाथ, अम्बाजी, शंकेश्वर, सपुतारा, जूनागढ़, महूदी, पाटन और वडनगर के विकास के लिए पर्यटन संबंधी परियोजनाएं मंजूरी हेतु केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक मंजूरी प्रदान किये जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, नहीं। पर्यटन विभाग, भारत सरकार में ऐसी कोई परियोजनाएं लंबित नहीं है। तथापि, पर्यटन विभाग ने वर्ष 2002-2003 के दौरान, गुजरात में पर्यटन के विकास के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं मंजूर की हैं:

(1) वडवाडा में अवसंरचना का विकास।

(2) वाडनगर का विकास।

संस्कृति विभाग ने, तीर्थंकर महावीर जन्म कल्याणक की 2600वीं वर्षगांठ के अवसर पर, गुजरात में जैन स्मारकों के विकास के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं भी स्वीकृत की है:-

(1) जैन मंदिर भिलोदा

(2) जैन मंदिर उमाटा

(3) कुंभारिया

(4) जैन मंदिर बोरिया नेस

(5) जैन मंदिर शेरिया मेहसाना

(6) वांकानेर में जैन मंदिर

(7) तरंगा पहाड़ियों में जैन मंदिर

(8) पलिताना में जैन मंदिर

(9) जैन तीर्थ, गिरनार

(10) राष्ट्रीय स्वाभिमान

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्रमिक कानूनों की समीक्षा

3720. **डा. मदन प्रसाद जायसवालः**
श्री अब्दुल रशीद शाहीनः

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वर्तमान श्रमिक कानूनों की समीक्षा के लिए कोई कार्रवाई की है ताकि सकल घरेलू उत्पाद में त्वरित वृद्धि और अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया की गति तीव्र हो सके;

(ख) यदि हां, तो समीक्षा के लिए किन-किन विशिष्ट कानूनों की पहचान की गई है और इस प्रयोजनार्थ क्या दिशानिर्देश निर्धारित किए गए है; और

(ग) गत वर्ष के दौरान बदलती अर्थव्यवस्था में श्रमिकों को न्याय दिलाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) से (ग) श्रम कानूनों की समीक्षा/उनका अद्यतन किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है ताकि उन्हें मौजूदा स्थिति और अर्थव्यवस्था की उभरती जरूरतों के अनुरूप बनाया जा सके। उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता, रोजगार सृजन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तथा श्रम कानूनों के प्रावधानों को अद्यतन करने के लिए कुछ श्रम विधानों में संशोधन करने की जरूरत महसूस की गई है और तद्नुसार कदम उठाए गए हैं। इस प्रकार व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926; कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 और सिने कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 में संशोधन किए गए। इसी बीच, द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। आयोग ने श्रम के विभिन्न पहलुओं जैसे कानून की समीक्षा, सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल श्रम, कौशल विकास, मजदूरी, श्रम प्रशासन, असंगठित क्षेत्र आदि पर अनेक सिफारिशें की हैं। मंत्रालय ने श्रमिक प्रतिनिधियों, नियोक्ता संगठनों, विशेषज्ञों, पेशेवर लोगों आदि से परामर्श और विचार-

विमर्श किया है। आयोग की सिफारिशों पर 28-29 सितम्बर, 2002 को आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के 38वें सत्र, 7-8 नवम्बर, 2002 को आयोजित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर राष्ट्रीय सेमिनार और 18-19 फरवरी, 2003 को आयोजित त्रिपक्षीय समिति की बैठक में भी चर्चा हुई है। आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए एक व्यवहार्य मतैक्यता बनाने हेतु अपेक्षित कदम उठाए जा रहे है। विभिन्न श्रम कानूनों में सामाजिक भागीदारों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तथा यह सुनिश्चित करने के बाद कि श्रमिकों के हितों की पूरी तरह रक्षा हो, संशोधन किए जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं सभा को मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ। तत्पश्चात् सभा अपराह्न 2 बजे पुन: समवेत होगी।

अपराह्न 12.22 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.02 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.02 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

सदस्यों द्वारा निवेदन

इराक में स्थिति के बारे में—*जारी*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष जी, जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव था उस पर बहस होनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) सर, इस मोशन पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): अध्यक्ष जी, सुबह इराक मसले पर सभी लोगों ने अपना-अपना मत पेश किया। मेरा अपनी पार्टी की तरफ से आपसे अनुरोध है कि आपने आज जो पांच बजे लीडर्स मीटिंग बुलाई है उस मीटिंग में सरकार क्या कहना चाहती है वह हमें समझाए। हम लोग सोच-विचार करें और उसके बाद कार्यवाही शुरू हो। हम चाहते हैं कि इस पर बहस पूरी तरह से होनी चाहिए और साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि लोग अपना मत-विभाजन न करें। इसलिए शाम पांच बजे तक हाउस को स्थगित कर दीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष जी, यह गंभीर सवाल है और हम चाहते हैं कि इस पर सारा देश एक दिखाई दे और सदन में भी कहीं पर मतभेद दिखाई न दे। अगर आप ऐसा यहां कर सकते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, आपने पांच बजे सर्वदलीय मीटिंग बुलाई है और जैसा माननीय दासमुंशी जी ने कहा है कि सरकार और विपक्ष इस पर एक साथ बैठे। एक संदेश सारे देश के सामने जाना चाहिए, यह हमारी राय है। यह क्या प्रस्ताव लाती है और हमें उसमें कहां आपत्ति है, वहीं पर हम आपत्ति करेंगे। हम सर्वसम्मति से प्रस्ताव लाने का काम करना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, हम आरम्भ से ही इस महत्वपूर्ण विषय पर पूरे देश के संयुक्त विचार को रखने का प्रयास कर रहे हैं। श्री वी.के. मल्होत्रा द्वारा इस बारे में कुछ टिप्पणियां की गयी हैं। हम इस बारे में पुन: प्रयास कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारे बोलने के बाद सभा स्थगित हो गयी थी, इसलिए हमें सरकार के दृष्टिकोण का पता नहीं चल सका। मैंने यूं ही कहते सुना है कि सरकार की ओर से कुछ तैयारी हो रही है। लेकिन अभी तक हमें विश्वास में नहीं लिया गया है, पर हम निश्चित रूप से उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे।

हम सरकार से बार-बार, अनुरोध करते रहे हैं कि जहां तक इस सभा का और देश का संबंध है, इस विषय पर हमारा संयुक्त दृष्टिकोण होना चाहिए। यदि ऐसा प्रयास होता है तो हम इसका स्वागत करेंगे। महोदय, मैं समझता हूं कि इस बारे में आप द्वारा पहल किये जाने की आवश्यकता है। अब, चूंकि सरकार द्वारा इस बारे में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गयी है, इसलिए मैं श्री दासमुंशी और श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा किये गये अनुरोध का समर्थन करता हूं और आपसे सभा को अपराह्न 5 बजे तक स्थगित किये जाने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): अध्यक्ष महोदय, यह मामला सदन में सवेरे से चल रहा है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पहले से ही पांच बजे लीडर्स की बैठक बुला रखी है। इस संबंध में सरकार को चाहिए था कि रिजोल्यूशन पर विचार करने के लिए पहले से ही बैठक बुला ली जाती। सरकार यह समझ रही है कि वे जो काम करेंगे, अपोजीशन उस पर मोहर लगाने का काम करेगी। ऐसा नहीं हो सकता है। यह नेशनल इन्टरैस्ट का मामला है, पूरे देश के सम्मान का मामला है। इसीलिए हमने एडजार्नमेंट मोशन प्रस्तुत किया है। उसमें पहला नाम मेरा ही

[श्री राम विलास पासवान]

है और मुझे ही पहले बोलने के लिए समय मिलता, लेकिन आपने उसको रिजैक्ट कर दिया। यह आपका अधिकार क्षेत्र है। लेकिन हम यह जरूर चाहेंगे कि कोई भी रिजोल्यूशन आए, आप एडजार्नमेंट मोशन पर डिबेट करा दीजिए या लास्ट में, जो रिजोल्यूशन तय हो, उस पर डिसकशन करा दीजिए। इसमें पक्ष या विपक्ष का सवाल नहीं है और जैसा मल्होत्रा जी ने कड़ी लैंग्वेज में बोला है यदि उसका दस प्रतिशत सरकार मान ले, तो समस्या का निदान हो जाए। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सदन की कार्यवाही पांच बजे तक स्थगित कर दीजिए। पांच बजे हम लोग बैठक कर लें और वहां इस बारे में तय कर लें।

अध्यक्ष महोदय: मैंने सदन में नेताओं को सुना। मैं यह भी सोच रहा हूं कि इतने गंभीर विषय पर पूरे सदन को एकमत होने की सख्त जरूरत है। अभी-अभी अन्य नेताओं से भी चर्चा हुई है। सरकार की तरफ से एक ड्राफ्ट भी दिखाया गया है। मैं सोचता हूं कि इस विषय पर ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के लिए एक और मीटिंग होने की जरूरत है। जो सूचना आपने दी हैं, मैं आपकी सूचना से सहमत हूं। पांच बजे मेरे चैम्बर में मीटिंग है। सभी पार्टियों के नेतागण वहां आ जायेंगे और इस विषय में चर्चा होगी। मुझे बड़ी खुशी होगी, एक ड्राफ्ट जो सभी को मान्य हो, आ जाए। देश के सामने एक बहुत बड़ा विषय है और इस विषय पर पूरा सदन एक मत होकर काम करे, तो ठीक रहेगा।

मैं सदन की कार्यवाही पांच बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

अपराह्न 2.07 बजे

तत्पश्चात, लोक सभा अपराह्न 5.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 5.00 बजे

(लोक सभा अपराह्न 5.00 बजे पुन: समवेत हुई)

[**श्री पी.एच. पांडियन** *पीठासीन* हुए]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): महोदय, मैं भारतीय रेल के बारे में सुरक्षा संबंधी श्वेत-पत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7264/2003]

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुनचरण सेठी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं

(1) (एक) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7265/2003]

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) वेस्ट जोन कल्चरल सेन्टर, उदयपुर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) वेस्ट जोन कल्चरल सेन्टर, उदयपुर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संकरण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7266/2003]

(3) (एक) नार्थ सेन्ट्रल जोन कल्चरल सैन्टर, इलाहाबाद के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्थ सेन्ट्रल जोन कल्चरल सेन्टर, इलाहाबाद के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7267/2003]

[अनुवाद]

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): महोदय, मैं वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) वायुयान (खतरनाक माल का वहन) नियम, 2003 जो 7 मार्च के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 206(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उन पर एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(2) वायुयान (संशोधन) नियम, 2003 जो 7 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 207(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उन पर एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल टी 7268/2003)]

अपराह्न 5.01 बजे

राष्ट्रपति का संदेश

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मुझे एक उद्घोषणा करनी है। मुझे सभा को सूचित करना है कि माननीय अध्यक्ष को राष्ट्रपति का 17 मार्च, 2003 का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

"17 फरवरी, 2003 को एक साथ समवेत् संसद की दोनों सभाओं के समक्ष मेरे द्वारा दिए गये अभिभाषण के लिए लोक सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए धन्यवाद को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं।"

अपराह्न 5.02 बजे

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री आर.एल. भाटिया (अमृतसर): महोदय, मैं विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मागों (2003-2004) के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थाई समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 5.03

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

छियालीसवां, सैंतालीसवां और अड़तालीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री के.ए. सांगतम (नागालैंड): महोदय, मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में 46वां प्रतिवेदन।

(2) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में 47वां प्रतिवेदन।

(3) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में 48वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 5.04 बजे

विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद (संशोधन) विधेयक*—*पुर:स्थापित*

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद् अधिनियम, 2001 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि:

"विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद अधिनियम, 2002 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री दिगविजय सिंह: महोदय मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II खण्ड 2 दिनांक 7.4.2003 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं कि नियम 377 के अंतर्गत दिये गये मामलों को या प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित कर पढ़वाया जाये या मैं उन्हें पढ़ा हुआ मान लूं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: यदि आप प्रत्येक मामले को सदस्य-वार अलग-अलग लेना चाहते हैं तो मैं प्रत्येक सदस्य का नाम पुकारता हूं। अन्यथा मैं उन्हें पढ़ा हुआ मान लूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोज़ाबाद): सभापति महोदय, मेरे कार्य स्थगन का प्रस्ताव का क्या हुआ।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: इस समय नियम 377 के अंतर्गत मामलों से संबंधित बात हो रही है। सदस्यों ने इसकी सूचना दी है। मैं सदस्यों से जानना चाहता हूं कि क्या वे मामले को व्यक्तिगत रूप से उठाना चाहते हैं या उन्हें पढ़ा हुआ मान लूं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैं यह कहने के लिए बाध्य हूं कि आज के लिए नियम 377 के अधीन सूचीबद्ध मामलों को सभा पटल पर रखा मान लिया जाये।

अपराह्न 5.05 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

(एक) अहमदाबाद और आबू रोड के बीच लोकल रेलगाड़ी चलाए जाने तथा अरावली एक्सप्रेस को मुम्बई सेन्ट्रल तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा): महोदय मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र बनासकांठा में रेल सेवा की आवश्यकता के बारे में आकर्षित करना चाहता हूं। अहमदाबाद से आबू रोड के बीच कई एक्सप्रेस सेवा चल रही हैं परंतु एक भी लोकल रेल सेवा नहीं हैं जिसके कारण लोगों को एक ओर ज्यादा किराया देना पड़ता है और दूसरी ओर यात्रा में कई व्यवधान होते हैं, क्योंकि टिकट रिजर्वेशन इत्यादि की दिक्कत होती है। अगर अहमदाबाद से आबू रोड के लिए एक लोकल रेल सेवा शुरू किया जाये और अरावली रेल सेवा, जो जयपुर से बांद्रा के बीच चल रही है, उसे मुम्बई सेन्ट्रल तक बढ़ाया जाये तो यात्रियों को काफी सुविधा होगी।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इन मांगों को शीघ्र पूरा किया जाये।

(दो) राजस्थान में पावरलूम उद्योग पर वैट के अन्तर्गत लगाए गए उत्पाद शुल्क और बिक्री कर वापस किए जाने की आवश्यकता

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर): महोदय, इस समय राजस्थान घोर अकाल की विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। राजस्थान के किशनगढ़, ब्यावर, पाली तथा बालोतरा आदि विभिन्न उद्योग के रूप में कार्यरत हैं और लगभग 30 हजार लोगों की रोजी रोटी का सहारा दिया जा रहा है। कृषि के बावजूद पावरलूम के माध्यम से वस्त्र उत्पादन में ही श्रमिकों को थोड़े बहुत रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। राजस्थान में सूती वस्त्र उत्पादन की पावरलूम फैक्ट्रियां अति लघु उद्योग इकाई के रूप में प्रयुक्त मशीनरी मात्र 50,000 से लेकर 2 लाख तक की लागत की है। पावरलूम से निर्मित इस वस्त्र उद्योग की पहले से ही हालत खराब है। प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थिति के कारण स्थिति और भी दयनीय है। अब पावरलूम उद्योग पर वेट अधिनियम के अन्तर्गत् 4 प्रतिशत सेल टैक्स तथा सूती वस्त्र उद्योग को उत्पादन शुल्क के दायरे में लेकर 10 प्रतिशत उत्पादन नयी कर व्यवस्था का प्रावधान किया है। इन प्रावधानों से यह बचा-खुचा उद्योग भी चौपट हो जाएगा।

अत: भारत सरकार, वित्त मंत्रालय से अनुरोध है कि कुटीर उद्योग के रूप में कार्यरत राजस्थान के पावरलूम उद्योग को चालू रखने, संकट से बचाने तथा श्रमिकों को बेरोजगार होने से बचाने हेतु नये बजट प्रस्तावों में कपड़ा उत्पादन पर लागू किये जाने वाले 10 प्रतिशत शुल्क तथा वेट अधिनियम के अन्तर्गत 4 प्रतिशत सेल्स टैक्स को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाये।

(तीन) वन भूमि विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में वन भूमि के विकास के लिए निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री महेश्वर सिंह (मण्डी): महोदय, मैं आपके माध्यम से वन एवं पर्यावरण मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जब से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 लागू हुआ है तब से देश,

*सभा पटल पर रखे माने गए।

विशेषकर हिमाचल प्रदेश में जहां-जहां विकास कार्यों हेतु वन भूमि हेतु अथवा वृक्षों को उपयोग में लाया जाता है, वहां निर्माण कार्य करने वाला विभाग, वन विभाग के (एसेसमेंट) के अनुसार लाखों और कहीं कहीं करोड़ों रुपए संबंधित वन मंडल में जमा कराता है। उदाहरणत: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक कार्पोरेशन लिमिटेड एवं मलाना जल विद्युत परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए संबंधित एजेंसियों द्वारा वन मंडल अधिकारी, शमशी (पार्वती डिवीजन) निदेशक, दि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जिला कुल्लू को करोड़ों रुपए दिए गए।

वन भूमि का मूल उद्देश्य यह है कि जहां भी विकास कार्यों हेतु जंगल काटे जाते हैं अथवा वन भूमि उपयोग में लायी जाती है, वहां उससे होने वाली क्षति की भारपाई पर खर्च नहीं किया जाकर प्रदेश के कंसोलिडेटेड फंट में जमा हो जाता है। फलस्वरूप अधिकांश राशि वनों की भरपाई की बजाय अन्य कार्यों पर व्यय की जाती है।

मेरी सरकार से मांग है कि सभी प्रांतों, विशेषकर हिमाचल प्रदेश से पूर्ण ब्यौरा मंगाया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि इस राशि का सदुपयोग सिर्फ वनों की भारपाई के लिए संबंधित वन मंडल में ही हो।

(चार) गुजरात में बलसाड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के धर्मपुर क्षेत्र में विल्सन हिल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी (बलसाड़): महोदय, देश के विभिन्न भागों में ऐसे अनेक स्थान हैं जो बहुत ही रमणीक और सुन्दर हैं, किंतु उनका विकास न होने के कारण महत्वहीन होते जा रहे हैं। यद्यपि, हमारी सरकारी पर्यटन स्थल को विकसित करने पर विशेष ध्यान दे रही है। किंतु, अभी भी ऐसे अनेक स्थान हैं, जहां का विकास नहीं हो पाया है। इन्हीं स्थानों में मेरे संसदीय क्षेत्र बलसाड के धरमपुर क्षेत्र में स्थित विल्सन हिल है। इसकी रमणीयता और सुन्दरता को ध्यान में रखते हुए वहां की जनता व प्रतिनिधि इसके विकास के लिए लम्बे समय से मांग करते आ रहे हैं। यहां तक कि लगभग बीस-पच्चीस वर्ष पहले जनता की मांग पर इस हिल को राज्यपाल देखने भी आये थे और विकसित करने का आश्वासन भी दिया था। इनके विकास से जहां एक ओर सरकार की आय बढ़ेगी वहीं दूसरी ओर वहां के हरिजन, आदिवासी, बेरोजगार, शिक्षित नवयुवकों को रोजगार का अवसर सुलभ होगा।

अत: मेरा माननीय पर्यटन मंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया विल्सन हिल जो आदिवासी, हरिजन बहुल क्षेत्र में स्थित है, को पर्यटन की दृष्टि से उच्च वरीयता एवं प्राथमिकता के आधार पर विकसित कराने की कृपा करें ताकि वहां के लोगों को भी इसका लाभ मिल सके।

(पांच) उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री रामपाल सिंह (डुमरियागंज): महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थ नगर, उ.प्र. का बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। यहां पर कोई उद्योग धन्धा नहीं है। यहां का क्षेत्र उद्योग शून्य है जिसके कारण यहां की जनता को रोजी-रोटी की तलाश में अपने घरबार को छोड़कर अनेक बाहर के शहरों जैसे पंजाब, दिल्ली, मुम्बई में काम की तलाश में जाना पड़ता है।

अत: मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए कोई ऐसा पैकेज बनाया जाये, जिससे इस क्षेत्र की जनता को अपनी रोजी-रोटी के लिए बाहर न जाना पड़े और यहां कोई ऐसे उद्योग धन्धे लगाये जायें जिसका कच्चा माल जिले में उपलब्ध हो। जैसे फल सब्जियां का खाद्य प्रोसेसिंग प्लांट जिले में लगाया जाये, जिससे सब्जियां और फल नष्ट होने से बचायी जा सकें और उनका पूरा लाभ जनता को मिले।

(छह) बिहार में भारत नेपाल सीमा और रक्सौल के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

डा. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया): महोदय, भारत नेपाल की सीमा से रक्सौल तक के राजमार्ग 28 ए को पिछले साल करोड़ों रुपए की राशि लगाकर बनाया गया। एक साल के अंदर यह मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया। क्योंकि इस मार्ग पर जो कच्चे माल का उपयोग किया गया है, वह अच्छे किस्म का नहीं है। मार्ग इतना क्षतिग्रस्त है, जिस पर आ-जा नहीं सकते हैं और परिवहन एवं यातायात का इस मार्ग पर चलना भी खतरनाक है। इस कार्य को करने वाले अभियंताओं के कार्यों की समीक्षा एवं जांच लोक हित में अति आवश्यक है।

अत: सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उक्त मार्ग के कार्यों की जांच की जाये एवं इस मार्ग का निर्माण बार्डर रोड विभाग से करवाया जाये।

(सात) पुराना कानपुर रेलवे स्टेशन का दर्जा बढ़ाकर उसे प्रमुख रेल स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): महोदय, कानपुर के चन्दारी रलवे स्टेशन के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक दिल्ली व

[श्री श्रीप्रकाश जायसवाल]

हावड़ा के बीच गाड़ियां सिंगल ट्रक में चलती हैं, इसके कारण दिल्ली व हावड़ा के बीच यातायात बाधित होता है तथा शहर की रेलवे क्रांसिग बंद होने से शहर का यातायात भी बाधित होता है। इसका एक ही उपाय है चन्दारी रेलवे स्टेशन से पुराने कानपुर रेलवे स्टेशन होते हुए सवारी गाड़ियां भी पास की जायें, पुराने कानपुर को विकसित करके दिल्ली और हावड़ा के बीच का प्रमुख स्टेशन बना दिया जाये तथा शेष गाड़ियां कानपुर सेंट्रल स्टेशन से पास होती रहें। इसी तरह मन्धता स्टेशन से पनकी स्टेशन को रेलवे लाईन द्वारा जोड़ दिया जाये, जिससे कानपुर शहर के बीच में पड़ने वाली 13 रेलवे क्रांसिग स्वत: समाप्त हो जायेगी।

कृपया रेल मंत्रालय को इस आशय का कदम उठाने के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें।

(आठ) उड़ीसा में अंगुल-तीकरपारा मार्ग का दर्जा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंहदेव (ढेंकानाल): उड़ीसा में 47.5 कि.मी. लम्बी अंगुल-तीकरपाड़ा सड़क एक महत्वपूर्ण राज्य सड़क है अथवा तीकरपाड़ा को जोड़ने के कारण इसका आर्थिक महत्व हैं क्योंकि यह स्थान महानदी का महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल, अद्भुत पारिस्थितिकी तंत्र और जीव मंडल भण्डार का मुख्य केन्द्र, महानदी गार्ज (फटी मार्ग अभयारण्य जिसमें 'यूनी एप' घड़ियाल मगरमच्छ, प्रजनन केन्द्र हैं, तथा अंगुल राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिला मुख्यालय है और वहां पर महानदी कोलफील्ड, नालको, एन.टी.पी.सी. सुपर थर्मल पावर प्लांट, भेल तथा चारों ओर भारी जल संयंत्र हैं।

इन क्षेत्रों के लोगों की जीविका कृषि, समुद्रीय जीव तथा हस्तशिल्प उत्पादों के रूप में अपने उत्पाद का विपणन करने के लिए तथा बड़ी संख्या में स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस सड़क पर निर्भर करती है।

अत:, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण इस सड़क का भारत सरकार द्वारा उदारता से तथा यदि आवश्यक हो तो बाह्य वित्तपोषण द्वारा मौसमानुकूल उन्नत संचार प्रणाली के रूप में शीघ्र विकास किया जाना चाहिए।

(नौ) राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में बेहतर टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी (बाड़मेर): महोदय, मैं सरकार का ध्यान, खासकर पश्चिमी राजस्थान के बाडमेर और जैसलमेर जिलों की वी.पी.टी. स्कीम के अंतर्गत टेलीफोन प्रदान करने की अत्यंत धीमी गति की ओर दिलाना चाहता हूं।

1997-98 में सरकार ने घोषणा की थी कि पंचायत मुख्यालय सहित सारे गावों को 2001-2002 तक वी.पी.टी. से जोड़ दिया जायेगा। पिछले 5-6 सालों में देश में टेलीकाम का जाल बिछाने में बहुत तेजी से तरक्की हुई है। कई राज्यों के सारे गावों में वी.पी.टी. की सुविधा दी जा चुकी है।

लेकिन वी.पी.टी. सुविधा को लेकर राज्यों एवं जिलों में काफी असंतुलन है। राजस्थान देश के बड़े राज्यों में से एक है। इसके कुछ जिलों में तो 70 प्रतिशत वी.पी.टी. दिये गये हैं जबकि बाडमेर व जैसलमेर के रेगिस्तानी जिलों में सिर्फ 45 प्रतिशत गावों में वी.पी.टी. दिये गये हैं।

अत: सरकार व संचार मंत्री से मेरा अनुरोध है कि बाडमेर व जैसलमेर जिले जो कि पाकिस्तान की सीमा पर हैं, रक्षा एवं सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनमें इन असंतुलन को कम करने के लिए उचित कार्यवाही करें, जिससे इस दूरदराज व पिछले भाग का उत्थान हो सके तथा डब्ल्यू.एल.एल. और अन्य साज समान वर्ष 2003-2004 में बाडमेर व जैसलमेर जिले में प्रदान करें ताकि जिला स्तर पर वी.पी.टी. के असंतुलन को कम किया जा सके।

(दस) केरल में डाक बचत खातों के जमाकर्ताओं के समक्ष आ रही समस्याओं के समाधान के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): केरल के अनेक डाकघरों में आवर्ती जमा पास बुक में स्थानांतरण कई माह से लंबित है। इसके कारण परिपक्वता जमाराशि का जमाकर्ताओं को भुगतान करने में विलंब होता है। कर्मचारियों की संख्या में कमी इसका एक कारण है। इसका समाधान किया जाए ताकि लघु बचत पर प्रभावित न हों।

इस समय डाकघरों में निवेशकों से नकदी में धनराशि लेने हेतु एस.ए.एन. एजेंटों के लिए 50,000 रुपये की सीमा तय है। इस सीमा से निवेशकों को असुविधा होती है। इस सीमा को बढ़ाकर कम से कम 1,00,000 रुपए किया जाए।

20,000 रुपए से अधिक खाता अदाता चैक की परिपक्वता के कारण उन ग्रामीण लोगों को काफी असुविधा होती है जिनका इन चेकों का भुगतान कराने हेतु बैंकों में कोई खाता नहीं है। चैक द्वारा भुगतान की सीमा 1,00,000 रुपए या इससे अधिक बढ़ाई जाए।

संस्थागत जमाकर्ताओं के लिए एक विशेष योजना बनाई जाए क्योंकि अनेक संस्थाओं को अब अपनी अधिशेष निधि राष्ट्रीय बचत प्रतिभूति में निवेश करने की अनुमति नहीं है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सभी जिला मुख्यालयों में डाकघर की विशेष बचत शाखा के अंतर्गत कम से कम एक शाखा खोलें।

(ग्यारह) पश्चिमी बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले के उत्तरी भाग से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के पूर्व-पश्चिम गलियारे के निर्माण के लिए राज्य सरकार के वैकल्पिक प्रस्ताव पर विचार किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी): वर्तमान योजना के अनुसार सरकार को पर्वतीय नदियों और नालों पर अनेक रेल पुलों के समानांतर मीटर गेज रेल लाइन सहित राष्ट्रीय राजमार्ग का एक नया पूर्व-पश्चिम कारीडोर बनाना है, जो पश्चिमी बंगाल में जलपाईगुड़ी के उत्तरी भाग में पर्वतीय क्षेत्र से गुजरता हो।

आशंका है कि इससे बड़ी संख्या में वनभूमि और चाय बगान प्रभावित होंगे जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी धक्का लगेगा। सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि यह मार्ग दोआब और तराई क्षेत्र के बाद प्रवण क्षेत्रों से गुजरेगा और एक दशक से सड़क और रेल परिवहन दोनों पर जल जमा होने से इनमें आने वाली रुकावट को दूर करने का कोई उपचारात्मक उपाय नहीं किया गया है। यह वास्तविकता है कि इस परियोजना की लागत अनुमानित लागत से कहीं अधिक होगी।

आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार को एक वैकल्पिक प्रस्ताव भेजा गया था। जिसमें प्रस्तावित सड़क का आरंभिक स्थान, कृषि उत्पादों के परिवहन के लाभ, पुलों और पुलिया की संख्या को न्यूनतम करने, वनभूमि तथा चाय बगान को नुकसान न पहुंचाना तथा भारत और बंग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते की सुविधाओं का उल्लेख किया गया है।

मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि मामले की जांच की जाए।

(बारह) आन्ध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जनजातियों के कल्याण के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

डा. डी.वी.जी. शंकरराव (पार्वतीपुरम): आन्ध्र प्रदेश में पार्वतीपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक है जहां गरीब आदिवासी रहते हैं। आदिवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु दो आई.टी.डी.ए. (समेकित आदिवासी विकास प्राधिकरण) कार्य कर रहे हैं।

केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों द्वारा दी गई वित्तीय सहायता यहां की बहु-समस्याओं को निपटाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए, लोग गरीब और निरक्षर हैं। इसके अलावा लगातार पिछले तीन वर्षों से क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा है। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गरीब आदिवासियों की गरीबी के उन्मूलन हेतु कल्याण परियोजनाओं और दीर्घावधिक नीति क्रियान्वित करने के लिए अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करे। इसके अतिरिक्त उनके उत्थान और शोषण समाप्त करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करे।

[हिंदी]

(तेरह) विनिवेश के बारे में पारदर्शी नीति की आवश्यकता

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, विनिवेश के संबंध में स्पष्ट और सुनिश्चित नीति के अभाव में सरकार आरोपों से लगातार घिरती जा रही है। मामला सी.एम.सी. का हो या सैंटूर होटल का, देश का आम आदमी मानने लगा है कि सरकार में बैठे लोग अपने लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाने में लगे हैं। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम अथवा भारत पेट्रोलियम इकाइयों को बेचने के प्रस्ताव ने लोगों में धारणा बलवती बना दी है। सरकार उपरोक्त आरोपों के जवाब में कहती है कि देश के पैसे को न तो बरबाद होने दिया जाएगा और न सरकारी लोगों को व्यापार के बहाने लूट का अवसर दिया जायेगा। बी.पी.सी.एल. व एच.पी.सी.एल. को निजी क्षेत्र को सौंपना और ओ.एन.जी.सी., गैस पावर ग्रिड कारपोरेशन, आयल इंडिया लिमिटेड आदि सरकारी कम्पनियों को न देश में बल्कि विदेशों में पूंजी निवेश की खुली छूट सरकार द्वारा देना स्वयं में विरोधाभास पैदा करता है।

अत: मेरा आग्रह है कि सरकार विनिवेश नीति का स्पष्ट निर्धारण करे और उस पर अमल करे, जिससे आदमी का विश्वास सरकार जीतेगी ही देश की भी सही सेवा कर पायेगी।

[अनुवाद]

(चौदह) उड़ीसा में पारादीप तेलशोधक परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर): वर्ष 1998 में मंत्रिमंडल ने पाराद्वीप तेल रिफाइनरी को मंजूरी दी थी। माननीय प्रधान मंत्री ने पाराद्वीप में रिफाइनरी की आधारशिला रखी थी, तथा स्पष्ट और

जोरदार आश्वासन दिया था कि परियोजनाएं मार्च, 2003 तक सभी मायनों में पूरी हो जाएगी। तथापि, अब तक केवल भूमि ही अधिग्रहीत की गई है और भूमि का कुछ विकास किया गया है। अब काम रूक गया है अथवा कम से कम यह कहा जा सकता है कि गति धीमी हो गई है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि मार्च, 2004 तक कार्य पूरा करने हेतु भारतीय तेल निगम द्वारा शुरू की गई निष्पादन प्रक्रिया में तेजी लाए, उड़ीसा के लोग परियोजना के निष्पादन में धीमी गति के कारण क्षुब्ध है। भारत सरकार को पाराद्वीप पर तेल रिफाइनरी परियोजना की वर्तमान स्थिति तथा परियोजना को पूरा करने के लिए कार्यक्रम के पुनर्निर्धारण के संबंध में स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिए।

(पन्द्रह) केरल में पोन्नानी और सम्पूर्ण मालापुरम जिले में और अधिक डाकघर खोले जाने की आवश्यकता

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): केरल में मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, पोन्नानी तथा समस्त मालापुरम जिले में पर्याप्त संख्या में डाकघरों और उप-डाकघर सुविधाओं पर विभाग तथा सरकार द्वारा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। पर्वतीय क्षेत्र, भारी वर्षा तथा अत्यधिक दबाव के कारण डाक सुविधाओं की आवश्यकता और बढ़ जाती है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अपनी जीविका के लिए केरल और देश से बाहर भी काम करते हैं। इन बातों तथा जिले में अन्य विशेष कारकों पर विचार करते हुए यह नितांत आवश्यक है कि डाकघरों तथा डाक सुविधाओं के उपबंध के लिए सामान्य मानदन्डों में अपेक्षित छूट दी जाए। सामान्य मानदंडों का उल्लंघ करके अक्सर अनुरोध को नामंजूर कर दिया जाता हैं। मानवाय आधार पर इस मांग पर विचार किया जाए कि इस क्षेत्र की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए मानदण्डों में छूट दी जानी चाहिए। पुन: सर्वेक्षण किए जाने चाहिए और इन क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में डाकघर, उप डाकघर खोले जाने चाहिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: क्या आप सभा की कार्यवाही चलाना चाहते हैं अथवा सभा को स्थगित करना चाहते है? सभा की बैठक सभा का कार्य करने हेतु बुलाई गई है। स्थगित करने के लिए नहीं बुलाई गई। आपका क्या कहना है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: सभापति महोदय, हमारे कार्यस्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ, हमने नोटिस दिया हुआ है। आप उसके बारे में बताये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा का कार्य करने हेतु सभा की बैठक बुलाई गई है। आपका क्या कहना है?

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: अब सभा 8 अप्रैल, 2003 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 5.06

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 8 अप्रैल/18 चैत्र, 1925 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।